भारत
के
नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का

31 मार्च 2005 को समाप्त हुए वर्ष का
प्रतिवेदन

(सिविल)

बिहार सरकार

http:\\www.cag.gov.in\states\Bihar\2005

विषय–सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन		vii
विहंगावलोकन		ix-xiii
अध्याय–I **राज्य सरकार का वित्त**		
सारांश		1
प्रस्तावना	1.1	1-3
पूर्व वर्ष की तुलना में वित्त की प्रवृत्तियाँ	1.2	3
वर्ष के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	1.3	3-4
लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली	1.4	4-5
मात्रा एवं संसाधनों के परिमाण एवं स्रोत	1.5	6-8
संसाधनों का उपयोग	1.6	8-13
आवंटीय प्राथमिकताओं द्वारा व्यय	1.7	13-15
परिसंपत्तियाँ एवं दायित्त्व	1.8	15-18
घाटा प्रबंधन	1.9	19
राजकोषीय अनुपात	1.10	19-20
अध्याय–II **आवंटन हेतु प्राथमिकताएँ तथा विनियोजन**		
प्रस्तावना	2.1	21
विनियोजन लेखाओं का सारांश	2.2	21-22
आबंटन हेतु प्राथमिकताओं की पूर्ति	2.3	22-26
बजटीय कार्यवाही तथा व्यय नियंत्रण	2.4	26-27

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
अध्याय–III **निष्पादन समीक्षाएँ**		
जल संसाधन विभाग		
बाढ़ नियंत्रण उपाय	3.1	28-37
खाद्य, असैनिक आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग		
उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित अधिनियमों एवं नियमों का क्रियान्वयन	3.2	38-48
आपदा प्रबंधन विभाग		
बिहार में बाढ़ राहत अभियान	3.3	49-55
जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा बाढ़ राहत अभियान	3.4	56-61
ग्रामीण विकास विभाग		
जिला पर्षदों द्वारा कार्यों का कियान्वयन	3.5	62-68
अध्याय–IV **संपादन लेखापरीक्षा**		
कपटपूर्ण निकासी/दुर्विनियोजन/गबन/हानि	**4.1**	
जल संसाधन विभाग		
रोकड़ का गबन	4.1.1	69-70
ग्रामीण विकास विभाग		
चावल का संदेहास्पद वितरण तथा अलेखाकरण	4.1.2	70-72
जल संसाधन विभाग		
संवेदकों को सामग्रियों की ढुलाई के लिए कपटपूर्ण भुगतान	4.1.3	72-73
ग्रामीण विकास विभाग		
सरकारी राशि का दुर्विनियोजन/कपटपूर्ण निकासी	4.1.4	73-74
माध्यमिक, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग		
निधि का दुबारा आहरण	4.1.5	75

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग		
विविध प्राप्तियों का दुरूपयोग	4.1.6	76-77
शहरी विकास विभाग		
अनुदान का दुरूपयोग	4.1.7	77-78
श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग		
वृद्धावस्था पेंशन के संवितरण हेतु असमायोजित अग्रिमें	4.1.8	79-80
ग्रामीण विकास विभाग		
खाली जूट के बोरे के वसूली नहीं किए जाने के कारण हानि	4.1.9	80
ग्रामीण विकास विभाग (ग्राम्य अभियंत्रण संगठन)		
लंबित अस्थायी अग्रिमें	4.1.10	81
पथ निर्माण विभाग		
सरकारी भवन के निलामी के कारण हानि	4.1.11	82-83
निष्फल/व्यर्थ व्यय एवं अधिक भुगतान	**4.2**	
शहरी विकास विभाग		
पटना जलापूर्ति योजना का संवर्धन	4.2.1	83
संविदात्मक दायित्वों का उल्लंघन/संवेदकों को अदेय सहायता	**4.3**	
पथ निर्माण विभाग		
संवेदक को अदेय वित्तीय सहायता तथा अलाभकारी व्यय	4.3.1	84-85
परिहार्य/अधिक्य/निस्फल व्यय	**4.4**	
ग्रामीण विकास विभाग		
इंदिरा आवास निधि का दुरूपयोग	4.4.1	85
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं की निधि का दुरूपयोग	4.4.2	86
स. ग्रा. स्व. यो. निधि का दुरूपयोग	4.4.3	86-87
राष्ट्रीय झुग्गी–झोपड़ी विकास कार्यक्रम निधि का दुरूपयोग	4.4.4	88-89

		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
ऊर्जा शुल्क पर परिहार्य व्यय		4.4.5	89-90
निष्क्रिय निवेश/निष्क्रिय स्थापना/निधि का अवरोधन		4.5	
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आवास एवं पथ सुविधा का नहीं दिया जाना		4.5.1	90-91
अध्याय–V **आन्तरिक नियंत्रण तंत्र**			
पशुपालन विभाग			
पशुपालन विभाग में आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन		5.1	92-101
परिशिष्ट			
I	बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति का सार	1.3	102
II	वर्ष 2003–04 की प्राप्तियों एवं संवितरण का सार	1.4	103-104
III	निधि का स्रोत एवं उपयोग	1.4	105
IV	राज्य सरकार के वित्त के कालबद्ध आँकड़े	1.4	106-107
V	अध्याय–I में प्रयुक्त शब्दावली तथा उनके गणना का आधार	1.4	108
VI	मार्च 2004 तक भुगतान किए गए सहायता अनुदान जिनके उपयोगिता प्रमाण पत्र सितंबर 2004 तक अप्राप्त थे	1.7.2	109-110
VII	स्वायत्तशासी निकायों द्वारा राज्य विधायिका को सौंपे गए लेखाओं की वस्तुस्थिति का विवरण	1.7.3	111
VIII	अपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं की सूची जहाँ वृहत पूँजी अवरूद्ध थीं	1.8.1	112
IX	विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक/अर्द्ध–वाणिज्यिक उपक्रम, जिन्होंने स्थापना काल से ही प्रोफार्मा लेखा तैयार नहीं किया है	1.8.4	113
X	विभाग द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक/अर्द्ध वाणिज्यिक उपक्रम जिनके प्रोफार्मा लेखे बकाया हैं	1.8.4	114
XI	नियमन की अपेक्षा वाले आधिक्य अनुदान/विनियोजन की विवरणी	2.3.1	115
XII	क्षेत्र जिसमें मुख्य बचत हुई	2.3.2	116-119
XIII	मामले जहाँ व्यय बजट प्रावधान से 2 करोड़ रुपये से अधिक से कम थे तथा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक थे	2.3.3	120-121

		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
XIV	प्रत्येक मामले में 2 करोड़ रुपये से अधिक लगातार बचत के मामले	2.3.4	122
XV	1977–78 से 2004–05 तक आधिक्य	2.3.5	123
XVI	अधिकाई व्यय के मुख्य मामले जिसमें प्रत्येक लघु शीर्षो में प्रावधान के विरूद्व एक करोड़ रूपये या अधिक का आधिक्य था	2.3.5	124-125
XVII	बिना बजट प्रावधान के लघु शीर्ष में व्यय	2.3.5	126
XVIII	मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए	2.3.7	127-128
XIX	मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक साबित हुए (प्रत्येक मामले में 10 लाख रुपये से अधिक)	2.3.7	129
XX	मामले जहाँ अनावश्यक राशि का पुनर्विनियोजन	2.3.8	130
XXI	अधिक अभ्यर्पण की विवरणी	2.3.8	131
XXII	प्रत्याशित बचत अभ्यर्पित नहीं किए गये	2.3.9	132
XXIII	मार्च 2005 माह के अंतिम दिन अभ्यर्पित राशि	2.3.9	133-134
XXIV	संपूर्ण प्रावधानों के अभ्यर्पण/पूनर्विनियोजन के मुख्य मामले	2.3.10	135-142
XXV	अनुदान में वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण	2.3.11	143
XXVI	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत अविवेकपूर्ण पुर्नविनियोजन	2.3.11	144
XXVII	मार्च 2005 में व्यय की तीव्रता	2.3.12	145
XXVIII	असमाशोधित व्यय की विवरणी	2.3.13	146-148
XXIX	योजनागत योजना के अन्तर्गत बचत की विवरणी	2.3.14	149-156
XXX	कंटाव निरोधक कार्यो का ब्यौरा	3.1.10	157
XXXI	ओ.आर.जी मार्ग सर्वेक्षण द्वारा पाये गये तथ्य के निष्कर्ष	3.2.4	158-159
XXXII	जिला फोरम में मुकदमों का दायर तथा निपटारों की संख्या	3.2.11	160
XXXIII	आवंटन तथा प्रतिवेदित व्यय का ब्यौरा	3.3.4	161
XXXIV	बेगुसराय, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, खगडिया, मधुबनी, मुजफफरपुर, समस्तीपुर एवं सीतामढी जिलों के घटकवार स्थिति	3.3.4	162
XXXV	अनाज प्राप्ति एवं वितरण का ब्यौरा	3.3.5	163

		संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
XXXVI	(अ) अंचल में अधिक प्राप्त हुए अनाज (गेहूँ) का ब्यौरा	3.3.5	164
	(ब) अंचल में अधिक प्राप्त अनाज(चावल) का ब्यौरा	3.3.5	165
XXXVII	(अ) अंचल में पड़े हुए अनाज (गेहूँ) का ब्यौरा	3.3.5	166-167
	(ब) अंचल में पड़े अनाज (चावल) का ब्यौरा	3.3.5	168
XXXVIII	वर्ष 2001–05 के दौरान वित्त का सार	3.5.2	169
XXXIX	(अ) वर्ष 2001–05 के दौरान अग्रिम प्राप्तकर्ताओं (अग्रिमधारी) के ब्यौरा	3.5.2	170
	(ब) वर्ष 2001–05 के दौरान तीन सहायक अभियंताओं के पक्ष में बकाया अग्रिम		170
XL	वर्ष 2001–05 के दौरान लिए गए तथा पूर्ण किए गए कार्यो की विवरणी	3.5.5	171
XLI	वर्ष 2000–05 के दौरान पशुपालन विभाग में योजना के अंतर्गत चालू योजनाओं की सूची	5.1.12	172-173
XLII	वर्ष 2000–05 के दौरान पशुपालन विभाग में शुरू किए गए योजनागत योजनाओ की सूची	5.1.12	174-175

प्राक्कथन

1 यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

2 इस प्रतिवेदन के अध्याय I एवं II में 31 मार्च 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखे और विनियोग लेखे की जाँच से उत्पन्न मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ शामिल हैं।

3 शेष अध्याय निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों, विभिन्न विभागों में सम्पादन लेखापरीक्षा तथा पशुपालन विभाग में आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था से सम्बन्ध रखते हैं।

4 सांविधिक निगमों, बोर्डों और सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियों वाले प्रतिवेदन तथा राजस्व प्राप्तियों पर ऐसी टिप्पणियों को समाहित करने वाले प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किये जाते हैं।

5 प्रतिवेदन में उल्लेखित वैसे मामले हैं जिन्हें वर्ष 2004–05 के दौरान लेखाओं के नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया तथा साथ–साथ वैसे मामले भी हैं जो भी है पूर्ववर्ती वर्षों में पाये तो गए परंतु पूर्व प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके थे; वर्ष 2004–05 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी आवश्यकतानुसार शामिल किये गये हैं।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में वर्ष 2004–05 से संबंधित बिहार सरकार के वित्त एवं विनियोग लेखों पर टिप्पणियाँ शामिल करने वाले दो अध्याय तथा पाँच निष्पादन समीक्षाओं, 20 कंडिकाओं तथा पशुपालन विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को समाविष्ट करने वाले तीन अन्य अध्याय समाहित है। इस विहंगावलोकन में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में अंतर्निहित मुख्य लेखा–परीक्षा टिप्पणियों के सार प्रस्तुत किए गए हैं।

1. राज्य सरकार का वित्त

वर्ष 2004–05 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों (15714 करोड़ रूपये) ने पूर्व वर्ष से राजस्व व्यय (14638 करोड़ रूपये) के 15 प्रतिशत वृद्धि के विरूद्ध 26 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी जिससे 1076 करोड़ रूपये का राजस्व अतिरेक हुआ। हालांकि वर्ष 2004–05 के दौरान राज्य के अपने संसाधन मात्र 24 प्रतिशत थे।

वर्ष 2004–05 के दौरान पूँजिगत व्यय (1205 करोड. रूपये) में पूर्व वर्ष की तुलना में 22 प्रतिशत की कमी आई। परिणामस्वरूप, राजकोषीय घाटा वर्ष 2003–04 में 4363 करोड़ रूपये से घट कर वर्ष 2004–05 में 1242 करोड़ रूपये हो गया। हालांकि, चिंताजनक बात यह थी कि वर्ष के दौरान राजकोषीय दायित्व (142483 करोड़ रूपये) में पूर्व वर्ष से 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी तथा दायित्वों एवं सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात अत्यधिक 68 प्रतिशत के उच्च स्तर पर था।

2. विनियोजन एवं आवंटन हेतु प्राथमिकताएँ

वर्ष 2004–05 के दौरान 6442.77 करोड़ रूपये की सकल बचतें 6448.45 करोड़ रूपये की बचतों तथा 5.68 करोड़ रूपये के आधिक्य का निवल परिणाम थीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत आधिक्य व्यय का विनियमन अपेक्षित था। 42 मामलों में प्राप्त किए गए 1166.41 करोड़ रूपये के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए।

3. बाढ़ नियंत्रण उपाय

जल संसाधन विभाग (ज.स.वि.) बाढ़ की विभीषिका, जो राज्य के दो करोड़ से अधिक आबादी को प्रभावित करती है, से निपटने हेतु दीर्घ एवं अल्प कालिक योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। वर्ष 2000–05 के दौरान, ज.स.वि. ने मुख्यतः कटाव निरोधक कार्यों का क्रियान्वयन किया। तटबंधों के निर्माण, विद्यमान तटबंधों के उत्थान एवं सुदृढ़ीकरण तथा तटबंधों पर सर्वऋतु सड़कों के निर्माण हेतु योजना आवंटनों की कटौती की गयी। परिणामस्वरूप, तटबंधो के उत्थान एवं सृदृढ़ीकरण (580 कि.मी. के विरूद्ध 123 कि.मी.), तटबंधों पर सर्वकालिक सड़क (590.85 कि.मी. के विरूद्ध 64.15 कि.मी.) तथा तटबंधों की कुल लंबाई (36 कि. मी. के विरूद्ध शून्य) के तहत लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धियाँ दयनीय थी। लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि तीन प्रमंडलों में कार्यों के क्रियान्वयन तथा

निविदा निर्धारण में विलंब के कारण 6.26 करोड़ रूपये का परिहार्य व्यय हुआ था।

(कंडिका 3.1)

4. उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित अधिनियमों एवं नियमों का क्रियान्वयन

उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित एवं मितव्ययी निष्पादन प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 लागू किया गया था। यह राष्ट्रीय, राजकीय एवं जिला स्तरों पर उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र (उपभोक्ता न्यायालय) का प्रावधान करता है। बिहार में उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित अधिनियमों एवं नियमों का क्रियान्वयन संतोषप्रद नहीं था क्योंकि जिला फोरमों के स्थापना में विलंब था; कर्मियों का अभाव था तथा पर्याप्त अंतः संरचना यथा कम्प्यूटर, फैक्स मशीन, पुस्तकालय हेतु पुस्तकों आदि का अभाव था। सर्किट बेंच का सृजन नहीं किया गया था। राज्य में मात्र एक अधिसूचित प्रयोगशाला थी जिसने विश्लेषण हेतु कोई नमूना नहीं प्राप्त किया था। उपभोक्ता जागरूकता कार्यकम बाधित हुआ क्योंकि राज्य में उपभोक्ता संरक्षण परिषद तथा जिला उपभोक्ता संरक्षण केन्द्रों की स्थापना नहीं की गयी थी। जून 2005 तक राज्य आयोग तथा जिला फोरमों में 15599 शिकायती मामले लंबित थे। साथ–साथ, मामलों के निपटारे तथा निर्णयादेश राशि के भुगतान में भी विलंब था। इस प्रकार, उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निवारण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया।

(कंडिका 3.2)

5. बिहार में बाढ़ राहत अभियान

वर्ष 2004–05 के दौरान राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने 20 जिलों में 2.13 करोड़ बाढ़ पीड़ित आबादी की राहत के लिए 132.40 करोड़ रूपये प्रदान किया। इसमें से, जिलाधीशों ने, जो जिलों में बाढ़ राहत अभियान के पूर्ण प्रभारी थे,ए.सी. विपत्रों पर 117.68 करोड़ रूपये की निकासी की तथा 96.8 करोड़ रूपये व्यय किया। खाद्यानों (37.40 करोड़ रूपये) तथा नकद अनुदान (44.59 करोड़ रूपये) पर व्यय की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने खाद्याान्न वितरण एवं नकद अनुदान वितरण में विलंब, सामग्रियों का संदेहास्पद क्रय, खाद्यान्नों का संदेहास्पद वितरण तथा नकद वितरण के भुगतानों के डी सी विपत्रों का असमर्पण उद्घटित किया।

जिलाधीशों ने महालेखाकार को अभिश्रव समर्पित किए बगैर आ.प्र.वि. को 81.94 करोड़ रूपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया। राहत कार्यों हेतु कर्मियों को प्रदान किए गए 10.77 करोड़ रूपये के अग्रिमों का समायोजन अभिश्रव प्राप्त किए बगैर व्यय दर्ज किया गया। 4.85 करोड़ रूपये के खाद्यानों तथा 9.84 करोड़ रूपयें के नकद अनुदान बाढ़ अवधि के उपरांत वितरित किए गए जिससे शीघ्र राहत प्रदान किए जाने का लक्ष्य विफल हुआ। जिला एवं अंचल स्तरों पर खाद्यानों एवं राहत सामग्रियों के भंडार एवं वितरण पंजी का संधारण नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, प्रपत्र IX में दर्शाए गए 36.96 करोड़ रूपये मूल्य के 7.57 लाख क्विंटल खाद्यानों के वितरण की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी।

(कंडिका 3.3)

6. जिलाधिकारी, पटना द्वारा बाढ़ राहत अभियान

बाढ़ राहत अभियान हेतु आपदा प्रबंधन विभाग (आ.प्र.वि.) ने जि.पदा. पटना को वर्ष 2004 में 13.54 करोड़ रूपये आवंटित किया, हालांकि पटना बाढ़ प्रभावित जिला नहीं था तथा जि.पदा. पटना को नोडल पदाधिकारी के रूप में विज्ञप्त नहीं किया गया था। जि.पदा. पटना द्वारा चलाए गए बाढ़ राहत अभियान ने सचिवालय तथा जिला स्तर पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता दर्शाया। जि.पदा. पटना ए.सी. विपत्रों पर 13.34 करोड़ की निकासी का विस्तृत आकस्मिक विपत्रों को समर्पित करने में विफल रहे। जि.पदा. ने लेखा के अन्य शीर्षो यथा चुनाव, कल्याण तथा भू–अर्जन से भी 5.10 करोड़ रूपये का विचलन किया। जि.पदा. राहत सामग्रियों के आपूर्तिकर्त्ताओं से पूर्व–करार करने में विफल रहे जैसा कि भारत सरकार के मार्गदर्शिकानुसार अपेक्षित था तथा उन्होंने बाबा सत्य साई इन्टरप्राईजेज को 17.80 करोड़ रूपये का भुगतान किया। जि.पदा. ने राहत सामग्रियों की भंडार एवं वितरण पंजी का संधारण नहीं किया था। इस प्रकार, जि.पदा. पटना द्वारा राहत निधियों का घोर कुप्रबंधन किया गया।

(कंडिका 3.4)

7. जिला पर्षदों द्वारा कार्यो का क्रियान्वयन

अड़तीस जिला पर्षदों (जि.प.) ने विकास कार्यो तथा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त की थी। जि.प. द्वारा क्रियान्वित कार्यो की संवीक्षा ने प्रकटित किया कि जिला पर्षदों के जि.वि.आ.सह–मु.का.पदा., नियंत्री पदाधिकारियों के रूप में जि.प. का लेखा तैयार करने में विफल रहे तथा ग्राम पंचायतों तथा पंचायत समितियों को आवंटित निधियों के संबंध में गलत उपयोगिता पत्र प्रदान किया। भुगतान हेतु पारित अभिश्रवों के आधार पर कार्यो के विभागीय क्रियान्वयन हेतु प्रमंडलीय पदाधिकारियों द्वारा कार्यकारी अधीनस्थों को जो अस्थायी अग्रिमें प्रदान की जाती हैं, वे 9226 कार्यो के कार्यान्वयन से संबद्ध 101.80 करोड़ रूपये तक अंतिम समायोजन हेतु लंबित थी।

वर्ष 2001–05 के दौरान सात जि.प. द्वारा लिए गए कुल 9879 कार्यो में से मात्र 653 कार्यो की पूर्णता संबंधित अभिलेख उपस्थित थे तथा शेष कार्यो के संबंध में, या तो अभिलेख उपस्थापित नहीं किए गए या वे अपूर्ण थे। इस प्रकार, कार्यो की वास्तविक पूर्णता की लेखा परीक्षा में जाँच नहीं की जा सकी।

(कंडिका 3.5)

8. पशुपालन विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन

पशुपालन विभाग में आंतरिक नियंत्रण, यथा वित्तीय नियंत्रण, व्यय नियंत्रण, परिचालन नियंत्रण एवं अनुश्रवण प्रणाली अपर्याप्त तथा अप्रभावी था। बजटीय एवं व्यय नियंत्रण के अभाव के कारण अनुपूरक अनुदानों का अनावश्यक प्रावधान था जिससे वृहत बचतें हुई। विभाग द्वारा उत्तरदायिता ली गयी योजनाएँ आरंभ नहीं की जा सकी क्योंकि केन्द्रीय क्रय समिति उपकरणों एवं सामग्रियों की अधिप्राप्ति पर सामयिक निर्णय नहीं ले सकी। विभाग विभिन्न विभागीय क्रियान्वित योजनाओं

के विरूद्ध लक्ष्य एवं प्राप्तियों के आँकड़ें प्रदान करने में विफल रहा। वर्ष 1982 के बाद कोई पशुगणना नहीं की गयी थी। विभाग के पास विभाग में पदस्थों की कोई जानकारी नहीं थी। विभाग का अनुश्रवण तंत्र कमजोर था। वर्ष 2000–05 के दौरान जारी किए गए 452 आंतरिक लेखा परीक्षा कंडिकाओं के विरूद्ध अगस्त 2005 तक 52.54 करोड़ रूपये के 419 कंडिकाओं का निष्पादन नहीं किया गया था।

(कंडिका 5.1)

9. सम्पादन लेखापरीक्षा का निष्कर्ष

विभिन्न सरकारी विभागों एवं उनके क्षेत्रीय पदाधिकारियों के वित्तीय सम्पादन के नमूना जाँच में लेखापरीक्षा ने 30.42 करोड़ रूपये से अधिक के किए गए दुर्विनियोजन/ अलेखांकन, दुरूपयोग तथा निरर्थक व्यय के दृष्टांत प्रकटित किया जो नीचे विवरणित हैं :

- 12.18 करोड़ रूपये की निधियों का दुर्विनियोजन/अलेखांकन जल संसाधन विभाग (2.03 करोड़ रूपये), ग्रामीण विकास विभाग (9.67 करोड़ रूपये), पथ निर्माण विभाग (0.26 करोड़ रूपये) तथा माध्यमिक, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग (0.22 करोड़ रूपये) में पाया गया।

- पथ निर्माण विभाग में 2.65 करोड़ रूपये की राशि की अनुबंधित इकरारनामें की उपेक्षा तथा संवेदकों को अदेय सहायता दी गयी।

- 9.71 करोड़ रूपये की राशि का दुरूपयोग ग्रामीण विकास विभाग (3.22 करोड़ रूपये), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (1.06 करोड़ रूपये), शहरी विकास विभाग (4.47 करोड़ रूपये) तथा श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग (0.96 करोड़ रूपये) में पाया गया।

- 5.88 करोड़ रूपये का निरर्थक व्यय शहरी विकास विभाग (1.17 करोड़ रूपये) तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (4.71 करोड़ रूपये) में पाया गया।

कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष यथा निम्न दर्शित हैं :

राजस्व प्रमंडल, पूर्णिया तथा जिला पर्षद, सीतामढ़ी में नि. एवं व्य. पदा. द्वारा प्रावधानित नियमावली के अनुसार रोकड़ संचालन में विफलता के कारण 1.02 करोड़ रूपये के गबन के दो मामले संसूचित किए गए।

(कंडिका 4.1.1 तथा 4.1.4)

अनुबंध के अनुसार खदान से सामग्रियों की ढुलाई के समर्थन में अभिश्रवों को प्राप्त किए बगैर पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, दरभंगा एवं झंझारपूर में दो संवेदकों को गिट्टियों की ढुलाई पर 1.33 करोड़ रूपये का जाली भुगतान किया गया।

(कंडिका 4.1.3)

शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से श.स्व.यो. लाभान्वितों को भुगतेय 76.18 लाख रूपये (स्व.ज.श.रो.यो. के तहत् 69.63 लाख रूपये) के सब्सिडी की राशि को जि.पदा. पटना द्वारा स्व.ज.श.रो.यो. से अनाच्छादित अन्य उद्देश्यों हेतु, गै.स.सं. को दे दिया गया।

(कंडिका 4.1.7)

कार्यपालक अभियंता/विभागीय प्राधिकारों द्वारा उप न्यायाधीश के न्यायालय में प्रति शपथ पत्र दायर करने की विफलता के कारण सरकारी भवन की नीलामी हुई तथा सरकार को 26.06 लाख रूपये की हानि हुई।

(कंडिका 4.1.11)

एन.एस.डी.पी. मार्गदर्शिका के उल्लंघन में मधुबनी तथा दरंभगा जिलों के कार्यपालक पदाधिकारियों ने गैर झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों के विकास हेतु निमित्त 2.76 करोड़ रूपये का दुरूपयोग किया तथा सामग्रियों के क्रय पर 94.67 लाख रूपये का संदेहास्पद व्यय किया।

(कंडिका 4.4.4)

अध्याय–I

राज्य सरकार का वित्त

सारांश

वर्ष 2004–05 के दौरान राजस्व प्राप्तियों (15714 करोड़ रुपये) में, पूर्व के वर्ष से, राजस्व व्यय (14638 करोड़ रुपये) में 15 प्रतिशत की वृद्धि के विरूद्ध 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई, हालाँकि राजस्व प्राप्तियों में राज्य सरकार के अपने स्रोतों की प्रतिशतता 31 प्रतिशत (2000–01) से घटकर 2004–05 में 24 प्रतिशत हो गयी। केन्द्रीय कर अंतरण और सहायता अनुदान का योगदान राजस्व प्राप्तियों में 76 प्रतिशत था। वर्ष 2004–05 में केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान पूर्व वर्ष की तुलना में 75 प्रतिशत से बढ़ गयी। केन्द्रीय कर हस्तांतरण भी वर्ष 2003–04 के 16 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2004–05 में 20 प्रतिशत हो गया।

कर राजस्व के साधनों मे बिक्री कर (57 प्रतिशत), मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क (13 प्रतिशत), राज्य उत्पाद (आठ प्रतिशत) और वाहन कर (छ: प्रतिशत) मुख्य अंशदाता थे। करेत्तर राजस्व साधनों में अलौह/खनन एवं धातुकर्म उद्योग (19 प्रतिशत) और ब्याज प्राप्तियाँ (18 प्रतिशत) मुख्य अंशदाता थे।

राज्य का सकल व्यय 0.84 प्रतिशत की हाशिय वृद्धि से वर्ष 2003–04 मे 16829 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2004–05 में 16971 करोड़ रुपये हो गया। राजस्व व्यय (14638 करोड़ रुपये) कुल व्यय का 86 प्रतिशत था। राजकोषीय दायित्व (42483 करोड़ रुपये) वर्ष 2004–05 के दौरान पूर्व वर्ष से 13 प्रतिशत बढ़ गया जो कि राजस्व प्राप्तियों का तीन गुना था।

घाटे के वित्तपोषण हेतु मुख्यत: उधार पर जारी निर्भरता के कारण ब्याज भुगतान वर्ष 2003–04 में 3343 करोड़ रुपये से चार प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2004–05 में 3474 करोड़ रुपये हो गया।

राजस्व अधिशेष के साथ–साथ पूँजिगत व्यय (1205 करोड़ रूपये) में ह्रास के परिणामस्वरूप चालू वर्ष में राजकोषीय घाटा में कमी आई। राजकोषीय घाटा जो कि सरकार के कुल उधारों तथा इसके कुल ससाधन अन्तर को प्रदर्शित करता है 72 प्रतिशत घट गया। भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय कर का राज्यांश एवं गैर–योजना सहायता अनुदान में वृद्धि के कारण ही चालू राजस्व में धनात्मक शेष था। सामान्य भविष्य निधि पर 1186 करोड़ रूपये के अप्रविष्ट व्याज भुगतान को यदि समाविष्ट कर लिया जाय तो चालू राजस्व से शेष समाप्त हो जायेगा।

राजकोषीय दायित्व से जी एस डी पी का 68 प्रतिशत अनुपात राज्य के ऋण बोझ की अधारिता को प्रदर्शित करता है।

1.1 प्रस्तावना

बिहार सरकार के वित्त लेखे राज्य सरकार की संचित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे में राजस्व एवं पूँजीगतवार प्राप्तियाँ एवं व्यय को दर्शाते हैं जिसे 19 विवरणियों में तैयार किया जाता है। वित्त लेखे की रूपरेखा प्रकोष्ठ 1.1 में प्रदर्शित है।

प्रकोष्ठ 1.1

वित्त लेखे की रुप–रेखा

विवरणी सं. 1 राज्य के संचित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे में राज्य सरकार के लेन–देनों – प्राप्तियों एवं व्यय, राजस्व एवं पूँजिगत, लोक ऋण प्राप्तियाँ एवं वितरण आदि का साराश प्रस्तुत करती है।

विवरणी सं. 2 वर्ष 2004–05 के अंत तक उत्तरोत्तर व्यय को दर्शाती पूँजीगत परिव्यय के संक्षिप्त विवरणी को अंतर्विष्ट करती है।

विवरणी सं. 3 सिचाई कार्यों के वित्तीय परिणामों, उनके राजस्व प्राप्तियों, क्रियान्वयन व्यय तथा रखरखाव प्रभारो, पूँजीगत परिव्यय, सकल लाभ व हानि आदि की सूचना देती है।

विवरणी सं. 4 राज्य की ऋण स्थिति, जिसमे आतरिक ऋण, भारत सरकार से कर्ज, अन्य दायित्व व ऋण भुगतान शामिल है, का सार प्रस्तुत करती है।

विवरणी सं. 5 वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कर्जे एवं पेशगियों, उनकी वसूली, बकाए वसूली आदि का सार प्रस्तुत करती हैं।

विवरणी सं. 6 सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानो द्वारा लिए गए ऋणों आदि की अदायगी हेतु सरकार द्वारा दिए गए गारंटी का सार प्रस्तुत करती है।

विवरणी सं. 7 रोकड शेषो तथा वैसे शेषों से किए गए निवेशो का सार प्रस्तुत करती है।

विवरणी सं. 8 31 मार्च 2005 को संचित निधि, आकस्मिकता निधि एव लोक लेखे में शेषों का सार प्रस्तुत करती है।

विवरणी सं. 9 सकल राजस्व/व्यय के प्रतिशत के रूप में वर्ष 2004–05 के लिए विभिन्न शीर्षो के तहत् राजस्व एवं व्यय को दर्शाती है।

विवरणी सं. 10 वर्ष के दौरान भारित एवं दत्तमत व्यय का वितरण दर्शाती है।

विवरणी सं. 11 लघु शीर्षों के राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।

विवरणी सं. 12 दीर्घ शीर्ष वार पूँजीगत व्यय तथा गैर–योजना, राज्य योजना एव केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत् लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय का लेखा प्रस्तुत करती है।

विवरणी सं. 13 वर्ष 2004–05 के दौरान तथा अंत तक पूँजीगत व्यय का विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत करती है।

विवरणी सं. 14 वर्ष 2004–05 के अंत तक सांविधिक निगमो, सरकारी कपनियों, अन्य संयुक्त पूँजी कपनियों, सहकारी बैकों एव संस्थाओ आदि में राज्य सरकार के निवेशों का विवरण दर्शाती है।

विवरणी सं. 15 वर्ष 2004–05 के अंत तक पूँजीगत एव अन्य व्यय को दर्शाते हुए उन व्ययों हेतु प्रदत्त निधियों के मुख्य स्रोत का विवरण प्रस्तुत करती है।

विवरणी सं. 16 ऋण, आकस्मिकता निधि एव लोक लेखा से संबधित शीर्षों के तहत प्राप्तियों, वितरण एव अधिशेषों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।

विवरणी सं. 17 बिहार सरकार के ऋणों एवं ब्याज धारित दायित्वों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।

विवरणी सं. 18 बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त कर्जे एवं पेशगियों, वर्ष के दौरान ऋण अदायगी की राशि, 31 मार्च 2005 को शेष तथा वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज की राशि का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती हैं।

विवरणी सं. 19 सुरक्षित निधियों के विनिर्दिष्ट अधिशेषों का ब्यौरा प्रस्तुत करती है।

1.2 पूर्व वर्ष की तुलना में वित्त की प्रवृत्तियाँ

पूर्व वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार का वित्त निम्नवत् था:

(रुपये करोड़ में)

2003-04	क्रम सं.	वृहद समष्टियाँ	2004-05
12456	**1.**	**राजस्व प्राप्तियाँ (2+3+4)**	**15714**
2890	2.	कर राजस्व	3347
320	3.	करेत्तर राजस्व	418
9246	4.	अन्य प्राप्तियाँ	11949
10	**5.**	**गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ**	**15**
10	6.	*जिसमें* ऋणों की वसुली	15
12466	**7.**	**कुल प्राप्तियाँ (1+5)**	15729
14051	**8.**	**गैर योजना व्यय (9+11+12)**	**13495**
11627	9.	राजस्व लेखे पर	**12642**
3343	10.	जिसमें, ब्याज भुगतान	3474
56	11.	पूँजीगत लेखे पर	35
2368	12.	वितरित ऋण एवं अग्रिमों	818
2778	**13.**	**योजना व्यय (14+15+16)**	3476
1084	14.	राजस्व लेखे पर	**1996**
1493	15.	पूँजीगत लेखे पर	1170
201	16.	वितरित ऋण एवं अग्रिमों	310
16829	**17.**	**कुल व्यय (8+13)**	16971
(-)4363	**18.**	**राजकोषीय घाटा (7-17)** घाटा (–)/आधिक्य (+)	**(-)1242**
(-)255	**19.**	**राजस्व घाटा (1-9-14)** घाटा (–)/आधिक्य (+)	**(+)1076**
(-)1020	**20**	**प्राथमिक घाटा (18-10)** घाटा (–)/आधिक्य (+)	**(+)2232**

1.3 वर्ष के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

सारणी I वर्ष 2004–05 के लिए बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति का विवरण प्रस्तुत करती है जिसमें वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ एवं व्यय, पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं व्यय, लोक ऋण प्राप्तियाँ एवं संवितरण तथा लोक लेखा प्राप्तियाँ एवं संवितरण समाहित हैं जो वित्त लेखे के **परिशिष्ट–I** एवं अन्य विस्तृत विवरणियों से परिलक्षित होते हैं।

सारणी – I वर्ष 2004–05 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(करोड़ रुपये में)

2003-04	प्राप्तियाँ	2004-05	2003-04	संवितरण	2004-05		
				खंड–अ : राजस्व			
					गैर–योजना	योजना	कुल
12455-56	**I. राजस्व प्राप्तियाँ**	15714.14	**12710.83**	**I. राजस्व व्यय**	**12642.78**	**1995.63**	**14638.41**
2889.69	कर राजस्व	3347.39	7175.46	सामान्य सेवाएँ	7625.29	178.19	7803.48
320.38	करेत्तर राजस्व	417.79	4033.43	सामाजिक सेवाएँ	3870.36	924.62	4794.98
7627.87	शुल्कों में संघीय राज्यांश	9117.13	1498.18	आर्थिक सेवाएँ	1142.85	892.82	2035.67
1617.62	भारत सरकार से अनुदान	2831.83	3.76	सहायतानुदान/ अंशदान	4.28	--	4.28
				खंड–ब : पूँजी			
-	II विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	-	1549.17	II पूँजीगत परिव्यय	34.52	1170.00	1204.152
10.45	III. ऋण एव अग्रिमों की वसूली	14.83	2568.92	III संवितरित ऋण एवं अग्रिम	817.56	310.28	1127.84
5068.51	IV लोक ऋण प्राप्तियाँ*	7622.58	2801.64	IV लोक ऋण अदायगी	--	--	3083.72
7440.06	V लोक लेखा प्राप्तियाँ	4092.67	5788.95	V लोक लेखा संवितरण	--	--	5519.18
92.85	आरंभ शेष	-352.08	-352.08	अंत शेष	--	--	1518.47
25067.43	*योग*	*27092.14*	*25067.43*	*योग*			*27092.14*

* अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्टों को छोड़ते हुए।

1.4 *लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली*

वित्तीय लेखे पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ प्राप्तियों एवं व्यय के मुख्य राजकोषीय समष्टियों में प्रवणता दर्शाती हैं तथा वर्ष 2004–05 के वित्तीय लेखे की विवरणी से और जहाँ कही भी आवश्यक हो, इन्हें कालबद्ध आँकड़ों के आलोक में (**परिशिष्ट I से IV**) तथा आवर्ती तुलनाओं में प्रदर्शित करती है।

राज्य वित्त के विश्लेषण हेतु अपनाए गए मुख्य सूचक हैं (i) मात्रा एवं स्रोत के आधार पर संसाधन (ii) संसाधनों का उपयोग (iii) परिसंपत्तियाँ एवं दायित्त्व तथा (iv) घाटा प्रबंधन। लेखापरीक्षा टिप्पणियों ने संसाधन जुटाने के प्रयासों, ऋण अदायगी तथा सुधारात्मक राजकोषीय उपायों के संयुक्त प्रभाव को भी ध्यान में रखा गया है। राज्य सरकार का एक निगम निकाय के रूप में सकल वित्तीय प्रदर्शन अनुपातों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसे राजकोषीय समष्टियों के संबंधात्मक व्याख्या के लिए साधारणतया अपनाया गया है।

पुनर्गठन अधिनियम के तहत् 15 नवंबर 2000 की प्रभावी तिथि से पूर्वकालिक बिहार राज्य उत्तरवर्त्ती बिहार एवं झारखंड राज्यों में विभाजित कर दिया गया है। अतः सरकार के वित्तीय प्रदर्शनों के सूचकों द्वारा 14.11.2000 तक बिहार एवं झारखंड संयुक्त राज्य के वित्तीय लेखे के आँकड़ें तथा 15.11.2000 से उत्तरवर्त्ती बिहार राज्य संदर्भित आँकड़ों को ध्यान में रखा गया है। प्रतिवेदन का प्राचल प्रकोष्ठ 1.2 में दर्शाया गया है।

प्रकोष्ठ 1.2
प्रतिवेदन प्राचल

राजकोषीय राशियाँ यथा कर एवं करेत्तर राजस्व, राजस्व एवं पूँजीगत व्यय, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटों को चालू बाजार मूल्यों पर जी. एस. डी. पी. के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया जी.एस.डी.पी. श्रृंखला का उपयोग किया गया है।

कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, राजस्व व्यय आदि के लिए उत्प्लावक प्रक्षेपण भी प्रदान किए गए हैं जिससे कि जी. एस. डी. पी. द्वारा प्रतिनिधित्व आधार की तुलना में उतार–चढ़ावों के और आगे के विस्तार का आंकलन किया जा सके।

अधिकांश श्रृंखलाओं के लिए वर्ष 2000–2005 के दौरान विकास के रूझान को दर्शाया गया हैं जी. एस. डी. पी. के सापेक्ष अनुपातों को भी दर्शाया गया है। यहाँ प्रयोग की गयी कुछ शब्दावलियाँ **परिशिष्ट–V** में विवरणित है।

राज्य सरकार के लेखे को तीन भागों यथा (i) संचित निधि (ii) आकस्मिकता निधि तथा (iii) लोक लेखा में रखा जाता है जैसा कि प्रकोष्ठ 1.3 में परिभाषित किया गया है।

प्रकोष्ठ 1.3 राज्य सरकार की निधि एवं लोक लेखा

संचित निधि	आकस्मिकता निधि	लोक लेखा
राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार विपत्रों को जारी कर उगाहे गए सभी ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा ऋणों की वसूली में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के तहत स्थापित "राज्य की संचित निधि" शीर्षित एक सचित्र निधि का निर्माण करेंगे।	संविधान के अनच्छेद 267 (2) के तहत स्थापित आकस्मिकता निधि एक अग्रदाय के रूप में राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में रहती है जिससे कि वे विधायिका के प्राधिकार के बगैर ही आवश्यक अप्रत्याशित व्यय के लिए पेशगियाँ दे सकें। ऐसे व्यय तथा संचित निधि से समान राशि के निकासी हेतु विधायिका से तदनन्तर स्वीकृति ली जाती है जिससे कि आकस्मिकता निधि से दी गयी पेशगियों की प्रतिपूर्ति की जा सके।	संचित निधि से संबंधित सरकार के सामान्य प्राप्तियों एवं व्यय के अलावा कुछ अन्य लेन–देन भी सरकारी लेखे में प्रवेश पाते हैं जिसके संबंध में एक सरकारी बैंकर की तरह कार्य करती है। भविष्य निधियों, लघु बचतों, अन्य जमाओं आदि से सबद्ध लेन–देन इसके कुछ उदाहरण है। इस प्रकार से प्राप्त लोक धन को अनुच्छेद 266 (2) के तहत लोक लेखा में रखा जाता है और उससे संबंधित वितरण किये जाते है।

बिहार और झारखंड के परवर्त्ती राज्यों के मध्य परिसंपत्तियों एवं दायित्त्वों के बंटवारे की पूर्णता के बाद 14 नवंबर 2000 के बाद के बिहार के परवर्त्ती राज्य के वित्तीय प्रदर्शन के सूचकों में परिवर्तन हो सकता है।

इस अध्याय को वित्त सचिव, बिहार सरकार के साथ विमर्श किया गया और सरकार के विचार पर ध्यान देते हुए उसे उचित स्थान पर सन्निहित कर लिया गया है।

1.5 संसाधनों के परिमाण एवं स्रोत

राज्य सरकार के संसाधन राजस्व प्राप्तियों तथा पूँजीगत प्राप्तियों से समायुक्त है। राजस्व प्राप्तियाँ कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों के राज्यांश तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त सहायता अनुदानों से समायुक्त है। पूँजीगत प्राप्तियाँ विविध पूँजीगत प्राप्तियों यथा बिक्रियों से लाभ, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ, यथा बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों आदि से उधार तथा भारत सरकार से ऋण एवं पेशगियों के साथ–साथ लोक लेखे के उपार्जनों से समाविष्ट है।

सारणी 2 यह दर्शाती है कि वर्ष 2004–05 के लिए राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ 27444 करोड़ रुपये थीं जिसमें से राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ मात्र 15714 करोड़ रुपये थीं जो कुल प्राप्तियों का 52.26 प्रतिशत था। शेष प्राप्तियाँ उधार एवं लोक लेखा प्राप्तियों की थी।

सारणी–2 – बिहार के संसाधन

(रुपये करोड़ में)

I राजस्व प्राप्तियाँ		**15714.14**
II पूँजीगत प्राप्तियाँ		**7637.41**
अ	विविध प्राप्तियाँ	-
ब	ऋण एवं अग्रिमों से वसूली	14.83
स	लोक ऋण प्राप्तियाँ	7622.58
III लोक लेखा प्राप्तियाँ		**4092.67**
क	लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	1198.00
ख	सुरक्षित निधि	188.59
ग	जमा एवं अग्रिमें	3129.42
घ	उचंत एवं विविध	(-)1661.62
ङ	जमा	1238.27
कुल प्राप्तियाँ		**27444.22**

1.5.1 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्तीय लेखे की विवरणी–11 सरकार के राजस्व प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत करती है। राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2000–01 (पूववर्ती समग्र राज्य) में 11177 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2004–05 में (परवर्ती राज्य) 15714 करोड़ रुपये हो गयी। हांलाकि राज्य सरकार के अपने स्त्रोतों की प्रतिशतता 2000–01 के 31 प्रतिशत से घटकर 2004–05 में 24 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2004–05 के दौरान पूर्व वर्ष से राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर 26 प्रतिशत, मुख्यतः संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश की 20 प्रतिशत वृद्धि तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान में 75 प्रतिशत वृद्धि के कारण थी।

समग्र राजस्व प्राप्तियाँ, उसकी वार्षिक वृद्धि दर, इन प्राप्तियों और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी. एस. डी. पी.) का अनुपात एवं उनकी उत्प्लावकता सारणी 3 में प्रदर्शित है।

सारणी 3 : राजस्व प्राप्तियाँ – मूल प्राचल

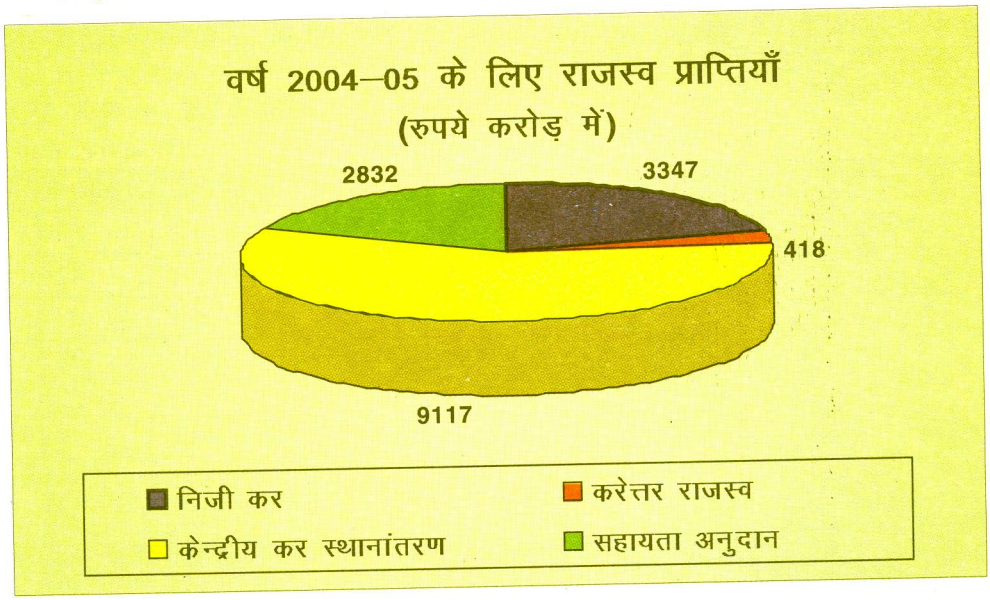
(राशि करोड़ रुपये में एवं अन्य प्रतिशत में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
राजस्व प्राप्तियाँ	11177	9839	10968	12456	15714
निजी कर *	2809(25)	2319(24)	2761(25)	2890(23)	3347(21)
करेत्तर राजस्व *	712(6)	287(3)	261(2)	320(3)	418(3)
केन्द्रीय कर स्थानांतरण *	6576(59)	6177(63)	6549(60)	7628(61)	9171(58)
सहायता अनुदानें *	1080(10)	1057(11)	1397(13)	1618(13)	2832(18)
राजस्व प्राप्तियों का वृद्धि दर	4.86	(-)11.97	11.47	13.57	26.16
राजस्व प्राप्तियाँ / जी. एस. डी. पी.	22.63	19.30	19.35	20.81	25.03
राजस्व उत्प्लावकता	**	**	1.026	2.42	5.34
निजी कर उत्पवकता	0.28	**	1.70	0.83	3.23
जी. एस. डी. पी. वृद्धि	(-)31.49	3.25	11.18	5.60	4.89

* कोष्ठ में दिए गए अंक प्रतिशतता को प्रदर्शित करते हैं।

** सारणी में रिक्त स्थान ऋणात्मक उत्प्लावकता को प्रदर्शित करते हैं।

कुल राजस्व का लगभग 76 प्रतिशत केन्द्रीय कर स्थानान्तरण तथा सहायता अनुदान से जबकि औसत तौर पर लगभग 24 प्रतिशत राजस्व प्राप्ति अपने स्रोतों से हुए हैं। राज्य के अपने कर राजस्व का वृहत् स्रोत बिक्री कर (57 प्रतिशत) था, जिसके बाद मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क (13 प्रतिशत), एवं वाहनो पर कर (6 प्रतिशत) थे। करेत्तर राजस्व स्त्रोतों में गैर–लौह खनन् एवं धातुकर्म उद्योग (19 प्रतिशत) तथा ब्याज प्राप्तियाँ (18 प्रतिशत) मुख्य कारक थे।



31 मार्च 2005 तक राजस्व के आठ[1] मुख्य शीर्षों के तहत् संग्रहण–लंबित राजस्व का बकाया, जैसा विभाग द्वारा प्रतिवेदित था, 1101.34 करोड़ रुपये था जिसमें

1 *बिक्री व्यापार आदि पर कर (699.19 करोड़ रूपये), गैर लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योगों पर कर (116.63 करोड़ रूपये), भू–राजस्व (106.99 करोड़ रूपये), जल कर (147.45 करोड़ रूपये), विद्युत शुल्क एवं कर (7.14 करोड़ रूपये), गन्ना कर (15.43 करोड़ रूपये), प्रवेश कर (5.64 करोड़ रूपये), मनोरंजन कर (2.87 करोड़ रूपये), ।*

395.35 करोड़ रुपये[2] पाँच वर्षों से अधिक दिनों तक बकाया रहा।

वर्ष 2000–2005 के दौरान विभिन्न शीर्षों तथा जी. एस. डी. पी. के तहत् राजस्व प्राप्तियों के स्रोत सारणी 4 में प्रदर्शित है।

सारणी 4 – प्राप्तियों के स्रोत : प्रवृत्तियाँ

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियाँ	पूँजीगत प्राप्तियाँ			कुल प्राप्तियाँ	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)
		गैर उधार प्राप्तियाँ	उधार प्राप्तियाँ	लोक लेखा में जमा		
2000-01	11177	11	3528	10462	25178	49383
2001-02	9839	13	3758	7719	21329	50987
2002-03	10968	16	4190	5584	20758	56688
2003-04	12456	10	5069	7440	24975	59862
2004-05	15714	15	7623	4092	27444	62792

1.6 संसाधनों का उपयोग

1.6.1 वृद्धि की प्रवृति

राज्य का कुल व्यय वर्ष 2000–2001 में पूर्ववर्त्ती समग्र राज्य के लिए 15263 करोड़ रुपये से थोड़ा बढ़कर वर्ष 2004–05 में नए पुनर्गठित राज्य के लिए 16971 करोड़ रुपये हो गये।

राज्य का कुल व्यय, उसकी प्रवृति तथा वार्षिक वृद्धि, व्यय और राज्य के जी. एस. डी. पी. के व्यय का अनुपात तथा राजस्व प्राप्तियाँ और जी. एस. डी. पी. के संबद्ध उसकी उत्प्लावकता तथा राजस्व प्राप्तियाँ सारणी 5 में नीचे दर्शायी गयी है :

सारणी 5 : कुल व्यय – मूल प्राचल

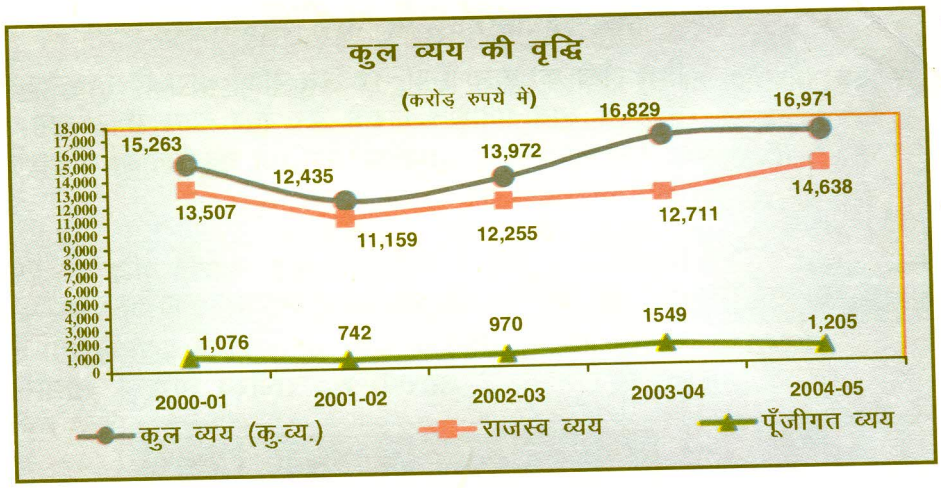
(राशि करोड़ रुपये में तथा अन्य प्रतिशत में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
कुल व्यय	15263	12435	13972	16829	16971
वृद्धि दर	(-) 8.42	(-) 18.53	12.36	20.45	0.84
कुल व्यय/जी एस डी पी	30.91	24.39	24.65	28.11	27.03
राजस्व प्राप्तियाँ/कुल व्यय	73.23	79.12	78.50	74.02	92.59
निम्नांकित से कुल व्यय की उत्प्लावकता					
जी एस डी पी	0.27	-5.70	1.10	3.65	0.17
राजस्व प्राप्तियाँ	*	1.55	1.08	1.51	0.03

* सारणी में रिक्त स्थान ऋणात्मक उत्प्लावकता को प्रदर्शित करते हैं।

पूर्व वर्ष से वर्ष 2004–05 में राज्य का कुल व्यय 0.84 प्रतिशत बढ़ा। वर्ष 2004–05 के दौरान राजस्व प्राप्ति कुल व्यय का 92.59 प्रतिशत थी।

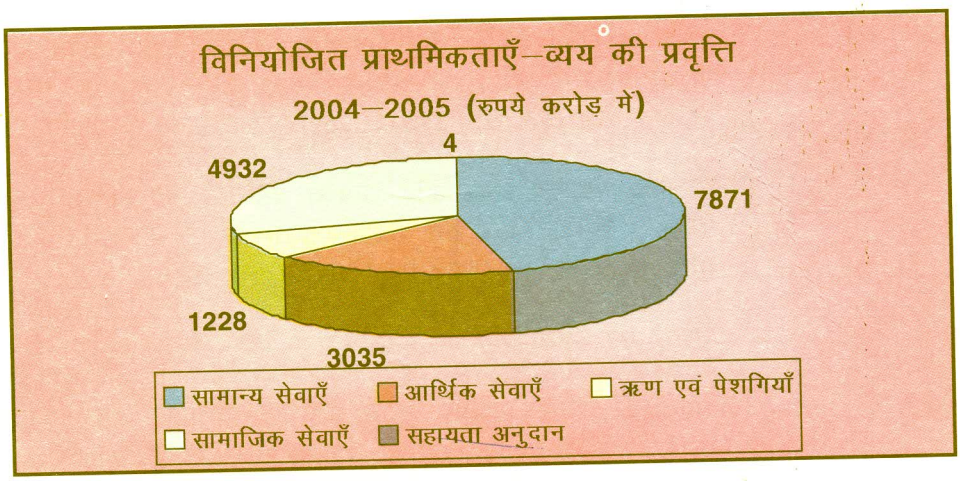
2 *बिक्री एवं व्यापार आदि पर कर (304.10 करोड़ रुपये), गैर–लौह खनन् एवं धातूकर्मीय उद्योगें (47.77 करोड़ रुपये), भू–राजस्व (18.65 करोड़ रुपये), विद्युत शुल्क एवं कर (6.67 करोड़ रुपये), गन्नाकर (13.84 करोड़ रुपये), प्रवेश कर (2.23 करोड़ रुपये) और मनोरंजन कर (1.98 करोड़ रुपये),*



कार्यकलाप के संदर्भ में कुल व्यय को ब्याज भुगतान सहित सामान्य सेवाओं, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर व्यय तथा ऋणों एवं पेशगियों से समायुक्त माना जा सकता था। कुल व्यय में इन घटकों के पारस्परिक अंश को सारणी–6 में दिखाया गया है।

सारणी 6 : व्यय के घटक – संबंधित अंश (प्रतिशत में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
सामान्य सेवाएँ	45.81	51.00	47.63	42.77	46.38
सामाजिक सेवाएँ	32.05	28.75	29.04	24.93	29.06
आर्थिक सेवाएँ	17.66	15.94	17.96	17.01	17.89
सहायता अनुदानें	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
ऋण एवं अग्रिमों	4.46	4.29	5.35	15.27	6.65



व्यय के इन घटकों का संचलन यह दर्शाता था कि जहाँ कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं का अंश वर्ष 2000–2001 में 32.05 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2004–05 में 29.04 प्रतिशत हो गया, इस अवधि के दौरान सामान्य सेवाओं का अंश 45.81 प्रतिशत से बढ़कर 46.38 प्रतिशत हो गए। इस अवधि में ऋण तथा अग्रिम 4.46 प्रतिशत से बढ़कर 6.65 प्रतिशत हो गए। आर्थिक सेवाओं का अंश में 0.22 प्रतिशत की आंशिक वृद्धि दर्शायी।

1.6.2 राजस्व व्यय का प्रभाव

वित्त लेखे की सारणी सं. 12 लघु शीर्षों द्वारा विस्तृत राजस्व व्यय तथा दीर्घ शीर्षों द्वारा पूँजीगत व्यय प्रदर्शित करती है। कुल व्यय में राजस्व व्यय का सर्वाधिक अंश था। राजस्व व्यय सामान्यतया परिसंपत्तियों एवं सेवाओं के वर्त्तमान स्तर को बनाए रखने के लिए किए जाते हैं।

निम्नांकित सारणी 7 में राजस्व व्यय, उसकी वृद्धि दर, राजस्व व्यय तथा राज्य के जी. एस. डी. पी. का अनुपात तथा राजस्व प्राप्तियाँ और उसकी जी. एस. डी. पी. और राजस्व प्राप्तियाँ दोनों के साथ उत्प्लावकता दर्शायी गयी है :

सारणी 7 : राजस्व व्यय – सामान्य प्राचल

(राशि करोड़ रुपये में तथा अन्य प्रतिशत में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
राजस्व व्यय (रा. व्य.)	13507	11159	12255	12711	14638
वृद्धि दर	(-) 5.95	(-) 17.38	9.82	3.72	15.16
राजस्व व्यय/ जी. एस. डी. पी.	27.35	21.89	21.62	21.23	23.31
राजस्व व्यय – कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में	88.50	89.74	87.71	75.53	86.25
राजस्व व्यय – राजस्व प्राप्तियों क प्रतिशत के रूप में	120.85	113.42	111.73	102.05	93.15
राजस्व व्यय की निम्नांकित उप्लावकता					
जी. एस. डी. पी.	0.19		0.88	0.66	3.10
राजस्व प्राप्तियाँ		1.45	0.86	0.27	0.58

सारणी में रिक्त स्थान ऋणात्मक उत्प्लावकता को प्रदर्शित करते हैं।

राज्य का राजस्व व्यय वर्ष 2000–2001 में 13507 करोड़ रुपये (संयुक्त राज्य के लिए) से बढ़कर कर वर्ष 2004–05 में 14638 करोड़ रुपये हो गया। वर्ष 2004–05 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय (16971 करोड़ रुपये) का 86.25 प्रतिशत था।

हाँलाकि राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों का अनुपात वर्ष 2000–2001 में 120.85 प्रतिशत से घट कर वर्ष 2004–05 में 93.15 प्रतिशत हो गया। अपने चालू व्यय की पूर्ति हेतु राज्य की उधार पर निर्भरता बनी रही।

वेतन पर व्यय

राज्य के राजस्व प्राप्ति क लगभग 32 प्रतिशत केवल वेतनके लिए लेखापित किया गया, जिसे नीचे के सारणी में दर्शाया गया है:–

सारणी 8 : वेतन व्यय

(करोड़ रुपये में)

शीर्ष	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
वेतन व्यय	7129.22	5275.89	5073.07	5019.88	5005.36
जी.एस.डी.पी. के प्रतिशतता	14.44	10.35	8.95	8.39	7.97
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशतता	63.78	53.62	46.25	40.30	31.85

पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतानों पर व्यय

पेंशन भुगतान वर्ष 2000–2001 में 2011 करोड़ रुपये से 16 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2004–05 में 2325 करोड़ रुपये हो गए है। वर्ष 2000–2001 से वर्ष 2004–05 के दौरान पेंशन भुगतानों पर किए गए व्यय की वर्षवार विवरणी निम्नवत् थी :

सारणी 9 : पेंशन पर व्यय

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	व्यय	कुल राजस्व का प्रतिशत
2000-2001	2011	17.99
2001-2002	2273	23.10
2002-2003	2049	18.68
2003-2004	2269	18.22
2004-2005	2325	14.80

सेवानिवृत्तों की संख्या में वृद्धि के साथ भविष्य में पेंशन दायित्व के और अधिक बढ़ने की संभावना है। राज्य सरकार ने राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के तेजी से बढ़ते पेंशन दायित्वों के परिपूर्ति हेतु कोई निधि का निर्माण नहीं किया है। विगत् कुछ वर्षों में पेंशन दायित्वों के बढ़ते दर को ध्यान में रखते हुए वर्त्तमान पेंशन योजनाओं में सुधार अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया (दिसम्बर 2005) कि भारत सरकार की तर्ज पर नई पेंशन अंशदान योजना दिनांक 1.10.2005 से लागू की गयी है।

ब्याज भुगतान

ग्यारहवें वित्त आयोग (अगस्त 2000) ने अनुशंसा की है कि मध्यावधि लक्ष्य के रूप में राज्यों को राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में ब्याज भुगतान, 18 प्रतिशत पर रखने का प्रयास करना चाहिए। हाँलाकि यह पाया गया कि राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतान विगत् पाँच वर्षों के दौरान 22 से 28 प्रतिशत के मध्य था।

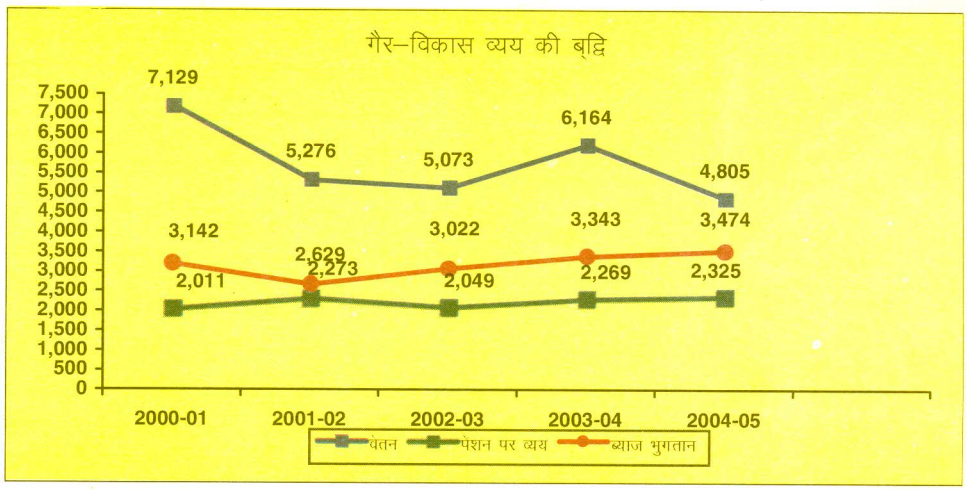
सारणी 10

वर्ष	ब्याज का भुगतान	निम्नांकित से ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	
	(रुपये करोड़ में)	राजस्व प्राप्तियाँ	राजस्व व्यय
2000-2001	3142	28.11	23.26
2001-2002	2629	26.72	23.56
2002-2003	3022	27.55	24.66
2003-2004	3343	26.84	26.30
2004-2005	3474	22.11	23.73

निरपेक्ष तौर पर राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण हेतु उधार पर लगातार निर्भरता के कारण ब्याज भुगतान वर्ष 2000–2001 में 3142 करोड़ रुपये से 11 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2004–05 में 3474 करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार ब्याज भुगतान राज्य के स्वयं के राजस्व का 92 प्रतिशत था। ब्याज भुगतान में बढ़ोतरी विकास व्यय एवं सामाजिक कल्याण योजना को बुरी तरह प्रभावित किया है।

राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान 6.63 प्रतिशत के औसत दर से 1889.17 करोड़ रुपये के बाजार ऋणों की उगाही की, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार ने राष्ट्रीय लघु बचत निधि के 9.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 1198 करोड़ रुपये तथा भारत सरकार से 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 1654.18 करोड़ रुपये उधार लिया। 31 मार्च 2005 तक लगभग 36 प्रतिशत बकाए बाजार ऋण 10 प्रतिशत से अधिक के ब्याज दरों पर थे।

इस प्रकार, उनके पिछले ऋणों पर उधार के वास्तविक दर वर्त्तमान में उनके द्वारा बाजार से उगाहे जा सकने वाले संसाधनों की दरों से काफी अधिक थे। राज्य सरकार के बाजार ऋणों की परिपक्वता रेखाचित्र यह दर्शाती है कि कुल बाजार ऋणों का लगभग 32 प्रतिशत अगले पाँच वर्षों के अंदर भुगतेय है जबकि शेष ऋणों को 5 से 10 वर्षों के अंदर भुगतान किया जाना है। इस प्रकार ब्याज के भुगतान पर व्यय में वृद्धि निकट भविष्य में कम नहीं होने वाली है। राज्य सरकार ने बतलाया कि वह भारत सरकार तथा राष्ट्रीय लघु बचत निधि से उच्चतर दर पर ऋण लेने के लिए बाध्य है।



राज्य भविष्य निधि पर व्याज भुगतान की न्यूनोक्ति

भविष्य निधि पर ब्याज भुगतान हेतु बजट प्रावधान अपर्याप्त था क्योंकि यह सरकार द्वारा निर्धारित भविष्य निधि के ब्याज दरों पर आधारित नहीं था। वर्ष 2000–2005 के दौरान आदि एवं अंत शेष के औसत पर आधारित सूद भुगतान की राशि लेखा में प्रदर्शित 2272.71 करोड़ रुपये के विरूद्ध 3458.40 करोड़ रुपये होना चाहिए था जिसका विवरण निम्नवत् है :

सारणी–11

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	भविष्य निधि पर सूद का देय दर (प्रतिशत में)	लेखा में दिए गए सूद भुगतान की राशि	राज्य भविष्य निधि		आदि एवं अंतशेष का औसत	सूद के देय दर लेखा में दर्ज सूद की न्यूनतम राशि	कॉलम 7 तथा 3 का अंतर
			आदि शेष	अंत: शेष			
1	2	3	4	5	6	7	8
01.4.2000 – 14.11.2000	11.00	335.47	7115.21	7403.39	7259.30	499.08	163.61
15.11.2000 – 31.03.01	11.00	122.03	7403.39	7504.91	7454.15	307.48	185.45
2001-02	9.50	329.00	7504.91	7639.62	7572.27	719.37	390.37
2002-03	8.00	427.00	7639.62	7918.92	7779.27	622.34	195.34
2003-04	8.00	461.67	7918.92	8119.07	8018.99	641.52	179.85
2004-05	8.00	597.54	8119.07	8596.17	8357.62	668.61	71.07
योग		**2272.71**				**3458.40**	**1185.69**

(आदि एवं अंत:शेष के औसत पर गणना की गई)

सरकार ने बतलाया (दिसम्बर 2005) कि भविष्य निधि और लघु बचत का बटवारा बिहार और झारखण्ड के बीच नहीं हुआ है। इसलिए बिहार राज्य हेतु सामान्य भविष्य निधि शेष दर व्याज के लिए बजट अनुमानित आधार पर उपलब्ध कराये गये हैं।

1.7 आवंटीय प्राथमिकताओं द्वारा व्यय

वित्त लेखे की विवरणी सं. 11 से उद्भूत योजना व्यय, पूँजीगत व्यय तथा विकास व्यय के रूप में राज्य का वास्तविक व्यय राज्य की आवंटीय प्राथमिकताओं को दर्शाता है। इन अवयवों का कुल व्यय से जितना ज्यादा अनुपात होता है, व्यय की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी मानी जाती है।

निम्न में सारणी सं. 12 व्यय के इन अवयवों का राज्य के कुल व्यय* में प्रतिशत के अंश को प्रस्तुत करती है।

सारणी सं. 12 : व्यय की गुणवत्ता (कुल व्यय* का प्रतिशत)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
योजना व्यय	13.13	13.52	17.57	18.07	19.98
पूँजीगत व्यय	7.38	6.23	7.33	10.86	7.61
विकास व्यय	52.04	46.69	49.66	49.50	50.29

* कुल व्यय में ऋण एवं अग्रिमों पर किए गए व्यय शामिल नहीं हैं।

योजना व्यय कुल व्यय का वर्ष 2000–2001 में 13.13 प्रतिशत से वर्ष 2004–05 में 19.98 प्रतिशत के बीच रहा। वर्ष के दौरान विकास व्यय (7968 करोड़ रुपये) में सामाजिक सेवाओं (4932 करोड़ रुपये) का अंश 61.90 प्रतिशत था। शिक्षा, क्रीड़ा, कला और संस्कृति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा जल आपूर्ति एवं स्वच्छता सामाजिक क्षेत्र में व्यय का 83.33 प्रतिशत था।

सारणी – 13 – सामाजिक क्षेत्र पर व्यय

(रुपये करोड़ में)

वृहत्त शीर्ष	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	3288.06	2501.70	2750.20	2875.92	3159.82
चिकित्सा एवं परवार कल्याण	680.18	518.61	571.64	539.03	629.41
जलापूर्ति एवं स्वच्छता, गृह एवं शहरी विकास	264.88	153.33	294.13	276.23	320.73
योग	**4233.12**	**3173.64**	**3615.97**	**3691.18**	**4109.96**

इसी प्रकार, आर्थिक सेवाओं (3036 करोड़ रुपये) पर व्यय विकास व्यय का 30.10 प्रतिशत था। इसमें से आर्थिक क्षेत्र पर व्यय का 80.84 प्रतिशत व्यय ग्रामीण विकास (1170 करोड़ रुपये), कृषि एवं बाढ़ नियंत्रण (916 करोड़ रुपये) तथा परिवहन (369 करोड़ रुपये) पर था।

सारणी – 14 – आर्थिक क्षेत्र पर व्यय

(रुपये करोड़ में)

वृहत शीर्ष	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
ग्रामीण विकास	992.92	814.74	1126.55	1094.97	1170.15
कृषि एवं बाढ़ नियंत्रण	827.63	624.25	666.62	840.45	915.54
परिवहन	331.87	127.75	285.05	266.14	368.67
योग	**2152.42**	**1566.74**	**2078.22**	**2201.56**	**2454.36**

इसके अलावा, बिहार सरकार ने वर्ष के दौरान ऋणों एवं अग्रिमों पर 1127.84 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इसमें से 1071.04 करोड़ रुपये (95 प्रतिशत) बिहार राज्य विद्युत निगम (बि. एस. ई. बी.) को भुगतान किए गए।

1.7.1 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

स्वायत्त निकाय तथा प्राधिकरण लोक हित सेवाओं के गैर–वाणिज्यिक कार्यकलापों को निष्पादित करते हैं। सरकार ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु इन निकायों के साथ–साथ अन्य निकायों जैसे जो राज्य के सहकारी समिति अधिनियम, कंपनी अधिनियम, 1956 आदि के तहत निबंधित होते हैं, को भी पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2004–05 को समाप्त पाँच वर्षों की अवधि में विभिन्न निकायों को प्रदत्त सहायता राशि निम्नवत् थी :

सारणी – 15

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं.	निकाय/प्राधिकरण आदि	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1.	विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक संस्थान	463.00	369.13	461.13	545.94	564.99
2.	नगर निगम एवं नगर पालिकाएँ	57.18	28.99	99.98	83.71	117.91
3.	*जिला पर्षद* एवं *पंचायती राज* संस्थान	2.90	106.60	292.34	133.92	2.63
4.	विकास अभिकरण	61.32	12.87	34.81	3.87	110.15
5.	अन्य संस्थानें (सांविधिक निकायों सहित)	49.20	47.05	133.45	20.99	17.68
	योग	**633.60**	**564.64**	**1021.71**	**788.43**	**813.36**
	पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि (+)/ह्रास (–) का प्रतिशत	(-) 10.14	10.88	80.94	(-) 22.83	3.16

1.7.2 उपयोगिता प्रमाण–पत्रों के प्रस्तुतिकरण में विलंब

सरकार के वित्तीय नियम यह विहित करते है कि जहाँ निश्चित प्रयोजनों के लिए अनुदान दिए जाते हैं, वहाँ विभागीय पदाधिकारियों को अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर तथा जाँच कर स्वीकृति की तिथि से 15 महीनों के अंदर महालेखाकार (म.ले.) को अग्रसारित कर देना है जबतक ऐसा नहीं करने का निर्देश न हो।

वर्ष 2004–05 के दौरान भुगतान किए गए 1931.10 करोड़ रुपये के सहायता अनुदान से संबंधित उपयोगिता प्रमाणपत्रों में से 30 जून 2005 तक महालेखाकार को 164.78

करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत किए गए थे तथा 1766.32 करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाए थे। **परिशिष्ट–VI** में विभाग वार एवं आयु वार विवरण दिया गया है।

1.7.3 स्वायत्त निकायों द्वारा लेखा जमा किए जाने में विलंब

स्वायत्त निकायों द्वारा लेखे जमा किए जाने तथा तत्पश्चात राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जमा किए जाने की वस्तुस्थिति **परिशिष्ट–VII** में दी गयी है। इन स्वायत निकायों के अलावे बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना तथा बिहार खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना के लेखें पाँच वर्षों से भी अधिक समय से लम्बित थे।

1.8 परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व

सरकार की लेखा प्रणाली अचल संपत्तियों यथा सरकार द्वारा अधिकृत भूमि, भवन आदि के व्यापक लेखाकरण का प्रयास नहीं करती है। हालांकि सरकारी लेखे सरकार के वित्तीय दायित्वों तथा व्यय द्वारा सृजित परिसंपत्तियों को जरूर दर्शाते हैं। वित्त लेखे की विवरणी 17 के विवरणों के साथ सहपठित विवरणी 16 ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्षों के तहत वर्षांत अंतशेषों को दर्शाते हैं जिसमें दायित्त्व एवं परिसंपत्तियाँ ज्ञात की जाती हैं। 31 मार्च 2004 के सदृश स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2005 को दायित्त्वों एवं परिसंपत्तियों का सार परिशिष्ट–I प्रस्तुत करता है। जहाँ इस विवरणी में दायित्त्व मुख्यतः राज्य सरकार के देनदारी धन यथा आंतरिक उधार, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिमों लोक–लेखा एवं सुरक्षित निधि से प्राप्तियों से निर्मित होती है, परिसंपत्तियाँ मुख्यतः राज्य सरकार पूँजीगत व्यय एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों एवं अग्रिमों से निर्मित होते हैं।

वित्त लेखे में प्रदर्शित राज्य सरकार के दायित्त्वों में हालांकि पेंशन, कार्यरत/सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों को भुगतेय अन्य सेवानिवृत्ति लाभ, राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी गारंटियों/आश्वासन पत्र आदि शामिल नहीं हैं।

परिशिष्ट–IV वर्ष 2000–2005 की अवधि के लिए राज्य सरकार के वित्तों पर कालबद्ध आँकड़ा प्रस्तुत करता है।

1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएँ

राज्य संरकार द्वारा प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 31 मार्च 2005 तक 18 अपूर्ण परियोजनाएँ थीं, जिनमें 1183 करोड़ रुपये अवरूद्ध पड़े थे। (द्रष्टव्यः **परिशिष्ट–VIII**)

1.8.2 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2005 तक, सरकार ने सांविधिक निगमों, संयुक्त पूँजी कंपनियों एवं सहकारिता संस्थानों में 708.66 करोड़ रुपये का निवेश किया था। इस निवेश पर सरकार का प्रतिफल नगण्य था जैसा कि निम्न सारणी 16 में प्रदर्शित है :

सारणी 16 : निवेश पर प्रतिफल

वर्ष	वर्ष के अंत में निवेश	प्रतिफल	प्रतिफल का प्रतिशत	*सरकारी बाजार ऋणों पर भारित ब्याज की दर*
	(करोड़ रुपये में)			
2000-2001	685.47	रुपये 4500 मात्र	शून्य	10.62
2001-2002	686.67	0.01	शून्य	8.71
2002-2003	694.34	0.02	शून्य	9.00
2003-2004	700.01	0.04	0.01	9.00
2004-2005	708.66	0.04	शून्य	9.59

1.8.3 राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम

अपने निवेश के अलावा, सरकार अनेक निकायों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान करती आ रही है। 31 मार्च 2005 तक प्रदत्त ऋणों का कुल बकाया अंतःशेष 11877 करोड़ रुपये था (सारणी–17)। वर्ष 2000–2005 के दौरान इन अग्रिमों के विरूद्ध प्राप्त ब्याज अत्यल्प था जो बकाए ऋणों एवं अग्रिमों का 0.12 प्रतिशत से 0.63 प्रतिशत तक था।

सारणी 17 : राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों पर औसत ब्याज की प्राप्ति

(करोड़ रुपये में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
आदि शेष	6282.97	6952.84	7473.60	8205.21	10763.68
वर्ष के दौरान अग्रिमों की राशि	680.46	533.71	747.19	2568.92	1127.84
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की राशि	10.59	12.95	15.58	1045	14.83
अंत शेष	**6952.84**	**7473.60**	**8205.21**	**10763.68**	**11876.69**
कुल योग (+)/कमी (–)	669.87	520.76	731.61	2558.47	1113.01
प्राप्त ब्याज	8.58	11.75	53.01	23.08	75.06
बकाए ऋणों एवं अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	0.12	0.16	0.65	0.21	0.63

1.8.4 वाणिज्यिक कार्यकलाप

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में लोक निधियों के उपयोग के लिए उत्तरदायित्व का अभाव

कुछ सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों द्वारा अर्द्धवाणिज्यिक प्रकृति के कार्यकलाप किए जाते हैं। इन उपक्रमों को वित्तीय परिचालन के परिणामों को दर्शाते हुए निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवर्ष प्रोफार्मा लेखा तैयार करना पड़ता है जिससे सरकार उनके कार्यों के परिणाम को निर्धारित कर सके। सरकार के विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे उपक्रम, जो बजटीय प्रावधानों द्वारा निधि प्रदत्त हैं, कालबद्ध तरीके से लेखा तैयार करें तथा समय पर उसे महालेखाकार को लेखापरीक्षा हेतु जमा करें।

मार्च 2005 तक, राज्य में 29 विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक/अर्द्धवाणिज्यिक उपक्रम थे। इनमें से **परिशिष्ट–IX** में विवरणित 26 उपक्रमों ने आरंभ से ही प्रोफॉर्मा लेखा नहीं तैयार किया था। संबंधित प्रशासकीय विभागों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर इस मामले को उठाया गया था।

मार्च 2005 तक तीन अन्य उपक्रमों के प्रोफॉर्मा लेखा 18 से 28 वर्षों तक बकाए थे। तत्संबंधी विवरण **परिशिष्ट–X** में दिया गया है।

यह देखा गया कि कोई भी उपक्रम अपने वाणिज्यिक लेखे (दोहरी लेखा प्रणाली में लेखे) का संधारण नहीं कर रहा था जैसा विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक/अर्द्ध–वाणिज्यिक उपक्रम के संबंध में विहित था।

1.8.5 रोकड़ शेष का प्रबंधन

सामान्यतया यह वांछित होता है कि राज्य के संसाधनों का प्रवाह उसके व्यय के दायित्त्वों के सदृश हो। हाँलाकि, संसाधनों के प्रवाह तथा व्यय के दायित्त्वों के बीच अस्थायी प्रतिकूलता की प्रतिपूर्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिमों (डब्लू

एम ए) की एक प्रणाली की व्यवस्था की गयी है। बिहार को एक अप्रैल, 2004 से 340 करोड़ रुपये की अर्थोपाय पेशगियों की सीमा प्राप्त थी। राज्य सरकार कके द्वारा मार्च 2004 से रखी गई भारत सरकार के प्रतिभूति के विरूद्ध विशेष अर्थोपाय अग्रिमों 21.28 करोड़ रूपये से अधिक नहीं एक अप्रैल 2004 से तथा 20.80 करोड़ रूपये हैं एक अक्टूबर 2004 से और 20.52 करोड़ रूपये एक जनवरी 2005 के प्रभाव से उपलब्ध कराये गये।

सारणी 18 : राज्य के अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट और उसपर प्रदत्त ब्याज

(करोड़ रुपये में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
अर्थोपाय अग्रिमों					
वर्ष के दौरान लिए गए	2144.41	2593.23	7.12	1708.45	3.50
बकाये	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रदत्त ब्याज	10.70	7.86	0.13	3.71	नगण्य
ओवर ड्राफ्ट					
वर्ष के दौरान लिए गए	1224.55	3229.53	शून्य	1142.89	शून्य
बकाये	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रदत्त ब्याज	1.36	3.94	शून्य	1.42	शून्य
दिनों की संख्या जबतक राज्य ओवरड्राफ्ट में था	63	123	शून्य	44	शून्य

1.8.6 अनिर्वाहित दायित्व

राजकोषीय दायित्व – लोक ऋण एवं गारंटियाँ

भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि राज्य अपने संचित निधि को ऋणाधार बनाकर समय–समय पर विधायिका के अधिनियम द्वारा निर्धारित वैसी सीमा के अंदर भारत के प्रादेशिक सीमा के भीतर ऋण ले सकता है। हाँलांकि, ऐसी सीमा के निर्धारण हेतु राज्य द्वारा कोई कानून पारित नहीं किया गया। वित्त लेखे की विवरणियाँ 16 तथा 17 सहपठित विवरणी चार ऋण, जमा तथा प्रेषण शीर्षों के तहत वर्षांत अंतःशेष प्रदर्शित करती है जिससे दायित्त्व ज्ञात किये जाते हैं। यह देखा गया कि राज्य का कुल राजकोषीय दायित्त्व वर्ष 2000–2001 में 28444 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2004–05 में 42483 करोड़ रुपये हो गया। जी. एस. डी. पी. के अनुपात के रूप में ये दायित्त्व वर्ष 2000–2001 में 57.60 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2004–05 में 67.70 प्रतिशत हो गए तथा राजस्व प्राप्तियों के 2.70 गुना तथा अपने कर एवं करेतर राजस्व से निर्मित संसाधनों के 11.28 गुना था। निम्न सारणी सं. 19 राज्य के वित्तीय दायित्त्वों, उसके वृद्धि दर, इन दायित्त्वों का जी. एस. डी. पी. राजस्व प्राप्तियों एवं स्वयं के संसाधनों के प्रति अनुपात एवं इन प्राचलों के प्रति इन दायित्त्वों की उत्प्लावकता दर्शाती है।

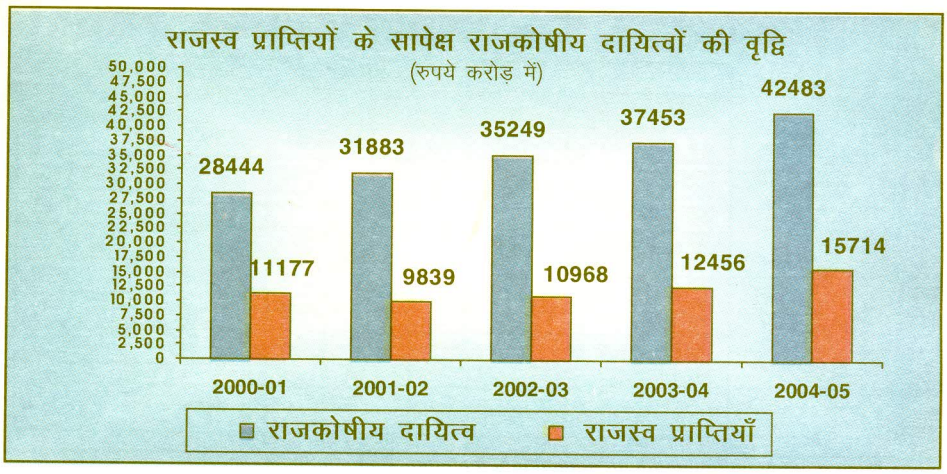
सारणी 19 – राजकोषीय असंतुलन – मूल प्राचल

(करोड़ रुपये में एवं अनुपात प्रतिशत में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
राजकोषीय दायित्त्व	28444	31883	35249	37453	42483
वृद्धि दर	(-) 7.08	12.09	10.56	6.25	13.43
राजकोषीय दायित्त्वों का निम्नलिखित से अनुपात					
जी. एस. डी. पी.	57.60	62.50	62.20	62.60	67.70
राजस्व प्राप्तियाँ	254.50	324.00	321.37	300.70	247.40
स्वयं के संसाधन	807.80	1223.90	1166.46	1166.80	1128.40
निम्नांकित से राजकोषीय दायित्त्वों की उत्प्लावकता					
जी. एस. डी. पी.	0.22	3.72	0.94	1.12	2.75
राजस्व प्राप्तियाँ			0.92	0.46	0.51
स्वयं के संसाधन	0.41		0.66	1.00	0.78

सारणी में रिक्त स्थान ऋणात्मक उत्प्लावकता को प्रदर्शित करते हैं।

इन दायित्त्वों के अलावा, सरकार ने विभिन्न निगमों एवं अन्य के लिए ऋणों की गारंटियाँ दी थी जो वर्ष 2004–05 में 473.44 करोड़ रुपये थी। ये गारंटियाँ राज्य के आकस्मिक दायित्त्वों की प्रकृति के हैं तथा ऋणों के भुगतान नहीं होने की दशा में राज्य पर वचनबद्धता के सम्मान का दायित्त्व आ सकता है। राज्य का राजकोषीय दायित्त्व जी. एस. डी. पी. के वृद्धि दर की तुलना में अति तीव्रता से बढ़ा जैसाकि वर्ष 2004–05 के दौरान 2.75 के अनुपात से उच्च उत्प्लावकता द्वारा दिखलाया गया है।।



ऋण के सुदृढ़ता का अन्य मुख्य द्योतक आरंभ के अनुबंधित दायित्त्वों संबंधित मूलधन एवं ब्याज के भुगतानोपरांत निधियों की कुल उपलब्धता है। सारणी सं. 20 विगत 5 वर्षों में आंतरिक ऋण के प्राप्तियों एवं पुनर्भुगतान की स्थिति दर्शाता है। ब्याज एवं पुनर्भुगतानों की देयता के बाद आंतरिक ऋणों एवं भारत सरकार द्वारा ऋणों एवं अग्रिमों से संबंधित कुल उपलब्ध निधियाँ वर्ष 2000–2004 में 0.06 प्रतिशत से वर्ष 2004–2005 के दौरान 22 प्रतिशत के बीच रहा।

सारणी – 20 : उधार ली गयी निधियों की निवल उपलब्धि

(करोड़ रुपये में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
आंतरिक ऋण*					
प्राप्तियाँ	2045	2681	2935	4249	5969
पुनर्भुगतान (मूलधन + ब्याज)	1029	987	923	1766	2047
निवल उपलब्ध निधियाँ	1016	1694	2012	2483	3922
निवल उपलब्ध निधियाँ (प्रतिशत)	50.00	63	69	58	66
भारत सरकार से ऋण एवं पेशगियाँ					
प्राप्तियाँ	1246	1077	1255	820	1654
पुनर्भुगतान (मूलधन + ब्याज)	2264	1926	3195	3894	3881
निवल उपलब्ध निधियाँ	(-) 1018	(-) 849	(-) 1940	(-) 3074	(-)2227
निवल उपलब्ध निधियाँ (प्रतिशत)	(-) 82	(-) 79	(-) 155	(-) 375	(-)135
कुल लोक ऋण					
प्राप्तियाँ	3291	3758	4190	5069	7623
पुनर्भुगतान (मूलधन + ब्याज)	3293	2913	4118	5660	5928
निवल उपलब्ध निधियाँ	(-)2	845	72	(-)591	1695
निवल उपलब्ध निधियाँ (प्रतिशत)	(-)0.06	22.49	1.72	(-)12	22

* अर्थोपाय अग्रिमों को छोड़कर आंतरिक ऋण

1.9 घाटा प्रबंधन

1.9.1 राजकोषीय असंतुलन

सरकारी लेखा में घाटा उसकी प्राप्तियों और व्यय के मध्य अंतर को दर्शाता है। घाटे की प्रकृति सरकार के राजकोषीय प्रबंधन के विवेकशीलता का सूचक है। इसके अलावा, घाटे का अर्थप्रबंधन के तरीका राजकोषीय स्वास्थ्य का मुख्य परिचायक है।

राज्य का राजस्व घाटा, जो वर्ष 2000–04 अवधि के दौरान जारी था वर्ष 2004–05 में बढ गया। राजकोषीय घाटा, जो कि राज्य का कुल ऋण एवं कुल संसाधनों में कमी को दर्शाता है, वर्ष 2001–02 में 2583 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2003–04 में 4363 करोड़ रुपये हो गया और उसके बाद वर्ष 2004–05 में घटकर 1242 करोड़ रूपये हो गया। राज्य का प्रारम्भिक घाटा जो वर्ष 2000–01 में 933 करोड़ रूपये था, वर्ष 2004–05 में 22.32 करोड़ रूपये के आधिक्य के साथ समाप्त हो गया। जी.एस.डी.पी. के अनुपात में राजकोषीय घाटा घटकर 1.98 प्रतिशत हो गया।

सारणी – 21 – राजकोषीय असंतुलन – मूल प्राचल

(मूल्य : करोड़ रुपये में तथा अनुपात प्रतिशत में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
राजस्व घाटा	(-)2330	(-)1320	(-)1287	(-)255	(+)1076
राजकोषीय घाटा	(-)4075	(-)2583	(-)2988	(-)4363	(-)1242
प्रारंभिक घाटा (–)/ लाभ (+)	(-)933	(+) 46	(+) 34	(-)1020	(+)2232
आर डी/जी. एस. डी. पी.	(-)4.70	(-)2.60	(-)2.27	(-)0.43	(+)1.71
एफ डी /जी. एस. डी. पी.	(-)8.30	(-)5.10	(-)5.27	(-)7.29	(-)1.98
पी डी /जी. एस. डी. पी.	(-)1.90	(+)0.10	(+)0.06	(-)1.70	(+)3.55
आर डी / एफ डी	(+)57	(+)51	(+)43	(+)6	(-)87

1.10 राजकोषीय अनुपात

राज्य के वित्त को सुदृढ, नम्य एवं असंवेदनशील होना चाहिए। निम्न सारणी सं. 22 कुछ सूचकों के सापेक्ष वर्ष 2000–2005 के दौरान सरकार के वित्तों की सार–स्थिति दर्शाती है जो उपलब्ध संसाधनों की पर्याप्तता व अदेयता तथा उनकी प्रयुक्तता को निर्धारित करने व महत्त्व के क्षेत्रों को उजागर करने तथा उसके प्रमुख पहलुओं को समझने में मदद करते हैं।

राजस्व प्राप्तियों की उत्प्लावकता कर व्यवस्था की प्रकृति तथा जी. एस. डी. पी. के वृद्धि के साथ राज्य का संसाधनों के प्रति बढ़ते पहुँच को दर्शाती है। राजस्व प्राप्तियों और राज्य के अपने करों का जी. एस. डी. पी. के प्रति अनुपात संसाधनों की पर्याप्तता दर्शाता है। इन अनुपातों ने वर्ष 2000–2005 के दौरान सुधार दर्शाया जो संसाधनों के परिचालन और उसकी दृढ़ता को दर्शाता था।

राज्य के व्यय प्रबंधन से संबंधित विभिन्न अनुपात संसाधनों के परिचालन के सापेक्ष उनके व्यय की गुणवत्ता तथा दृढ़ता दर्शाता है। राजस्व व्यय और कुल व्यय का अनुपात वर्ष 2000–01 के 88.50 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2004–05 में 86.25 प्रतिशत हो गया। विकास व्यय और कुल व्यय का अनुपात भी वर्ष 2000–2001 के 52.04 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2004–05 में 50.29 प्रतिशत हो गया। कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय वर्ष 2003–04 के 10.86 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2004–05 में 7.61 प्रतिशत हो गया।

सारणी–22 : राजकोषीय क्षमता का अनुपात (प्रतिशत में)

राजकोषीय अनुपात	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
संसाधन संघटन					
राजस्व प्राप्तियाँ/ जी. एस. डी. पी.	22.63	19.30	19.35	20.81	25.03
राजस्व उत्प्लावकता	*	*	1.02	2.42	5.35
स्वयं का कर/ जी. एस. डी. पी.	5.69	4.55	4.87	4.83	5.31
व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/ जी. एस. डी. पी.	30.91	24.39	24.65	28.11	27.03
राजस्व प्राप्तियाँ/ कुल व्यय	73.23	79.12	78.50	74.02	92.59
राजस्व व्यय/ कुल व्यय	88.50	89.74	87.71	75.53	86.25
पूँजीगत व्यय	7.38	6.23	7.33	10.86	7.61
विकास व्यय/कुल व्यय (राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय)	52.04	46.69	49.66	49.50	50.29
राजस्व प्राप्ति के साथ कुल व्यय की उत्प्लावकता	*	1.55	1.08	1.51	0.03
राजस्व प्राप्ति के साथ राजस्व व्यय की उत्प्लावकता	*	1.45	0.86	0.27	0.58
राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (करोड़ रुपये में)	(-)2330	(-)1320	(-)1287	(-)255	(+)1076
राजकोषीय घाटा (करोड़ रुपये में)	(-)4075	(-)2583	(-)2988	(-)4363	(-)1242
प्रारंभिक घाटा (करोड़ रुपये में)	(-)933	(+) 46	(+) 34	(-)1020	(+)2232
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा (प्रतिशत)	57	51	43	6	(-)87
राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय दायित्त्व/ जी. एस. डी. पी.	57.60	62.50	62.20	62.60	67.66
राजकोषीय दायित्त्व/राजस्व प्राप्ति	254.50	324.00	321.37	300.70	270.40
राजकोषीय दायित्व का राजस्व प्राप्ति से उत्प्लावकता	1.46	1.01	0.92	0.46	0.51
राजकोषीय दायित्व का अन्य प्राप्तियों के प्रति उत्प्लावकता	0.41	0.46	0.66	1.00	0.78
ब्याज विस्तार	(-)41.45	(-)7.37	2.47	(-)3.40	(-)4.11
निवल उपलब्ध निधि	(-)0.06	22.49	1.72	(-)12	22
अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
निवेश पर प्रतिफल	शून्य	0.01	0.02	0.04	0.04
चालू राजस्व से शेष (करोड़ रुपये में)	(-) 2387	(-) 1246	(-) 1039	(-)638	924
वित्तीय परिसंपत्तियाँ/ दायित्त्व	73	72	72	72	78

* सारणी में रिक्त स्थान ऋणात्मक उत्प्लावकता को प्रदर्शित करते हैं।

निष्कर्ष

जबकि चालू राजस्व से शेष तथा राजकोषीय घाटे की प्रवृति सकारात्मक थी, यह देखा जा सकता है कि चालू राजस्व से शेष नकारात्मक होता यदि भविष्य निधि के ब्याज 1186 करोड़ रूपये को लेखा में शामिल कर लिया जाता। यह राज्य के वित्त के लिए चिन्ता का विषय था कि राज्य का अपना संसाधन वर्ष 2000–01 में 31 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2004–05 में 24 प्रतिशत हो गया। 42483 करोड़ की राजकोषीय देयता, जो जी0एस0डी0पी0 का 68 प्रतिशत है, एक विकट स्थिति को दर्शाती है।

अध्याय–II
आबंटन हेतु प्राथमिकताएँ तथा विनियोजन

प्रस्तावना

प्रतिवर्ष तैयार किये जाने वाले विनियोग लेखा में विनियोजन अधिनियम द्वारा अधिकृत बजट के भारित एवं दत्तमत मदों की तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर पूंजीगत एवं राजस्व व्ययों को दर्शाया जाता है।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत किया गया वास्तविक व्यय विनियोजन अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये प्राधिकार के तहत है तथा संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत जो व्यय प्रभारित किया जाना अपेक्षित है, उसे उस प्रकार प्रभारित किया गया है अथवा नहीं। वह इसे भी सुनिश्चित करता है कि इस प्रकार किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, विनियमों तथा अनुदेशों के अनुरूप है अथवा नहीं।

2.2 विनियोजन लेखाओं का सारांश

52 अनुदानों एवं विनियोजनों के विरूद्ध वर्ष 2004–05 के दौरान किये गये वास्तविक व्यय की सारभूत स्थिति निम्नवत् है :

(रुपये करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोजन	पूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत
दत्तमत	I. राजस्व	12450.84	1931.50	14382.34	11138.02	3244.34
	II. पूँजीगत	2422.32	219.32	2641.64	1549.17	1437.33
	III. ऋण एवं अग्रिम	939.21	438.18	1377.39	2568.92	257.91
कुल दत्तमत		**15812.37**	**2589.00**	**18401.37**	**13461.79**	**4939.58**
भारित	IV. राजस्व	3890.66	17.57	3908.23	3500.41	407.82
	V. पूँजीगत	शून्य	0.21	0.21	0.21	शून्य
	VI. ऋण एवं अग्रिम	शून्य	8.37	8.37	8.37	शून्य
	VII. लोक ऋण	4182.45	0.14	4182.59	3087.22	1095.37
कुल भारित		**8073.11**	**26.29**	**8099.40**	**6596.21**	**1503.19**
आकस्मिक निधि (यदि कोई हो) का विनियोजन		--	--	--	--	--
कुल योग		**23885.48**	**2615.29**	**26500.77**	**20058.00**	**6442.77**

कुल व्यय को कम से कम 31.42 करोड़ रुपये तक कम वर्णित किया गया जिसके लिये वर्ष 2004–05 के दौरान कोषागारों से अभिश्रव प्राप्त नहीं किये गये तथा व्यय को राज्य की समेकित निधि में लेखांकित नहीं किया गया एवं महालेखाकार (ले. एवं ह.) के उचन्त खाता में रखा गया।

कुल व्यय को 723.37 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया क्योंकि ये संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर आहरित थे परंतु उनके विस्तृत आकस्मिक विपत्र नहीं प्रस्तुत किये गये। 22.10 करोड़ रुपये की राशि (राजस्व–1.42 करोड़ रुपये तथा पूँजीगत–20.69 करोड़ रुपये) को शुन्य भुगतान अभिश्रवों के माध्यम से मुख्य शीर्ष "8443 सिविल जमा" "800 अन्य जमा" में अंतरित किया गया तथा इसने भी व्यय के आँकड़ों को बढ़ाया जबकि वास्तव में सकल राशि सरकार द्वारा रख ली गयी थी।

2.3 आबंटन हेतु प्राथमिकताओं की पूर्ति

2.3.1 आबंटन हेतु प्राथमिकताओं द्वारा विनियोजन

6442.77 करोड़ रुपये (कुल प्रावधान का 24 प्रतिशत) का समग्र आधिक्य 26500.77 करोड़ रुपये का कुल अनुदान के विरूद्ध 6448.45 करोड़ रुपये की बचत तथा 5.68 करोड़ रुपये के आधिक्य का निवल परिणाम था। संविधान के अनुच्छेद 204 (3) के प्रावधानों के उल्लंघन में राज्य सरकार ने वर्ष 2004–05 में चार दत्तमत अनुदानों में 5.68 करोड़ रुपये का अधिक व्यय किया जिसका संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत विनियमन करने की आवश्यकता है जैसा **परिशिष्ट–XI** में दर्शाया गया है। बचत/आधिक्य के विवरण नियंत्री पदाधिकारियों को उनके महत्त्वपूर्ण विचलन के स्पष्टीकरण हेतु भेजे गये थे जो प्राप्त नहीं किए गए थे (अक्टूबर 2005)।

2.3.2 वृहत बचतें

अर्थव्यवस्था की प्रवृति, विगत तीन वर्षों के वास्तविक व्यय आदि प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखकर विभागों को अपने प्राक्कलन तैयार करने की आवश्यकता थी। बजट निर्माण तथा बजट प्रबंधन के सिद्धान्तों को नहीं लागू करने के कारण निधियों का अवैधानिक विनियोग हुआ जिसके फलस्वरूप स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण, लोक निर्माण आदि के अन्तर्गत वृहत बचत हुई। 14 मामलों में, जिसमें 13 अनुदानें तथा विनियोजन शामिल थे, प्रत्येक में 100 करोड़ या अधिक कुल 5639 करोड़ रुपये की अत्यधिक बचतें पाई गयी जैसा सारणी–II में दर्शाया गया है :

सारणी–II

क्रम सं.	सं. तथा अनुदानों के नाम	अनुदान			वास्तविक व्यय	बचत
		मूल	पूरक	कुल		
		(करोड़ रुपये में)				
	राजस्व दत्तमत					
1.	12 –वित्त विभाग	461.27	6.92	468.19	52.38	415.81
2.	15– पेंशन	2440.11	3.00	2443.11	2324.73	118.38
3.	20– स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा तथा परिवार कल्याण विभाग	697.25	114.28	811.53	604.12	207.41
4.	22– गृह विभाग	1224.17	72.16	1296.33	1098.17	198.16
5.	39– आपदा प्रबंधन विभाग	104.86	449.77	554.63	277.40	277.23
6.	42– ग्रामीण विकास विभाग	668.97	401.13	1070.10	809.09	261.01

क्रम सं.	सं. तथा अनुदानों के नाम	अनुदान			वास्तविक व्यय	बचत
		मूल	पूरक	कुल		
		(करोड़ रुपये में)				
7.	44– माध्यमिक, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा	3338.16	302.37	3640.53	2570.17	1070.36
8.	51– कल्याण विभाग	401.14	85.31	486.45	322.73	163.72
	पूँजीगत दत्तमत					
9.	10– उर्जा विभाग	1196.35	410.66	1607.01	1097.74	509.27
10.	41– पथ निर्माण विभाग	642.52	77.42	719.94	142.96	576.98
11	42– ग्रामीण विकास विभाग	438.03	34.60	472.63	370.51	102.12
12.	49– जल संसाधन विभाग	607.32	17.50	624.82	383.09	241.73
	राजस्व भारित					
13	13– सूद भुगतान	3859.61	15.72	3875.33	3473.90	401.43
	पूँजीगत – भारित					
14	14– लोक ऋण का पुनर्भुगतान	4182.45	0.14	4182.59	3087.22	1095.37
	कुल	**20262.21**	**1990.98**	**22253.19**	**16614.21**	**5638.98**

इन 13 अनुदानों एवं विनियोजनों के 62 योजनाओं में 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक की वृहत बचत हुई जिसके विवरण **परिशिष्ट–XII** में दिये गये हैं। 62 में से 10 मामलों में 757.61 करोड़ रुपये की सम्पूर्ण प्रावधान की राशि अनुपयोगी पड़ी रही।

केन्द्र संरक्षित योजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा निधियों को मुक्त नहीं किया जाना, योजनाओं में कमी, रिक्त पद तथा राज्य सरकार द्वारा रोक लगाये जाने तथा झारखण्ड राज्य में कर्मचारियों एवं अधिकारियों के स्थानान्तरण के कारण निधियों का अनाहरण आदि बचत का कारण बतलाये गये। इसके अलावा विभागों द्वारा बचत के कारणों को नहीं सूचित किया गया।

2.3.3 बचत के अन्य मामले

19 मामलों में दो करोड़ रुपये या उससे अधिक के व्यय की कमी हुई तथा कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक 572.42 करोड़ रुपये की भी कमी हुई जिसे **परिशिष्ट–XIII** में दर्शाया गया है।

2.3.4 सतत बचत

28 मामलों के 24 अनुदान एवं विनियोजनों में कुल प्रावधानों का दस प्रतिशत तथा दो करोड़ रुपये से अधिक की सतत बचत पायी गयी जिसे **परिशिष्ट–XIV** में दर्शाया गया है।

2.3.5 आधिक्य के विनियमन की आवश्यकता

➢ *आधिक्य से अधिक प्रावधान के विनियमन की आवश्यकता*

भारत के संविधान की धारा 205 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार का यह सांवैधानिक दायित्त्व है कि वह अनुदान/विनियोग से आधिक्य के व्यय को राज्य विधानसभा से विनियमित कराये। वर्ष 1997–98 से 2004–05 तक 11255.64 करोड़ रुपये के अधिक व्यय राज्य विधानमंडल ने 1977–78 से 1997–98 की अवधि में 4580.49 करोड़ रुपये के आधिक्य व्यय को सितम्बर 2004 के अधिसूचना से नियमित कर दिया तथा शेष 6675.15 करोड़ रुपये के शेष को विनियमित करना बाकी है विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–XV** में दिया गया है।

➢ *लघु शीर्षों में प्रावधान से अधिक का व्यय*

11 अनुदानों तथा विनियोजन व्यय के 18 मामलों में स्वीकृत प्रावधान से एक करोड़ रुपये या उससे अधिक तक का व्यय कुल 1659.30 करोड़ रुपये का भी अधिक व्यय किया गया जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–XVI** में दिया गया है।

➢ *प्रावधान के बगैर व्यय*

बजट नियमावली के अनुसार किसी योजना/सेवा पर निधियों के प्रावधान के बगैर व्यय नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, यह पाया गया कि मूल प्राक्कलन में प्रावधान अथवा पूरक माँग या किसी पुनर्विनियोजन आदेश के बगैर चार मामलों में 5.68 करोड़ रुपये का व्यय किया गया जिसे **परिशिष्ट–XVII** में दर्शाया गया है।

2.3.6 मूल बजट एवं पूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 2615.29 करोड़ रुपये के पूरक प्रावधान किये गये थे जो मूल बजट प्रावधान (23885.48 करोड़ रुपये) का 6.07 प्रतिशत तथा पिछले वर्ष की तुलना में 10.95 प्रतिशत था।

वर्ष के दौरान 2615.15 करोड़ रुपये का पूरक प्रावधान (लोक ऋण को छोड़कर) प्राप्त किया गया जबकि अंतिम कुल बचत (लोक ऋण को छोड़कर) 5347.40 करोड़ रुपये था।

2.3.7 अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त पूरक प्रावधान

➢ अगस्त 2004 से मार्च 2005 की अवधि में 42 मामलों में 1166.41 करोड़ रुपये के पूरक प्रावधान किये गये थे जो पूर्णतः अनावश्यक थे क्योंकि इन मामलों में व्यय अपने मूल प्रावधानों तक भी नहीं हो पाया था जिसे **परिशिष्ट–XVIII** में दर्शाया गया है।

➢ 10 मामलों में मात्र 614.55 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता के विरूद्ध 1279.98 करोड़ रुपये के अनुदान/विनियोजनों को प्राप्त करने के फलस्वरूप प्रति मामला 10 लाख रुपये से अधिक की बचत से कुल 665.43 करोड़ रुपये शेष रहे जिसे **परिशिष्ट–XIX** में दर्शाया गया है।

2.3.8 निधि का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन में निधि का हस्तांतरण एक ही अनुदान के अन्तर्गत एक इकाई से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त निधि की आवश्यकता हो, में की जाती है। तीन अनुदानों के अन्तर्गत तीन मामले अनुचित थे क्योंकि वहाँ पाँच लाख रुपये से अधिक की बचत पायी गयी थी, विवरण **परिशिष्ट–XX** में दिया गया है। साथ ही नौ मामलों के अनुदान/विनियोगों में अत्यधिक अभ्यर्पण के फलस्वरूप अधिक व्यय हुआ जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–XXI** में दिया गया है।

2.3.9 अनुमानित बचत का अभ्यर्पण नहीं किया जाना

व्यय करने वाले विभागों को अपनी बचत का अनुमान होते ही उन अनुदानों/विनियोगों अथवा उसके किसी भाग को वित्त विभाग में समर्पित किया जाना चाहिए। तथापि, वर्ष 2004–05 के अंत में राजस्व प्रभाग के अनुदानों/विनियोजनों के 18 मामलों तथा पूँजीगत प्रभाग के अनुदानों एवं विनियोजनों के छः मामलों में 1312.19 करोड़ रुपये की भारी बचत, प्रत्येक मामला में एक करोड़ रुपये से अधिक का अभ्यर्पण विभागों द्वारा नहीं किया गया था ; **परिशिष्ट–XXII**।

70 मामलों में कुल बचत 6156.53 करोड़ रुपये में से 6442.77 करोड रुपये मार्च 2005 के अन्तिम दिन अभ्यर्पित किये गये थे जो व्यय के अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण को दर्शाते हैं। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–XXIII** में दिया गया है।

2.3.10 82 योजनाओं जिनमें 20 अनुदान एवं विनियोजन शामिल थे, राज्य सरकार कुल प्रावधान 1259.77 करोड़ रुपये (प्रत्येक मामले में 10 लाख से अधिक) का उपयोग करने में विफल रही। समस्त प्रावधान का पुर्नविनियोजन/अभ्यर्पण किया गया जैसा **परिशिष्ट–XXIV** में दर्शाया गया है।

2.3.11 वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण

10 मामलों में अभ्यर्पित राशि वास्तविक बचत की अपेक्षा अधिक थी। 1442.51 करोड़ रुपये की बचत के विरूद्ध अभ्यर्पित राशि 2464.60 करोड़ रुपये होने के फलस्वरूप 1022.09 करोड़ रुपये का अधिक अभ्यर्पण हुआ (**परिशिष्ट–XXV**)। तदनन्तर, चार मामलों में 1.07 करोड़ रुपये के अभ्यर्पण किये गये यद्यपि 556.36 करोड़ रुपये के कुल प्रावधान से 550.68 करोड़ रुपये का व्यय के फलस्वरूप पुनर्विनियोजन के बाद 6.75 करोड़ रुपये अधिक होना ; अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण का द्योतक है। **परिशिष्ट–XXVI**।

2.3.12 व्यय की तीव्रता

वित्तीय नियमों के अनुसार शासकीय व्यय का वितरण पूरे वर्ष एक समान होना चाहिए। विशेषकर वित्तीय वर्ष के अन्त में व्यय की तीव्रता उक्त प्रावधान का सरासर उल्लंघन माना जाता हैं। वर्ष के चारों तिमाही एवं मार्च 2005 की व्यय विवरणी (पूँजीगत एवं राजस्व) **परिशिष्ट–XXVII** में दर्शायी गयी है जिससे यह पता चलता है कि मार्च 2005 को समाप्त होने वाली तिमाही में किया गया व्यय, वर्ष के कुल व्यय का 56 प्रतिशत था जो बजट का उपयोग वित्तीय वर्ष के अन्त में करने की प्रवृत्ति का द्योतक है।

2.3.13 असमाशोधित व्यय

वित्तीय नियमों के अनुसार विभागीय नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा व्यय के विभागीय आँकड़ों का मिलान महालेखाकार द्वारा दर्ज आँकड़ों से समय–समय पर कराया जाना चाहिए। वर्ष 2004–05 की अवधि के अन्तर्गत विभिन्न नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा 84 मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत 9788.40 करोड़ रुपये के व्यय असमाशोधित रहे। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–XXVIII** में दिया गया है। असमाशोधित व्यय कुल व्यय का 49 प्रतिशत रहा।

2.3.14 योजना का निष्पादन

सरकारी व्यय का वर्गीकरण मुख्यतः योजना तथा गैर–योजना एवं राजस्व तथा पूँजीगत में किया गया है। योजना तथा पूँजीगत व्यय सम्पत्ति के निर्माण से जबकि गैर योजना तथा राजस्व व्यय संस्था पर व्यय, रखरखाव तथा सेवाओं से जाना जाता है।

राज्य सरकार ने बाजार ऋण (उधार) (1889.17 करोड़ रुपये) बढ़ा लिया तथा केन्द्रीय ऋण (1654.18 करोड़ रुपये) नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर एवं अनुदान (2831.83 करोड़ रुपये) केन्द्र सरकार से (कुल प्राप्तियाँ : 6375.18 करोड़ रुपये) 2004–05 के दौरान योजना मदों के लिए प्राप्त किया। इसके विरूद्ध मात्र 3475.91 करोड़ रुपये (55 प्रतिशत) ऋणों तथा अग्रिमों सहित योजना मद पर व्यय किया गया।

वर्ष 2004–05 के लिए राज्य सरकार की विनियोग लेखा में यह भी पाया गया कि बजट प्रावधानों में से राज्य सरकार 2097.46 करोड़ रुपये (38 प्रतिशत), विभिन्न राज्य योजना मदों के अन्तर्गत (1737.44 करोड़ रुपये), केन्द्र संपोषित योजनाओं (346.06 करोड़ रुपये) तथा केन्द्रीय योजना मदों (13.96 करोड़ रुपये) को खर्च करने में विफल रही। **(परिशिष्ट–XXIX(I))**।

84 मामले जिनमें 16 अनुदान एवं विनियोजन शामिल थे, प्रत्येक मामले में एक करोड़ या उससे अधिक राशि की महत्त्वपूर्ण बचत हुई। 3229.56 करोड़ रुपये के प्रावधान के विरूद्ध कुल 1988.05 करोड़ रुपये (60 प्रतिशत) बिहार सरकार के योजनागत योजनाओं के अक्रियान्वयन या धीमा क्रियान्वयन के कारण हुआ जैसा कि **परिशिष्ट–XXIX(II)** में दर्शाया गया है। राज्य सरकार 23 मामलों में 684.88 करोड़ रुपये के कुल प्रावधान को उपयोग करने में विफल रही।

2004–05 के दौरान 5.68 करोड़ रुपये का आधिक्य व्यय तथा 6442.77 करोड़ रुपये की बचत पाया गया जो कुल बजट प्रावधान का 24 प्रतिशत था। नियंत्री पदाधिकारी जो अनुदानों का सतत् प्रबंध करते हैं, आधिक्य/बचत के लिए स्पष्टीकरण देने के अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में विफल रहे।

2.4 बजटीय कार्यवाही तथा व्यय नियंत्रण

2.4.1 बजट बनाने के लिए लेखा प्रणाली की अनदेखी

सतत बचत, सतत आधिक्य, निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक विनियोग, अनुमानित बचत का अभ्यर्पण नहीं होना, व्यय की तीव्रता आदि के मामले जिसकी चर्चा इस अध्याय में पहले की गयी है ; बजटीय व्यय नियंत्रण के अभाव को दर्शाता है।

2.4.2 वसूलियों तथा उधारों की प्रवृत्ति

बजट के सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार संबंधित सेवा शीर्ष के अन्तर्गत (राजस्व तथा पूँजीगत) व्यय की कुल राशि के लिए अनुदानों/विनियोगों हेतु माँग किया जाना चाहिए तथा वसूलियों को "प्राप्तियों एवं वसूलियों की कटौती व्यय की कमी के रूप में बर्ताव" के तरह शीर्ष के नीचे अलग से दर्शाया जाना चाहिए। बिहार सरकार का बजट इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया फलस्वरूप व्यय में से वसूलियों के विस्तार की सुनिश्चितता नहीं पायी गयी।

2.4.3 आकस्मिक विपत्रों के सार का असमायोजन

बिहार वित्तीय नियमावली (बिहार कोषागार संहिता, भाग–I, नियम 20) के तहत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (डीडीओ) द्वारा आकस्मिक (एसी) विपत्रों के सार की निकासी स्थायी आदेशों अथवा सरकार की स्पष्ट स्वीकृति के बाद ही की जाएगी।

कोषागार में दूसरे एसी विपत्रों के प्रस्तुतीकरण के पहले एक वित्तीय वर्ष में कोषागार से अग्रिम के रूप में निकासी की गई एसी विपत्रों के विरूद्ध विस्तृत आकस्मिक (डीसी) विपत्रों को तैयार कर महालेखाकार (ले. एवं ह.) के यहाँ भेजना है।

नि. एवं व्ययन पदाधिकारी जो स्वयं प्रतिहस्ताक्षरित पदाधिकारी नहीं है, उन्हें मासिक डीसी विपत्रों को अपने नियंत्री पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर महालेखाकार (ले. एवं ह.) को भेजना है।

उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण में यह देखा गया कि बहुत से नि. एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इन नियमों की अवहेलना की गई एवं नियंत्री पदाधिकारी इन गलतियों के लिए उत्तरदायित्त्व निर्धारित करने में असफल रहे। महालेखाकार (ले. एवं ह.) बिहार, पटना के यहाँ डी सी विपत्र, साथ में विस्तृत शुल्कें एवं संबंधित अभिश्रवों को नहीं भेजा गया। कोषागार पदाधिकारी के यहाँ जो एसी विपत्र प्रस्तुत किए गए थे, उसमें आवश्यक प्रमाण पत्र अभिलेख नहीं थे जिसमें यह कहा गया हो कि पिछले मास निकासी की गई एसी विपत्र का डीसी विपत्र नियमानुसार प्रतिहस्ताक्षर हेतु नियंत्री पदाधिकारी के यहाँ प्रस्तुत है। सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारियों द्वारा इस माँग पद दबाब न देकर वित्तीय नियमों के प्रावधानों की अवहेलना कर एसी विपत्र पारित किए गए।

अभिलेखों के जाँचक्रम में पाया गया कि कुल 1566.47 करोड़ रुपये की निकासी एसी विपत्रों द्वारा की गई थी। मात्र 2.39 करोड़ रुपये का ही डीसी विपत्र जमा किया गया एवं शेष 1564.08 करोड़ रुपये का डीसी विपत्र वर्ष 2000–01 से 2004–05 तक लेखापरीक्षा के आपत्तियों के बावजूद भी लम्बित है।

अध्याय–III

निष्पादन समीक्षाएँ

जल संसाधन विभाग

3.1 बाढ़ नियंत्रण उपाय

मुख्याकर्षण

जल संसाधन विभाग द्वारा बाढ़ से बचाव हेतु अंतःसंरचनात्मक उपायों यथा नये तटबंधों का निर्माण, तटबंधों पर सड़क निर्माण एवं तटबंधों के उत्थान एवं सुदृढ़ीकरण आदि के वृद्धि पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। विभाग निर्मित तटबंधों की सुरक्षा हेतु मुख्यतः कटाव निरोधक कार्यों पर निर्भर था। पिछले पाँच वर्षों में बाढ़ से सुरक्षित क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं हो पायी थी एवं दसवें पंचवर्षीय योजना (2002–07) के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों में अत्यल्प ही पूरे किये जा सके थे। इस बीच बाढ़ के कारण हुए हानि में वर्ष 2000–01 में 1559 करोड़ रुपये से वर्ष 2004–05 में 2216 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

नये तटबंधों के निर्माण, तटबंधों का उत्थान एवं सुदृढ़ीकरण एवं तटबंधों पर सर्वकालिक सड़कों के निर्माण हेतु राजकीय बजट में आबंटित राशि के कटौती के कारण वर्ष 2000–05 में निर्धारित लक्ष्यों के विरूद्ध दयनीय उपलब्धियाँ थीं।

निर्धारित 12 प्रतिशत के विरूद्ध बाढ़ नियंत्रण प्रमंडलों में स्थापना पर व्यय 60 प्रतिशत था।

(कंडिका 3.1.7)

तीन प्रमंडलों में 6.26 करोड़ रुपये के परिहार्य व्यय किये गये थे जो कि मुख्यतः कार्यों के समय पर पुरा नहीं होने अथवा निविदाओं के ससमय क्रियान्वित नहीं कर पाने के कारण हुए थे। नमूना जाँचित 12 में से तीन प्रमंडलों में विलंबित क्रियान्वयन तथा कार्यों के अपूर्ण रह जाने के कारण परिहार्य व्यय (6.26 करोड़ रुपये) तथा निरर्थक व्यय (2.52 करोड़ रुपये) के दृष्टान्त थे।

(कंडिका 3.1.11 एवं 3.1.12)

प्रस्तावना

बिहार देश के सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्यों में से एक है। इसका 73 प्रतिशत (68.80 लाख हेक्टेयर) भौगोलिक क्षेत्र, जो 38 जिलों में से 30 जिलों में फैला है, बाढ़ग्रस्त है एवं 10 प्रतिशत (9.41 लाख हेक्टेयर) क्षेत्र लगातार जल निमग्न है। बाढ़ के मुख्य कारण बारहमासी नदियों[1] के कछार एवं ऊपरी किनारों पर व्यवसाय के लिए भूमि अध्यर्थन हेतु वनों का कटाव, मौनसून में होने वाली भारी वर्षा एवं नदियों के तल में मिट्टी के जमाव से जल स्तर में हुई वृद्धि है। राज्य का जल संसाधन विभाग इस प्रकार बाढ़ से

* *कटाव निरोधक कार्यों के अंतर्गत स्पर स्टर्ड का निर्माण एवं बोल्डर पिचिंग जैसे कार्य आते हैं।*

1 *गंगा, घाघरा, गंडक, कोशी, बागमती, कमला बलान आदि।*

प्रभावित दो करोड़ से ज्यादा की आबादी को सुरक्षा देने हेतु बाढ़ नियंत्रण के दीर्घकालिक एवं लघु स्तरीय उपायों को क्रियान्वित करता है।

3.1.2 संगठनात्मक ढाँचा

जल संसाधन विभाग के आयुक्त–सह–सचिव राज्य में किये जाने वाले बाढ़ नियंत्रण के उपायों हेतु जिम्मेवार होते है। इनका सहयोग अभियंता प्रमुख (उत्तर), अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं अनुश्रवण अंचल, सचिवालय स्तर पर करते हैं एवं आठ क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, 19 अधीक्षण अभियंता एवं 48 कार्यपालक अभियंता जिला एवं प्रमंडल स्तर पर करते हैं।

इसके अतिरिक्त विभाग में मुख्य अभियंता के नेतृत्व में गठित तीन तकनीकि सलाहकार समिति[2] (त. स. स.) एवं योजना समीक्षा समिति होती है जो प्रत्येक वर्ष क्रियान्वित किए जाने वाले बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों से संबंधित तकनीकी एवं वित्तीय सलाह प्रदान करती है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण समिति (बि. रा. बा. नि. स.) राज्य में किये जाने वाले बाढ़ नियंत्रण उपायों से संबंधित नीतियों, अनुश्रवण एवं उनके क्रियान्वयन हेतु सर्वोच्च संस्था है। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, जो भारत सरकार की संस्था है, राज्य में केन्द्रीय सरकार की ओर से किये जाने वाले बाढ़ नियंत्रण योजनाओं की अनुशंसा एवं उनके क्रियान्वयन की देखरेख करती है।

3.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित तथ्यों का आकलन करना था :

- बजट आबंटन एवं दसवें पंच वर्षीय योजना के संदर्भ में राजकीय एवं केन्द्रीय प्रायोजित बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के योजनागत एवं भौतिकीय परियोजनाओं का क्रियान्वयन ;
- क्या बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों को प्रभावी एवं दक्षतापूर्वक निष्पादित किया गया था एवं
- बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों का लोगों की जान माल के हानि पर प्रभाव।

3.1.4 लेखापरीक्षा मापदंड

- कार्य कार्यान्वयन के विभागीय मानक, गुणवत्ता सुनिश्चितता तथा प्रमंडलों का सृजन।
- बजट आंकलन एवं व्यय प्रतिवेदन।
- माप–पुस्तिकाओं तथा कार्य संबंधित अभिलेखों की जाँच।
- दशम् पंचवर्षीय योजना तथा विभागीय लक्ष्य एवं उपलब्धियों की तुलनात्मक विवेचना।

[2] *गंडक नदी हेतु गंडक उच्च स्तरीय समिति, कोशी हेतु कोशी उच्च स्तरीय समिति एवं अन्य नदियों हेतु तकनीकी उच्च स्तरीय समिति*

3.1.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं प्रणाली

सचिवालय स्तर पर अभियंता प्रमुख (उत्तर) एवं अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं अनुश्रवण कोषांग तथा जिला एवं प्रमण्डल स्तर पर पाँच मुख्य अभियंताओं[3] (आठ में से), पाँच अधीक्षण अभियंताओं[4] (19 में से) एवं 12 कार्यपालक अभियंताओं[5] (48 में से) के वर्ष 2000–05 की अवधि के लिए अभिलेखों का नमूना जाँच अगस्त 2003 से मार्च 2004 एवं अप्रील 2005 से जून 2005 के बीच किया गया। लेखापरीक्षा किये जाने वाले ईकाईयों का चुनाव वहाँ किये गये कार्यों की अधिकता एवं क्षेत्र के बाढ़ग्रस्तता को ध्यान में रखकर किया गया।

सितंबर 2005 में सचिव, ज. सं. वि. के साथ समापन बैठक किया गया तथा विभागीय अवलोकनों की समीक्षा को अंतिम रूप देने में ध्यान रखा गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.1.6 राज्य योजनान्तर्गत दीर्घकालिक बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए विभाग के पास तीन उच्च डैम[6] के निर्माण का कार्य था परंतु विभाग द्वारा वर्ष 2000–05 की अवधि में इनमें से किसी पर भी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया था। मुख्यतः वर्तमान तटबंधों की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य किये गये थे। वर्ष 2000–05 की अवधि में कुल 321.26 करोड़ रुपये मूल्य के 1439 कटाव निरोधक कार्य, किये गये थे जबकि तटबंधों के उत्थान/पुनर्वास तथा तटबंधों पर सड़क निर्माण में 31.73 करोड़ रुपये एवं जल निस्सरण कार्य पर 8.73 करोड़ रुपये व्यय किये गये थे।

3.1.7 वित्तीय प्रबंधन

वर्ष 2000–05 की अवधि में विभागीय योजनाओं हेतु योजना एवं गैर योजना मद में बजट प्रावधान एवं व्यय विवरण निम्नलिखित थे :

वर्ष	बजट प्रावधान			व्यय		
	कार्य	स्थापना	कुल	कार्य	स्थापना	कुल
2000-01	78.46	60.53	138.99	73.89	57.75	131.64
2001-02	79.98	57.83	137.81	77.87	55.70	133.57
2002-03	97.92	58.22	156.14	96.1	56.24	152.34
2003-04	77.15	59.83	136.98	76.09	57.13	133.22
2004-05	110.2	59.65	169.85	110.16	49.07	159.23
योग	**443.71#**	**296.06**	**739.77**	**434.11***	**275.89**	**710.00**

(स्रोत : जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध सूचनाएँ
\# जिसमें से केन्द्रीय अनुदान : 88.23 करोड़ रुपये
* जिसमें से केन्द्रीय अनुदान : 86.69 करोड़ रुपये)

स्थापना पर अत्यधिक व्यय

मानकों (बिहार लोक निर्माण विभागीय संहिता) के अनुसार स्थापना व्यय, कार्य व्यय का 12 प्रतिशत (52.09 करोड रुपये) होना चाहिए जबकि यह पाँच गुणा अधिक (275.89

3 मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णियाँ, समस्तीपुर एवं सिवान

4 बीरपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर (डी. एवं आई.) पडरौना एवं पटना।

5 बेगूसराय, शीर्ष कार्य प्रमण्डल, बीरपुर, दलसिंहसराय, कटिहार, काढ़ागोला, पश्चिमी तटबंध प्रमंडल, कुनौली कैंप, बीरपुर, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, पडरौना I एवं III, लालगंज, मोतिहारी, दीघा एवं आरा।

6 सप्तकोशी उच्च डैम बहुउद्देशीय परियोजना, बराह क्षेत्र (नेपाल), बागमती बहुउद्देशीय परियोजना, नूनथोर एवं कमला बहुउद्देशीय परियोजना, टेटरिया, चीसापेराई

करोड रुपये) था। विभाग ने अपने जवाब (मई 2005) में बताया कि स्थापना व्यय को एक तिहाई निकट भविष्य में घटाने का प्रस्ताव है।

वर्ष 2000–2005 की अवधि में बाढ़ नियंत्रण के लघु स्तरीय उपायों, योजना परिव्यय एवं बजट प्रावधान निम्नलिखित है :

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं.	योजना	योजना परिव्यय 2000–05	बजट प्रावधान	व्यय	बचत	परिव्यय के अनुपात में आबंटन (प्रतिशत में)
1	निर्माणाधीन तटबंध	14.76	1.50	1.50	शून्य	10
2	तटबंधों के उत्थान एवं सुदृढ़ीकरण	83.63	20.51	20.51	शून्य	25
3	कटाव निरोधक कार्य	245.53	326.75	321.26	5.49	133
4	जल निस्सरण कार्य	77.25	10.13	8.73	1.40	13
5	तटबंधों पर सर्वकालिक सड़क का निर्माण	83.02	9.86	9.72	0.14	14
	कुल	**504.19**	**368.75**	**361.72**	**7.03**	

कटाव निरोधक कार्यों को आवंटीय प्राथमिकता

कटाव निरोधक कार्यों हेतु निधियों का आबंटन योजना परिव्यय का 133 प्रतिशत था। इस प्रकार कटाव निरोधक कार्यों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के बाढ़ नियंत्रण उपायों के योजना परिव्यय में किये गये कटौती के कारण उन क्षेत्रों में विभाग द्वारा एवं दसम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका, जैसा की निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट है :

तटबंध योजनाएँ	मार्च 2000 तक स्थिति	2000–01 से 2004–05		दसम पंचवर्षीय योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य
		निर्धारित लक्ष्य	मार्च 2005 तक की स्थिति	
पूर्ण योजनाएँ	2873.37 किमी	शून्य	2873.37 किमी	
निर्माणाधीन योजनाएँ	557.10 किमी	36.00	557.10 किमी	
तटबंधों की कुल लम्बाई	**3430.47 किमी**	**36.00**	**3430.47 किमी**	**1880**
तटबंधों का उत्थान एवं सुदृढ़ीकरण	शून्य	580 किमी	123 किमी	3082
जल निस्सरण कार्य	1.50 लाख हेक्टेयर	0.61 लाख हेक्टेयर	0.15 लाख हेक्टेयर	4.591 लाख हेक्टेयर
तटबंधों पर सर्वकालिक सड़क का निर्माण	शून्य	590.85	64.15	3300

विभाग ने अपने जवाब (मई 2005) में बताया कि वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण उपलब्ध निधियों का उपयोग मुख्यतः वर्तमान तटबंधों की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्यों एवं बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों[7] पर किया गया। पुनः अक्टूबर 2005 में अपने जवाब में विभाग ने बताया कि कटाव निरोधक कार्यों का बाढ़ग्रस्त बिहार राज्य में अपना अलग महत्त्व है। चूँकि यह बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों की जानमाल की रक्षा करता है तथा इसकी आकस्मिकता को देखते हुए कटाव निरोधक कार्यों को अन्य योजनाओं से ज्यादा महत्त्व दिया गया। यह भी एक तथ्य रहा कि पिछले दशक में राज्य के बाढ़ से सुरक्षित क्षेत्र 29.16 लाख हेक्टेयर में कोई वृद्धि प्राप्त नहीं हो पायी एवं यह सुरक्षित क्षेत्र कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र (68.80 लाख हेक्टैयर) का केवल 42 प्रतिशत था जबकि तटबंधों के

7 *बाढ़ के दौरान तटबंधों के कमजोर बिंदुओं पर बालू के बोरों का जमाव।*

निर्माण, जल निस्सरण कार्य एवं अन्य बाढ़ नियंत्रण उपायों पर ध्यान देकर 30 बाढ़ प्रभावित जिलों में सुरक्षित क्षेत्र की वृद्धि की जानी चाहिए थी।

केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ (के. प्रा. यो.)

राज्य में 86.69 करोड़ रुपये की कुल लागत पर चार केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ (के. प्रा. यो.) क्रियान्वित की गई थी एवं उनमें से कुल 35.28 करोड़ रुपये लागत की तीन के. प्रा. यो. (बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य : 3.88 करोड़ रुपये ; कोशी में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य की मरम्मती : 26.38 करोड़ रुपये एवं बाढ़ सुरक्षा योजना : 5.02 करोड़ रुपये) की जाँच लेखापरीक्षा द्वारा की गई।

3.1.8 बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य

केन्द्रीय निधि का अल्प उपयोग

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत चार नदियों (ललबकेया, बागमती, कमला एवं खांडो) के वर्तमान तटबंधों के उत्थान एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य वर्ष 1998–99 में लिया गया, परंतु राज्य सरकार ने केवल तीन ही नदियों हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा। केन्द्र सरकार ने अक्टूबर 1999 में सिर्फ दो नदियों (ललबकेया एवं बागमती) हेतु 8.68 करोड़ रुपये स्वीकृत किये एवं वर्ष 2001–03 के दौरान 6.30 करोड़ रुपये विमुक्त किया। इसके विरूद्ध सिर्फ 3.88 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया था एवं मार्च 2005 तक योजना अधूरी थी। विभाग ने अपने जवाब (मई 2005) में बताया कि ललबकेया तटबंध का बाकी काम इस वर्ष पूरे किये जाएँगे तथा बागमती नदी की योजना गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के पास विचाराधीन थी।

पर्याप्त प्रयासों के अभाव में योजनाएँ स्वीकृत नहीं की गयी

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा दिसम्बर 2001 में कमला नदी की योजनाओं को समर्पित करने के बावजूद केन्द्र द्वारा मार्च 2005 तक स्वीकृत नहीं की गई थी। विभाग ने अपने जवाब (मई 2005) में बताया कि कमला तटबंध की योजना पुनः गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के पास भेजी गई थी एवं खांडों तटबंध की योजना की आवश्यकता/व्यवहार्यता पर जाँच के बाद विचार किया जाना था।

कोशी नदी पर किये जाने वाले बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य पर राज्य सरकार द्वारा प्रथमतः व्यय की गयी राशि को केन्द्र द्वारा अनुदान के रूप में पूर्ण भुगतान किया जाता था। वर्ष 2000–05 की अवधि में 231 कटाव निरोधक कार्यों की पूर्णता पर 26.38 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था। इसके विरूद्ध केन्द्र द्वारा केवल 22.84 करोड़ रुपये का ही पुनर्भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप राज्य पर 3.54 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ा। विभाग द्वारा अपने जवाब (मई 2005) में बताया गया कि राज्य सरकार ने इस विषय को केन्द्र के समक्ष रखा है और शेष राशि के पुनर्भुगतान हेतु आवश्यक कारवाई की जा रही है।

3.1.9 बाढ़ सुरक्षा योजना

केन्द्र के दिशा निर्देशों के अनुरूप संरचना का निर्माण न होना

योजना का लक्ष्य बाढ़ के जल स्तर से 0.6 मीटर ऊँचा ईंट की सोलिंग की संरचना का निर्माण करना था जिससे भीषण बाढ़ से जानमाल की रक्षा की जा सके। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि उक्त संरचना का निर्माण दिशानिर्देश के अनुरूप नहीं किया गया था साथ ही वहाँ सामान्य असैनिक सुविधाओं की भी कमी थी। इसके अतिरिक्त कुल 11.31 करोड़ रुपये लागत की निर्माणाधीन 100 योजनाओं के विरूद्ध भूमि की अनुपलब्धता की वजह से मात्र 69 योजनाएँ (कुल मूल्य 8.82 करोड़ रुपये) क्रियान्वित की गयी एवं विभाग द्वारा मार्च 1992 से मार्च 2002 तक केवल 5.02 करोड़ रुपये व्यय किये गये थे।

केन्द्र द्वारा बाकी राशि वर्ष 2002 के बाढ़ उपयोगिता प्रमाण पत्र के अभाव में प्रदान नहीं की गई थी।

राज्य प्रायोजित योजनाएँ

3.1.10 कटाव–निरोधक कार्य

प्रत्येक साल (अक्टूबर में बाढ़ के बाद) एक उच्च स्तरीय समिति, जो क्षेत्रीय मुख्य अभियंता के नेतृत्व में गठित होती है, कटाव निरोधक कार्यों हेतु अपने सुझाव तकनीकि सलाहकार समिति को सौंपती है जो उन प्रस्तावों को योजना समीक्षा समिति को एवं अंतिम स्वीकृति के लिए राज्य बाढ़ नियंत्रण समिति को समर्पित करती है।

यह पाया गया कि क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं की समिति द्वारा मूल रूप से प्रस्तावित कटाव निरोधक कार्यों के विरूद्ध मात्र 1542 (45 प्रतिशत) कटाव निरोधक कार्य जिनका मूल्य 319.75 करोड़ रुपये था (मूल प्राक्कलित राशि का मात्र 12 प्रतिशत) को वर्ष 2002–03 की अवधि में राज्य बाढ़ नियंत्रण समिति द्वारा स्वीकृत किया गया **(प्रसंग परिशिष्ट–XXX)**।

यह दर्शाने हेतु कोई अभिलेख नहीं था कि मु. अ. द्वारा समर्पित प्रस्तावों को, संवेदनशील स्थानों के सर्वेक्षण के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर वर्गीकरण किया गया था।

इस संबंध में विभाग ने अपने जवाब (अक्टूबर 2005) में बताया कि कटाव निरोधक कार्य उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत तकनीकी/ आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर किये गये थे। हालाँकि किये गये कटाव निरोधक कार्यों का भी ऐसा कोई वर्गीकरण विभाग के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था जिसे बाढ़ के पूर्व कार्यान्वित किया जाना था।

कार्यों के क्रियान्वयन में त्रुटियाँ

12 नमूना जाँचित प्रमंडलों में वर्ष 2000–05 के दौरान कुल 324 कटाव निरोधक कार्यों के लिए 110.50 करोड़ रुपये के प्रावधान के विरूद्ध 98.54 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था जिसमें से कुल 129 कटाव निरोधक कार्यों (57.74 करोड़ रुपये का व्यय) की जाँच की गई। लेखापरीक्षा में पाई गई त्रुटियाँ निम्न विवरणित हैं :

3.1.11 तीन प्रमंडलों[8] में कार्यों में विलंब के कारण 6.26 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय किया गया था। चंपारण तटबंध प्रमंडल (मोतीहारी) में मूल रूप से प्रस्तावित 74.15 लाख रुपये के कटाव निरोधक कार्य को नहीं क्रियान्वित कर पाने के कारण बाढ़ में उक्त स्थान पर 3.79 करोड़ रुपये के कटाव निरोधक कार्य कराने पड़े थे। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–I, पडरौना के अंतर्गत तटबंध पर वर्ष 2003 के पूर्व स्पर की ऊँचाई बढ़ाने के प्रस्ताव को योजना समीक्षा समिति द्वारा स्वीकृत नहीं करने के कारण 31.14 लाख रुपये के कार्य की लागत बढ़कर 2.10 करोड़ रुपये हो गयी। वर्ष 2004 के बाढ़ के समय लालगंज प्रमंडल में बिहार राज्य निर्माण निगम ससमय बोल्डर आपूर्ति करने तथा विनिर्देशनों के अनुसार कार्य पूर्ण करने में विफल रहा जिसके लिए उसने 1.97 करोड़ रुपये प्राप्त किया था। परिणामस्वरूप 1.35 करोड़ रुपये के कटाव निरोधक कार्य पुनः कराने पड़े थे।

[8] *चंपारण तटबंध प्रमंडल, मोतीहारी, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–I, पडरौना, बाढ़ एवं जल निस्सरण प्रमंडल, वैशाली*

3.1.12 अपूर्ण कार्य

तीन प्रमंडलों में अपूर्ण कार्य पर कुल 2.52 करोड़ रुपये का निरर्थक व्यय था जो निम्नवत् है :

क्रम सं.	प्रमंडल का नाम	कार्य का नाम एवं वर्ष	निरर्थक / व्यर्थ / संदिग्ध व्यय (रुपये लाख में)	टिप्पणी
1	पश्चिमी बाढ़ तटबंध प्रमंडल, कुनौली	प. बा. तटबंध के 2.25 कि.मी. पर स्पर के पुर्नस्थापना कार्य (वर्ष 2001–2002)	97.00	वर्ष 2001–05 की अवधि में एक कटाव निरोधक कार्य पर 40.00 करोड़ रुपये व्यय करने के बावजूद अधूरा छोड़ा गया था एवं 57 लाख रुपये का उक्त स्थान पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य भी कराये गये थे।
2	बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दलसिंहसराय	दायाँ तटबंध गंगा नदी के 1255 मीटर एवं 2025 मीटर के बीच कटाव निरोधक कार्य (फरवरी 2004)	55.51	2.11 करोड़ रुपये व्यय करने के बावजूद कार्य को अधूरा रहने के कारण 55.51 लाख रुपये का बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य कराने पड़े थे एवं पुनः अगले वर्ष 3.27 करोड़ रुपये के कटाव निरोधक कार्य में उक्त कार्य को सम्मिलित किया गया था।
3	चंपारण तटबंध प्रमंडल, मोतीहारी	चंपारण तटबंध के बगदाहा स्थल पर (54 मील से 56 मील के बीच) कटाव निरोधक कार्य (अप्रील 2001)	29.77	कार्य अधूरा था।
		तथैव (वर्ष 2004)	56.96	आवश्यक भूमि अधिग्रहण के अभाव में कार्य अधूरा रहा था।

विभाग ने चंपारण तटबंध प्रमंडल, मोतीहारी के संबंध में अपने जवाब (अक्टूबर 2005) में बताया कि वर्ष 2000–01 में किया गया कटाव निरोधक कार्य बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया था। अतः 29.77 लाख रुपये के भुगतान के बाद राशि को रोक रखा गया था। विभाग ने बताया कि भूमि अधिग्रहण दुर्वह एवं कठिन प्रक्रिया है। विभाग को प्रावधानों एवं कार्य हित के अनुसार आवश्यक भूमि के अधिग्रहण के बिना कार्य को शुरू नहीं करना चाहिए था।

पुनः बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य के संबंध में विभाग द्वारा यह बताया गया कि नदी के अघोषित व्यवहार एवं कुछ खास बिन्दुओं पर बाढ़ के दौरान होने वाले प्रहार के कारण किये गये कटाव निरोधक कार्य को बचाने हेतु बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य किये गये थे परंतु विभाग अपने जवाब में यह बताने में विफल रहा कि पर्याप्त राशि व्यय करने के पश्चात् भी कटाव निरोधक कार्य अधूरे क्यों थे ?

3.1.13 कार्यों का असमय क्रियान्वयन

कार्यों का गुणवत्ता सुनिश्चित किए वगैर क्रियान्वयन

शीर्ष कार्य प्रमंडल, वीरपुर के अंतर्गत पश्चिमी कोशी मुख्य नहर के 0 से 4.23 कि.मी में सेवा पथ के पुर्नस्थापना का कार्य उस संवेदक को सौंपा गया जिसके पास निविदा तय होने की तिथि तक वैद्य श्रमिक प्रमाण पत्र नहीं था। साथ ही संवेदक द्वारा कार्य में निम्न स्तरीय ईंट के उपयोग (कम्प्रेसिव शक्ति 70 कि. ग्रा. / से. मी.^{2}) जिसकी कुल मूल्य 15 लाख रुपये था जबकि 100 अ श्रेणी ईंट का (कम्प्रेसिव शक्ति

100 कि.ग्रा./से.मी.^{2}) होना चाहिए था और कार्य निष्पादित तिथि से डेढ़ वर्ष बाद पूरा किया गया था। हालाँकि 50 लाख रुपये का भुगतान (दिसम्बर 2004) संवेदक को किया जा चुका था।

3.1.14 परीक्षण के बिना कार्य का क्रियान्वयन

वर्ष 2000–04 की अवधि में पंद्रह स्परों[9] का निर्माण (कुल लागत मूल्य 16 करोड़ रुपये) बिना अनुसंधान और बिना नमूना परीक्षण के किया गया यद्यपि ऐसा के. एच. सी. (प्रत्येक वर्ष) के अनुशंसाओं तथा परियोजना प्रतिवेदन (नवम्बर 2001) पुनः लेखापरीक्षा क्रम में यह पाया गया कि 2.25 करेड़ रुपये लागत के दो स्पर (का निर्माण बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, काढ़ागोला के अंतर्गत वर्ष 2001–02 में किया गया था), वर्ष 2002 के बाढ़ में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गये थे एवं उनके पुनर्स्थापन कार्य पर, वर्ष 2003 की बाढ़ के पूर्व, प्रमंडल द्वारा 2.48 करोड़ रुपये व्यय किये गये थे।

विभाग ने इस संबध में अपने जवाब (मई 2005) में बताया कि दो माह के अल्पावधि में नमूना परीक्षण करवाना संभव नहीं था। उत्तर संतोषप्रद नहीं था क्योंकि विभागीय कार्य कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष बाढ़ पूर्व किया जाने वाला कटाव निरोधक कार्य 16 अक्टूबर से शुरू हो जाने चाहिए एवं कार्यों को 14 जून तक कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार योजना एवं बाढ़ बचाव कार्यों के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध है।

3.1.15 भंडार प्रबंधन

बारह नमूना जाँचित प्रमंडलों में कई प्रकार की कमियाँ यथा दुर्विनियोजन, सामग्रियों की अधिप्राप्ति में अतिरिक्त लागत एवं आवश्यक भंडारण अभिलेखों का असंधारण आदि पाई गई जो निम्नवत् है :

भंडार अभिलेखों का असांधरण तथा सामग्रियों की कमी

वर्ष 2001–05 की अवधि में पश्चिमी बाढ तटबंध प्रमंडल, कुनौली ने 22 लाख रुपये का भुगतान (प्रोफार्मा विपत्र द्वारा) आपूर्तिकर्ताओं को 107 मी. ट. ब्लैक एनिल्ड तार की आपूर्ति के एवज में किया था। परंतु प्रमंडल के पास उक्त सामग्री से संबंधित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।

पुनः उक्त प्रमंडल ने जून 2002 एवं अप्रैल 2003 की अवधि में कुल 19371 घन मी. (मूल्य 1.24 करोड़ रुपये) बोल्डर की खरीद की हालाँकि जून एवं जुलाई 2002 से मार्च 2005 की अवधि में 26 कटाव निरोधक कार्यों/बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों में केवल 17199 घन मी. बोल्डर का उपयोग किया गया था। परंतु प्रमंडल के अभिलेखों के अनुसार शेष 2172 घन मी. बोल्डर की जगह केवल 574 घन मी. बोल्डर बचे थे। इस प्रकार 1598 धन मी. बोल्डर जिसका मूल्य 10.27 लाख रुपये था की कमी का स्पष्टीकरण प्रमंडल द्वारा नहीं दिया जा सका।

3.1.16 प्रभाव विश्लेषण

वर्ष 2000–05 की अवधि में बाढ़ राहत पर व्यय 178.58 करोड़ रुपये (प्रत्येक वर्ष 21.18 करोड़ रुपये से 62.71 करोड़ रुपये के मध्य विस्तारित) एवं बाढ़ द्वारा कुल क्षति का विस्तार निम्नवत् था :

[9] *बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कारागोला के अंतर्गत : 11 ; शीर्ष कार्य प्रमंडल, वीरपुर के अंतर्गत : 3 एवं पूर्वी तटबंध प्रमंडल, बीरपुर के अंतर्गत : 1*

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	प्रभावित जनसंख्या (लाख में)	कुल क्षति	राहत के रूप में बाँटी गई राशि
2000-01	82.41	1558.92	21.44
2001-02	90.91	1005.80	42.26
2002-03	160.18	2813.44	62.71
2003-04	81.61	143.93	21.18
2004-05	212.51	2215.68	30.99
कुल	**627.62**	**7737.77**	**178.58**

(स्रोत : राहत एवं पुनर्वास विभाग, बिहार सरकार)

बाढ़ क्षति में वृद्धि

वर्ष 2000–05 की अवधि में ज. सं. वि. वर्तमान तटबंधों की लम्बाई बढ़ाने में विफल रहा एवं तटबंधों के उत्थान एवं सुदृढ़ीकरण में (केवल 123 कि.मी.) तथा तटबंध पर सडक निर्माण में (केवल 64.15 कि.मी.) काफी कम उपलब्धि थी। यद्यपि 710 करोड़ रुपये (स्थापना व्यय सहित) तटबंधों की मरम्मती एवं कटाव निरोधक कार्यों पर व्यय (वर्ष 2000–05)किये गये थे, बाढ़ की विभिषिका बढ़ी थी एवं उनसे होने वाली क्षति वर्ष 2000–01 में 1559 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2004–05 में 2216 करोड़ रुपये हो गई थी।

3.1.17 मानव बल प्रबंधन

अत्यधिक मानवबल की नियुक्ति

सरकार के मानकों के अनुसार (वर्ष 1987) एक कार्य प्रमंडल में 720 कि.मी. तटबंध के रख–रखाव हेतु छः अभियंताओं एवं 67 अन्य कर्मियों (कनीय अभियंताओं सहित) की आवश्यकता थी तथा एक अंचल कार्यालय द्वारा पाँच प्रमंडलों का पर्यवेक्षण किया जाना था।

राज्य में कुल तटबंधों की लंबाई मात्र 3430 कि.मी. (वर्ष 2004–05 तक) थी। इन तटबंध के रख–रखाव हेतु, मानकों के अनुसार, केवल पाँच प्रमंडल एवं एक अंचल की आवश्यकता थी जिसके विरूद्ध 48 प्रमंडल एवं 19 अंचल परिचालित थे। इसके परिणामस्वरूप 330 अभियंताओं एवं 342 अधीनस्थ कर्मियों के अधिक नियोजन पर वर्ष 2000–05 की अवधि में 223.80 करोड़ रुपये वेतन एवं भत्ते मद में भुगतान किये गये थे।

अपने जवाब (मई 2005) में विभाग ने बताया कि तीन प्रमंडलों को समाप्त करने एवं प्रत्येक प्रमंडल में कुल कर्मियों में से 46 को (अभियंता सहित) कम करने का प्रस्ताव वित्त विभाग को सहमति हेतु भेजा गया था।

3.1.18 अनुश्रवण

अभियंता प्रमुख के अधीन अधीक्षण अभियंता की अध्यक्षता में एक अनुश्रवण अंचल योजनाओं के समन्वय एवं अनुश्रवण हेतु जिम्मेवार था जो चार कार्यपालक अभियंताओं एवं पाँच सहायक अभियंताओं द्वारा सहायतित थे। बि. रा. बा. नि. स. तथा ग. बा. नि. आ. को भी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन का अनुश्रवण की जिम्मेदारी दी गयी थी। हालाँकि विभाग के पास एक अनुश्रवण तंत्र स्थापित था फिर भी जाँच बगैर कार्यों का क्रियान्वयन, कार्य क्रियान्वयन में विलंब तथा अवमानक सामग्रियों के उपयोग परिहार्य नहीं किए जा सके जो अनुश्रवण नियंत्रण का अभाव दर्शाता था।

3.1.19 निष्कर्ष

जल संसाधन विभाग मुख्यतः कटाव निरोधक कार्यों को क्रियान्वित कर रहा था तथा राज्य बजट में नये तटबंध निर्माण, तटबंधों के उत्थान/सुदृढ़ीकरण एवं तटबंधों पर सर्वकालिक सड़कों के निर्माण की योजना आवंटन में कटौती के कारण वर्ष 2000–05 की अवधि में तटबंधों के उत्थान तथा सुदृढ़ीकरण, जल निस्सरण कार्य तथा तटबंधों से संबंधित निर्धारित लक्ष्यों की अल्प प्राप्ति की जा सकी। अल्पकालिक उपायों के अंतर्गत तटबंधों के सुदृढ़ीकरण एवं जल निस्सरण कार्यों की, विभागीय एवं दशम् पंचवर्षीय योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों के विरूद्ध, भौतिक प्रगति काफी निम्न थी। जीवन तथा संपत्तियों के क्षति–निरोध में बाढ़ बचाव कार्यों के प्रभाव को महसूस नहीं किया गया क्योंकि बड़ी आबादी बाढ़ से आक्रांत थी तथा वर्ष 2000–05 के दौरान बाढ़ से संपत्तियों की क्षति बढ़ती ही जा रही थी।

अनुशंसाएँ

- वर्ष 2000–05 की अवधि में वर्तमान तटबंधों की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्यों पर अधिक महत्त्व दिये जाने के कारण बाढ़ नियंत्रण के अन्य अंतःसंरचनात्मक उपायों यथा नये तटबंधों के निर्माण, प्लेटफार्मों एवं जल निस्सरण योजनाओं को पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं की गई थी ;

- विभाग को अपने कटाव निरोधक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित करना चाहिए ताकि तटबंधों की सुरक्षा हेतु अत्यंत आवश्यक कार्य छूट नहीं पायें ;

- कार्यों का कार्यान्वयन के कार्यकाल (अक्टूबर से जून) में पूर्ण किया जाना चाहिए ;

- विभाग को अपने मानव बल, मानकों के अनुरूप विवेकपूर्ण ढंग से नियोजित करना चाहिए

मामले विभाग को जुलाई 2005 में संदर्भित किए गये ; उनके उत्तर (अक्टूबर 2005) को यथोचित रूप से शामिल किया गया है।

खाद्य, असैनिक आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग

3.2 उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित अधिनियमों एवं नियमों का क्रियान्वयन

मुख्याकर्षण

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 मुकदमों के निष्पादन हेतु निश्चित वित्तीय अधिसीमा के साथ राष्ट्रीय, राजकीय एवं जिला स्तर पर अलग–अलग त्रिस्तरीय अर्ध–न्यायिक उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र की स्थापना प्रावधानित करता है। सदस्यों के पदों में रिक्तियाँ, पर्याप्त अंतःसंरचना का अभाव, अपर्याप्त निधिकरण तथा कर्मियों की कमी ने राज्य आयोग के साथ–साथ जिला अदालतों के कार्यकलापों को भी बाधित किया। सभी न्यायालयों को कंप्यूटर, फैक्स मशीनें, पुस्तकालय हेतु पुस्तकें नहीं प्रदान किए गये थे। वारंटों के क्रियान्वयन हेतु जिला कर्मियों पर निर्भरता के परिणामस्वरूप निर्बल प्रवर्तन तंत्र ने इच्छित लक्ष्यों के अप्राप्ति में योगदान दिया।

जिला अदालतों को 10 माह से छः वर्षों के विलंब से स्थापित किया गया। अगस्त 2005 तक अरवल में जिला अदालत स्थापित नहीं किया गया था। अतिरिक्त क्षेत्रग पीठों का सृजन नहीं किया गया था।

(कंडिका 3.2.8)

उपभोक्ता न्यायालयों में उपकरणों यथा फैक्स मशीनों, फोटो कॉपी मशीनों, टाईपराईटरों की कमी थी। कर्मियों की कमी तथा पुस्तकालय सुविधाओं का भी अभाव था।

(कंडिका 3.2.9 तथा 3.2.10)

जून 2005 तक, राज्य आयोग में 3036 शिकायती मामले तथा जिला अदालतों में 12563 मामले निष्पादन हेतु लंबित थे। प्रवर्तन तंत्र कमजोर था क्योंकि जि.अ. तथा रा.आ. अपने आदेशों के कियान्वयन हेतु जिला प्राधिकारों पर निर्भर थे।

(कंडिका 3.2.11)

उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम पर्याप्त रूप से कियान्वित नहीं थे। जिला सूचना केन्द्रों को आरंभ नहीं किया गया था तथा कोई भी गै.स.सं. उपभोक्ता के जागरूकता एवं सशक्तिकरण कार्यक्रम में शामिल नहीं था।

(कंडिका 3.2.13)

प्रस्तावना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (अधिनियम) जम्मू काश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे देश में 01 जुलाई 1987 से लागू हुआ तथा इसका लक्ष्य उपभोक्ताओं की शिकायतों (माल के क्रय तथा उपभोगित सेवाओं से संबद्ध) की साधारण, त्वरित एवं मितव्ययी पूर्ति था। यह उपभोक्ताओं का विद्यमान कानूनों के तहत उपलब्ध उपचारों के अलावा अतिरिक्त उपचार प्रदान करता है। अधिनियम राष्ट्रीय, राजकीय एवं जिला स्तरों पर अलग–अलग त्रिस्तरीय अर्ध–न्यायिक उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र की स्थापना प्रावधानित करता है। विद्यमान कानूनों से भिन्न, जो दंडात्मक एवं निरोधात्मक प्रकृति के है, अधिनियम के प्रावधान क्षतिपूरक हैं। शिकायतों के त्वरित निष्पादन के सुगम करने हेतु वर्ष 2002 में अधिनियम संशोधित किए गए।

बिहार में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग उपभोक्ता जागरूकता तथा उपभोक्ताओं और उपभोक्ता संस्थाओं के अधिकारों के बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी था।

3.2.2. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य

इसके उद्देश्य निम्नांकित हैं :

- सभी प्रकार से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना ;
- उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित एवं सस्ते निष्पादन को सुनिश्चित करना ;
- उपभोक्ताओं के जान और माल को नुकसान पहुँचाने वाले सामग्रियों एवं सेवाओं के विरूद्ध उपभोक्ता को संरक्षण सुनिश्चित करना, सामग्रियों एवं सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानकों तथा मूल्य के बारे में जानकारी प्रदान करना ;
- निवारक तंत्र की शक्तियों को बढ़ाना ;
- उपभोक्ताओं में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना ;
- उपभोक्ताओं तथा उपभोक्ता संस्थाओं को उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत दर्ज करने हेतु सशक्त करना तथा
- विशेषकर ग्रामीण इलाकों में स्वयंसेवी उपभोक्ता आंदोलन को बल देना।

3.2.3 संगठनात्मक ढाँचा

अधिनियम का अनुपालन नई दिल्ली स्थापित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (राष्ट्रीय आयोग) द्वारा भारत सरकार के स्तर पर उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन–वितरण मंत्रालय के अधीन उपभोक्ता मामले के विभाग द्वारा किया जाता है।

निदेशक द्वारा सहायतित सचिव, बिहार राज्य खाद्य, असैनिक आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, राज्य में अधिनियम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। राज्य सरकार ने पटना में राज्य आयोग तथा जिला स्तर पर 37 जिला फोरम अदालतों को अधिष्ठापित किया है।

अधिनियम एवं नियमों के अनुपालन के लिए राज्य आयोग, केन्द्रीय आयोग, नई दिल्ली के नियंत्रणाधीन है। राज्य आयोग तथा जिला एक अध्यक्ष तथा दो सदस्यों के अलावा मंत्रालय कर्मियों द्वारा निर्मित होते हैं।

3.2.4 लेखा परीक्षा का विस्तार

वर्ष 2000–05 के दौरान अधिनियम के अनुपालन की समीक्षा, जून 2005 तथा अगस्त 2005 के दौरान, बिहार राज्य खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग के निदेशालय कार्यालय, राज्य आयोग तथा 37 में से नौ[1] जिला उपभोक्ता फोरमों के अभिलेखों के नमूना जाँच द्वारा की गयी।

[1] औरंगाबाद, बांका, मधुबनी, कटिहार, पटना, रोहतास, सहरसा, सारण तथा सीतामढ़ी

मे.ओ.आर.जी. मार्ग को उपभोक्ताओं तथा अन्य साझाधारकों यथा निर्माताओं/सेवादाताओं, गैर–सरकारी संगठनों (गै.स.सं.) तथा उपयुक्त प्रयोगशालाओं की जागरूकता का सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुपालन के प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु अनुबंधित किया गया था। सर्वेक्षण जुलाई तथा सितंबर 2005 के मध्य किया गया था। सर्वेक्षण में लेखा परीक्षा हेतु चयनित नौ नमूना जाँचित जिलों को भी आच्छादित किया गया था। सर्वेक्षण में 2582 उपभोक्ताओं, 234 शिकायतकर्ताओं, 10 निर्माताओं/सेवादाताओं, 2 गै.स.संगठनों तथा एक प्रयोगशाला का साक्षात्कार किया गया था। सर्वेक्षण का कार्यान्वित सारांश समीक्षा के साथ अनुलग्नित है। (**संदर्भ : परिशिष्ट–XXXI**) जून 2005 निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण तथा सचिव, खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति तथा वाणिज्य विभाग के साथ आरंभिक परामर्श किया गया। अक्टूबर 2005 में सचिव खाद्य, असैनिक आपूत्रि तथा वाणिज्य विभाग के साथ समापन परामर्श किया गया। समीक्षा को अंतिम रूप देते समय विभाग के मंतव्यों को भी ध्यान में रखा गया है।

3.2.5 लेखा परीक्षा का उद्देश्य

उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित अधिनियमों के अनुपालन की समीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह जाँच करना था कि :

- जिला फोरमों के गठन में कोई विलंब हुआ था ;
- नीति निर्धारित तथा नियम अधिसूचित थे ;
- उपभोक्ता संरक्षण हेतु अनुसंगी अधिनियमों को संचालित करने वाले प्रवर्तन तंत्र प्रभावी थे ;
- जिला तथा राज्य स्तर पर उपभोक्ता सुरक्षा परिषद (उ.सु.प.) कार्यान्वित थे ;
- उपयुक्त प्रयोगशाला अधिसूचित थी तथा उत्पादों की जाँच में उनका उपयोग किया जा रहा था ;
- राज्य में उपभोक्ता संरक्षण पर्षद, राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि, जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्र तथा उपभोक्ता स्वयंसेवी संस्था के गठन द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे थे।

3.2.6 लेखा परीक्षा मापदंड

लेखा परीक्षा उद्देश्य के संदर्भ में लेखा–परीक्षा निष्कर्ष तक पहुँचने हेतु लेखा–परीक्षा मापदंड निम्न थे :

- उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों के अनुपालन के संदर्भ में राज्य आयोग, जिला फोरमों, उपभोक्ता मामले तथा उपभोक्ता संरक्षण पर्षद के कार्यकलापों की जाँच करना;
- सरकार तथा राज्य आयोग द्वारा जारी किए गए संदर्भित नियमों, मानदंडों तथा आदेशों के संदर्भ में अंतःसरंचना की उपलब्धता, कर्मियों तथा निधिकरण की पर्याप्ता की जाँच ।

लेखा परीक्षा निष्कर्ष

3.2.7 बजट एवं व्यय

राज्य आयोग तथा सभी जिला फोरमों के लिए पिछले पाँच वर्षो (वर्ष 2000–05) के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रदत बजट तथा उनसे किए गए व्यय निम्नवत् थे :–

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत	प्रतिशत
2000-01	3.37	2.51	0.86	26
2001-02	2.64	2.24	0.40	15
2002-03	2.91	2.65	0.26	9
2003-04	2.94	2.75	0.19	6
2004-05	3.86	3.38	0.48	12
योग	**15.72**	**13.53**	**2.19**	**14**

रा.आ. तथा जिला फोरमों द्वारा प्राप्त किए गए मांगों के आधार पर बजट का निर्माण किया गया था। पिछले पाँच वर्षो (वर्ष 2000–05) के दौरान भवन के निर्माण के लिए निधियाँ उपलबध नहीं कराई गयी थी। प्रावधान मुख्यतः वेतन, किराया तथा लघु कार्यालय व्ययों आदि के व्यय से निपटने के लिए किए गए थे।

3.2.8 अधिनियम का क्रियान्वयन

अधिनिर्णय तंत्र का सृजन

सचिव, बिहार राज्य खाद्य, असैनिक आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग अधिनियम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी थे। राज्य सरकार ने पटना में रा.आ. तथा 37 जि.फो. का अधिष्ठापन किया था। हालाँकि सितंबर 1987 में राज्य सरकार ने अधिनियम को अधिसूचित किया था, जिला फोरम दस माह से छः वर्षो के विलंब से गठन किए गए थे। अरवल में जिला फोरम गठित नहीं किया गया था।(अगस्त 2005) जबकि अगस्त 2001 में जिला का सृजन किया गया था।

निदेशक ने बताया (सितंबर 2005) कि जिला फोरमों के गठन हेतु सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के पूर्व विभिन्न विभागों से सहमति आवश्यक है जिसके कारण विलंब होता है।

राज्य आयोग के अतिरिक्त पीठों का गठन नहीं किया गया

अधिनियम रा.आ. के अतिरिक्त पीठों का गठन तथा अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति तथा सर्किट कोर्टो की बैठकें प्रावधानित करता है। सर्किट पीठों का गठन नहीं किया गया था (जुलाई 2005)।

निदेशक मे बताया (सितंबर 2005) कि राज्य आयोग द्वारा अतिरिक्त पीठों के गठन हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया है।

नीति निर्धारण एवं नियमों की अधिसूचना

राज्य सरकार ने अधिनियम के कियान्वयन हेतु बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 को सितम्बर 1987 में अधिसूचित किया था। ये नियम रा.आ. तथा जि.फो. के अध्यक्ष/सदस्यों की सेवा शर्तो को निर्धारित करने वाले विभिन्न प्रावधानों को समाहित

करते थे परंतु कर्मियों के नियंत्रण करने वाले नियमों, उनके नियुक्ति नियमों को नहीं बनाया गया था। बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियम के नियम 7(9) के अनुसार राज्य आयोग द्वारा शिकायतों के संसाधन हेतु समान प्रक्रिया तैयार की गयी थी जिसमें विरोधी दल द्वारा अधिसूचना की प्राप्ति तिथि के 90 दिनों के अंदर ही मामले का निष्पादन कर लिया जाना था। वैसे मामले, जिनमें मामलों की गुणवता विश्लेषण आवश्यक था, का निपटारा 150 दिनों के अंदर कर लिया जाना था।

3.2.9 अंतः संरचना की पर्याप्तता

पटना कार्यालय भवन के किराये पर 30.24 लाख रूपये का व्यय

4.20 करोड़ रूपये (केन्द्र : 3.2 करोड़ रूपये ; राज्यः एक करोड़ रूपये) के अतः संरचना अनुदान क्रमशः 38 भवनों के निर्माण तथा कर्यालय अंतः संरचना की अधिप्राप्ति हेतु प्रदान किए गए थे। भवन निर्माण हेतु निधियाँ भवन निर्माण विभाग (भ.नि.वि.) तथा कार्यालय अंतः संरचना हेतु जिलाधीशों को प्रदान की गयी थी। पटना में रा.आ. तथा जि.फो. के संयुक्त भवन निर्माणाधीन ही थे (सितंबर 2005)। राज्य आयोग तथा जिला फोरम, पटना को एक किराया के भवन में रखा गया था। वर्ष 2000–05 के दौरान राज्य आयोग तथा जि.फो. के संयुक्त कार्यालय का किराया मद में खर्च 30.24 लाख रूपये था जो कि स्वयं के संयुक्त कार्यालय भवन के निर्माण के आंकलित कीमत 34.44 लाख रूपये के लगभग था।

निर्मित भवन अधूरे तथा अवमानक थे।

सचिव, रा.आ., ने सूचित (जुलाई 2005) किया कि निर्मित भवन अधूरे तथा अवमानक भी थे।

राज्य आयोग ने राज्य सरकार से केन्द्र सरकार को निधियों की उपयोगिता प्रमाण–पत्र को भेजने की विनती (जुन 2005) की थी ताकि अगले अनुदान उपलब्ध कराए जा सके जैसे कि राष्ट्रीय आयोग द्वारा कहा गया था। निदेशक ने सूचित (सितंबर 2005) किया कि 3.20 करोड़ रूपये के अनुदान के विरूद्ध 2.90 करोड़ रूपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेजे जा चुके थे (अगस्त 2005)।

कार्यालय उपकरण

अपर्याप्त कार्यालय अंतः संरचना

रा.आ. तथा जि. फोरमों के सुचारू क्रियाशीलता के लिए कार्यालय उपकरणों की उपलब्धता यथा फैक्स मशीन, फोटोकॉपियर, टाईपराईटर इत्यादि आवश्यक है तथा इन्हें समुचित कार्यशील अवस्था में रहना है।

- यह पाया गया कि रा.आ. तथा जि.फो. में उपष्करों जिसमें अलमीरा आदि शामिल थे तथा लेखन सामग्री/सामग्रियों जिसमें जरूरी प्रपत्र, कागज, निर्णय पत्र, कार्बन आदि शामिल थे, का अभाव था।

- कटिहार, सहरसा तथा सीतामढ़ी के जि. फोरमों में फोटो कॉपी मशीन नहीं थे। अतः वे निर्णयों की प्रतिलिपियाँ प्रतिपूरित करने में कठिनाई महसूस कर रहे थे।

- राज्य सरकार ने राज्य आयोग अथवा जि. फोरमों को पुस्तकों, जर्नलों के क्रय हेतु निधियाँ नहीं प्रदान की थी। अतः रा.आ. अथवा जि. फोरमों में पुस्तकालय सुविधा नहीं थी। अधिकतर जि. फोरमों के पास यहाँ तक कि उपभोक्ता विवादों के मामलों से संबंधित मासिक पत्रिका क्रय करने हेतु निधियाँ नहीं थी। इस प्रकार, जिला फोरम रा.आ., राष्ट्रीय आयोग तथा सर्वोच्य न्यायालय के नवीनतम निर्णयों से वाकिफ नहीं थे। रा.आ. भी कोई पत्रिका अथवा पुस्तकों को निधि के

अभाव में क्रय करने में सक्षम नहीं था तथा रा.आ. के पास वही पत्रिका थी, जिन्हें प्रकाशकों द्वारा नमूना स्वरूप भेजा गया था।

3.2.10 कर्मी

अतिरिक्त कर्मी नहीं प्रदान किए गए

वर्ष 2003–04 के दौरान चार जिला फोरमों में अध्यक्षों की कमी थी। निम्न सारणी वर्ष 2000–05 के दौरान जि. फोरमों में सदस्यों की श्रेणी में कमियाँ दर्शाती है :

वर्ष	2000–01	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05
	(संख्या में)				
स्वीकृत पद	76	76	76	76	76
पदस्थापित	46	47	56	57	66
कमी	30	29	20	19	10
कमी की प्रतिशतता	39	38	26	25	14

कर्मियों की कमी ने जि. फोरमों के क्रियाशीलता को बाधित किया।

निदेशक ने बताया कि सितंबर 2005 तक मात्र दो जि. फोरमों में प्रत्येक में एक सदस्य का पद रिक्त था। बगला समिति (अक्टूबर 1999 में गठित) की अनुशंशाओं के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गयी।

निम्न सारणी जिला फोरमों में विभिन्न संवर्गो में स्वीकृत बल तथा कार्यरत पदस्थापितों को दर्शाती है –

जिला फोरम

स्वीकृत पद	अधीक्षक	वै.स.	बेंच क्लर्क	क्लर्क	एलडीसी.	ग्रूप–घ	चौकीदार	कुल
सवीकृत बल	37	74	37	37	37	111	37	370
पदस्थापित	शून्य	24	20	29	24	89	22	208
कमी	37	50	17	8	13	22	15	162

लेखा परीक्षा ने पाया कि सभी जिला फोरमों में कार्यालय अधीक्षक का महत्वपूर्ण पद रिक्त था। जिला फोरमों में उपरोक्त संवर्गो में 370 कर्मियों की आवश्यकता के विरूद्ध लगभग 162 कर्मियों की कमी थी। निबंधक तथा लाईब्रेरियन के पद सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं थे।

सचिव, रा.आ. ने स्वीकार किया (जुलाई 2005) कि वर्ग III तथा वर्ग IV दोनों स्तरों पर मानव बल की अत्यधिक कमी है। यह जिला फोरमों के अपर्याप्त कार्यशीलता के मुख्य कारणों में से एक है।

लगभग सभी जिला फोरमों में ,अध्यक्ष तथा सदस्य स्वयं के हस्त लिखित आदेश निकाल रहे थे क्योंकि आशुलिपिकों, टंकक या टंकण मशीन तथा कंप्यूटर का अभाव था। इन परिस्थितियों में संबंधित पार्टियों को आदेशों की प्रतिलिपि शीघ्र प्रदान करना संभव नहीं था। इसने निश्चित अवधि में अपील दर्ज करने की प्रक्रिया को विलंबित किया तथा अंततः इसके परिणामस्वरूप मामले के निष्पादन में विलम्ब हुआ।

गैर विधिक कर्मी की नियुक्ति/नियोजन/प्रशिक्षण हेतु कोई नियम नहीं बनाए गए थे। वर्ग III तथा वर्ग IV श्रेणी के कर्मी को जिलाधीशों द्वारा जिला फोरमों के अनुरोध पर

पदस्थापित किया गया था, किसी भी समय बिना कारण बताए उन्हें वापस बुला लिया जाता था जिससे जि.फो. मानव बल विहीन हो जाता था।

3.2.11 उपभोक्ता न्यायालय की क्रियाशीलता

अधिनियम उपभोक्ता विवादों का निश्चित समय के अंदर त्वरित एवं मितव्ययी निष्पादन प्रावधानित करता है। उपभोक्ता विवाद सामान्यतया रेलेव, दूरसंचार, बीमा, बिजली तथा घरेलू उत्पादों आदि से संबंधित होते थे। जि. फोरमों तथा राज्य आयोग में वर्ष 2000–05 के दौरान दर्ज मामलों एवं उनके निष्पादन के ब्यौरे निम्नवत् थे :

राज्य आयोग

वर्ष	पूर्व शेष	दर्ज किए गए	कुल	निष्पादित मामले की संख्या	शेष	निष्पादन की प्रतिशतता
2000-01 (जनवरी 2001)	2218	1572	3790	527	3263	14
2001-02 (अप्रैल 2002)	3263	848	4111	276	3835	7
2002-03 (मार्च 2003)	3835	206	4041	292	3749	7
2003-04 (मार्च 2004)	3749	127	3876	1269	2607	33
2004-05 (जून 2005 तक)	2607	2547	5154	2118	3036	41

जिला फोरम

वर्ष	पूर्व शेष	दर्ज किए गए	कुल	निष्पादित मामले की संख्या	शेष	निष्पादन की प्रतिशतता
2000-01 (जनवरी 2001)	13644	3639	17283	3746	13537	22
2001-02 (अप्रैल 2002)	13537	5366	18903	5184	13719	27
2002-03 (मार्च 2003)	13719	3170	16889	2886	14003	17
2003-04 (मार्च 2004)	14003	4388	18391	5481	12910	30
147 मामले झारखंड राज्य को स्थानांतरित किए गए।						

वर्ष 2000–01 तथा 2004–05 के मध्य राज्य आयोग में मामलों में निष्पादन में 14 प्रतिशत से 41 प्रतिशत तथा जिला फोरमों में 22 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक सुधार था।

नमूना जाँचित नौ जिला फोरमों में अप्रैल 2000 को मामलों के आरंभिक शेष 5129 थे तथा वर्ष 2000–05 के दौरान दर्ज किए गए मामलों की संख्या 8083 थी, जिसमें से 90 दिनों के अंदर मात्र 1042 मामले (आठ प्रतिशत) निष्पादित किए गए, 7139 मामलों (50 प्रतिशत) को 90 दिनों के बाद निपटाया गया तथा शेष 5031 मामले (अड़तीस प्रतिशत) लंबित थे। वर्ष 2000–05 के दौरान नौ नमूना जाँचित जिलों में दर्षित एवं निष्पादित मामलों की संख्या (**परिशिष्ट XXXII**) में दी गई है।

ओ.आर.जी.–मार्ग सर्वेक्षण में विभिन्न चरणों में लिए गए समय की विवेचना ने दर्शाया कि औसतन 1.6 दिन एक मामले को दर्ज करने में व्यय किए गए, 19.6 दिन नोटिस जारी करने में लगे तथा प्रथम सुनवाई नोटिस जारी किए जाने के 25.8 दिनों के बाद हुई। 18.1 सुनवाईयों के बाद भी 34 प्रतिशत मामले अनसुलझे रहें। एक मामले के सुलझाने में औसतन 20.1 माह व्यतीत हुए। अनसुलझे मामलें औसतन 26 माह सें लंबित थे।

ओ.आर.जी. मार्ग सर्वेक्षण ने आगे प्रकटित किया कि लगभग 89 प्रतिशत शिकायतकर्ता शहरी क्षेत्रों में रहते थे, 97 प्रतिशत शिक्षित समूह के थे तथा 10718 रूपये की मासिक

घरेलू आय कमाते थे। यह दर्शाता था कि क्षतिपूरक अभिकरणों द्वारा प्रदत सुविधाओं का उपभोग मुख्यतः शहरी क्षेत्रों और उनमें भी समुदाय के मध्यम/उच्च मध्यम वर्ग के निवासियों द्वारा किया जाता था।

लगभग 65 प्रतिशत शिकायत सेवाओं यथा संचार सेवा (31 प्रतिशत), इंश्योरेंस सेवाओं (18 प्रतिशत), बैंकिग सेवाओं (12 प्रतिशत) तथा माल वाहक सेवाओं के विरूद्ध थे।

उ.सं.अ. के तहत कार्यकारी याचिका

उपभोक्ता न्यायायलयों को न्यायालय आदेशों की अवमानना हेतु दंडित करने हेतु प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जिला दंडाधिकारी (जि. दं.) तथा दंडाधिकारी को भूमि राजस्व के बकाए की तरह " सर्टिफिकेट केस " के माध्यम से राशि की वसूली हेतु कदम उठाने चाहिए। लेखा परीक्षा में राज्य आयोग के निर्णयों के प्रवर्तन की प्रभावोत्पादकता की जाँच की गयी। निम्न सारणी निर्णय के कियान्वयन हेतु दर्ज मामलों की संख्या दर्शाती है –

(संख्या में)

अवधि	दर्ज हुए	निष्पादित	लंबित
2002	4	4	-
2003	51	34	17
2004	56	25	31
2005	18	11	7
योग	**129**	**74**	**55**

सचिव रा.आ. ने बताया (जुलाई 2005) कि वारंटों के तामीला हेतु कदम उठाने के लिए जिलाधीशों तथा आरक्षी अधीक्षकों को पत्र लिखे गए थे परंतु इन अधिकारियों से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ था। अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी किए गए गैर जमानती वारंटों की तामीला के लिए राज्य सरकार ने राज्य अथवा जिला स्तर पर कोई टास्क फोर्स गठित नहीं किया था। सचिव, राज्य आयोग ने आगे बताया कि तामिल हेतु कुर्की आदेश जिलाधीश को भेजे गए परंतु आदेश के तामीला के संबंध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था। निदेशक ने बताया (सितंबर 2005) कि रा.आ. तथा जि. फोरमों से मामले के निष्पादन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उनसे शिकायत प्राप्ति के बाद कार्रवाई की जाएगी।

ओ.आर.जी. मार्ग सर्वेक्षण के परिणामों ने दर्शाया कि कुल 75 मामलों में न्यायिक आदेश तो किए गए परंतु क्षतिपुर्ति प्राप्त किया जाना बाकी था। औसतन क्षति पूर्ति 4.2 माह माह से लंबित थी। उन्होंने, जिन्हें क्षतिपूर्ति प्राप्त हुये थे, औसतन 15.1 माह की अवधि में उसे प्राप्त किया था।

गुणवत्ता की जाँच

सामग्रियों, जिनकी गुणवता विवादित थीं, को अधिसूचित प्रयोगशालाओं में राज्य आयोग तथा जिला फोरमों द्वारा जाँच हेतु भेजा गया था। भारतीय मानक ब्यूरो, पटना ब्रांच कार्यालय, पटना नमूनों की गुणवत्ता जाँच करने हेतु सरकार द्वारा अधिसूचित एक मात्र प्रयोगशाला है परंतु वर्ष 2000 तथा वर्ष 2005 के मध्य रा.आ. अथवा जिला फोरमों द्वारा उसे कोई नमूना नहीं भेजा गया।

3.2.12 उपभोक्ता हितों की सुरक्षा से संबंधित अन्य अधिनियम

खाद्य अपमिश्रण निरोधी अधिनियम 1954

खाद्य अपमिश्रण निरोधी अधिनियम 1954 स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है। अधिनियम का मुख्य लक्ष्य उपभोक्ता को खाद्य की गुणवता सुनिश्चित करना, उन्हें जालसाजी से बचाना, खाद्य सामग्रियों के मामले सही व्यापार तरीकों को प्रोत्साहन देना तथा खाद्य उधोग में अच्छे निर्माण एवं स्वच्छ तरीकों को सुनिश्चित करना है। कर्मियों की कमी के कारण खाध सामग्रियों का समुचित निरीक्षण नहीं किया गया था। 86 के स्वीकृत बल के विरूद्ध पदस्थापितों की संख्या मात्र 39 थी।

वर्ष 2000–01 से 2004–05 के दौरान संबंधित जिला असैनिक शल्य चिकित्सक कार्यालय द्वारा जाँच किए खाध नमूने, जिन्हें स्रोतों यथा राज्य खाध निरीक्षक/रेलवे/आपूर्ति विभाग आदि से प्राप्त किए गए थे, के ब्योरे निम्नवत् है :

वर्ष	परीक्षित एवं प्रतिवेदित नमूनों की संख्या	संसूचित अवमानक नमूनों की संख्या
2000	4742	795
2001	4282	645
2002	4189	745
2003	2915	555
2004	2927	437
2005	1185	168
योग	**20240**	**3345**

20240 नमूनों में से 3345 नमूना अवमानक पाए गए थे। अवमानक नमूनों के प्रतिवेदन संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सकों को अभियोजन मामले दर्ज करने हेतु भेज दिए गए थे। हालांकि की गई अतिम कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

उपभोक्ताओं की जागरूकता एवं शक्तिकरण

3.2.13 उपभोक्ता संरक्षण पर्षदों के निष्पादन

राज्य में उपभोक्ताओं के अधिकारों को प्रश्रय एवं सुरक्षा प्रदान करने हेतु उपभोक्ता संरक्षण पर्षद (उ.सं.प.) कियाशील होती है। उ.सं. प. की राज्य स्तर पर स्थापना (2000–01) की गयी थी परंतु पिछले चार वर्षो (मई 2000 से दिसंबर 2003 तक)के दौरान मात्र दो बैठकें ही हुयी थी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2002 में एक प्रावधान बनाया गया जो उपभोक्ता आंदोलन को जड़ से मजबूत करने हेतु जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता निवारण पर्षदों की स्थापना हेतु राज्य को अधिदेशित करता है। हालांकि, वे जिला स्तर पर स्थापित नहीं किए गए। उ.सं.प. की अनुपस्थिति के परिणामतः अधिनियम के प्रति जागरूकता स्तर पर कमी आई।

- ओ.आर.जी. मार्ग के सर्वेक्षण ने उद्घटित किया कि ग्रामीण आबादी की मात्र 10 प्रतिशत ने ही इस अधिनियम के संबंध में सुना था। यह कि क्या सरकार उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा हेतु कोई कदम उठा रही है, के प्रत्युत्तर में मात्र आठ प्रतिशत ने सकरारत्मक उत्तर दिया तथा शेष को, ओ.आर.जी. मार्ग सर्वेक्षण के अनुसार, कोई जानकारी नहीं थी।

- पिछले चार वर्षो में कुल मिलाकर मात्र 44 प्रतिशत ही जागरूक उपभोक्ता अधिनियम के बारे में जान सकी जबकि अधिनियम पिछले 19 वर्षो से विद्यमान था। एकल उपभोक्ताओं में से कुल 66 प्रतिशत ने ही उ.सं.प. को जानने का

महत्व दिया परंतु 91 प्रतिशत उपभोक्ता अधिकारों से वाकिफ नहीं थे तथा 80 प्रतिशत उ.सं.प. से अभी भी वाकिफ नहीं थे।

- अधिकतर शिकायतकर्ता क्षतिपूरक अभिकरणों के बारे में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (24 प्रतिशत) तथा समाचार पत्रों (45 प्रतिशत) एवं अन्य यथा मित्रों/संबंधियों से जाने सके। कुल मिलाकर मात्र चार प्रतिशत ही अपने अधिकारों एवं उ.सं.अ. से वाकिफ थे। लगभग 25 प्रतिशत हालांकि किसी क्षतिपूरक अभिकरण से वाकिफ थे, अपने संबंधित जिलो में जिला फोरम का पता नहीं जानते थे।

राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि

राज्य सरकार द्वारा राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि/स्वयं सेवी संस्थान/संस्था/अभिकरणों को उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम के उदेश्य से कोई निधि नहीं उपलब्ध कराई गयी।

जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्र

राज्य सरकार द्वारा जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्र स्थापित नहीं किया गया था। वर्ष 2000–05 के दौरान राज्य सरकार द्वारा कोई निधि नहीं उपलब्ध कराई गयी।

उपभोक्ता स्वयंसेवी संस्थान के कार्यकलाप

उपभोक्ताओं की जागरूकता एवं समवितरण में स्व.से.सं. की भागीदारी हेतु कोई योजना नहीं बनाई गई थी। राज्य सरकार द्वारा कोई निधियाँ नहीं प्रदान की गयी थी। हालांकि ओ.आर.जी.एम.ए.आर.जी. के सर्वेक्षण ने उद्घाटित किया स्व.से.सं. बहुतायत कार्यकलाप यथा उपभोक्ता शिक्षा तथा उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करवाना आदि, में संलिप्त थे।

समाचार पत्रों से जागरूकता

उपभोक्ताओं की जागरूकता एवं सशक्तिकरण हेतु प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर एवं 15 मार्च को क्रमशः राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस एवं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। एक पृष्ठपत्र "उपभोक्ता प्रहरी" छापी जाती है तथा उसे राष्ट्रीय/विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवार पर वितरण किया जाता है। भारत सरकार ने राज्य को "जागरूक शिविर योजना" कार्यक्रम के तहत कोई निधि विमुक्त नहीं किया है। ओ.आर. जी. मार्ग सर्वेक्षण के परिणामों ने उद्घाटित किया कि उपभोक्ताओं के मध्य जागरूकता का औपचारिक स्रोत इल्केट्रॉनिक तथा समाचार पत्र था जो क्रमशः 66 तथा 35 प्रतिशत पर अवस्थित था।

निदेशक ने बताया (सितंबर 2005) कि उपभोक्ता जागरूकता हेतु निधियाँ बहुत ही कम थी तथा इस उद्देश्य हेतु अधिक निधियां प्रदान किए जाने के लिए प्रयास किए जा रहे है।

3.2.14 अनुश्रवण प्रणाली

अधिनियम के खंड 24 के उप–खंड (2) के अनुसार राज्य आयोग को राज्य के सभी जिला फोरमों पर प्रशासकीय नियंत्रण रखना था। यह पाया गया कि जिला फोरम राज्य आयोग द्वारा अनुश्रवणित एवं पर्यवेक्षित नहीं थे। हालांकि कर्मियों की कमी एवं अपर्याप्त अंतः संरचणात्मक सुविधाओं की अपर्याप्तता के कारण उपभोक्ताओं के अधिकारों को

प्रश्रय एवं सुरक्षा देने हेतु ऐसे कोई अनुश्रवण नहीं किए जा रहे थे। सचिव, राज्य आयोग ने बताया (जुलाई 2005) कि कभी–कभी निरीक्षण कर लिए जाते थे परंतु निधियों के अभाव के कारण जिला फोरमों का आवधिक निरक्षण किया जाना संभव नहीं था। विगत पाँच वर्षो (2002–05) के दौरान जिला फोरमों[2] के मात्र चार निरीक्षण ही किए गए थे।

इस प्रकार, राज्य में अधिनियम के कियान्वयन में अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण प्रणाली का अभाव था।

3.2.15 निष्कर्ष

शिकायतों के त्वरित एवं मितव्ययी निष्पादन के माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का मौलिक लक्ष्य मुख्यतः अप्राप्त रहा जिसका मुख्य कारण जन साधारण में अभिरूचि जागृत कराने तथा अधिनियम के विभिन्न पहलुओं तथाा उपभोक्ता अधिकारों का माध्यमों के फलदायक उपयोग द्वारा क्षतिनिवारण तंत्र को उपयोग करवाने हेतु प्रवृत करने में सरकार की विफलता थी। खाद्य अपमिश्रण निरोधी अधिनियम के अप्रभावी प्रवर्तन ने उपभोक्ताओं के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। मामलों के निष्पादन तथा न्यायादेशिक राशि के वास्तविक भुगतान में अतिरिक्त विलंब था। इसके अलावा, पर्याप्त अतिरेक अंतः संरचनात्मक सुविधाओं एवं पर्याप्त मानव बल प्रदान किए जाने में भी कमियाँ थीं। जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्र राज्य में नहीं खोले गए थे। राज्य में मात्र एक अधिसूचित प्रयोगशाला थी परंतु वर्ष 2000 से 2005 के दौरान रा.आ. अथवा जि.फो. से कोई नमूने नहीं भेजे गये थे। राज्य में अधिनियम का कुल कियान्वयन कर्मियों की कमी तथा अपर्याप्त प्रवर्तन तंत्र के कारण प्रभावित हुई।

सुझाव

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्यालय अंतः सरंचना हेतु पर्याप्त निधियाँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- जहाँ मानकों से अधिक लंबित मामले हैं वहाँ सर्किट बेंच तथा अतिरिक्त फोरम का गठन किया जाना चाहिए।
- जिले में निर्दिष्ट समय सीमा के तहत उपभोक्ता संरक्षण पर्षद गठित किए जाने चाहिए।
- उपभोक्ता अधिकार, अधिनियम के प्रावधानों तथा उपभोक्ता क्षति निवारक तंत्र के प्रति जनता में जागरूकता पैदा करने हेतु सरकार को गंभीरता से कदम उठाने की आवश्यकता है।
- अधिनिर्णय तंत्र द्वारा निर्णीत क्षतिपूर्ति की शिकायतकर्ता द्वारा वास्तविक प्राप्ति को सुनिश्चित करने हेतु उचित प्रणाली को कियान्वित किए जाने की आवश्यकता है।

मामले सरकार को संदर्भित किए गए (सितंबर 2005), प्राप्त उत्तर (सिंतबर 2005) को यथा स्थान समीक्षा में शामिल किया गया है।

[2] नालन्दा, नवादा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी

3.3 बिहार में बाढ़ राहत अभियान

वर्ष 2004 में 20 जिलें[1] बाढ़ से प्रभावित थे तथा इन जिलों में 2.13 करोड़ आबादी प्रभावित हुई थी।

बाढ़ राहत व्यय आपदा राहत कोष (आ. रा. को.) से की जाती है। राज्य आपदा राहत कोष समिति (रा. आ. रा. को. स.) का गठन (मार्च 1997) आ. रा. को. के प्रबंधन हेतु की गई थी। मुख्य सचिव इसके पदेन अध्यक्ष हैं तथा विकास आयुक्त, वित्त आयुक्त तथा साहाय्य आयुक्त समिति के सदस्य हैं। समिति आ. रा. को. से निकासी की गई राशि के लक्षित उद्देश्यों तथा कृषि मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के मानकों के अनुसार व्यय हेतु उत्तरदायी है।

जिला पदाधिकारी (जि. पदा.) बाढ़ राहत अभियान का सर्वेसर्वा प्रभारी सहायतित होता है। वह अपर समाहर्त्ता (साहाय्य) तथा उपसमाहर्त्ता (साहाय्य) द्वारा है। आपदा प्रबंधन विभाग (आ. प्र. वि.) संबंधित जि. पदा. को उनके मांग और प्रभावित क्षेत्र/जनसंख्या के आधार पर निधि आवंटित करता है।

3.3.2 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि :

- निधि का अधिकांश उपयोग विहित मानकों के अनुसार हुआ था ;
- कोई अनियमित/अनाधिकृत व्यय हुआ था ;
- क्रय प्रक्रिया समुचित तथा पारदर्शी थी ;
- कोई निगरानी प्रक्रिया थी तथा निधि के उपयोग हेतु प्रभावी थी।

3.3.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र

2004 के बाढ़ प्रभावित लोगों की जनसंख्या तथा आवंटन के आधार पर 20 जिलों मे से आठ जिलों[2] को नमूना जाँच हेतु चुना गया था। आठ जि. पदा. के अधीन 52 अचल, राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के आठ जिला इकाईयों और सचिवालय स्तर पर आ.प्र.वि. के 2004–05 के बाढ़ राहत अभियान के अभिलेखों की जून 2005 में नमूना जाँच की गई। बाढ़ राहत अभियान के नौ घटकों में से खाद्यान्न आपूर्ति, नकद वितरण, जनसंख्या निष्कासन, नाव मरम्मत, मानव औषधि, पशु औषधि, साहाय्य अनुदान, पीने के पानी की आपूर्ति और चारा आपूर्ति में से दो मुख्य घटक, प्रतिदिन की आवश्यकता के लिए खाद्यान्न आपूर्ति तथा नकद वितरण की नमूना जाँच आठ जिलों में की गई।

1 *अररिया, बेगुसराय, भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, शिवहर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सुपौल, वैशाली और पश्चिमी चम्पारण*

2 *बेगुसराय, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, खगड़िया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और सीतामढ़ी।*

लेखापरीक्षा परिणाम

3.3.4 वित्तीय प्रबंधन

बाढ़ राहत के विभिन्न उपशीर्षों के लिए निधि का आवंटन आ.प्र.वि. द्वारा भारत सरकार (भा. स.) के मानकों के अनुसार संबंधित जि. पदा. को मांग के आधार पर किया गया था। पूर्व आवंटन का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी मांग पत्र के साथ संलग्न करना था।

नमूना जाँचित जिलों में बाढ़ राहत के नौ अवयवों पर 2004–05 के दौरान 132.40 करोड़ रुपये के प्रावधान के विरूद्ध जिला पदाधिकारियों द्वारा 117.68 करोड़ रुपये की निकासी की गई थी तथा 96.81 करोड़ रुपये (73 प्रतिशत) व्यय हुआ था (**संदर्भ परिशिष्ट–XXXIII एवं XXXIV**)। खाद्यान्न आपूर्ति (60.13 करोड़ रुपये) तथा नकद वितरण (4895 करोड़ रुपये) के अधीन प्रावधान (109.08 करोड़ रुपये) नौ इकाइयों के अधीन कुल आवंटन का 82 प्रतिशत था। जि. पदा. ने राशि की निकासी आकस्मिक विपत्र से की थी तथा अंचलों को अग्रिम के तौर पर दिया था। जून 2005 तक सात जिलों में बैंक में पड़ी 10.59[3] करोड़ रुपये की बची राशि लौटायी नहीं गई थी।

संवीक्षा ने प्रकटित किया कि :

117.68 करोड़ रुपये के ए सी विपत्र द्वारा निकासी के विरूद्ध 112.02 करोड़ रुपये का डी सी विपत्र जुलाई 2005 तक जि. पदा. द्वारा महालेखाकार (ले. एवं ह.) को प्रस्तुत नहीं किया गया था यद्यपि ए सी विपत्र की निकासी के दूसरे माह की 25 तारीख तक प्रस्तुत करना वांछित था।

डी सी विपत्र के बिना 81.94 करोड़ रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृत हुआ

जि. पदा. द्वारा 87.60 करोड़ रुपये[4] का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे राज्य आपदा राहत निधि समिति (रा. आ. रा. नि. स.) द्वारा स्वीकृत किया गया जबकि केवल 5.66 करोड़ रुपये का डी सी विपत्र मधुबनी जिले से प्राप्त हुआ था, 81.94 करोड़ रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया गया था जिसे एस रा. आ. रा. नि. स. द्वारा स्वीकृत कर लिया गया था। इस मुद्दे को मुख्य सचिव जो कि रा. आ. रा. नि. स. के अध्यक्ष हैं, के ध्यान में लाया गया था (सितम्बर 2005)। लेखापरीक्षा के पहल पर आ. प्र. वि. ने डी सी विपत्र के प्रस्तुत नहीं किए जाने को संबंधित जिला पदाधिकारियों के समक्ष रखा था।

10.77 करोड़ रुपये के अग्रिम बिना अभिप्रमाणक की प्राप्ति के व्यय के रूप में दिखाये गये

चार जिलों[5] में 10.77 करोड़ रुपये की राशि अभिप्रमाणकों के बिना व्यय के रूप में दिखाई गई थी। 1.69 करोड़ रुपये की अग्रिमें, जो जुलाई 2004 तथा अक्टूबर 2004 के बीच दो जिलों (सीतामढ़ी और बेगुसराय) के पंचायत सेवकों/कर्मचारियों को दी गयी थी, अभिप्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण असमायोजित (जुलाई 2005) थी।

3 *बेगुसराय : 6.02 लाख रुपये ; दरभंगा : 75.73 लाख रुपये ; पूर्वी चम्पारण : 183.64 लाख रुपये ; मधुबनी : 106.70 लाख रुपये ; मुजफ्फरपुर : 77.52 लाख रुपये ; समस्तीपुर : 493. 54 लाख रुपये और सीतामढ़ी : 115.51 लाख रुपये*

4 *बेगुसराय : 0.01 करोड़ रुपये ; दरभंगा : 20.39 करोड़ रुपये ; पूर्वी चम्पारण : 1.93 करोड़ रुपये ; मधुबनी : 15.88 करोड़ रुपये ; मुजफ्फरपुर : 9.30 करोड़ रुपये ; समस्तीपुर : 12.52 करोड़ रुपये और सीतामढ़ी : 17.57 करोड़ रुपये।*

5 *बेगुसराय : 1.11 करोड़ रुपये ; पूर्वी चम्पारण : 7.98 करोड़ रुपये ; मुजफ्फरपुर : 1.60 करोड़ रुपये और समस्तीपुर : 0.08 करोड़ रुपये।*

3.3.5 खाद्यान्न की अधिप्राप्ति और वितरण

आ. प्र. वि. के दिशानिर्देशों (अगस्त 1999) के अनुसार प्रत्येक बाढ़ प्रभावित परिवार (पांच सदस्यों की) को एक क्विंटल खाद्यान्न सहायता के तौर पर समूचे बाढ़ अवधि में चार समान किस्तों में उपलब्ध कराना था। खाद्यान्न स्थानीय प्रतिनिधियों (मुखिया/प्रमुख/विधायक/पार्षद) की उपस्थिति में अंचलाधिकारी द्वारा स्वीकृत लाभान्वितों की सूची के आधार पर वितरित की जानी थी।

वर्ष 2004–05 में खाद्यान्न आपूर्ति के लिए 16.13 करोड़ रुपये[6] के प्रावधान के विरूद्ध 51.45 करोड़ रुपये निकासी की गई थी जिसमें से 45.18 करोड़ रुपये राज्य खाद्य एव असैनिक आपूर्ति निगम (एस एफ सी) को जुलाई 2004 और सितम्बर 2004 के बीच अग्रिम दिया गया था। 6.27 करोड़ रुपये की अवशेष राशि संबंधित डी एम के पास पड़ी हुई थी।

इसके विरूद्ध एसएफसी ने 37.40 करोड़ रुपये के खाद्यान्नों की आपूर्ति की (जुलाई 2004 से अक्टूबर 2004) , 4.83 करोड़ रुपये की राशि संबंधित जि. पदा. को लौटा दिया (मार्च 2005 से मई 2005) तथा 2.95 करोड़ रुपये अपने पास ही रखा था।

36.96 करोड़ रुपये की 757475 क्विंटल खाद्यान्न आपूर्ति को अभिलेख के अभाव में अभिप्रमाणित नहीं किया जा सका

- एस एफ सी इकाइयों और जिला अंचलों के प्रतिवेदनों की जांच में आगे पाया गया कि जिलों द्वारा 0.88 करोड़ रुपये मूल्य के 16714 क्विंटल गेहूँ तथा 1521 क्विंटल चावल : की कम आपूर्ति (**संदर्भ परिशिष्ट–XXXV**) प्रतिवेदित की गई थी। 0.90 करोड़ रुपये मूल्य के खाद्यान्न (गेहूँ : 10,983 क्विंटल और चावल : 6,216 क्विंटल) अंचलों द्वारा प्राप्ति से अधिक वितरित दिखाया गया था (**संदर्भ परिशिष्ट–XXXVI**)। जिलों और अंचलों में प्राप्ति और वितरण के बीच अन्तर को लेखापरीक्षा द्वारा जिलों/अंचल कार्यालयों में भण्डार और वितरण पंजी के असंधारण के कारण मिलान नहीं किया जा सका। इस प्रकार लेखापरीक्षा, नमूना जांचित जिलों में 88200 क्विंटल चावल और 669275 क्विंटल गेहूँ मूल्य 36.96 करोड़ रुपये के वितरण को मिलान करने और अभिप्रमाणित करने की स्थिति में नहीं था।

- नमूना जांचित जिलों में खाद्यान्न वितरण में जिलों द्वारा अधिप्राप्ति और जिलों/अंचलों द्वारा इसके वितरण में प्रपत्र–IX (प्रपत्र–IX राहत सामग्री के उपयोग संबंधी अंचलाधिकारियों/जिला दंडाधिकारियों द्वारा आ. प्र. वि. को प्रस्तुत किए जाने वाला प्रतिवेदन होता है जिसके अन्तर्गत प्रभावित जनसंख्या, पशुधन, क्षेत्र, क्षतिग्रस्त मकानों, जीव हानि (मानव एवं पशु), परिवार जिनको आसरा दिया गया, परिचालित नाव, राहत केन्द्र, खाद्यान्न/तैयार भोजन, नकद, पोलीथीन, वितरित चारा इत्यादि का उल्लेख होता है) में दिखाई गई अनियमितताएँ निम्न प्रकार थी :

1.39 करोड़ रुपये का अंचलों के पास अवितरित खाद्यान्न (गेहूँ : 21,232 क्विंटल और चावल : 6379 क्विंटल) (**संदर्भ परिशिष्ट–XXXVII**) न तो एस एफ सी को लौटाया गया था और न ही कोषागार में इसकी लागत जमा की गई थी (मार्च 2005) जैसा कि वांछित था। 4.85 करोड़ रुपये का खाद्यान्न अंचलों/पंचायतों द्वारा बाढ़ अवधि बीतने के बाद वितरित किया गया जिससे बाढ़ के दौरान प्रभावी वितरण कम हुआ।

[6] *बेगुसराय : 1.55 करोड़ रुपये , दरभंगा : 12.50 करोड़ रुपये ; पूर्वी चम्पारण : 7.85 करोड़ रुपये , खगड़िया : 5.65 करोड़ रुपये ; मधुबनी : 8.80 करोड़ रुपये ; मुजफ्फरपुर : 6.35 करोड़ रुपये , समस्तीपुर : 8.50 करोड़ रुपये और सीतामढ़ी : 8.93 करोड़ रुपये।*

पाँच जिलों[7] के 11 अंचलों में 47.44 लाख रुपये का 9996 क्विंटल गेहूँ और 62 क्विंटल चावल का वितरण संदेहास्पद था क्योंकि लाभान्वितों के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान तथा लोक प्रतिनिधियों द्वारा सत्यापन अनुपलब्ध थे। 91 लाख रुपये मूल्य के 15.15 लाख खाली बोरे न तो संबंधित अंचल को लौटाए गए थे और न ही इसका मूल्य इस संबंध में जारी आ. प्र. वि. के निर्देशों (नवम्बर 2004) के बावजूद जमा किया गया था।

3.3.6 संविदा प्रबंधन

भारत सरकार (भा. स.) ने अक्टूबर 2003 में सभी राज्यों के साहाय्य आयुक्तों को विभिन्न राहत अभियानों के दौरान उपलब्ध कराये जाने वाले चिन्हित मदों हेतु विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के साथ पूर्व संविदा, पूर्व करार करने हेतु निर्देशित किया था। उद्देश्य बाढ़ के समय तदर्थ क्रय को रोकना तथा सेवाओं तथा सामग्रियों का प्रतियोगी बाजार दर पर दरों की मानक सूची निर्धारित करना था। आ. प्र. वि. ने फरवरी 2004 में सभी जि. पदा. को भारत सरकार के निर्देशों के पालन हेतु निर्देशित किया था तथा आ. प्र. वि. को सूचित करते हुए 25 मई तक अग्रिम तैयारी प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश दिया था।

भारत सरकार के दिशा निर्देशों तथा आ. प्र. वि. के निर्देशों की उपेक्षा करते हुए सात जिलों[8] द्वारा जून 2004 में बाढ़ राहत सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रण सूचना (एन आई टी) दी गई थी और सहायता सामग्री के दर संबंधित जि. पदा. द्वारा जुलाई माह में जिला क्रय समिति के माध्यम से निर्धारित किए गए। खगड़िया जिले में 34 लाख रुपये की राहत सामग्रियाँ बिना निविदा आमंत्रित किए एक स्थानीय आपूर्तिकर्ता से क्रय की गई थी।

समस्तीपुर और पूर्वी चम्पारण जिले में 69.19 लाख रुपये मूल्य के 1067 क्विंटल पोलीथीन का अनियमित क्रय (जुलाई 2004) किया गया था क्योंकि क्रय उन आपूर्तिकर्ताओं से किया गया था जिन्होंने निविदा नहीं प्रस्तुत किया था। समस्तीपुर जिले में 58 लाख रुपये मूल्य का 850 क्विंटल पोलीथीन उप मानक का पाया गया। विभाग ने आपूर्तिकर्ताओं/जि. पदा. के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की थी।

3.3.7 सामग्री का संदेहास्पद/अनियमित क्रय

जिला/अंचल प्राधिकारियों द्वारा सादे कागज पर आपूर्तिकर्ता के बिना बी एस टी/सी एस टी संख्या के 71.77 लाख[9] मूल्य की सामग्री[10] क्रय की गई थी। संवीक्षा में आगे पाया गया कि भण्डार और वितरण पंजी में प्राप्त और वितरित सामग्री को दर्ज नहीं किया गया था। इस प्रकार ये संदेहास्पद क्रय थे। इंगित किए जाने पर (अगस्त 2005), सचिव, आ. प्र. वि. ने विमर्श (अगस्त 2005) के दौरान बताया कि संबंधित जि.प. की टिप्पणी, सादे कागज पर क्रय करने और भण्डार पंजी के असंधारण के संबंध में, प्राप्त कर ली जाएगी।

7 *खगड़िया, पूर्वी चम्पारण, बेगुसराय, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर।*

8 *बेगुसराय, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और सीतामढ़ी।*

9 *खगड़िया (33.81 लाख रुपये) ; मुजफ्फरपुर (30.67 लाख रुपये) और समस्तीपुर (7.29 लाख रुपये)*

10 *चूड़ा : 2096 क्विंटल ; चना : 456 क्विंटल ; गुड़ : 251 क्विंटल ; सलाई : 1500 ; मोमबत्ती : 26,019, पोलीथीन चादर : 751 क्विंटल*

आठ जिलों में 5.91 करोड़ रुपये मूल्य का 1022 एम. टी. पोलीथीन का क्रय 50 रुपये प्रति किलोग्राम (मुजफ्फरपुर और मधुबनी) और 88.33 रुपये प्रति किलोग्राम (सीतामढ़ी) के दर के बीच किया गया था। राहत सामग्री के मानक मदों के क्रय की दरों में ऐसे अन्तर से बचने के लिए आ. प्र. वि. को प्रक्रिया निर्धारित करने की आवश्यकता है।

3.3.8 नकद अनुदान का भुगतान

44.59 करोड़ रुपये के नकद अनुदान के भुगतान को अभिलेखों के अभाव में जाँचा नहीं जा सका

आ. रा. नि. के दिशा निर्देश बाढ़ के दौरान तत्काल नकद अनुदान के संवितरण को प्रावधानित करते हैं। बाढ़ अवधि के दौरान प्रत्येक बाढ़ प्रभावित परिवार को 200 रुपये प्रदान करना था जो कि स्थानीय प्रतिनिधियों (मुखिया/प्रमुख/विधायक/पार्षद) की उपस्थिति में अंचलाधिकारी द्वारा पंचायत आधार पर बाढ़ प्रभावित परिवारों की स्वीकृत सूची के आधार पर संवितरित किया जाना था। यह पाया गया कि 48.95 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि के विरूद्ध इस मद पर 44.59 करोड़ रुपये व्यय हुआ था। लेखापरीक्षा को प्रति परिवार 200 रुपये नकद अनुदान के भुगतान का विस्तृत प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा बाढ़ प्रभावित परिवारों के भुगतान की प्रमाणिकता को सिद्ध नहीं कर सकी।

9.84 करोड़ रुपये का नकद अनुदान बाढ़ अवधि के बाद वितरित किया गया

सात जि. पदा.[11] द्वारा बाढ़ अवधि (16 अक्टूबर 2004 से 31 मार्च 2005) के बाद 9.84 करोड़ रुपये वितरित किए गए थे। वितरण में विलंब का कारण अभिलेख में दर्ज नहीं था। सात जिलों[12] के अधीन 14 अंचलों में 36.99 लाख रुपये के नकद वितरण का भुगतान संदेहास्पद था क्योंकि लाभान्वितों का हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशान नदारद था।

3.3.9 वायुयान का दुरूपयोग

बिहार सरकार द्वारा 10 जुलाई 2004 से 09 अगस्त 2004 के बीच बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सूखे खाद्य पैकेट के वायु माध्यम से गिराने तथा प्रभावित लोगों के बचाव हेतु भारतीय वायु सेना से 25 हेलिकॉप्टर भाड़े पर लिया गया था। आ. प्र. वि. द्वारा आठ हेलिकॉप्टरों (286 उड़ान) के भाड़े का 5.78 करोड़ रुपये (उड़ान प्रभार : 2.84 करोड़ रुपये और ठहराव शुल्क : 2.94 करोड़ रुपये) का विपत्र प्राप्त किया गया था जिसका भुगतान नहीं हुआ है (जुलाई 2005)।

वायुयान भाड़े पर व्यय 5.78 करोड़ रुपये में से सिर्फ 10 प्रतिशत राहत सामग्री के गिराने से संबंधित था

- विपत्र की जांच में पाया गया कि 286 उड़ानों में से सिर्फ 55.89 लाख रुपये के 66 उड़ान बाढ़ राहत सामग्री (110.98 एम टी) के गिराने हेतु किया गया था।
- 1.28 करोड़ रुपये के 143 उड़ानों का उपयोग बाढ़ से अप्रभावित लोगों को ढोने हेतु किया गया था।
- 17.54 लाख रुपये लागत की 16 उड़ानें बाढ़ से अप्रभावित स्थानों के लिए भरी गई थीं।

11 *दरभंगा : 191 लाख रुपये ; पूर्वी चम्पारण : 250 लाख रुपये ; खगड़िया : 149.87 लाख रुपये ; मधुबनी : 50 लाख रुपये ; मुजफ्फरपुर : 143.16 लाख रुपये ; समस्तीपुर : 150 लाख रुपये और सीतामढ़ी : 50 लाख रुपये*

12 *खगड़िया, पूर्वी चम्पारण, समस्तीपुर, बेगुसराय, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी*

3.3.10 वायुयानों का ठहराव शुल्क

2.94 करोड़ रूपये के परिहार्य दायित्व का सृजन

एम आई 17 हेलिकॉप्टर का उड़ान दर प्रति घंटे 1.15 लाख रुपये था जबकि ठहराव शुल्क प्रति घंटे 57500 रुपये था। एम आई 8 हेलिकॉप्टर का उड़ान दर प्रति घंटे 75000 रुपये था जबकि ठहराव शुल्क प्रति घंटे 37500 रुपये था। राहत कार्य सम्पन्न करने के बाद पुनः गोरखपुर (नजदीकी वायुसेना आधार) उड़ान भरने तथा पटना पुनः पहुँचने में क्रमशः 2.87 लाख रुपये तथा 1.87 लाख रुपये की लागत आती। इस प्रकार पांच घन्टे से अधिक की ठहराव अवधि अमितव्ययी थी। यह पाया गया कि एम आई–17 हेलिकॉप्टर तथा एम आई–8 हेलिकॉप्टर की ठहराव अवधि क्रमशः 11 से 37 घन्टे तथा 10 से 17 घन्टे थी।

यह भी पाया गया कि 2001–02 में राज्य सरकार ने प्रत्येक बार हेलिकॉप्टर को गोरखपुर लौटा दिया था और सिर्फ तीन घन्टे का ठहराव शुल्क का भुगतान किया था। यद्यपि 2004–05 में 574 घन्टे ठहराव अवधि हेतु 2.94 करोड़ रुपये का दायित्त्व सृजित हुआ।

सचिव, आ. प्र. वि. ने विमर्श (अगस्त 2005) के दौरान कहा कि वायुयानों का दुरूपयोग तथा अनावश्यक ठहराव रोकने हेतु दिशानिर्देश तैयार किए जाएगें।

3.3.11 निगरानी

चूंकि राहत व्यय का निधिकरण सी आर एफ द्वारा किया जा रहा था, जि. पदा. को उचित लेखाकरण सुनिश्चित करना चाहिए था। जिसके अभाव में भारत सरकार द्वारा व्यय अस्वीकृत कर दिए जाते। हालाँकि जि. पदा. अभिलेखों तथा राहत व्यय के उचित संधारण की निगरानी में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप डी सी विपत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

3.3.12 परिणाम

आहरण एवं संवितरण पदाधिकारियों द्वारा 117.68 करोड़ रुपये के ए. सी. विपत्रों में से 112.02 करोड़ रुपये का डी सी विपत्र महालेखाकार कार्यालय को नहीं प्रस्तुत किया गया है। जि. पदा. ने 81.94 करोड़ रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र आ.प्र.वि. को महालेखाकार को प्रमाणक प्रस्तुत किए बिना प्रस्तुत किया था। चार जिलों में राहत कार्य के लिए कर्मचारियों को दिया गया 10.77 करोड़ रुपये का अग्रिम बिना संबंधित अंचलों से समायोजन प्रमाणक प्राप्त हुए व्यय के रूप में दर्ज किया गया था। दो जिलों में राहत कार्य के लिए 1.69 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि का समायोजन बाकी था (जुलाई 2005)। 44.59 करोड़ रुपये का नकद अनुदान बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच वितरित किया गया था किन्तु जि. पदा. समस्त राशि का डी सी विपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहे। 4.85 करोड़ रुपये का खाद्यान्न तथा 9.84 करोड़ रुपये का नकद अनुदान बाढ़ अवधि बीतने के बाद वितरित किया गया था जिससे तत्काल राहत प्रदान करने का लक्ष्य बाधित हुआ। बाढ़ सामग्री और खाद्यान्न हेतु भण्डार और वितरण पंजी का जिला और अंचल स्तर पर संधारण नहीं हुआ था। अतः प्रपत्र–IX में दिखाये गये 36.96 करोड़ रुपये मूल्य के 757475 क्विंटल खाद्यान्न की प्रामाणिकता सिद्ध न हो सकी। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और खगड़िया में 71.77 लाख रुपये के राहत सामग्री का संदेहास्पद व्यय हुआ था क्योंकि बिना बी एस टी/सी एस टी संख्या के क्रय किया गया था तथा भंडार पंजी में सामग्रियों की प्रवृष्टि नहीं की गयी थी।

अनुशंसा

- आ. प्र. वि. के दिशा निर्देशों तथा भारत सरकार के निदेशों के आधार पर अग्रिम बाढ़ राहत तैयारी की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

- बाढ़ के दौरान प्रभावित लोगों को महत्ता के साथ तत्काल बाढ़ राहत दी जानी चाहिए।

- प्रभावित लोगों को समय से बाढ़ राहत के उचित पहुंच को सुनिश्चित करने हेतु निगरानी प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

- अंचल कार्यालय में बाढ़ राहत सामग्री से संबंधित भण्डार और वितरण पंजी का उचित संधारण करना चाहिए।

- नियंत्रण पदाधिकारियों द्वारा स्वीकृत व्यय के संबंध में डी सी विपत्र महालेखाकार को समय से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

मामले को आपदा प्रबंधन विभाग को अगस्त 2005 में संदर्भित किया गया था। विभाग प्रतिवेदन में उठाए गए विन्दुओं पर कार्रवाई प्रारंभ करने की प्रक्रिया में है। सितम्बर 2005 में विभाग द्वारा डी सी विपत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने के मामले को बाढ़ प्रभावित जिलों के जिला पदाधिकारियों के समक्ष उठाया गया है।

3.4 जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा बाढ़ राहत अभियान

बिहार बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित होने वाले राज्यों में से एक है। 2004 में 20 जिलों के 204 तालुकों के लगभग 2.13 करोड़ व्यक्ति बाढ़ से प्रभावित हुए थे। बाढ़ राहत अभियान के तीन मुख्य अवयव हैं : बाढ़ प्रभावित जन को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना, खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति तथा सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार दैनिक आवश्यकता हेतु नकद अनुदान का भुगतान।

3.4.2 लेखापरीक्षा क्षेत्र

मई 2004 से अगस्त 2004 के बीच (बाढ़ अवधि) हुए बाढ़ राहत कार्यों हेतु आपदा प्रबंधन विभाग (आ. प्र. वि.) द्वारा जि. पदा., पटना को आवंटित निधि के व्यय की लेखापरीक्षा जिला पदाधिकारी, पटना के कार्यालय, आ. प्र. वि. और बिहार राज्य लघु उद्योग निगम (बी एस एस आई सी) के अभिलेखों की नमूना जांच द्वारा अप्रील–मई 2005 में संचालित किया गया। जिला पदाधिकारी, पटना के अभिलेख निगरानी विभाग द्वारा जब्त कर लिए गए थे और लेखापरीक्षा उनके द्वारा जब्त किए गए अभिलेखों के आधार पर किया गया।

26 अप्रील 2005 को सरकार द्वारा मामला निगरानी विभाग को जांच हेतु प्रतिवेदित किया गया था। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को निगरानी विभाग द्वारा दर्ज कराये गए प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ आई आर) के साथ संलग्न किया गया है। निगरानी विभाग द्वारा दर्ज कराये गये एफ आई आर के अनुसार मुख्य आरोप यह था कि जिस संस्था को जि. पदा., पटना द्वारा राहत सामग्री की आपूर्ति हेतु 17.80 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था, वह संस्था झूठा था। निगरानी विभाग ने कहा था कि वितरित राहत सामग्रियों की मात्रा स्थापित नहीं की जा सकती क्योंकि जिलों में राहत सामग्री के वजन करने की व्यवस्था नहीं थी। लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह जांच करना था कि क्या जि. पदा., पटना द्वारा किए गए लेनदेनों में कोई अनियमितता थी और आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया कितनी प्रभावी थी।

3.4.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

लेखापरीक्षा का लक्ष्य यह पता करना था कि :

- जि. पदा., पटना और आ. प्र. वि. द्वारा बाढ़ राहत हेतु कोई अग्रिम तैयारी कार्य किया गया था ;
- बजट प्रावधान और उसका जिलाधिकारी पटना को आवंटन वास्तविक आंकड़ों पर आधारित था और मूल्यांकन की आवश्यकता थी ;
- जि. पदा., पटना द्वारा निधि का अधिकांश उपयोग विहित मानकों के अनुसार हुआ था ;
- आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया प्रभावी थी।

3.4.4 बाढ़ राहत कार्य हेतु बजट प्रावधान

पटना बाढ़ प्रभावित जिला नहीं था

अभिलेखों (मई 2004–अगस्त 2004) की लेखापरीक्षा जांच से प्रकट हुआ कि यद्यपि पटना बाढ़ प्रभावित जिला नहीं था, आ. प्र. वि. द्वारा आपदा राहत कोष से लोगों को हटाने (3.16 करोड़ रुपये), खाद्यान्न आपूर्ति (5.05 करोड़ रुपये) और नकद अनुदान के वितरण (5.33 करोड़ रुपये) हेतु कुल 13.54 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। सरकार द्वारा जि. पदा. पटना को नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए जाने के दिखाने हेतु अभिलेख में और उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में वितरण हेतु राहत सामग्री की अधिप्राप्ति हेतु पटना जिला को आवंटित राशि को खर्च करने के प्राधिकार संबंधी कोई सूचना नहीं थी।

जि. पदा. पटना के नोडल पदाधिकारी की स्थिति के संबंध में स्पष्टता की कमी

सचिव, आ. प्र. वि. ने संचिका में दर्ज किया (अगस्त 2004) कि मुख्य सचिव ने जि. पदा., पटना को नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु निदेशित किया था। किन्तु अक्टूबर 2004 में सचिव, आ. प्र. वि. ने जि. पदा. पटना को उस पत्र की प्रति जिसके द्वारा उन्हें नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया गया था, सौंपने हेतु निदेशित किया। जबकि आ. प्र. वि. यह पक्ष ले रहा था कि जि. पदा., पटना को निधि का आवंटन मुख्य सचिव द्वारा लिखे गए एक टिप्पणी के आधार पर किया गया था (19 जुलाई 2004), वास्तव में तथाकथित टिप्पणी की प्राप्ति के पहले ही जि. पदा., पटना को 7.89 करोड़ रुपये बिना उन्हें नोडल पदाधिकारी निर्दिष्ट किए आवंटित किया गया था। आगे मुख्य सचिव द्वारा लिखे टिप्पणी के बाद कोई सरकारी विज्ञप्ति नहीं निकली थी। इस प्रकार विभाग में जि. पदा. पटना को नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए जाने के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं थी। सचिव आ. प्र. वि. द्वारा हेलिकॉप्टरों के उड़ान जो राहत कार्य हेतु उपयोग किए गए थे को प्रमाणित करने हेतु जि. पदा. पटना को प्राधिकृत किया गया था। इस प्रकार आ. प्र. वि. द्वारा बिना किसी आधार के 13.54 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे और आ. प्र. वि. द्वारा जिलों से अनुमानित व्यय की मांग की कोई प्रक्रिया नहीं थी यद्यपि राहत कार्य की माप परिभाषित थी और पूर्व बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या की जानकारी थी।

तदर्थ क्रय को रोकने हेतु भारत सरकार का निर्देश

गृह मंत्रालय, भारत सरकार (भा. स.) ने अक्टूबर 2003 में सभी राज्यों के राहत आयुक्तों को विभिन्न राहत अभियानों/कार्यों के दौरान प्रावधान की जाने वाली चिह्नित मदों हेतु विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के साथ पूर्व संविदा या पूर्व करार हेतु निदेशित किया था। इसका उद्देश्य बाढ़ के समय तदर्थ क्रय रोकना तथा वस्तुओं और सेवाओं के लिए दरों की मानक सूची प्रतियोगी बाजार दर पर प्राप्त करनी थी। सचिव आ. प्र. वि. ने भा. स. के निर्देशों के पालन हेतु सभी जिला पदाधिकारियों को फरवरी 2004 में निदेशित किया था।

3.4.5 कार्य सौंपना

भा. स. के दिशानिर्देशों की अवहेलना करते हुए जि. पदा. पटना द्वारा 19 जून 2004 को दो हिन्दी समाचार पत्रों में पटना जिला के लिए बाढ़ राहत सामग्री[1] की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रण सूचना (एन आई टी) प्रकाशित की गई थी। निविदा प्राप्ति की तिथि 28 जून 2004 निश्चित की गई थी। इस एन आई टी के विरूद्ध चार आपूर्तिकर्ताओं[2] ने निविदा प्रस्तुत किए। निविदा 28 जून 2004 को जिला क्रय समिति द्वारा जिसमें 16

1 *आटा, सत्तू, गुड़, नमक, दियासलाई, मोमबत्ती, कपड़े का झोला, प्लास्टिक झोला, जूट का थैला, पोलीथीन, चादर, धोती, साड़ी।*

2 *कल्याणी,, प्रकाश इन्टरप्राइजेज, के. पी. ट्रेडर्स और बिहार राज्य लघु उद्योग निगम (बी एस एस आई सी) लिमिटेड, पटना*

सदस्यों में से केवल नौ उपस्थित थे, खोले गए। जि. पदा. पटना जो क्रय समिति के प्रमुख थे, निविदा खोलने के समय उपस्थित नहीं थे।

बी एस एस आई सी के साथ औपचारिक करार के बिना ठीका सौपना

कार्य बी एस एस आई सी पटना को उनके उल्लिखित दर पर (जुलाई 2004) इस आधार पर सौंपा गया कि वह एक सरकारी उपक्रम था जो कि अन्य निविदाओं की तुलना में ऊँची थी। बाढ़ राहत सामग्री की आपूर्ति हेतु प्रबंध निदेशक (एम डी) बी एस एस आई सी, पटना को आपूर्ति आदेश (जुलाई 2004) निर्गत किए गए। यद्यपि जि. पदा. पटना द्वारा बी एस एस आई सी से औपचारिक तौर पर कोई करार संपन्न नहीं हुआ था। आपूर्ति आदेश में सामग्री की दर, मात्रा और गुणवत्ता का कोई उल्लेख नही था। यद्यपि बी एस एस आई सी ने इस आदेश के विरूद्ध कोई आपूर्ति नहीं की तथा बाद में शासकीय तौर पर इन्कार किया (अप्रील 2005) कि उसका जि. पदा., पटना के साथ कोई करार हुआ था।

वास्तव में बिहार राज्य लघु उद्योग निगम (बी एस एस आई सी) प्रत्यक्ष तौर पर नहीं बल्कि विपणन सहायता योजना (एस ए एस) के तहत निगम के साथ निबंधित संस्थाओं के द्वारा सामग्री आपूर्ति करता है। बी एस एस आई सी द्वारा उल्लिखित दर संतोष प्रिंटिंग प्रेस द्वारा प्रस्तुत दर पर आधारित थे। बी एस एस आई सी का संतोष प्रिंटिंग प्रेस जिसका कार्य जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार छपाई है के उद्धरण पर भरोसा करना प्रश्नवाचक है।

लेखापरीक्षा जांच में प्रकट हुआ कि बी. के. सिंह जो न तो बी एस एस आई सी पटना के कर्मचारी थे और न ही बी एस एस आई सी से कोई प्राधिकार पत्र लाये थे, 28 जून 2004 को हुए क्रय समिति की बैठक में उपस्थित थे और जिला क्रय समिति की बैठक की उपस्थिति पंजी में बी एस एस आई सी, पटना की तरफ से हस्ताक्षर किए थे।

लेखापरीक्षा में निविदा कागजातों में हेरफेर प्रकट हुआ क्योंकि जिला पदाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध निविदा कागजातों के दूसरे पृष्ठ पर बी. के. सिंह और संजीव कुमार को बी एस एस आई सी की तरफ से भुगतान प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। बी एस एस आई सी की कार्यालय प्रति में ऐसा कोई प्राधिकरण नहीं था।

कम्पनी का टेलीफोन संख्या, नाम एवं पता और साथ ही कार्यालय प्रति के दूसरे पृष्ठ का मोनोग्राम जि. पदा. कार्यालय में उपलब्ध प्रति से मेल नहीं खाता था। यदि क्रय समिति के सदस्य निविदा कागजात के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए होते तो यह पता किया जा सकता था कि किस स्तर पर द्वितीय पृष्ठ बदला गया था।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि जि. पदा. पटना और बी एस एस आई के बदले में श्री बी. के. सिंह के बीच दो पृष्ठों के टंकित अभिलेखों का करार हस्ताक्षरित हुआ था किन्तु जि. पदा. का हस्ताक्षर टंकित अभिलेख पर अंकित नहीं हुआ था।

3.4.6 राहत सामग्री की आपूर्ति हेतु भुगतान

बी एस एस आई को अप्राधिकृत भुगतान

जि. पदा., पटना द्वारा 10 लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक के 22 चेकों द्वारा 09 जुलाई 2004 से 08 अगस्त 2004 के बीच 17.80 करोड़ रुपये की राशि बी एस एस आई (बी एस एस आई सी नहीं) को अग्रिम दी गई थी यद्यपि बी एस एस आई के साथ कोई औपचारिक करार नहीं हुआ था। बी एस एस आई को भुगतान बी एस एस आई सी (बी एस एस आई नहीं) के पत्र शीर्ष पर बी एस एस आई के बदले में श्री बी. के. सिंह द्वारा किए गए मांग पत्र के आधार पर किया गया था। मांग पत्र में उनके द्वारा आपूर्ति किए गए राहत सामग्री की मात्रा और दर का उल्लेख नहीं था। चेक श्री

बी. के. सिंह को प्राप्त सामग्री की मात्रा और गुणवत्ता की जांच किए बिना और इस तथ्य की जांच किए बिना कि वह बी एस एस आई सी द्वारा निगम के बदले में भुगतान प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत किए गए थे, हस्तगत कर दिए गए। सारी राशि आई डी बी आई बैंक में बाबा सत्य साई इन्टरप्राइजेज (बी एस एस आई) के खाते में जमा कर दी गई थी। बी एस एस आई सी ने बाद में लेखापरीक्षा को पुष्टि किया कि बी. एस. एस. आई., निगम में आपूर्तिकर्ता के रूप में निबंधित नहीं था।

बी एस एस आई सी को बिना औपचारिक करार के भुगतान

यह भी पाया गया कि यद्यपि बी एस एस आई सी का राहत सामग्री की आपूर्ति हेतु जि. पदा. पटना के साथ कोई करार नहीं था, उसने जि. पदा. कार्यालय द्वारा 15 अक्टूबर 2004 को जारी चेकों के माध्यम से 13.52 लाख रुपये के भुगतान को स्वीकार किया था। लेखापरीक्षा पृच्छा के उत्तर में बी एस एस आई सी इन चेकों को स्वीकार करने का कोई मान्य कारण नहीं बता सका।

61.70 लाख रुपये[3] की अनाधिकृत अग्रिम राशि उन उद्येश्यों हेतु प्रदान की गयी जो प्रत्यक्ष रूप से राहत कार्यों से संबंधित नहीं थी (जुलाई – अगस्त 2004)। राहत कार्यों में संलग्न वायु सेना पाइलटों और कर्मचारियों के ठहरने और जलपान के लिए तीन होटलों और दो रेस्तरों को 51.30 लाख रुपये अग्रिम दिए गए थे (जुलाई – अगस्त 2004)। मौर्या होटल के 15.41 लाख रुपये के दो विपत्रों के अतिरिक्त शेष राशि के विरूद्ध कोई विपत्र प्राप्त नहीं हुआ था (मई 2005)। जांच में आगे प्रकट हुआ कि 13 जुलाई 2004 से 06 अगस्त 2004 के बीच मौर्या होटल में 75 व्यक्ति ठहरे थे किन्तु विपत्र से यह स्पष्ट नहीं हुआ कि वे वायुसेना पाइलट थे। अतः भुगतान की सत्यता को लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सका।

सूखे खाद्य सामग्री की अधिप्राप्ति पर निधि का अत्यधिक विचलन

13.54 करोड़ रुपये आवंटन (जुलाई 2004 से अगस्त 2004) के विरूद्ध जि. पदा. पटना ने जनसंख्या विस्थापन (3.15 करोड़ रुपये), खाद्यान्न आपूर्ति (4.90 करोड़ रुपये) और नकद अनुदान (5.29 करोड़ रुपये) के लिए दस ए सी विपत्रों के माध्यम से 13.34 करोड़ रुपये की निकासी की (जुलाई 2004 से अगस्त 2004) और शेष 0.20 करोड़ रुपये की राशि व्ययपगत हो गई। आगे जिला पदा. पटना को अन्य शीर्षों जैसे निर्वाचन (0.10 करोड़ रुपये), कल्याण (2.00 करोड़ रुपये) और भू–अर्जन शीर्ष (3.00 करोड़ रुपये) में उपलब्ध निधि से बाढ़ राहत कार्य हेतु अप्राधिकृत तौर पर 5.10 करोड़ रुपये की राशि जिला पदा. पटना द्वारा विचलित की गई थी। इस प्रकार खाद्यान्न आपूर्ति, जनसंख्या विस्थापन एवं अन्य शीर्षों के लिए चिह्नित निधि का विचलन जि. पदा., पटना द्वारा सिर्फ सूखे खाद्य सामग्रियों (चूड़ा, सत्तू, गुड़ इत्यादि) की अधिप्राप्ति पर किया गया।

बिहार कोषागार संहिता के नियम 322 के अनुसार डी सी विपत्र महालेखाकार को दूसरे माह की 25 तारीख तक प्रस्तुत कर देना चाहिए। यद्यपि यह पाया गया कि डी सी विपत्र मार्च 2005 तक प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इस प्रकार आ. प्र. वि. से प्राप्त 13.34 करोड़ रुपये के विरूद्ध विस्तृत आकस्मिक विपत्र का प्रस्तुत नहीं किया जाना तथा बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अन्य शीर्षों से 5.10 करोड़ रुपये का विचलन कमजोर वित्तीय नियंत्रण को प्रदर्शित करता है। आ. प्र. वि. को जि. पदा., पटना द्वारा राहत कार्य हेतु प्रपत्र–IX[4] भी कभी प्रस्तुत नहीं किया गया।

[3] *होटल/रेस्तरां : 51.30 लाख रुपये ; पेट्रोल/ईंधन : 7.50 लाख रुपये ; कार्यालय आकस्मिकता : 1.50 लाख रुपये ; वर्दी : 0.40 लाख रुपये और नाव मरम्मति : 1.00 लाख रुपये*

[4] *प्रपत्र–IX जिला पदाधिकारी द्वारा राहत सामग्री के उपयोग संबंधी आ. प्र. वि. को प्रस्तुत किया जाने वाला साप्ताहिक प्रतिवेदन है।*

संविदा सौंपे जाने में आगे निम्न कमियां पायी गई :

एन आई टी में अधिप्राप्ति के मदों की मात्रा और स्तर का विशिष्टिकरण नहीं था।

- एन आई टी में आपूरित किए जाने वाली मदों की मात्रा और गुणवत्ता/स्तर का विशिष्टिकरण नहीं था। इस परिस्थिति में यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किस आधार पर दर उदधृत किया गया था। यद्यपि समाचार पत्र में एन आई टी प्रकाशित किया गया था, इस स्पष्ट कमी को आ. प्र. वि. द्वारा प्रकाश में नहीं लाया गया था। आ. प्र. वि. ने उत्तर दिया था (जुलाई 2005) कि जिलों द्वारा एन. आई टी. विभाग को भेटिंग के लिए नहीं भेजा गया था। लेखापरीक्षा अवलोकन के आलोक में आ. प्र. वि. द्वारा गुणवत्ता/स्तर/विशिष्टताओं के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं (जून 2005)।

निविदाकर्ताओं की वित्तीय स्थिति नहीं आंकी गई

- एन आई टी में आपूर्तिकर्ताओं से विक्रय विवरण, वित्तीय स्थिति और राहत सामग्री के हस्तगत करने/आपूरित करने के अनुभव के संबंध में विशिष्टीकरण नहीं था।

- चूंकि विभिन्न मदों की अधिप्राप्ति हेतु मात्रा और दर नहीं निर्धारित किए गए थे, किसी भी स्तर पर क्रय के वित्तीय प्रभाव को नहीं आंका गया।

- तुलनात्मक विवरणी (सी एस) की जांच में प्रकट हुआ कि बी एस एस आई सी द्वारा सत्तू एवं दियासलाई का निविदा में उद्धृत 45.90 रुपये प्रति किलो एवं 45 रुपये प्रति पैकेट की सी एस में 43.50 रुपये प्रति किलो तथा 45.40 रुपये प्रति पैकेट क्रमशः दर्ज किया गया था। इसी प्रकार के. पी. ट्रेडर्स द्वारा निविदा में दर्ज सत्तू के प्रति क्विंटल 3100 रुपये की दर को सी एस में 1900 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया था। बी एस एस आई सी द्वारा उद्धृत दर को संबंधित पदाधिकारियों द्वारा 28 जून 2004 से 8 जुलाई 2004 के बीच स्वीकृति दी गई थी एवं हस्ताक्षर की गई थी। यद्यपि उस व्यक्ति का हस्ताक्षर जिसने सी एस को तैयार किया था एवं जांच की थी, उपलब्ध नहीं था।

3.4.7 भण्डार पंजी का संधारण

भंडार पंजी का असंधारण

राहत सामग्रियों की प्राप्ति और वितरण की प्रविष्टि को भण्डार पंजी में अभिलेखित नहीं किया गया था क्योंकि भंडार पंजी का संधारण नहीं हुआ था। जि. पदा. के कार्यालय में एक सामग्री प्रेषण पंजी उपलब्ध थी जिसमें केवल बाढ़ प्रभावित जिलों को सामग्री के वितरण/स्थानान्तरण को दिखाया गया था। यद्यपि इस पंजी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांचा या हस्ताक्षरित नहीं किया गया था। इस प्रकार प्राप्त सामग्री के बीजक/चालान, बाढ़ प्रभावित जिलों को प्रेषित सामग्री के गेट पास के अभाव में लेखापरीक्षा भंडार लेखे की जांच नहीं कर पायी।

संक्षेप में आपूरित किए जाने वाले मदों की मात्रा और गुणवत्ता/स्तर, विक्रय टर्नओभर, आपूर्तिकर्ताओं का वित्तीय स्थिति और राहत सामग्री के हस्तगत करने/आपूरित करने के अनुभव का एन आई टी में विशिष्टीकरण नहीं था। बी एस एस आई सी के साथ औपचारिक करार के बिना संविदा हुआ था और बी एस एस आई को अप्राधिकृत भुगतान हुआ था जबकि संस्था के साथ कोई करार नहीं था। जि. पदा., पटना ने राहत सामग्रियों की आपूर्ति हेतु कोई पूर्व करार नहीं किया था। अतः सरकार ने तुलनात्मक दर का फायदा खो दिया। ये सारी कमियां कमजोर करार प्रबंधन को दर्शाती है।

3.4.8 निष्कर्ष

जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा की गई राहत कार्यों की लेखापरीक्षा में जिला एवं साथ ही सचिवालय सतर पर आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया की विफलता दृष्टिगोचर हुई। 13.54 करोड़ रुपये आ. प्र. वि. द्वारा बिना किसी आवश्यकता निर्धारण के प्रावधानित किया गया क्योंकि पटना बाढ़ प्रभावित जिला नहीं था और जि. पदा., पटना का नोडल पदाधिकारी के रूप में विज्ञप्ति नहीं हुई थी। जि. पदा., पटना 13.34 करोड़ रुपये के विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहा और बिना सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति के 5.10 करोड़ रुपये का विचलन किया। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार वांछित विभिन्न राहत कार्यों के दौरान प्रावधान की जाने वाली चिह्नित मदों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के साथ जि. पदा. पटना ने पूर्व संविदा अथवा पूर्व करार नहीं किया था। संविदा बिहार राज्य लघु उद्योग निगम को बिना औपचारिक करार के दिया गया था। जि. पदा. पटना ने अप्राधिकृत तौर पर बाबा सत्य साई इन्टरप्राइजेज को प्राप्त सामग्री की मात्रा और गुणवता की जाँच किए बिना 17.80 करोड़ करोड़ रूपये का भुगतान किया था।

अनुशंसा

बाढ़ राहत कार्य को प्रभावी बनाने हेतु निम्नांकित उपाय सुझाये जाते हैं :

- आ. प्र. वि. को आवश्यकता के मूल्यांकन निर्धारण के आधार पर निधि विमुक्त करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिलों ने भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार वांछित अग्रिम प्रक्रिया अपनायी है।

- निविदा प्रक्रिया की उचित जांच वांछित है तथा करार हस्ताक्षरित करने के पूर्व आपूर्तिकर्ताओं की वित्तीय स्थिति की जांच करने की आवश्यकता है।

- अधिप्राप्त की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता और स्तर की आ. प्र. वि. द्वारा मानकीकरण की आवश्यकता है।

- अग्रिम बिल्कुल संहित प्रावधानों के अनुसार तथा केवल पूर्व अग्रिमों के समायोजन के पश्चात दिया जाना चाहिये।

- भण्डार पंजी का संधारण उचित ढंग से किया जाना चाहिए।

आ. प्र. वि. ने उत्तर दिया है (जुलाई 2005) कि अनुशंसाओं को यथाशीध्र कार्यान्वित किया जाएगा। उसने अनुशंसाओं की एक प्रति भी सभी जिला पदाधिकारियों को उत्तरवर्ती कार्रवाई हेतु परिचालित कर दी है।

3.5 जिला पर्षदों द्वारा कार्यों का क्रियान्वयन

प्रस्तावना

संविधान के 73 वें संशोधन के उपरान्त जून 2001 में राज्य में त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (पं.रा.सं.) की स्थापना की गयी। पं.रा.सं. को कार्यभार एवं शक्तियों से सम्पन्न करने हेतु बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 पारित किया गया जिससे कि वे स्थानीय स्वशासी सरकार के जीवंत संस्थाओं के रूप में कार्य संपादित कर सकें। राज्य में 38 जिला पर्षद (जि.प.) थे।

जिला पर्षद में वित्तीय प्रबंधन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अनुश्रवणित है। जिला पर्षद जि.वि.पदा.–सह–मु.का.पदा. के पूर्ण नियंत्रण में है जो कि कार्यो के क्रियान्वयन हेतु जिला पर्षद के जिला अभियंता, पंचायत समिति के प्रखंड विकास पदाधिकारी (प्र.वि.प.) तथा ग्रम पंचायत के मुखिया द्वारा सहायतित होते हैं। आयुक्त, जिलाधीश तथा जि.वि.पदा. द्वारा सं.ग्रा.रो.यो. कार्यो के क्रियान्वयन का भौतिक निरीक्षण किया जाना है।

सात[1] जिला पर्षदों के अभिलेखों का, जिनमें वर्ष 2001–05 से संबद्ध 9879 कार्य शामिल थे, मई 2005 तथा जुलाई 2005 के मध्य लेखा परीक्षा के दौरान नमूना जाँच किया गया। अनुवर्ती कंडिकाओं में नमूना जाँच के परिणामों को शामिल किया गया है।

3.5.2 निधियों की प्राप्ति एवं उपयोग

वर्ष 2001–05 के दौरान सात नमूना जाँचित जिला पर्षदों में प्राप्तियों एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् थी : (**संदर्भ : परिशिष्ट–XXXVIII**)

क्रम सं0	जिला पर्षद	प्राप्त राशि	व्यय	शेष
		(करोड़ रूपये में)		
1.	मुजफ्फरपुर	64.31	60.85	3.46
2.	पूर्वी चंपारण	48.39	43.32	5.07
3.	पटना	43.84	39.25	4.59
4.	वैशाली	56.95	52.01	4.94
5.	समस्तीपुर	58.18	48.06	10.12
6.	बेगूसराय	28.71	24.89	3.82
7.	गया	42.06	38.38	3.68
	कुल	**342.44**	**306.76**	**35.68**

दशम् वित्त आयोग (द.वि.आ.) का अनुदान 26.74 करोड़ रूपये (केन्द्रांश मात्र) वर्ष 2002–03 में प्राप्त किया गया तथा 132.54 करोड़ रूपया का एकादाश वित्त आयोग (ए.वि.आ.) अनुदान वर्ष 2001–02 तथा वर्ष 2004–05 के मध्य प्राप्त किया गया था।

[1] *बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, गया मुजफ्फरपुर, पटना, समस्तीपुर एवं वैशाली*

मापदंडों के अनुसार द.वि.आ. के अंश के विरूद्ध पं.रा.सं. अथवा बिहार सरकार को शत प्रतिशत समान अंश का वहन करना था परंतु यह देखा गया कि वर्ष 2001–05 के दौरान न तो राज्य सरकार ने और न ही पं.रा. संस्थानों ने 26.74 करोड़ रूपये के केन्द्रांश के विरूद्ध कोई राशि विमुक्त किया था। पं.रा. संस्थानों अथवा राज्य सरकार द्वारा समान अंश के अविमुक्ति के कारण कार्य अपूर्ण थे।

द.वि.आ. के केन्द्रांश के विरूद्ध राज्य सरकार तथा पं.रा.सं. के अंश की अविमुक्ति

दशम् तथा एकादश वित्त आयोग के तहत 147.67 करोड़ रूपये (पं.सं. तथा ग्रा.प. द्वारा 146.59 करोड़ रूपये तथा जि.प. द्वारा 1.08 करोड़ रूपये) के उपयोग के विरूद्ध पं.स. / ग्राम पंचायतों से व्यय के ब्यौरे प्राप्त किए बगैर जिला पर्षदों द्वारा अक्टूबर 2002 से दिसंबर 2004 के मध्य राज्य सरकार को 88.59 करोड़ रूपये के उपयोगिता प्रमाण–पत्र सौंपे गए।

जिला पर्षदों द्वारा अपूर्ण उपयोगिता प्रमाण–पत्र समर्पित किए गए।

शेष 59.08 करोड रूपये की राशि पं.स. ग्रा. पंचायतों तथा जि. पर्षदों द्वारा कार्य पर व्यय दर्शायी गयी परंतु वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन लेखा परीक्षा को नहीं दिखाए गए। परिणामस्वरूप, लेखा परीक्षा जि. परिषदो, पं.स. तथा ग्रा. पंचायतों द्वारा उपयोग किए गए 147.67 करोड़ रूपये का सत्यापन नहीं कर सकी। इस प्रकार, जि.वि. आ. सह–मु.का.पदा ने ग्रा. पंचायतों तथा पं. समितियों से व्यय ब्यौरे प्राप्त किए बगैर गलत उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी किया।

3.5.3 अभिलेखों का असंधारण

बिहार पंचायत समिति तथा जिला पर्षद, (बजट एवं लेखा) नियम 1964, जो जिला पर्षदों द्वारा विभिन्न लेखाओं का संधारण प्रावधानित करता था, को वर्ष 1993 में समाप्त कर दिया गया था तथा जिला पर्षदों के बजट निर्माण एवं लेखा संधारण हेतु पर्षक्षें भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि. एवं म.ले.प.) द्वारा सुझाए गए प्रपत्रों को सरकार ने स्वीकार (अक्टूबर 2004) कर लिया। परन्तु सरकार द्वारा नए लेखा नियमों का संधारण नहीं किया गया (नवंबर 2005) / एकादश वित्त आयोग ने भी नि. एवं म.ले. प. द्वारा विहित प्रपत्रों में स्थानीय निकायों के वित्त पर एक डाटा बेस के सृजन का अनुमोदन किया था। हालांकि लेखा परीक्षा में यह पाया गया (जुलाई 2005) कि जिला पर्षदों में मूल लेखा अभिलेख यथा सरकारी अनुदान पंजी, ऋण एवं अग्रिम पंजियाँ, बकाया अग्रिम पंजी, कार्य पंजी तथा परिसंपति पंजी संधारित नहीं किए जा रहे थे। परिणामतः लेखा परीक्षा वास्तविक लेन–देनों तथा लेखाओं की स्थिति को सुनिश्चित नहीं कर सकी।

3.5.4 लंबित अग्रिमें

कार्यो के विभागीय कार्यान्वयन के संदर्भ में, अधीनस्थ कार्यपालकों को मजदूरों के वेतन भुगतान करने का अधिकार प्रदान करने हेतु अस्थायी अग्रिमें इस शर्त पर प्रदान की जाती हैं कि किसी भी मामले में प्रथम अग्रिम के फौरन समायोजन / वसूली सुनिश्चित किए बगैर किसी भी कार्य के लिए द्वितीय अग्रिम नहीं प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा, प्रमंडलीय पदाधिकारी द्वारा कार्यो के क्रियान्वयन के उपरांत तथा प्रशाखा पदाधिकारियों द्वारा विपत्र समर्पण के प्रति स्वयं संतुष्टि के उपरांत ही वैसी अग्रिम प्रदान की जानी चाहिए।

कार्यपालक अभिकर्ताओ के विरूद्ध वृहत लंबित अग्रिमें

नमूना जाँचित सात जिला पर्षदों में यह पाया गया कि वर्ष 2001–05 के दौरान कार्यपालक पदाधिकारियों यथा जिला अभियंता (जि.अ.), सहायक अभियंता (स.अ.) तथा

कनीय अभियंताओं को प्रदत 144.26[2] करोड़ रूपये के अग्रिम में से मार्च 2005 तक मात्र 12.46 करोड़ रूपये (11 प्रतिशत) ही समायोजित किए गए थे। शेष 101.80 करोड़ रूपये कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा समायोजन हेतु विपत्र समर्पित नहीं किए जाने के कारण वर्ष 2001–05 के दौरान 9226 कार्यों के क्रियान्वयन हेतु 18 स. अभियंताओं (44.45 करोड़ रूपये), 53 क. अभियंताओं (57.79 करोड़ रूपये) तथा 12 अन्य (5.56 करोड़ रूपये) के पास लंबित पड़े थे। **(संदर्भ : परिशिष्ट – XXXIX)**

101.80 करोड़ रूपये के लंबित अग्रिम में से तीन स. अभियंताओं (जिला पर्षद मुजफ्फरपुर के दो अभियताओं के पास 24.90 करोड़ रूपये तथा जिला पर्षद वैशाली के एक स.अ. के पास 15.20 करोड़ रूपये) के पास एक से चार वर्षों की विस्तारित अवधि के लिए सं.ग्रा.रो.यो., सांसद/विधायक/विधान पार्षदों के 2701 कार्यों के क्रियान्वयन हेतु 40.10 करोड़ रूपये पड़े हुए थे **(संदर्भ : परिशिष्ट – XXXIX)**। मुजफ्फरपुर जिला परिषद में 24.90 करोड़ रूपये का कार्यवार अग्रिम न होकर एकमुश्त अग्रिम था। लंबित अग्रिमों की काल–वार विवेचना निम्नवत् थी :

(रूपए करोड़ में)

क्रम सं0	जिला पर्षद का नाम	वर्ष 2001–02	वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	31 मार्च, 2005 को अग्रिम की कुल राशि
1.	मुजफ्फरपुर	0.51	3.78	8.62	11.59	24.90
2.	पूर्वी चंपारण	2.06	3.08	3.77	2.62	11.53
3.	पटना	शून्य	1.79	2.95	2.29	7.03
4.	वैशाली	6.08	6.55	9.08	7.53	29.24
5.	समस्तीपुर	1.74	5.22	6.03	4.80	17.79
6.	बेगूसराय	0.04	0.40	0.88	2.07	3.39
7.	गया	0.02	0.24	0.72	6.94	7.92
	कुल	**10.85**	**21.06**	**32.05**	**37.84**	**101.80**

अग्रिम पंजी, जो कि वर्ष के आरंभ में लंबित अग्रिम प्रदत अग्रिम समायोजन तथा वर्षांत में लंबित अग्रिमों को प्रतिदर्श करने का एक महत्वपूर्ण अभिलेख है, को जिला पर्षदों द्वारा संधारित नहीं किया गया था जिसकी अनुपस्थिति में वर्ष 2001–02 से पूर्व तथा वर्ष 2001–02 के बाद प्रदान किए गए लंबित अग्रिमों के वास्तविक आँकड़ों को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

सात जिला पर्षदों के जि.वि.पदा. सह– मु.का. पदाधिकारियों ने पूर्व के अग्रिमों के शीघ्र वसूली/समायोजन को सुनिश्चित किए बगैर कार्यपालक अभिकर्ताओं को लगातार अग्रिमें प्रदान करते रहे जिससे लंबित अग्रिमों में वर्ष 2001–02 में 10.85 करोड़ रूपये से वर्ष 2002–03 में 101.80 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई **(संदर्भ : परिशिष्ट–XXXIX)**। वर्ष 2001–02 तथा वर्ष 2002–03 से संबंधित कुल 31.91 करोड़ रूपये के कुल लंबित अग्रिमों के वसूली / समायोजन के आसार, पदधारित में बदलाव तथा कार्यों के क्रियान्वयन संपुष्टि के प्रति असंवेदनशीलता के परिपेक्ष्य में, दूरस्थ थे। यह इंगित करता था कि जि.वि.पदा. सह मु.का. पदाधिकारियों ने अग्रिमों को स्वीकृत करने में मापदंडों की पूर्व अवहेलना की तथा लंबित अग्रिमों की वसूली/समायोजन सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं किया।

[2] वर्ष 2001–02 में 16.53 करोड़ रूपये, वर्ष 2002–03 में 26.19 करोड़ रूपये, वर्ष 2003–04 में 33.51 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2004–05 में 38.03 करोड़ रूपये।

3.5.5 कार्यों की भौतिक प्रगति

संवीक्षा ने उद्घाटित किया कि वर्ष 2001–05 के दौरान सात जिला पर्षदों द्वारा लिए गए 9879 कार्यों में से मार्च 2005 तक 12.46 करोड़ रूपये के व्यय से मात्र 653 कार्य[3] (वर्ष 2001–02 में 291, वर्ष 2002–03 में 209, वर्ष 2003–04 में 147 तथा वर्ष 2004–05 में छः) ही पूर्ण किए गए जैसा निम्न विवरणित है :

अनुदानों का विवरण	क्रियान्वयन हेतु लिए गए कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की सं0	व्यय (करोड़ रूपये में)	अपूर्ण कार्यों की संख्या
सं.ग्रा.रो.यो.	7260	647	12.30	6613
सांसद / विधायक / विधान पार्षद	1490	5	0.15	14.85
दशम एवं एकादश वित्त आयोग (जि. प. का अंश)	329	1	0.01	328
स्व वित्त पोषित एवं वैयक्तिक लेखा पंजी	800	शून्य		800
कुल	**9879**	**653**	**12.46**	**9226**

शेष 9226 कार्य मार्च 2005 तक अपूर्ण पड़े रहे जिसके लिए 101.80 करोड़ रूपये के प्रदत अग्रिमें विभिन्न कार्यपालक अभिकर्ताओं के विरूद्ध लंबित थे (**संदर्भ : परिशिष्ट–XL**) । जिला पर्षदों ने मार्च 2005 तक 2940 कार्यो को पूर्ण दर्शाया था। हालांकि, 2887 कार्यो के संदर्भ में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित कारणों से कार्यो की पूर्णता के कोई साक्ष्य नहीं थे :

- तीन जिला पर्षदों से संबद्ध 629 कार्यों[4] को के विपत्रों को जिसमें 11.69 करोड़ रूपये के अग्रिम शामिल थे, जि.पदा. द्वारा वर्ष 2001–02 तथा 2004–05 के मध्य पारित किया गया था परंतु उन्हें अंतिम अनुमोदन हेतु जि.वि.पदा. सह मु.का. पदाधिकारियों को समर्पित नहीं किया गया था।

- 795 कार्यो (सांसद / विधायक के 651, अनु.जा. / अनु.ज.जा. के लिए सं.ग्रा.रो.यो. के 140 तथा दसम् एवं एकादश वि.आ. के चार कार्य) से संबंधित अभिश्रव / माप पुस्तों को, जिनमें 14.51 करोड़ रूपये के अग्रिम शामिल थे, लेखा परीक्षा को उपस्थापित नहीं किया गया।

- सं.ग्रा.रो.यो. के 863 कार्यो में से 85 कार्यो का नमूना जाँच किया गया जिससे प्रकटित हुआ 17 कार्य के मामले में, जिसके लिए 71 लाख रूपये के अग्रिम प्रदत थे, कार्य पंजी कार्यो की पूर्णता नहीं दर्शाती थी, हालांकि जि.पदा. ने माप–पुस्तिका में भुगतान आदेश दर्ज कर दिया था। शेष 68 कार्यो में, जिसके लिए 0.89 रोकड़ रूपये का अग्रिम प्रदान किया गया था, माप–पुस्तिका केवल स. अभियंताओं द्वारा ही पारित था जिसमें मात्र मापी दर्ज थी। अंतिम मापी नहीं ली गयी थी।

[3] *बेगूसराय (203)य गया (145)य मुजफ्फरपुर (305)*

[4] *वर्ष 2001–02 में 96, वर्ष 2002–03 में 249, वर्ष 2003–04 में 140 तथा वर्ष 2004–05 में 144*

- लंबित विपत्रों का कारण कार्य पंजी में अधूरा दर्ज किया जाना, मा.पु. में अंतिम मापी का नहीं होना तथा कार्य–विपत्रों में सामग्री क्रम तथा मजदूरी भुगतान संबंधी अभिश्रवों का अनुलग्नित नहीं होना था।

इस प्रकार पूर्ण कार्यों की स्थिति को सुनिश्चित करना कठिन था क्योंकि तीन जिला पर्षदों में जि.वि.पदा. सह–मु.का.पदा. द्वारा मात्र 653 कार्यों के अंतिम विपत्र पारित किए गए थे जबकि शेष चार जिला पर्षदों में कोई विपत्र पारित नहीं थे। यहाँ तक कि पारित विपत्रों में कार्यादेश की प्रतियाँ, पूर्णता प्रमाण पत्र अथवा मा. पुस्तिकाओं में कार्यावधि का जिक्र नहीं था तथा नमूना जाँचित कार्यों के माप–पुस्तों में कार्यों के अंतिम माप सन्निहित नहीं था। तदंतर यह भी पाया गया कि किसी अन्य वाह्य तकनीकी अभिकरण द्वारा भी परियोजनाओं का मूल्यांकन नहीं कराया गया था।

3.5.6 सामग्रियों को लेखापित नहीं किया जाना

हस्तलिखित अभिश्रवों पर सामग्रियों का क्रय किया गया जिन्हें स्थल लेखे में दर्ज नहीं किया गया

प्रत्येक कार्य के लिए अलग–अलग क्रय किया जा रहा था। क्रयित सामग्रियाँ स्थल लेखे में दर्ज नहीं की गयी थी, जो अपेक्षित था तथा वे संधारित भी नहीं थे। नमूना जाँचित जि.प. में 287 कार्यों के अभिश्रवों के नमूना जाँच ने उद्धाटित किया कि 4.68 करोड़ रूपये के निर्माण सामग्रियों के क्रय के विरूद्ध चार जिला पर्षदों ने (मुजफ्फरपुरः 1.21 करोड़; पटनाः 0.48 करोड़ रूपया; गयाः 0.26 करोड़ रूपये तथा बेगूसराय : 0.15 करोड़ रूपया) 2.10 करोड़ रूपये लागत के सामग्रियों के हस्त लिखित अभिश्रव थे। क्रयित सामग्रियाँ आपूर्तिकर्ताओं के विपत्रों/केश मेमों से सभर्थित नहीं थी।

इस प्रकार जिला पर्षदों में 2.10 करोड़ रूपये मूल्य के सामग्रियों का संदेहास्पद क्रय था। हालांकि समूचा क्रय ही संदेहास्पद था क्योंकि स्थल लेखा संधारित नहीं था और कार्य विपत्रों में क्रयित सामग्रियों के खपत की विवेचना भी संलग्नित नहीं थी।

3.5.7 सं.ग्र.रो.यो. कार्यों के क्रियान्वयन में अनियमितताएँ

सं.ग्रा.रो.यो. मार्ग दर्शिका (5.16.3) यह विहित करती है कि प्रत्येक जिला प्रखंड तथा ग्राम पंचायत कार्यक्रम के तहत सृजित परिसंपतियों का पूर्ण सामग्री लेखा संधारित करे जिसमें कार्यो के आरंभ तथा पूर्णता तिथियों का विवरण, लागत, प्राप्त लाभ, सृजित नियोजन तथा अन्य विवरण हो। कार्य स्थल के निकट इन विवरणों को सूचना–पट्ट पर दर्शाया जाना था। क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों के कार्यो का छायाचित्रित अभिलेख भी रखा जाना था।

सं.ग्रा.रो.यो. मार्गदर्शिका को कार्य क्रियान्वयन में अनुपालन नहीं किया गया

6.76 करोड़ रूपये के 287 सं.ग्रा.रो.यो. कार्यो, जिसमें मजदूररी का 1.92 करोड़ रूपया शामिल था के नमूना जाँच में यह पाया गया कि परिसंपति पंजी तथा नियोजन पंजी संधारित नहीं थे, जिला पर्षदों द्वारा पूर्णता प्रमाण–पत्र तथा कार्यादेश निर्गत नहीं किए गए थे, विभिन्न चरणों पर कार्यो का छाया चित्रण नहीं किया गया था तथा जिला पर्षदों द्वारा सूचना पट्ट प्रदर्शित नहीं किया गया था। उपस्थिति नामावलियाँ खुद क. अभियंताओं द्वारा प्रमाणित थे जो कार्यो को क्रियान्वित कर रहे थे तथा इन्हें मुखिया/सरपंच या ग्राम पंचायत के किसी सदस्य द्वारा भी प्रमाणित नहीं किया गया था।

सं.ग्रा.रो.यो. के मार्गदर्शिकानुसार उसके तहत प्राप्त निधि का 22.50 प्रतिशत अनु.जा./अनु.ज.जाति समुदाय के लाभार्थ कार्यो पर व्यय किया जाना था। यह पाया गया कि वर्ष 2001–05 के दौरान पाँच जिला परिषदों द्वारा प्राप्त 15.98 करोड़ रूपये के अनुदान में से 12.66 करोड़ रूपये (मुजफ्फरपुरः 1.90 करोड़ रूपये, पूर्व चंपारणः 0.91 करोड़

रूपये, पटनाः 4.23 करोड़ रूपये, वैशालीः 1.53 करोड़ रूपये तथा गयाः 4.09 करोड़ रूपये) वर्ष 2001–05 के दौरान अनु.जा./अनु.ज.जा. समुदाय के लाभ से इतर अन्य कार्यो पर विचलन किए गए। इसके परिणामस्वरूप सं.ग्रा.रो.यो. कार्यो के तहत अनु.जा. /अनु.ज.जा. लाभार्थी इच्छित लाभ से वंचित रहे।

3.5.8 अनुश्रवण

सं.ग्रा.रो.यो. मागदर्शिकानुसार आयुक्त, जिलाधीश तथा जि.वि.पदा. को सं.ग्रा.रो.यो. तहत एक माह में क्रमशः पाँच, 10 तथा 15 कार्यो का भौतिक निरीक्षण करना था तथा सरकार को मासिक प्रगति प्रतिवेदन सौंपना था। हालांकि यह दर्शाने हेतु कोई अभिलेख नहीं था कि इन पदाधिकारियों ने किसी सं.ग्रा.रो.यो. कार्य का निरीक्षण किया था। इसके अतिरिक्त जिला पर्षदों, पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों ने ग्राम पंचायतों में ही कार्यो का क्रियान्वयन किया पर न तो जिला पर्षदों और न ही पंचायत समितियों ने कार्य क्रियान्वयन की सूचना ग्राम पंचायतों को दी और न ही ग्राम पंचायतों ने ही जिला पर्षदों तथा पंचायत समिति को ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यो की सूचना दी। यह पं.रा. संस्थानों के तीनों श्रेणियों में समन्वय का अभाव दर्शाता था तथा पं.रा.सं. के विभिन्न श्रेणियों द्वारा समान कार्यो के क्रियान्वयन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था।

3.5.9 निष्कर्ष

जिला पर्षदों द्वारा नि. एवं महा.ले.प. द्वारा तैयार किए गए प्रपत्रों को प्रचालित नहीं किया गया था। बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 के आधार पर नए लेखा नियमावलियों की रचना नहीं की गयी थी। जि.वि.आ.–सह–मु.का. पदाधिकारी जिला पर्षदों का लेखा निर्माण करने में विफल रहे। ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों को आवंटित निधियों से संबंधित गलत उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान किया। योजनाओं का पूर्ण निष्पादन दयनीय था तथा लाभार्थियों को अभीष्ट लाभ देने से मना किया गया। इसके अलावा विभिन्न कार्यकारी अभिकर्ताओं के विरूद्ध एक वर्ष से चार वर्षो की अवधि विस्तार में 101.80 करोड़ रूपये के लंबित अग्रिमें कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा दयनीय अनुश्रवण इंगित करती थी।

अनुसंशाएँ

- बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 के आधार पर नए लेखा नियमावलियाँ की शीघ्र रचना की जानी चाहिए।
- ए.वि.आ. के अनुशंसा के अनुसार पर स्थानीय निकायों का वित्त आँकड़ों के आधार का बनाया जाना चाहिए।
- मौलिक अभिलेखों का संधारण यथा, एक मुख्य रोकड़ पंजी, अनुदान पंजी, ऋृण पंजी, अग्रिम पंजी, नियोजन पंजी तथा परिसंपति पंजी आदि को जि.वि. पदा. सह मु.का. पदाधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- जि.वि.पदा. सह मु.का.पदाधिकारियों को पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों से व्यय का विवरण प्राप्त कर उपयोगिता प्रमाण पत्रों का समर्पण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

- कार्यों का क्रियान्वयन मार्गदर्शिकानुसार विहित समय में किया जाना चाहिए। कार्य पंजी में कार्यों की पूर्णता की स्थिति दर्शायी जानी चाहिए तथा कार्यकारी अभिकर्ताओं के विपत्रों को निश्चित रूप से जि.वि.पदा. सह मु.का.पदा. द्वारा पारित किया जाना चाहिए तथा इसे जिला अभियंता अथवा सहायक अभियंता के स्तर पर अवरूद्ध नहीं किया जाना चाहिए।

- अग्रिमों का समायिक समायोजन सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा समायोजन विपत्रों के समर्पण हेतु समय अनुसूची प्रदान की जानी चाहिए जिसमें समायोजन विपत्रों के विलंबित समर्पण हेतु दंडात्मक घारा का प्रावधान हो।

मामले सरकार को संदर्भित किए गए (सितंबर 2004), उनके उत्तर अप्राप्त थे (दिसंबर 2005)।

अध्याय–IV

सम्पादन लेखापरीक्षा

4.1 कपटपूर्ण निकासी/दुर्विनियोजन/गबन/हानि

जल संसाधन विभाग

4.1.1 रोकड़ का गबन

रोकड़ पंजी से सम्बंधित प्रावधानों के अनुपालन में उप समाहर्ता, राजस्व प्रमंडल पूर्णिया की विफलता तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अभाव के कारण 70.11 लाख रूपये का गबन हुआ।

बिहार कोषागार संहिता के नियम 86 के प्रावधानों के अंतर्गत सभी मौद्रिक लेन देनों को अविलम्ब रोकड़ पंजी में अंकित किए जाने के पश्चात इसे कार्यालय प्रधान द्वारा अभिप्रमाणित किया जाना चाहिए जिससे उनके द्वारा किए गए जाँच की पुष्टि हो सके। रोकड़ पंजी प्रतिदिन रोकड़ शेष के मिलान के पश्चात बन्द किया जाना चाहिए। कार्यालय प्रधान द्वारा रोकड़ पंजी के योग की जाँच तथा रोकड़ शेष का भौतिक सत्यापन किए जाने के पश्चात प्रत्येक माह के अन्त में एक प्रमाण पत्र अंकित किया जाना चाहिए। बिहार लोक कार्य लेखा संहिता के नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत अस्थायी अग्रिम पूर्व के अग्रिमों के समायोजन/वसूली के पश्चात केवल पारित अभिश्रव के विरूद्ध दिए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त अग्रिम का समायोजन/वसूली तुरन्त तथा निश्चित रूप से वित्तीय वर्ष के अंत होने के पूर्व हो जानी चाहिए।

राजस्व प्रमंडल, पूर्णिया के अभिलेखों के नमूना जाँच से पता चला (जुलाई 2004) कि दिनांक 2 अप्रील, 2004 को प्रमंडलीय रोकड़ पंजी का आदिशेष 1.10 करोड़ रूपये था। 2 अप्रील 2000 से 29 अप्रील 2003 के बीच कोषागार से 7.67 करोड़ रूपये आहरित किए गए तथा इस अवधि के दौरान 7.94 करोड़ रूपये खर्च किए गए। इस प्रकार 29 अप्रील 2003 को अंत शेष 83.94 लाख रुपये हुआ। इसके विरूद्ध प्रमंड़लीय रोकड़ पंजी में अंतशेष मात्र 83.39 लाख रूपये दर्शाया गया जिसके फलस्वरूप 0.55 लाख रूपये के रोकड़ की कमी प्रकाश में आई जिसका विवरण निम्नवत था :

29 अप्रील 2003 का अंत रोकड़ शेष

(लाख रुपये में)

रोकड़ शेष का विवरण	वास्तविक	वांछित
अस्थायी अग्रिम	7503708.28	548238.28
असमायोजित अभिश्रव	107659.86	107659.86
कार्यालय कर्मी को अग्रिम	87542.00	87542.00
बैंक में रोकड़	640045.30	640045.30
हाथ में रोकड़	शून्य	7010752.28
कुल योग	**8338955.44**	**8394237.44**

इसके अतिरिक्त रोकड़ शेष की संवीक्षा से पता चला कि हाथ में रोकड़ शून्य हो गया था तथा राजस्व प्रमंडल पूर्णिया के आठ[1] राजस्व अंचलों के विरूद्ध अस्थायी अग्रिमें

1 *बनमनखी (5.20 लाख रूपये); बिहारीगंज (11.39लाख रूपये); धमदाहा (29.11 लाख रूपये); कस्बा (8.56 लाख रूपये); कोढा (3.71 लाख रूपये); कटिहार (2.49 लाख रूपये); मुरलीगंज (12.15 लाख रूपये); पूर्णिया (2.42 लाख रूपये) तथा कर्मी (0.01 लाख रूपये)*

5.48 लाख रूपये से बढ़ाकर 75.04 लाख रूपये दर्शायी गई जो अप्रैल 2000 से अप्रैल 2003 के दौरान कर्मी को वेतन एवं भत्ते, भविष्य निधि, पेंशन तथा अन्य अल्प भुगतानों के लिए था। इस प्रकार 69.56 लाख रूपये का गबन हुआ, चूँकि राजस्व अंचलों के पास 69.56 लाख रूपये के अस्थायी अग्रिम की प्राप्ति से संबंधित कोई अभिलेख नहीं था। चूँकि राशि के गबन होने के कारण कर्मी के बकाए का भुगतान नहीं हो सका इसलिए जल संसाधन विभाग ने कर्मी के पेंशनादि लाभों के भुगतान हेतु बाद में 24.30 लाख रूपये के अतिरिक्त आवंटन स्वीकृत किया (जुलाई 2004)।

इस प्रकार आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कमी तथा प्रावधानों के विरूद्ध उपसमाहर्ता, राजस्व प्रमंडल, पूर्णियाँ के द्वारा रोकड़ शेष के प्रतिदिन भौतिक सत्यापन तथा रोकड़ योग की जाँच में विफलता के कारण 70.11 लाख रूपये के सरकारी धन का गबन हुआ।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (अप्रील2005)। उप सचिव ने जवाब दिया (सितम्बर 2005) कि विभागीय जाँच के उपरान्त रोकड़पाल के विरूद्ध सभी आरोप साबित हो गए हैं तथा इसके बाद अगस्त 2005 में द्वितीय कारण बताओ नोटिस पूछा गया है।

ग्रामीण विकास विभाग

4.1.2 चावल का संदेहास्पद वितरण तथा अलेखाकरण

डी.आर.डी.ए./जिला पर्षद, भोजपुर, भागलपुर तथा जहानाबाद द्वारा एस.जी.आर.वाई के कार्यान्वयन के अनुश्रवण नहीं किए जाने के फलस्वरूप 5.09 करोड़ रूपये मूल्य के 3854 एम टी चावल का लेखाकरण नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त मस्टर रॉल के अनुचित संधारण के कारण 2.85 करोड़ रूपये मूल्य के 2156 एम टी चावल के वितरण का सत्यापन नहीं हो सका।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (सं. ग्रा. रो. यो.) के मार्गदर्शिका (कंडिका 2.5 तथा 2.6) के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा निर्गत आदेश पर बिहार राज्य खाद्य निगम (एस एफ सी) द्वारा योजना के अंतर्गत आवंटित चावल का उठाव भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई) गोदाम से किया जाता है। प्र. वि. पदा./पंचायतों तथा जिला पर्षदों द्वारा विहित प्रपत्र में जि. ग्रा. वि. प्रा. को योजना का मासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाना था। जि. ग्रा. वि. प्रा. के प्रभारी उप–विकास आयुक्त को एस एफ सी से पी डी एस डीलर को चावल की उचित आपूर्ति का अनुश्रवण करना था।

सं. ग्रा. रो. यो. का मुख्य उद्धेश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी रोजगार प्रदान करना तथा खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। सं. ग्रा. रो. यो. के दिशानिर्देशों के अनुसार मस्टर रॉल, जिसमें श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान तथा चावल के वितरण का विस्तृत उल्लेख हो, को प्रत्येक कार्य के लिए अलग–अलग संधारित किया जाना चाहिए। मस्टर रॉल में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाएँ तथा अन्य, जिनको रोजगार प्रदान किया गया है, की संख्या तथा अन्य सूचनाओं की प्रविष्टि होनी चाहिए। यह टंकित प्रपत्र में संधारित होना चाहिए तथा इसके पृष्ठ क्रमित होने चाहिए। कार्यकारी अभिकरण कार्य की मापी, मजदूरी के भुगतान तथा मस्टर रॉल के संधारण के लिए जिम्मेवार होंगे।

इसके अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान पंचायत के ग्रम प्रधान/सरपंच की उपस्थिति में किसी निश्चित दिन किया जाना चाहिए। चावल के समुचित वितरण को सुनिश्चित करने के उद्धेश्य से जिला पर्षद/जि.ग्रा.वि.प्रा./पंचायत समितियाँ सं.ग्रा.रो.यो. के

अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन के अनुश्रवण, प्रतिवेदन, पर्यवेक्षण, समन्वयन तथा दिशा निर्देश देने के लिए उत्तरदायी है। कार्यक्रम के अंतर्गत मजदूरों को चावल का वितरण जन–वितरण दुकान द्वारा किया जाना था।

ग्राम पंचायत, मध्यस्थ पंचायत (प्रखण्ड), जिला पर्षद, जि.ग्रा.वि.प्रा. तथा कार्यकारी अभिकरणेां को चावल का भंडार पंजी संधारित करना था, जिसे जि.ग्रा.वि.प्रा. के परियोजना निदेशक तथा जिला पर्षद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा सत्यापित तथा प्रमाणित किया जाना था।

भोजपुर जिले में 14 प्रखंडों[1] के 210 पंचायतों के अभिलेखों यथा परमिट, चलान, भंडार एवं वितरण पंजी के नमूना जाँच से पता चला कि एस.एफ.सी. द्वारा निर्गत माल छुड़ाई चलान के अनुसार 2001–04 के दौरान 6396 एम.टी. चावल उपर्युक्त कार्यान्वयन अभिकरणों को दिए गए। इसके विरूद्ध 5092 एम.टी. चावल पंचायतों के अभिलेख में दर्ज थे। इस प्रकार 1.72 करोड़ रूपये मूल्य के 1304 एम.टी. चावल की प्रविष्टि नहीं हुई।

जहानाबाद जिले में जिला पर्षद, छः प्रखंडों[2] तथा 44 पंचायतों के अभिलेखों यथा परमिट, चलान, भंडार तथा वितरण पंजी के नमूना जाँच से पता चला कि जि. ग्रा. वि. प्रा. द्वारा सं. ग्रा. रो. यो. कार्यों के क्रियान्वयन हेतु 2001–05 के दौरान 198 पी.डी.एस. डीलरों को 5259 एम.टी. चावल जिसे एस.एफ. सी. से उठाया जाना था, आवंटित किया गया। कार्यकारी अभिकरणों ने 4148 एम.टी. चावल का वितरण लाभार्थियों को किया तथा शेष 1075 एम.टी. चावल (रूपये 1.42 करोड़) की प्रविष्टि पी.डी.एस./कार्यकारी अभिकरणों के द्वारा नहीं की गई।

भागलपुर जिले में सात[3] प्रखंडों तथा जिला पर्षद के अभिलेखों यथा परमिट चलान भंडार एवं वितरण पंजी के नमूना जाँच से पता चला कि जि. ग्रा. वि. प्रा. द्वारा 4750 एम.टी. चावल पी.डी.एस. डीलरों को आवंटित किया गया जिन्होंने एस.एफ.सी. से इस चावल का उठाव 2001–04 के दौरान स.ग्रा.रो.यो. कार्यों के क्रियान्वयन हेतु किया। कार्यकारी अभिकरणों ने 3275 एम.टी. चावल का वितरण लाभार्थियों को किया तथा शेष 1475 एम.टी. चावल (1.95 करोड़ रूपये) की प्रविष्टि पी.डी.एस./कार्यकारी अभिकरणों द्वारा नहीं की गई।

भंडार पंजी तथा मासिक लेखा प्रतिवेदन प्रखंडों (मध्यस्थ पंचायतों), जिला पर्षद तथा पंचायतों द्वारा उप–विकास आयुक्त को नहीं प्रेषित किए गए। अभिलेखों से यह नहीं पता चला कि चावल की अधिक मात्रा का परमिट जि.ग्रा.वि.प्रा. द्वारा क्यों निर्गत किया गया। उप–विकास आयुक्त, पी.डी.एस. डीलरों तथा कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा चावल के प्राप्ति एवं उपयोग से संबंधित पूरी प्रणाली का मूल्यांकन तथा अनुश्रवण करने में विफल रहे।

इस प्रकार भागलपुर, जहादाबाद तथा भोजपुर जिलों के नमूना जाँचित जिला पर्षदों/प्रखंडों/पंचायतों में 5.09 करोड़ रूपये मूल्य का 3854 एम.टी. चावल की प्रविष्टि क्रियान्वयन अभिकरणों के अभिलेखों में नहीं हुई।

मस्टर रॉल का अनुचित संधारण

भोजपुर तथा जहानाबाद जिलों में दो जिला पर्षदों (आरा तथा भागलपुर), आठ पंचायतों तथा 20 प्रखंडों में कराए गए 707 सं. ग्रा. रो. यो. कार्यों के 2425 मस्टर रॉल के

1 *अगिआँव, आरा सदर, बरहर, बिहियाँ, चरपोखरी, गड़हनी,जगदीशपुर, कोइलवर, पीरो, सांगर, संदेश, शाहपुर, तरारी, उदबंत नगर*

2 *अरवल, घोसी, जहानाबाद, करपी, कुर्था तथा मखदुमपुर*

3 *गोपालपुर,जगदीशपुर, कहलगॉव,रंगर चौक, पीरपैती, सवौर, शाहकुंड*

लेखा–परीक्षा जाँच से पता चला कि 2001–05 के दौरान कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा 2156 एम.टी. चावल मस्टर रॉल पर वितरित किए गए। प्रखण्डों/जिला पर्षद/पंचायतों द्वारा पी.डी.एस. डीलरों से चावल के उठाव हेतु कार्यकारी अभिकरणों को निर्गत परमिट से पता चला कि

- 2156 एम.टी. चावल में से 1299 एम.टी. चावल का वितरण कार्यकारी अभिकरणों द्वारा चावल की एस.एफ.सी. से प्राप्ति के एक से 12 माह पूर्व दिखाया गया।

- 1.13 करोड़ रूपये मूल्य के शेष 857 एम.टी. चावल का वितरण वैसे मस्टर रॉल पर किया गया जो न तो टंकित थे और न ही सक्षम अधिकारियों द्वारा पारित, हस्ताक्षरित तथा सत्यापित थे।

- इसके अतिरिक्त चावल का वितरण ग्राम प्रधान/पंच के उपस्थिति में नहीं किया गया था तथा रोजगार पंजी क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा संधारित नहीं किया गया।

इस प्रकार 2.85 करोड़ रूपये मूल्य के 2156 एम.टी. चावल के वितरण का सत्यापन अभिलेखों से नहीं किया जा सका।

इस संदर्भ में पूछने पर उप–विकास आयुक्त, भोजपुर ने बताया (अप्रैल 2005) कि जाँच के पश्चात कार्रवाई की जाएगी। जहानाबाद तथा भागलपुर के उप–विकास आयुक्तों ने बताया (मई/जून 2005) कि लेखा परीक्षा के अवलोकनों के मद्देनजर तथ्यों की जाँच हेतु जाँच समिति गठित कर दी गई है।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (मई/जून 2005); उनके उत्तर अप्राप्त थे (दिसम्बर 2005)।

जल संसाधन विभाग

4.1.3 संवेदकों को सामग्रियों की ढुलाई के लिए कपटपूर्ण भुगतान

पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, दरभंगा तथा झंझारपुर के कार्यपालक अभियंताओं ने सामग्रियों के ढुलाई की लिए 1.33 करोड़ रूपये का कपटपूर्ण भुगतान किया।

पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, दरभंगा तथा झंझारपुर के लेखा परीक्षा से प्रकट हुआ (अप्रैल/जून 2005) कि 4.53 करोड़ रूपये की लागत पर मई 2003 तथा अक्टूबर 2004 के मध्य कार्यपालक अभियंता (कार्य.अभि.) पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, दरभंगा तथा झंझारपुर द्वारा दो संवेदकों से चार कार्यों[1] का एकरारनामा किया गया। एकरारनामे के अनुसार सामग्रियों की ढुलाई यथा झामा पत्थर तथा गिट्टी जमालपुर खदान से कर्पूरीग्राम रेलवे यार्ड तक रेल से तथा कर्पूरीग्राम रेलवे स्टेशन से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा किया जाना था।

1 *आर.डी. 27.00 से आर.डी. 93.75 के बीच बाकी मिट्टी कार्य, आर.डी. 31.70 तथा आर.डी. 54.20 पर 42.04 कार्ट ब्रिज पर एस.एल.आर. पुल का निर्माण, आर.डी. 59.62, 64.60, 80.17 तथा 83.07 पर सी.डी. कार्य (कुल 42 कार्य) (2) झंझारपुर ब्रांच कैनाल के आर.डी. 132.60 पर सी.डी. ढांचे का निर्माण (कुल 27 कार्य) (3) झंझारपुर ब्रांच कैनाल के आर.डी. 63.65,63.90,84.65 तथा 87.55 पर सी.डी. कार्यों का निर्माण (28 कार्य) (4) घोघड़डीहा डिस्ट्रीव्यूटरी के आर.डी. 22 पर सी.डी. कार्यों का निर्माण (कुल 19 कार्य)।*

बालू किऊल नदी से लाया जाना था। मई 2003 से मार्च 2005 के बीच कार्य किए गए तथा प्रमंडलों को अक्टूबर 2004 तथा मार्च 2005 के मध्य किए गए सामग्रियों की ढुलाई हेतु 1.33 करोड़[2] रूपये भुगतान किया गया।

संवेदकों को भुगतान किए गए विपत्रों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि प्रमंडलों ने जमालपुर खदान से उपरोक्त सामग्रियों के ढुलाई के संदर्भ में अभिश्रव प्राप्त किए वगैर भुगतान किया। सभी चार मामलों में संवेदको द्वारा न ही फार्म 'एम तथा एन'[3] दिए गए न ही प्रमंडलों द्वारा अग्रेतर जाँच के लिए कहा गया। इसके बदले प्रमंडलों द्वारा संवेदकों के विपत्रों से खनिज के लिए रोयाल्टी की कटौती की गई। 'एम तथा एन' फार्म, जो अधिकृत परमिटधारी से खनिज के क्रय को प्रमाणित करते हैं, के अभाव में लेखा परीक्षा संबंधित जिला खनन् पदाधिकारी के अभिलेखों से यह पता नहीं लगा सकी कि खनिजों का क्रय अधिकृत लीज धारियों से किया गया है। इसके अलावा संवेदकों ने अपने विपत्रों के साथ कोई अभिश्रव समर्पित नहीं किया। इसलिए लेखा परीक्षा ने कर्पूरीग्राम रेलवे स्टेशन के माल अधीक्षक से इसकी जाँच की जिसने स्पष्ट किया (मई/जुलाई 2005) कि संवेदकों के कोई सामग्री की ढुलाई इस अवधि के दौरान रेलवे द्वारा जमालपुर से कर्पूरीग्राम तक नहीं की गई।

इसे इंगित किए जाने पर (जून 2005) कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, दरभंगा ने लेखा परीक्षा की आपत्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि संवेदकों को अभिश्रव समर्पित करने के लिए कहा गया है जबकि कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, झंझारपुर ने जवाब दिया कि परिपूर्ण कार्यों के लिए ढुलाई मद के भुगतान के लिए अभिश्रव वांछित नहीं है। जबकि बिहार लो. का. ले. कोड के नियम 84 के अनुसार अभिश्रवों के अभाव में भुगतान नहीं किए जाने चाहिए। जवाब अस्वीकार्य था चूँकि खनिज की ढुलाई को अलग से दर विवरण में समाविष्ट किया गया था तथा चालू विपत्र तथा अंतिम विपत्र में यह अलग से भी दिखाया गया। इस प्रकार सामग्रियों के ढुलाई के मद में 1.33 करोड़ रूपये का भुगतान देय नहीं था।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जुलाई 2005); विभाग के आयुक्त सह सचिव ने बताया (सितम्बर 2005) कि मामले की विस्तृत जाँच की जाएगी तथा उचित कार्रवाई की जाएगी।

ग्रामीण विकास विभाग

4.1.4 सरकारी राशि का दुर्विनियोजन/कपटपूर्ण निकासी

उप–विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सीतामढ़ी के रोकड़ के संधारण से संबंधित नियमों, उचित नियंत्रण तथा जाँच नहीं करने के कारण 31.77 लाख रूपये का दुर्विनियोजन/कपटपूर्ण निकासी हुई।

बिहार पंचायत समिति तथा जिला पर्षद (बजट तथा लेखा) नियम 1964 के प्रावधान के अंतर्गत जिला पर्षद के खाते में प्राप्त सभी राशि को अविलम्ब जिला पर्षद निधि में जमा कर दिया जाना चाहिए एवं जिला पर्षद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा स्वयं ऐसे जमा को सत्यापित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त नियम के तहत प्रत्येक चेक उसी व्यक्ति के नाम से जारी किया जाना चाहिए जिनको राशि भुगतान किया जाना हो तथा स्वभुगतेय चेक द्वारा व्यय करने के लिए निकाली गई राशि सहायक रोकड़ पंजी

2 *पश्चिमी कोशी कैनाल प्रमंडल, दरभंगा (47.93 लाख रूपये) पश्चिमी कोशी कैनाल प्रमंडल, झंझारपुर (85.34 लाख रूपये)।*

3 *बी.एम.सी.सी. नियम के तहत कार्य संवेदकों को फार्म 'एम' तथा 'एन' में एक शपथ देना पड़ेगा जिसमें विपत्र के साथ खनिज के क्रय का स्रोत, भुगतान किया गया मूल्य तथा प्राप्त की गई मात्रा के बारे में वर्णन हो। विभाग बदले में खनन पदाधिकारियों को जाँच हेतु 'एम' तथा 'एन' फार्म भेजता है।*

में दर्ज की जानी चाहिए तथा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को इससे संतुष्ट होना चाहिए कि उनके नाम से निकासी किए गए प्रत्येक चेक की समुचित प्रविष्टि की गई है। इसके अतिरिक्त, राशि की निकासी तभी होनी चाहिए जब इसके व्ययन की तुरंत आवश्यकता हो।

जिला पर्षद, सीतामढ़ी के अभिलेखों के संवीक्षा से प्रकट हुआ (जून –अगस्त 2004) कि जुलाई 2001 से नवम्बर 2002 के दौरान संयुक्त भविष्य निधि खाते से 15 स्थानान्तरित तथा दो सेवा निवृत्त कर्मियों को भविष्य निधि के भुगतान हेतु 13.49 लाख रूपये आहरित की गई परन्तु सहायक रोकड़ पंजी में इसकी प्रविष्टि नहीं की गई। 10.70 लाख रुपये का भुगतान 15 स्थानान्तरित कर्मियों को नहीं किया गया जबकि दो सेवानिवृत्त कर्मियों को दशम तथा ग्यारहवीं वित्त आयोग के अनुदान से 2.79 लाख रूपये का भुगतान किया गया।

इसके अलावे मार्च 2001 तथा अप्रील 2003 के बीच मनी रसीद के आधार पर रोकड़पाल द्वारा घाटों तथा तालाबों के बन्दोबस्ती (4.29 लाख रूपये), कृषि योग्य भूमि तथा सड़क के किनारे की जमीन के फलों के बिक्री प्राप्ति (1.09 लाख रूपये), तलाब के बिक्री प्राप्ति (0.03 लाख रूपये) , निरीक्षण बँगला तथा दूकान का किराया (0.12 लाख रूपये) तथा संवेदकों से प्राप्त सुरक्षित जमा (1.26 लाख रूपये) से प्राप्त किए गए 6.79 लाख रूपये न तो लेखापित किया गया और न ही जिला पर्षद निधि में जमा किया गया।

इसके अतिरिक्त चार अभिकरणों को 4.79 लाख रूपये मुद्रण शुल्क के भुगतान हेतु 5.27 लाख रूपये आहरित किया गया (अप्रील 2003)[1]। अधिक आहरित किया गया 0.48 लाख रूपये जिला पर्षद निधि में वापस नहीं किया गया तथा 1.43 लाख रूपए के अभिश्रवों के विरूद्ध रोकड़ पंजी में एक अभिकरण को 1.91 लाख रूपये का जाली भुगतान दिखाकर दुर्विनियोजित किया गया।

इसके अलावे सितम्बर 2001 से मई 2003 के दौरान 23 चेकों के द्वारा आहरित किये गये 6.48 लाख रूपये[2] की न तो रोकड़ पंजी में प्रविष्टि की गई न ही व्ययित दिखाया गया। सुनिश्चित रोजगार योजना निधि से फरवरी 2003 से अप्रील 2003 के बीच चार चेकों के द्वारा एक सहायक अभियंता के नाम पर 4.53 लाख रूपये का पुनः आहरण किया गया, जिसने इस राशि को प्राप्त करने से इन्कार किया (जुलाई 2004)। यह राशि जिला पर्षद के रोकड़ पंजी में भी दर्ज नहीं की गई।

इस प्रकार उप–विकास–आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा नियंत्रण के अभाव तथा रोकड़ के लेन–देन से संबंधित वित्तीय प्रावधानों के अनुपालन नहीं करने के कारण 31.77 लाख रूपये की सरकारी राशि का कपटपूर्ण निकासी/दुर्विनियोजन हुआ। उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सीतामढ़ी ने स्वीकार किया (अप्रैल 2005) कि जालसाजी हुई है तथा 31.77 लाख रूपये के दुर्विनियोाजन हेतु संबंधित उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ पूलिस के पास प्राथमिकी दर्ज की गई है (दिसम्बर 2004)।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (मई 2005) ; उत्तर अप्राप्त थे (दिसम्बर 2005)।

1 यह डी.डी.ओ. के अधीन एक संयुक्त खाता है जिसमें वहॉ के सभी कर्मी के भविष्य निधि जमा को रखा जाता है।

2 5.7 लाख रूपये (स्ववित्त योजना का खाता), 0.21 लाख रूपये (किराया खाता) तथा 0.48 लाख रूप्ये डी.आर.डी.ए.से जिला योजना अनुदान

माध्यमिक, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग

4.1.5 निधि का दुबारा आहरण

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता तथा जि. शि. अ. एवं को. पदा. द्वारा संहिता से संबंधित प्रावधानों के अनुपालन नहीं किए जाने के कारण गोपालगंज कोषागार से 21.77 लाख रूपये का दो बार आहरण किया गया

बिहार कोषागर संहिता (बि. को. सं.) के नियम 86 के तहत् सभी मौद्रिक लेन–देनों की प्रविष्टि रोकड़ पंजी में तुरंत होनी चाहिए तथा कार्यालय प्रमुख द्वारा सांकेतिक जाँच के रूप में इसे अभिप्रमाणित किया जाना चाहिये। बि.को.सं के नियम 189 के अंतर्गत कोषाकर पदाधिकारी को यह सुनिश्चित कराना चाहिए कि दावा उचित है तथा पानेवाले द्वारा मांगी गई राशि प्राप्त कर ली गई है। इसके अतिरिक्त नियम 305 क तथा 306 क के तहत नि. एवं व्य. पद. को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखा का संधारण मानक ढंग से किया गया है।

जिला शिक्षा अधीक्षक (जि.शि.अधी.), गोपालगंज के अभिलेखों के नमूना जाँच से पता चला (अप्रील 2005) कि सचिव, माध्यमिक, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग द्वारा जि. शि.अधी. गोपालगंज को प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (प्र.मं.ग्रा.यो.) के अंतर्गत गोपालगंज जिले में विद्यालय भवनों के मरम्मति/जीर्णोद्वार हेतु 22.17 लाख रूपये की विमुक्ति की गई।

रूपये 22.17 लाख के आवंटन के विरूद्ध जि.शि.अधि. गोपालगंज द्वारा कोषागार पदाधिकारी को 22.17 लाख रूपये के दो अलग–अलग विपत्र समर्पित किए गए तथा दोनों विपत्र कोषागार पदाधिकारी द्वारा 31 मार्च 2004 को पारित किए गए। जि.शि.अधि. ने दोनों विपत्रों की राशि को आहरित किया तथा उसे रोकड़ पंजी में प्राप्ति के रूप में दर्ज किया तथा इसे 5 एवं 7 अप्रील 2004 को बैंक में जमा कर दिया।

पूछने पर जि.शि.अधि. गोपालगंज ने बताया (मई 2005) कि कोषागार से अनजाने में अधिक राशि (22.17 लाख रूपये) आहरित की गई। जबकि कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज ने बताया (मई 2005) कि वित्तीय वर्ष के अंतिम तिथि के भीड़ में दोनों विपत्र पारित हो गए।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था चूँकि जि.शि.अधी. तथा कोषगार पदाधिकारी द्वारा कोषागार से निधि के अधिक/दुबारा आहरण से संबंधित जाँच अपेक्षित था। लेखा परीक्षा द्वारा बताए जाने पर जि.शि.अधी. ने कोषागार में 22.17 लाख रूपये वापस कर दिया (मई 2005)। इस प्रकार आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अभाव तथा जि.शि.अधी. तथा कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा संहिता से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन नहीं किए जाने के कारण 22.17 लाख रूपये की निधि का दुबारा आहरण हुआ।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (मई 2005); उत्तर अप्राप्त थे (दिसम्बर 2005)

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

4.1.6 विविध प्राप्तियों का दुरूपयोग

विविध प्राप्तियों के रूप में वसूले गए 1.06 करोड़ रूपये को जिलाधिकारी, गया तथा नौ अनु.पदा. द्वारा बैंकों में रखकर तथा विभागीय खर्च हेतु दुरूपयोग किया गया।

बिहार वित्तीय संहिता के नियम 37 तथा 52 सह पठित बिहार कोषागार संहिता के नियम 07 के तहत् सरकार के एवज में वसूली गई राजस्व प्राप्तियों को तुरंत कोषागार में जमा करना चाहिए तथा इसे विभागीय खर्चों पर विचलित नहीं की जानी चाहिए।

जिला नजारत गया तथा नौ अनुमंडल नजारतों[1] के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ (अप्रील 2005) कि 2002–05 के दौरान विविध प्राप्तियों के रूप में 1.66 करोड़ रूपये वसूल किए गए जिनका विवरण निम्नवत् है :–

(रूपये लाख में)

कार्यालय कानाम	सैरात[2]	नक्शे की बिक्री	मोटर सवारी कर	परीक्षा शुल्क	पशु पाउन्ड शुल्क	जमीन का किराया	कुल
जिला नराजत, गया	4.99	0.02	–	–	–	–	5.81
अनुमंडल नजारत, गया	–	–	–	5.32	–	2.75	8.09
अनुमंडल नजारत,शेरघाटी	3.66	–	5.02	0.93	0.59	0.82	11.02
अनुमंडल नजारत, टेकारी	–	–	2.52	–	–	0.69	3.21
अनुमंडल नजारत, बथानी	–	–	–	–	–	0.44	0.44
अनुमंडल नजारत, मुजफ्फरपुर (पूर्वी)	–	–	–	4.51	–	–	4.51
अनुमंडल नजारत, मुजफ्फरपुर (पश्चिमी)	4.02	–	–	–	–	55.63	59.65
अनुमंडल नजारत,हाजीपुर	0.22	–	–	10.47	–	5.22	15.91
अनुमंडल नजारत,बिहार शरीफ	–	–	–	13.41	–	4.99	18.40
अनुमंडल नजारत, पटना	0.78	–	–	37.90	–	–	38.68
कुल योग	**13.67**	**0.82**	**7.54**	**72.56**	**0.59**	**70.54**	**165.72**

विविध प्राप्तियों के रूप में वसूल किए गए 1.66 करोड़ रूपये में से 47.55 लाख रूपये चार अनु.पदा.[3] द्वारा 2002–05 के दौरान कोषागार में जमा कर दिए गए। लेखा परीक्षा की आपत्ति पर दो अनु.पदा.[4] द्वारा 12.19 लाख रूपये[5] भी कोषागार में जमा कर दिए गए (अप्रील/जुलाई 2005)। शेष 1.06 करोड़ रूपये में से 98 लाख रूपये का

1 बथानी,बिहार शरीफ, गया हाजीपुर मुजफ्फरपुर (पूर्वी), मुजफ्फरपुर (पश्चिमी),पटना सदर, शेरधाटी,टेकारी।

2 बाजार स्थल, तालाब आदि की लीज प्राप्तियाँ

3 बिहार शरीफ ; 12.82 लाख रूपए मुजफ्फरपुर (पूर्वी): 2.62 लाख रूपये; मुजफ्फरपुर (पश्चिमी): 4.83 लाख रूपये ; पटना: 27.28 लाख रूपये।

4 गया सदर (8.09 लाख रूपये); पटना: (4.10 लाख रूपये)

5 165.72 लाख रूपए – (47.55 लाख रू0 + 12.19 लाख रू0) : 105.98 लाख रू0 अर्थात् 1.06 करोड़ रूपए

दुरूपयोग नौ अनु.पदा. तथा जि.पदा., गया द्वारा विभागीय खर्च हेतु किया गया तथा 7.69 लाख रूपये बैंक में रखे गए। विभागीय खर्च हेतु विविध प्राप्तियों को विचलित करने के लिए उच्चाधिकारियों/वित्त विभाग से कोई स्वीकृति नहीं प्राप्त की गई।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (मई 2005); उनके उत्तर अप्राप्त थे (दिसम्बर 2005)।

शहरी विकास विभाग

4.1.7 अनुदान का दुरूपयोग

शहरी स्थानीय निकाय को भुगतेय 76.18 लाख रूपये का स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (स्व.ज.श.रो.का.) अनुदान जिला पदाधिकारी पटना द्वारा शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (श.स्व.का.) प्रशिक्षण हेतु दुरूपयोगित किया गया।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (स्व.ज.श.रो.यो.) के दिशानिर्देशों के तहत् शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (श.स्व.का.) के तीन अवयव थे यथा शहरी निर्धन लाभार्थियों को स्व उद्यम करने के लिए स्व.ज.श.रो.यो. वित्तीय सहायता, शहरी क्षेत्र में महिलाओं तथा बच्चों के विकास (डीडब्ल्यूसीयूए) तथा शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण सरकार द्वारा प्रबंधित प्रशिक्षण संस्थानों, स्वयंसेवी संस्थाओं या निजि संस्थानों में भी कम से कम 300 घंटों के लिए दो से छः माह के लिए प्रशिक्षण देकर किया जाना था तथा योग्य उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के आवेदनों की जाँच कर उसे सामुदायिक विकास समिति (सा.वि.स.) को अग्रसारित किया जाना था।

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने जिला शहरी विकास अभिकरण (जि.श.वि.अ.) पटना को जनसंख्या अनुपात पर आधारित पटना जिले के 11 शहरी स्थानीय निकायों (श.स्था.नि.) को वितरित करने के लिए 69.63 लाख रूपये स्वीकृत किया (मई 2004)। इस राशि को श.स्था.नि. द्वारा डीडब्ल्यूसीयूए के लिए श.स्व. कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान के भुगतान (17.99 लाख रूपये), श.स्व. कार्यक्रम प्रशिक्षण (23.99 लाख रूपये), थ्रिफ्ट एवं क्रेडिट सोसाइटी डी.डव्ल्यू.सी.यू.ए. हेतु (14.99 लाख रुपये) अंतःसंरचना[1] (तीन लाख रूपये) तथा सामुदायिक संरचना[2] (9.66 लाख रूपये) हेतु खर्च किया जाना था।

जिला शहरी विकस अभिकरण पटना के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला (मार्च/अप्रैल 2005) कि जिला समाहर्ता–सह–अध्यक्ष, जि.श.वि.प्रा., पटना ने इसे श. स्था.नि. को वितरित करने के बदले 08 जून 2004 तथा 26 जून 2004 के बीच 76.18 लाख रूपये (69.63 लाख रूपये + रोकड़ शेष में से 6.55 लाख रूपये) का भुगतान 17 गैर सरकारी संगठनों[3]/निजि प्रशिक्षण संस्थानों को कर दिया। अभिलेखों की संवीक्षा से प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर निम्नांकित कमियाँ प्रकाश में आई :

1 *हस्त नलकूप, रहरी बाजार, किओस्क का निर्माण आदि।*

2 *सामुदायिक भवन, बाजार केन्द्र आदि।*

3 *1 जन कल्याण समिति, चिड़ियाटाँड़, पटना, 2 विंध्यवासिनी सेवा संस्थान, अलका कॉलोनी, कुम्हरार, पटना 3 असहाय सामाजिक विकास समिति, नन्दलाल छपरा पटना 4,प्रमिला ग्रामीण महिला विकास संस्थान, बेगमपुर, पटना, 5 सुमेधा, नेहरू नगर पटना, 6 जीवनप्रभा एजुकेशनल एण्ड चैरिटी ट्रस्ट, पीसी कॉलोनी, पटना 7 सीतामहिला तथा बाल विकास केन्द्र राजेन्द्र नगर, पटना 8 अत्यंत पिछड़ावर्ग मजदूर विकास समिति, कौशल नगर, पटना 9 जनजागृति प्रयास संथान, जय प्रकाश नगर, पटना, 10 प्रगतिशील कला संस्थान, दक्षिणी मंदिरी, पटना, 11 सृजन भारती, मुसल्लहपुर, पटना 12 अम्बेदकर वादी समाज विकास परिषद, म्यूजियम के पास, पटना, जनबन्धु कल्याण संस्थान, गुलजारबाग, पटना, 14 यूनिक सोशल एसोसिएशन, पटना 15 रामा*

प्रशिक्षण संस्थानों के चयन की पद्धति में पारदर्शिता का अभाव था। प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा प्रशिक्षण प्रस्तावों को आमंत्रित करने के लिए कोई विज्ञापन नहीं निकाला गया। सरकार द्वारा प्रबंधित प्रशिक्षण संस्थानों को प्रशिक्षण देने के लिए चयनित नहीं किया गया। प्रशिक्षण संस्थानों के चयन हेतु जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा कोई आधार नहीं तैयार किया गया।

कार्यालय में संस्थानों के अनुभव तथा निबन्धन संख्या की जाँच हेतु कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था चूँकि चार संस्थान[4] ऐसे थे जिनका निबंधन वर्ष 2003–04 में हुआ था परन्तु उनके पास प्रशिक्षण का पूर्व का अनुभव नहीं था।

प्रशिक्षुओं का न तो सर्वेक्षण किया गया और न ही सामुदायिक विकास समिति द्वारा चिह्नित किया गया जबकि 17 संस्थानों द्वारा खुद प्रशिक्षुओं की सूची समर्पित की गई जो स्व.ज.श.वि.यो. के दिशानिर्देशों के विरूद्ध था।

मात्र पाँच प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा बगैर संबंधित अभिश्रवों के 31.01 लाख रूपये के व्यय का लेखा प्रस्तुत किया गया। इसमें से एक संस्थान[5] द्वारा 15 फरवरी 2004 से 30 जून 2004 के बीच 300 उम्मीदवारों का प्रशिक्षण दिखाया गया जबकि कार्यादेश 23 जून 2004 को दिया गया था तथा तीन लाख रूपये का चेक 24 जून 2004 को निर्गत किया गया था। जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम प्रशिक्षण के अंतर्गत 69.63 लाख रूपये का उपयोगिता प्रमाणपत्र दिया गया जबकि प्रशिक्षण के तहत् 11 शहरी स्थानीय निकायों को कुल उपलब्ध अनुदान 23.99 लाख रूपया ही था तथा जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा वास्तविक व्यय 76.18 लाख रूपया था।

इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान वितरित करने के उद्देश्य से जिला शहरी विकास अभिकरण को दिए गए निर्देशों के विरूद्ध जिलाधिकारी, पटना ने अनधिकृत रूप से 69.63 लाख रूपए के अनुदान तथा प्रशिक्षण हेतु रोकड़ शेष में से 6.55 लाख रूपये का दुरूपयोग किया। लेखा परीक्षा की आपत्ति पर जिला शहरी विकास अभिकरण के अधिकारियों ने प्रशिक्षण संस्थानों के क्रियाकलापों की जाँच हेतु तीन पदाधिकारियों को निर्देश दिया (अप्रील2005), जिसका प्रतिवेदन लम्बित है।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (मई 2005); जवाब में उप निदेशक, शहरी विकास विभाग ने सचिव, शहरी विकास विभाग को सम्बोधित जि.पदा., पटना का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया (अगस्त 2005) जिसमें जि0पदा0, पटना ने स्वीकार किया है (जून 2005) कि 76.18 लाख रूपये का स्व.ज.श.वि.यो. निधि का दुर्विनियोजन किया गया है।

4 *विन्ध्यवासिनी सेवा संस्थान,पटना; प्रगतिशील कला संस्थान, पटना; राम विश्वनाथ सर्वांगीण विकास संस्थान, पटना तथा युवा बहुमुखी बेरोजगार कल्याण संस्थान, पटना।*

5 *जन बन्धु कल्याण संस्थान, गुलजारबाग, पटना।*

श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

4.1.8 वृद्धावस्था पेंशन के संवितरण हेतु असमायोजित अग्रिमें

वृद्धावस्था पेंशन के संवितरण हेतु पंचायत सेवकों को प्रदत्त अग्रिमों के समायोजन को सुनिश्चित करने में लंबी अवधि तक विफलता से सरकारी निधियों के दुर्विनियोजन का खतरा था।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के दिशानिर्देशों के तहत् व्ययन पदाधिकारियों को वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान वैसे लोगों को किया जाना चाहिए जो 60 वर्ष के ऊपर हों, गरीब हो तथा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आमदनी 5000 रूपये (ग्रामीण क्षेत्रों) तथा 5500 रूपये (शहरी क्षेत्रों) से ज्यादा न हो। प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) द्वारा लाभार्थियों को भुगतान, संबंधित मुखिया, ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों या जिला पर्षदों के सदस्य की उपस्थिति में खुला वितरण कैम्प में नकद, चेक या उस राशि को संबंधित व्यक्ति के बचत बैंक/पोस्ट ऑफिस खाते में जमा कर किया जाना चाहिए।

आठ जिलों के 23 प्रखंडों[1] के रोकड़ पंजी, अग्रिम पंजी तथा वृद्धावस्था पेंशन भुगतान से संबंधित अभिश्रवों के नमूना जाँच से प्रकट हुआ (अगस्त 2004) कि वर्ष 2001–05 के दौरान प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा अपने संबंधित पंचायत के लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन के भुगतान हेतु 108 पंचायत सेवकों को 1.58 करोड़ रूपये का अग्रिम स्वीकृत किया गया। संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि 61 पंचायतों द्वारा प्राप्त 77.26 लाख रूपये के अग्रिम के विरूद्ध कोई अभिश्रव प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके अलावे 47 पंचायत सेवकों द्वारा प्राप्त 80.74 लाख रूपये के अग्रिम के विरूद्ध मात्र 61.41 लाख रूपये के अभिश्रव दिए गए तथा 19.33 लाख रूपये उनके पास ही रख लिया गया।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन के भुगतान हेतु खुला वितरण मंच नहीं आयोजित किया तथा दिशानिर्देशों के विरूद्ध पंचायत सेवकों को 96.59 लाख रूपये का अग्रिम प्रदान किया। इसके अतिरिक्त वे अप्रील 2005 तक 108 पंचायत सेवकों को सात माह से 50 माह तक लम्बित अग्रिमों के अविलम्ब समायोजन/वसूली सुनिश्चित करने में विफल रहे। इस अवधि में 34 पंचायत सेवकों जिन पर 9.71लाख रूपये का बकाया था, का स्थानान्तरण अन्य प्रखण्डों में कर दिया गया। दो पंचायत सेवक, जिन पर 0.87 लाख रूपये का बकाया था, सेवा से बर्खास्त कर दिए गए, एक पंचायत सेवक, जिन पर 0.25 लाख रूपये बकाया था, सेवानिवृत्त हो गया तथा एक पंचायत सेवक जिस पर 2.05 लाख रूपये का बकाया था, को निलम्बित कर दिया गया।

पूछने पर बताया गया (अप्रैल 2005) कि आठ प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों[2] द्वारा बकाए अग्रिमों की वसूली के लिए कार्रवाई की जा रही है। जबकि 15 प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने लेखा परीक्षा आपत्ति पर कोई जवाब नहीं दिया। सरकार के उप–सचिव ने जवाब दिया (अगस्त 2005) कि 0.81 लाख रूपये मानपुर तथा नूरसराय प्रखण्ड के पाँच पंचायत सेवकों से वसूल कर ली गई है।

1 ***बिहार शरीफ***–नुरसराय,छपरा–जलालपुर, ***दरभंगा***–बेनीपुर, बिरौल, घनश्यामपुर, ***गया***–मानपुर, ***मधुबनी***–बाबुबरही, बासोपट्टी, बेनी पट्टी,बिस्की, कलौही, खुटौना, लोकाही, फुलपरास, रहिका, राजनगर, ***मोतिहारी***–चकिया, चिड़ैया, ढाका, मोतिहारी सदर, सुगौली ; ***समस्तीपुर***–वारिस नगर, ***सुपौल***–मरौना।

2 **मोतिहारी**–चकिया, ढाका, मोतिहारी, **मधुबनी**–बाबुबरही, बेनी पट्टी, बिस्फी, रहिका, राजनगर।

इस प्रकार प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने से संबंधित प्रावधानों के अनुपालन नहीं किए जाने के फलस्वरूप 95.78 लाख रूपये की सरकारी निधि का दुरूपयोग हुआ।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2005), उनके उत्तर अप्राप्त थे (दिसम्बर 2005)।

ग्रामीण विकास विभाग

4.1.9 *खाली जूट के बोरे के वसूली नहीं किए जाने के कारण हानि*

विभागीय अधिकारियों द्वारा खाली जूट के बोरे की वसूली नहीं किए जाने के कारण सरकार को 63.08 लाख रूपये की हानि हुई।

भारत सरकार (भा.स.) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (सं.ग्रा.रो.यो.) के क्रियान्वयन में मजदूरों को वितरित करने के लिए चावल देती है। चावल जूट के 50 किलो वाले बोरे में दिया जाता है। सं.ग्रा.रो.यो. के दिशानिर्देशों के तहत कार्यकारी अभिकरणों से खाली बोरे की वसूली कर इसे खुले बाजार में बेचा जाना चाहिए जिससे परिवहन तथा हस्थानान्तरण खर्च को पूरा किया जा सके।

तीन जिला पर्षदों[1], 601 पंचायतों तथा 45 प्रखण्डों[2] में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत चावल के वितरण तथा उठाव के कागजातों, भंडार अभिलेखों के नमूना जाँच से पता चला (नवम्बर 2004 से मई 2005 तक) कि वर्ष 2001–04 के दौरान कार्यकारी अभिकरणों द्वारा 1051387 जूट के बोरे में चावल उठाया गया जिसका विवरण निम्नवत् है :–

(संख्या में)

वर्ष	आरा	जहानाबाद	गया	योग
2001–02	88428	18374	117856	224658
2002–03	111759	72294	121968	306021
2003–04	120566	84522	315620	520708
योग	**320753**	**175190**	**555444**	**1051387**

इसके अतिरिक्त यह पाया गया कि 63.08 लाख रूपये[3] मूल्य के खाली बोरे को कार्यकारी अभिकरणों द्वारा नहीं लौटाया गया। अतः विभागीय अधिकारियों द्वारा दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किए जाने के कारण सरकार को 63.08 लाख रूपये की हानि उठानी पड़ी।

उप विकास आयुक्त (उ.वि.आ.), भोजपुर ने बताया (अप्रील 2005) कि जाँचोपरान्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण जहानाबाद तथा गया के लेखाधिकारियों ने सूचित किया कि खाली बोरों के लिए पत्राचार किया जा रहा है।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जुलाई 2005); उनके उत्तर अप्राप्त थे (दिसम्बर 2005)।

1 आरा,जहानाबाद, गया।

2 **आरा**: 1 अगिआँव, 2 आरा सदर, 3 बड़हरा, 4 विहियाँ।, 5 चरपोखरी, 6 गड़हनी, 7 जगदीशपुर, 8 कोईलवर, 9 पीरो, 10 सहार, 11संदेश, 12 शाहपुर, 13 तरारी, 14 उदवन्त नगर
जहानाबाद: 1 अखल, 2 घोसी, 3 हुलासगंज, 4 जहानाबाद, 5 काको, 6 मखदुमपुर, 7 मोदनगंज
गया: 1 गया सदर, 2 मानपुर, 3 खिजर सराय, 4 बजीरगंज, 5 बथानी, 6 अतरी, 7 मोहरा, 8 टेकारी, 9 बेलागंज, 10 मोहनपुर, 11 बारा चट्टी, 12 डोभी, 13 शेरघाटी, 14 इमामगंज, 15 डुमरिया, 16 गुरूवा, 17 गुरारू, 18 परैया, 19 तनकुप्पा, 20 बॉके बाजार, 21 फतेहपुर, 22 बोध गया, 23 कोंच, 24 अमास।

3 बोरे का मूल्य: 1051387 बोरे x 6 रूपया = 6308322रूपया = 63.08 लाख रूपये।

ग्रामीण विकास विभाग

(ग्राम्य अभियंत्रण संगठन)

4.1.10 लंबित अस्थायी अग्रिमें

कार्यपालक अभियंता ग्राम्य अभियंत्रण संगठन (कार्य) प्रमंडल, सासाराम द्वारा अस्थायी अग्रिमों की स्वीकृति/समायोजन से संबंधित संहिता के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के कारण 77.80 लाख रूपये की अग्रिमें लंबित थीं।

बिहार कोषागार संहिता के नियम 609 (ब) के तहत् किसी व्यक्ति को पूर्व की अग्रिमों के समायोजन/वसूली के बाद ही परवर्ती अग्रिम दिया जाना चाहिए तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इसके अविलम्ब वसूली/समायोजन का प्रत्येक प्रयास किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त बिहार लोक कार्य लेखा संहिता के नियमों के तहत अस्थायी अग्रिम केवल पारित अभिश्रवों के विरूद्ध प्रदान की जानी चाहिए तथा वित्तीय वर्ष के अंत के पूर्व निश्चित रूप से इसकी वसूली/समायोजन की जानी चाहिए।

ग्राम्य अभियंण (कार्य) प्रमंडल, सासाराम के अभिलेखों के नमूना जाँच से प्रकट हुआ (नवम्बर 2004) कि कार्यपालक अभियंता (कार्य0अभि0) ने श्री के.पी. सिंह, सहायक अभियंता (स0अ0), डिहरी–आन–सोन, जो बिक्रमगंज अनुमंडल के अतिरिक्त प्रभार (फरवरी 1998 से नवम्बर 1998 तक) में भी थे, को सड़क निर्माण कार्य (2.99 करोड़ रूपये) तथा कार्यभारित कर्मियों को भुगतान (0.04 करोड़ रूपये) के लिए वर्ष 1997–1999 के दौरान 2.33 करोड़ रूपये का अस्थायी अग्रिम स्वीकृत किया गया। इसमें से वर्ष 1998–99 के दौरान कार्य.अभि. द्वारा 1.55 करोड़ रूपये का समायोजन किया गया। इस बीच उस पदाधिकारी का स्थानान्तरण जून 1999 में उनके पैत्रिक विभाग यथा पीडब्लूडी में हो गया तथा उनका अंतिम वेतन प्रमाणपत्र उनके योगदान के स्थान पर नहीं भेजा गया। इस प्रकार लेखा समर्पित नहीं किए जाने, सहा.अभि. के स्थानान्तरण पर प्रभार का हस्तगत नहीं किए जाने तथा कार्य.अभि. द्वारा अग्रिमों के समायोजन/वसूली के अनुश्रवण के अभाव में जून 2005 तक 77.80 लाख रूपये का अग्रिम स.अभि. के विरूद्ध लंबित रहा।

इस प्रकार कार्य.अभि., ग्रामीण अभियंत्रण संगठन सासाराम द्वारा अस्थायी अग्रिमों के समायोजन/वसूली से संबंधित संहिता के प्रावधानों के उल्लंघन करने के फलस्वरूप सहा.अभि. के विरूद्ध सात वर्षों से 77.80 लाख रूपये का अग्रिम लंबित रहा, जिसके दुर्विनियोजन के खतरे की संभावना थी।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (अप्रैल 2005/अगस्त 2005); संयुक्त सचिव ने जवाब दिया (अगस्त 2005) कि चूँकि पदाधिकारी का पदस्थापन झारखण्ड में हो गया था अतः इस संदर्भ में उनका जवाब प्राप्त करना मुश्किल साबित हो रहा था। जबकि संबंधित अधी.अभि./सहा.अभि. को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु संबंधित अभिलेखों को जमा करने हेतु निदेशित किया गया है।

पथ निर्माण विभाग

4.1.11 सरकारी भवन के निलामी के कारण हानि

कार्यपालक अभियंता/विभागीय अधिकारी द्वारा उप न्यायाधीश की अदालत में शपथ–पत्र दायर नहीं किए जाने के कारण कार्यालय भवन की निलामी हुई।

पथ निर्माण प्रमंडल (प.नि.प्र.), सिवान के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ (फरवरी 2004) कि कार्यपालक अभियंता ने सिवान पैगम्बरपुर पथ की मरम्मति कार्य (जुलाई 1993) तथा नवीन सिवान–हँसुआ पथ की विशेष मरम्मति (जुलाई 1995) का कार्य जुलाई 1994 तथा अगस्त 1995 तक पूरा किया जाने के लिए 10.35 लाख रूपये तथा 1.62 लाख रूपये की प्राक्कलित लागत पर एक संवेदक को प्रदान किया। संवेदक द्वारा सिवान–पैगम्बर पथ की मरम्मति कार्य के किए जुलाई 1993 में समर्पित 1.88 लाख रूपये का द्वितीय चालू विपत्र का भुगतान नहीं हुआ तथा नवीन सिवान–हँसुआ पथ की विशेष मरम्मति कार्य की किए जुलाई 1995 में समर्पित 1.43 लाख रूपये के पॉचवे तथा अंतिम विपत्र के विरूद्ध प्रमंडल ने संवेदक को मात्र 0.64 लाख रूपये का भुगतान किया।

संवेदक ने बकाया भुगतान प्राप्त करने हेतु पटना उच्च न्यायालय में एक मामलें दायर किया (1996)। उच्च न्यायालय ने संवेदक को बकाया भुगतान प्राप्त करने के लिए सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना से अनुरोध करने का आदेश दिया (अगस्त 1997) तथा विभाग के सचिव को संवेदक के अभ्यावेदन देने की तिथि से 6 माह के अंदर बकाया विपत्र के भुगतान का निदेश दिया तथा कहा कि ऐसा नहीं होने पर संवेदक को राशि प्राप्त करने के लिए व्यवहार न्यायालय जाने के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी। सचिव, पथ निर्माण विभाग ने संवेदक के अभ्यावेदन (सितम्बर 1997) पर बकाया भुगतान देने से इन्कार किया (जून 1998)। चूँकि संवेदक को भुगतान नहीं किया गया, उसने विभाग से सूद सहित 2.67 लाख रूपये प्राप्त करने के लिए उप न्यायाधीश सिवान की अदालत में एक धन याचिका दायर किया (अगस्त 2000)।

विभाग समय पर अदालत में प्रतिशपथ पत्र दायर करने में विफल रहा। उप न्यायाधीश ने संवेदक के पक्ष में एकरतफा 10 प्रतिशत सूद के साथ (कुल डिक्रेटल राशि 4.50 लाख रूपये) 2.67 लाख रूपये की धन याचिका को मंजूर किया (सितम्बर 2001)। परन्तु मामला विभाग तथा प्रमंडल के बीच झूलता रहा तथा न तो न्यायायिक के राशि का भुगतान किया गया और न ही उप न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में कोई अपील ही दायर किया गया। तदन्तर उप न्यायाधीश द्वारा कुर्की आदेश पारित किया गया (अगस्त 2002) जिसमें आरसीडी सिवान का कार्यालय भवन को जनवरी 2003 में जब्त कर लिया गया तथा 4.89 लाख रूपये पर संवेदक के पक्ष में इसकी निलामी कीगई। विभाग ने उप न्यायाधीश के आदेश पारित होने के 18 माह बाद पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किया (मार्च 2003)। याचिका को चूक के कारण रद्द कर दिया गया। इस याचिका के रद्द किये जाने के बाद प्रथम याचिका को पुनर्जीवित करने के लिए एक दूसरी याचिका विभाग द्वारा दायर कि गयी (फरवरी 2005), जो नवम्बर 2005 तक लम्बित है। इस अवधि में निलाम किए गए भवन पर संवेदक को कब्जा दे दिया गया (अगस्त 2003) जिसने कार्यालय के अभिलेखों को हटाकर भवन को ध्वस्त कर दिया।

इस प्रकार यह कहते हुए कि संवेदक की माँग को सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, कार्यपालक अभियंता/विभागीय अधिकारियों द्वारा उप न्यायाधीश की अदालत

में प्रतिशपथ–पत्र दायर नहीं किए जाने के कारण कार्यालय भवन की निलामी हुई तथा सरकार को 26.02 लाख रूपये[1] की हानि हुई।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (अप्रील 2005); उत्तर अप्राप्त थे (दिसम्बर 2005)।

4.2 निष्फल/व्यर्थ व्यय एवं अधिक भुगतान

शहरी विकास विभाग

4.2.1 पटना जलापूर्ति योजना का संवर्धन

पटना जल पर्षद के द्वारा 3.25 करोड़ रूपये मूल्य के मोटर पम्प के खरीद के लिए एक अभिकरण को अदेय सहायता तथा सामग्रियों की खरीद (99.49 लाख रूपये) एवं मुर्रतुलीगंज में एक कार्यशील नलकूप (17.98 लाख रूपये) पर 1.17 करोड़ रूपये का निष्फल व्यय।

ग्यारहवें वित्त आयोग के तहत पटना जलापूर्ति योजना के विस्तार को 49 नलकूपों[1] के अधिष्ठापन द्वारा जल के माँग की पूरा करने के उद्धेश्य से राज्य सरकार ने पटना जल परिषद को 12.17 करोड़ रूपये आवंटित किया (मई 2002)। पटना जल पर्षद के अभिलेखों की संवीक्षा से ज्ञात हुआ (मार्च/अप्रील 2005) कि 49,120/60 एचपीवीटी ज्योति वी टी मोटर पम्प की आपूर्ति के लिए इस नाम से निविदा आमंत्रित किया गया (मई 2002)। इसके अनुसार मेसर्स ज्योति लिमिटेड, निर्माता तथा इसके एक वितरक ने जून 2002 में एक निविदा समर्पित किया तथा 3.25 करोड़ रूपये मूल्य के 49 ज्योति वी टी मोटर पम्प का क्रय किया गया (सितम्बर 2002)। इस प्रकार न तो तकनीकि विशेषज्ञ समिति और न ही सरकार ने ज्योति वी टी मोटर पम्प के मान से इसे क्रय करने के लिए मंजूरी दिया। इसके अतिरिक्त यह पाया गया कि परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा पहले से अधिष्ठापित पाँच नलकूपों पर मोटर पम्प लगाने का काम शुरू किया जाना था परन्तु विहार राज्य जल पर्षद तथा पटना जल पर्षद के बीच पानी देने की क्षमता से संबंधित उपयुक्त स्थल को लेकर विवाद होने के कारण कार्य शुरू नहीं हो सका। पटना जल पर्षद ने अक्टूबर 2002 से मई 2003 के बीच 99.49 लाख रूपये[2] की सामग्रियों को खरीदा। ये सामग्रियाँ बेकार पड़े थे तथा अगस्त 2005 तक पाँचों नलकूप अकार्यशील थे। इसके अतिरिक्त 44 नलकूपों में से 17.98 लाख रूपये मूल्य का मुर्रतुलीगंज का एक नलकूप पम्प चैम्बर का निर्माण नहीं होने तथा विद्युत आपूर्ति के अभाव में अगस्त 2005 तक अकार्यशील रहा।

इस प्रकार पटना जल पर्षद के 3.25 करोड़ रूपये मूल्य के मोटर पम्प की खरीद हेतु एक अभिकरण को अदेय सहायता दी गई तथा पाँच नलकूपों की खरीद (99.49 लाख रूपये) तथा मुर्रतुलीगंज के एक अकार्यशील नलकूप पर (17.98 लाख रूपये) पर कुल 1.17 करोड़ रूपये का निष्फल व्यय हुआ।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जुलाई 2005); उत्तर अप्राप्त थे (दिसम्बर 2005)।

1 *निबंधक, जिलानिबंधन कार्यालय, सिवान द्वारा निर्धारित जमीन का मूल्य यथा 9.075 कट्ठा जमीन x 2.73लाख रूपये = 24.77 लाख रूपये + 1.25 लाख रूपये (कार्यालय परिसर का मूल्य)*

1 *44 खराब नलकूपों को बदलना तथा बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा पूर्व में अधिष्ठापित 5 नलकूपों कोकार्यरत बनाना।*

2 *5 ज्योति वीटी मोटर पम्प: 34.78 लाख रूपये, सीआई स्पन पाइप 4194.5 मीटर: 58.13 लाख रूपये, सीआई स्पेशल पाइप 16409 किलो: 5.23 लाख रूपये तथा 12 स्लूइस: 1.35 लाख रूपये।*

4.3 संविदात्मक दायित्वों का उल्लंघन/संवेदकों को अदेय सहायता

पथ निर्माण विभाग

4.3.1 संवेदक को अदेय वित्तीय सहायता तथा अलाभकारी व्यय

गया–पंचाननपुर–दाऊदनगर पथ के अपूर्ण निर्माण के कारण 2.16 करोड़ रुपये का व्यय अलाभकारी था तथा कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण प्रमंडल, औरंगाबाद द्वारा संवेदक को अदेय सहायता देने के कारण 49.25 लाख रुपये की हानि।

गया–पंचाननपुर–दाऊदनगर पथ के 35.20 कि.मी. से 70.50 कि.मी. के चौड़ीकरण तथा मजबूतीकरण के कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति (नवम्बर 2000) 6.03 करोड़ रुपये में तथा तकनिकी स्वीकृति (नवम्बर 2000) 5.63 करोड़ रुपये में दी गई। कार्य संवेदक को आकलित लागत से 3 प्रतिशत अधिक पर निविदा समिति द्वारा आवंटित की गई (फरवरी 2001) जिसे अगस्त 2001 तक पूरा कर लिया जाना था। तदन्तर कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण प्रमंडल (आर सी डी), औरंगाबाद ने संवेदक से एकरारनामा किया (फरवरी 2001)। दूसरा अनुपूरक एकरारनामा भी पथ को 20 एम एम सेमी डेन्स कारपेट से मजबूत करने तथा इसे दोनो तरफ से 2.05 मीटर चौड़ा करने के लिए 52.87 लाख रुपये में किया गया (मार्च 2003)। अलकतरा, विभाग द्वारा आपूर्ति किया जाना था। संवेदक ने 1.98 करोड़ रुपये का भुगतान प्राप्त कर कार्य छोड़ दिया (जुलाई 2003)। कार्य कार्यपालक अभियंता के आदेशानुसार पूर्णतः बंद कर दिया गया (दिसम्बर 2003) ,तथा अंतिम भुगतान दिसम्बर 2003 में किया गया।

अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नांकित कमियाँ पायी गई :

- पथ के 35.20 कि.मी. से 51 कि.मी. तक चौड़ीकरण तथा मजबूतीकरण कार्य नहीं किया गया जबकि 52 कि.मी. से 70.50 कि.मी. तक केवल चौड़ीकरण कार्य ही पूरा किया। इस प्रकार पथ के किसी हिस्से का कार्य पूर्ण रूप से नहीं किया गया तथा 1.98 करोड़ रुपये का अपूर्ण पथ निर्माण पर किया गया खर्च अलाभकारी साबित हुआ।

- एकरारनामे के अनुसार संवेदक को आपूर्ति किए गए अलकतरे की वसूली 10505 रुपये प्रति एम टी की दर से किया जाना था। यह देखा गया कि उपभोग किए गए अलकतरे (283 एम टी) के लागत के लिए 29.74 लाख रुपये वसूलनीय राशि के विरूद्ध मात्र 8.10 लाख रुपये ही वसूल किए गए जिसके परिणामस्वरूप 21.64 लाख रुपये की कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त 0.63 लाख रुपये मूल्य के खाली ड्रम के मूल्य की वसूली भी नहीं की गई।

- संहिता के प्रावधानों के तहत संवेदक को अधिकतम 15 दिन के उपयोग के लिए ही अलकतरे के मात्रा की आपूर्ति की जानी थी। अनुपयोगित अलकतरे की मात्रा के मूल्य की वसूली निर्गत मूल्य से दुगुना या चालू बाजार दर, जो भी अधिक हो, की दर से किया जाना था। संवेदक को जनवरी 2002 तथा मार्च 2003 के बीच 380 एम टी अलकतरा दिया गया जिसमें से मात्र 283 एम टी अलकतरा कार्य में उपयोग किया गया तथा शेष संवेदक के पास रह गया। यह देखा गया कि 97 एम टी अलकतरा जिसका निर्गत मूल्य का दुगुना 20.35 लाख रुपये था, की वसूली संवेदक से नहीं की गई।

- इसके अतिरिक्त अनुपूरक एकरारनामे (मार्च 2003) के विरूद्ध कार्य समय के अन्दर नहीं पूर्ण हो सका तथा संवेदक द्वारा 17.68 लाख रुपये प्राप्त किये जाने के बाद कार्य छोड़ दिया गया (जुलाई 2003)। इस प्रकार अनुपयोगित अलकतरे (6.29 लाख रुपये) तथा खाली ड्रम (0.33 लाख रुपये) के मूल्य की वसूली संवेदक से नहीं की गई।

इस प्रकार पथ कार्यों के अपूर्ण निर्माण पर 2.16 करोड़ रुपये का खर्च अलाभकारी था तथा 49.25 लाख रुपये की अदेय सहायता संवेदक को दी गई।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जुलाई 2005) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (दिसम्बर 2005)।

4.4 परिहार्य / आधिक्य / निष्फल व्यय

ग्रामीण विकास विभाग

4.4.1 इंदिरा आवास निधि का दुरूपयोग

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण लोगों के आवासीय जरूरतों के लिए निमित्त 30.79 लाख रुपये की निधि अयोग्य लोगों के लिए उपयोग की गई।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवास प्रदान करने के लिए लक्षित समूह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (बी पी एल) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मुक्त बंधुआ मजदूर तथा गैर अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति के लोग थे। पंचायत के ग्राम सभा द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की पहचान किया जाना था। प्रखंड विकास पदाधिकारी (बी डी ओ) द्वारा उनके नाम की बी पी एल सूची से जाँचोपरांत अनुमंडलाधिकारी (एस डी ओ) को लाभार्थियों की सूची स्वीकृति हेतु भेजी जानी थी। योजना के तहत आबंटित निधि को आवासीय इकाइयों के निर्माण हेतु गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लाभार्थियों को एकमुश्त दिया जाना था।

बीडीओ, सन्हौला (भागलपुर) के अभिलेखों तथा लाभार्थियों की सूची की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ (जुलाई 2004) कि बीडीओ ने एस डी ओ को नाम अनुमोदित करने के पूर्व इसे बी पी एल सूची से जाँच नहीं किया तथा 215 लोगों, जो बी पी एल सर्वेक्षेण प्रतिवेदन के अनुसार बी पी एल सूची में नहीं थे, को 30.79 लाख रुपये का भुगतान किया (अप्रील 2002–फरवरी 2005)।

इस प्रकार जो निधि, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के आवासीय जरूरत को पूरा करने के लिए निमित्त थी, को इंदिरा आवास योजना के दिशानिर्देशों के विरूद्ध अयोग्य लोगों के आवासीय इकाइयों के निर्माण हेतु दुरूपयोगित किया गया।

लेखापरीक्षा के आपत्ति पर बीडीओ, सन्हौला ने जवाब दिया (जुलाई 2004) कि भविष्य में इस प्रावधान का पालन कड़ाई से किया जाएगा।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (अप्रील 2005) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (दिसम्बर 2005)।

4.4.2 सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं की निधि का दुरूपयोग

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के अंतर्गत अनिर्दिष्ट कार्यों के लिए 98.45 लाख रुपये का दुरूपयोग किया गया।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (सा.स्था.क्षे.वि.) के दिशानिर्देशों के तहत योजना के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों की विस्तृत सूची में शहरों/गाँवों की गन्दी बस्तियों में जन सुविधाओं को प्रदान करना यथा विद्युत, जल, पगडंडी, लोक शौचालय, आदि तथा उच्च विद्यालयों में शिक्षा हेतु कम्प्यूटर लगाना सम्मिलित था। इसके अतिरिक्त राज्य या केन्द्र सरकार विभागों अभिकरणों या संस्थानों के कार्यालय भवनों, आवासीय भवनों तथा अन्य भवनों का निर्माण तथा स्मारकों, स्मारक भवनों, स्थायी परिसम्पत्ति के जीर्णोद्धार/विकास के लिए विशेष मरम्मति कार्य को छोड़कर अन्य मरम्मति एवं संधारण कार्य तथा किसी प्रकार के भंडार के क्रय को योजना के अंतर्गत अनुमति नहीं दी गई थी।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (जि.ग्रा.वि.अ.), मोतिहारी तथा उप–विकास आयुक्त (डीडीसी), पटना तथा नालंदा के अभिलेखों के नमूना जाँच से पता चला (सितम्बर 2004 से नवम्बर 2004 तक) कि 2000–04 के दौरान 98.45 लाख रुपये को सा.स्था.क्षे. वि. निधि का दुरूपयोग विभिन्न अनिर्दिष्ट कार्यों के लिए हुआ जिसमें पटना के गैर झूग्गी–झोपड़ी क्षेत्रों के लिए विद्युतीकरण (9.44 लाख रुपये), विद्यालयों के बदले नालंदा जिला मुख्यालय तथा पाँच प्रखंडों में कम्प्यूटर केन्द्र की स्थापना (17.75 लाख रुपये), मोतिहारी में टाऊन हॉल का निर्माण (57.12 लाख रुपये) तथा नालंदा एवं मोतिहारी में स्मारकों तथा स्मारक भवनों के निर्माण (14.14 लाख रुपये) का खर्च सम्मिलित था।

इस प्रकार योजना के अंतर्गत प्रस्तावित स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण पर बल डालते हुए स्थानीय जरूरतों पर आधारित विभागीय कार्यों को प्रदान करने का वांछित उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई तथा 98.45 लाख रुपये की निधि का दुरूपयोग अनिर्दिष्ट कार्यों हेतु किया गया।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (मई 2005) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (दिसम्बर 2005)।

4.4.3 सं.ग्रा.स्व.यो. निधि का दुरूपयोग

मानकों का उल्लंघन करते हुए पाँच डी आर डी ए ने 1.93 करोड़ रुपये का एस जी एस वाई अंतःसंरचना निधि का दुरूपयोग किया।

सम्पूर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना (सं.ग्रा.स्व.यो.) के कंडिका 2.2 के दिशानिर्देशों के अनुसार अतिरिक्त अंतःसंरचना का सृजन संकटपूर्ण कमी को पूरा करने के लिए होना चाहिए। इसके अतिरिक्त दिशा निर्देश के कंडिका 2.5 के अनुसार अंतःसंरचना प्रदान करने के लिए दिए गए निधि का उपयोग मुख्यतः अंतःसंरचना में छोटे कमियों को दूर करने के लिए होना चाहिए ताकि कार्यक्रम का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी बनाया जा सके। अंतःसंरचना सृजन के लिए प्रस्तावित समय अवधि का वर्णन प्रस्तावों में स्पष्टतः किया जाना चाहिए एवम् कार्य की प्रगति को देखते हुए निधियाँ कार्यकारी अभिकरणों को क्रमशः धीरे–धीरे देना चाहिए।

चार जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों[1] (जि.ग्रा.वि.अ.) के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला (अप्रील–जुलाई 2004) कि 3.39 करोड़ रुपये की सं.ग्रा.स्व.यो. अंतःसंरचना निधि 2001–04 के दौरान बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक फेडरेशन लिमिटेड (कॉमफेड) को बिल्कुल नई अंतःसंरचना यथा सिविल एवं विद्युत कार्यों के क्रियान्वयन, दुग्ध शीतलीकरण उपक्रम के अधिप्राप्ति, अधिष्ठापन तथा शुरूआत, दुग्ध केन्द्रों के निर्माण तथा स्वरोजगारियों के लिए कार्यशाला एवं प्रशिक्षण हेतु भवनों के निर्माण के लिए दिया गया। विवरण निम्नवत है :

जि.ग्रा.जि.अ. का नाम	प्रयोजना जिसके लिए निधि विमुक्त की गई	भुगतान की अवधि	प्राक्कलित राशि	डी डी सी/ जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा कॉमफेड पटना को विमुक्त की गई राशि	सम्पादित कार्य का मूल्य	अभिकरण के पास शेष राशि	अभियुक्ति
बिहारशरीफ	शीतलीकरण उपक्रम की स्थापना	2000–01	115.13	115.00	शून्य	115.00	जमीन के विवाद के कारण कार्य नहीं शुरू हो सका।
भभुआ	–वही–	2001–02	102.00	102.00	78.03	23.97	इफलयूएन्ट ट्रीटमेंट प्लान्ट शुरू नहीं किया गया तथा दो ब्वायलर की समस्या का समाधान नहीं हुआ।
भागलपुर	–वही–	2002–03	111.94	107.48	107.48	–	अपूर्ण कार्यों का कोई कारण नहीं
नालंदा	12 दुग्ध केन्द्रों का निर्माण	2001–02	14.05	14.05	7.07	7.02	अप्रील 2005 तक छः बूथ अपूर्ण थे।
कुल			**343.12**	**338.53**	**192.54**	**145.99**	

संवीक्षा से आगे पता चला कि कौमफेड पटना को 2001–04 के दौरान विमुक्त 3.39 करोड़ रुपये में से इसने अप्रील 2004 तक 1.93 करोड़ रुपये का कार्य सम्पादित किया तथा शेष 1.46 करोड़ रुपये दो से चार वर्षों (2001–05) के लिए अपने पास रखा। स्व. ग्रा.स्व.यो. दिशानिर्देशों के उल्लंघन में निधियाँ बिल्कुल अस्तित्व में नहीं रहने वाले अंतःसंरचना के सृजन यथा शीतलीकरण उपक्रम तथा दुग्ध केन्द्रों की स्थापना हेतु कौमफेड को विमुक्त की गई।

संबंधित उप विकास आयुक्तों (डी डी सी) ने योजना के अंतर्गत कराए गए कार्यों के क्रियान्वयन का अनुश्रवण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप 1.93 करोड़ रुपये के सं.ग्रा. स्व.यो. अंतःसंरचना निधि का दुरूपयोग हुआ तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मिलने वाले योजना के वांछित लाभ से वंचित रखा गया।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (मई 2005) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (दिसम्बर 2005)।

1 *बिहारशरीफ, भभुआ, भागलपुर तथा नालंदा।*

शहरी विकास विभाग

4.4.4 राष्ट्रीय झुग्गी झोपड़ी विकास कार्यक्रम निधि का दुरूपयोग

राष्ट्रीय झुग्गी झोपड़ी विकास कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में मधुबनी तथा दरभंगा जिलों के कार्यपालक अभियंताओं ने झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों के विकास पर 2.76 करोड़ रुपये का दुरूपयोग किया तथा सामग्रियों के खरीद पर 94.67 लाख रुपये का संदेहास्पद व्यय था।

राष्ट्रीय झुग्गी झोपड़ी विकास कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार योजना के अंतर्गत सामाजिक तथा आर्थिक सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की पहचान तथा सर्वेक्षण किया जाना था। योजना को सतही स्तर पर पड़ोसी समिति या सामुदायिक विकास समिति (सा.वि.स.) द्वारा कार्यान्वित किया जाना चाहिए था।

राज्य सरकार ने 2000–2004 के दौरान नगर परिषद, मधुबनी को 2.51 करोड़ रुपये तथा दिसम्बर 2000 में नगर निगम, दरभंगा को 1.40 करोड़ रुपये झुग्गी झोपड़ी के विकास, जलापूर्ति, प्रवाह जल निस्सरण, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक केन्द्रों, अवस्थित गलियों के रास्ते तथा चौड़ीकरण, नालियों, सामुदायिक शौचालयों तथा गली में विद्युतीकरण जैसी सुविधाओं के लिए आवंटित किया।

नगर पर्षद, मधुबनी तथा नगर निगम, दरभंगा के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला (फरवरी 2005) कि झुग्गी झोपड़ी में अवस्थित गलियों के रास्ते बनाने तथा चौड़ीकरण के बदले नगर पर्षद, मधुबनी ने 2000–2004 के दौरान 1.52 करोड़ रुपये गैर झुग्गी झोपड़ी में नालों तथा सादे सीमेंट कंक्रीट (पी.सी.सी.) पथ के निर्माण पर खर्च किया। इसी प्रकार नगर निगम, दरभंगा ने 2001–02 के दौरान 1.24 करोड़ रुपये गैर झुग्गी झोपड़ी में पथों की मरम्मति तथा पथ के नालों, ईंटकरण, अलकतरा पथ एवम् पी सी सी पथ के निर्माण पर खर्च किया। इस प्रकार नगर पर्षद, मधुबनी तथा नगर निगम, दरभंगा द्वारा सम्पादित कार्य एन एस डी पी के दिशानिर्देशों के अनुपालन में झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में नहीं कराए गए। इसके अलावे कार्य पड़ोसी समिति या सा.वि.स. के द्वारा क्रियान्वित नहीं किए गए जबकि दिशानिर्देश के अंतर्गत यह वांछित था।

यह भी पाया गया कि 2001–2004 के दौरान नगर परिषद, मधुबनी द्वारा खरीदा गया 76.82 लाख रुपये[1] मूल्य के तथा नगर निगम, दरभंगा द्वारा 2001 में खरीदा गया 17.85 लाख रुपये[2] मूल्य के सामग्रियों की प्रविष्टि संबंधित भंडार पंजियों तथा स्थल सामग्री लेखा में नहीं की गई। इस प्रकार 94.67 लाख रुपये के सामग्रियों की खरीद संदेहास्पद थी।

जवाब में कार्यपालक अभियंता, नगर परिषद, मधुबनी ने बताया (फरवरी 2005) कि जिला समाहर्त्ता (जि0स0) के निदेश पर गैर झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में कार्य सम्पादित किए गए हैं। नगर निगम, दरभंगा के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने जवाब दिया (फरवरी 2005) कि सभी योजनाएँ जिला शहरी विकास अभिकरण (जि.श.वि.अ.) द्वारा चयनित किया जाना था तथा डी एम दरभंगा द्वारा इसकी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी।

1 *कंक्रीट तथा बालू – 53.85 लाख रुपये, सीमेन्ट – 22.97 लाख रुपये*

2 *अलकतरा (6.98 लाख रुपये), सिमेन्ट (10.87 लाख रुपये)।*

इस प्रकार नगर पर्षद, मधुबनी तथा नगर निगम, दरभंगा द्वारा गैर झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र के विकास हेतु 2.76 करोड़ रुपये का दुरूपयोग किया गया जिससे झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों जो वास्तविक लाभार्थी थे, को मिलने वाले कार्यक्रम के वांछित सुविधाओं से वंचित रखा गया। इसके अतिरिक्त सामग्रियों की खरीद पर 96.47 लाख रुपये का संदेहास्पद व्यय था।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जून 2005) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (दिसम्बर 2005)।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

4.4.5 ऊर्जा शुल्क पर परिहार्य व्यय

आवासीय उपभोक्ताओं से एच टी कनेक्शन के दर के बदले घरेलू कनेक्शन के लिए निर्धारित दर से ऊर्जा शुल्क लेने के अन्यायसंगत फैसले के कारण 2001–04 के दौरान 68.60 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आई जी आई एम एस), पटना बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बी एस ई बी) से 670 के भी ए के एकरारनामे के माँग के साथ 11 के भी का उच्च टेंशन (एच टी) ऊर्जा सम्पक्र प्राप्त किया। इसे अपने अस्पताल परिसर क्षेत्र तथा आवासीय क्षेत्र के स्थापना के समय एच टी उपभोक्ता संवर्ग I के लिए निर्धारित दर (1.78 रुपये प्रति यूनिट+अन्य शुल्क) पर ऊर्जा शुल्क का भुगतान करना था। आवासीय क्षेत्र में रहने वाले लगभग 300 परिवारों, एक धर्मशाला भवन, एक विद्यालय तथा कुछ दुकानों जिनका कुल विद्युत भार 400 के भी ए (लगभग) का था को भी इसी ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्था से विद्युत आपूर्ति दिया गया। आई जी आई एम एस द्वारा बी एस ई बी को एच. टी. उपभोक्ता संवर्ग–I के लिए निर्धारित दर[1] से ऊर्जा शुल्क का भुगतान कर रहा है।

संस्थान के अभिलेखों के नमूना जाँच से पता चला (फरवरी 2005) कि दूकानों, आवासीय परिसरों आदि में संस्थान के द्वारा विद्युत उपमीटर नहीं लगाया गया तथा निवासियों से विद्युत शुल्क की वसूली कुल 51408 यूनिट मात्र मासिक औसतन के आधार पर 1.37 रुपये प्रति यूनिट की औसत दर पर की जा रहीं थी। इस प्रकार विद्युत शुल्क की वसूली आई जी आई एम एस द्वारा बी इस ई बी को वास्तविक रूप से भुगतान की गई दर से कम पर की जा रही थी। अभिलेख से ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जिससे विभिन्न प्रकार के स्टाफ से विभिन्न दर लेने तथा औसत यूनिट के निर्धारण का आधार का कारण पता चल सके।

यह पाया गया कि संस्थान ने आवासीय तथा अन्य उपभेक्ताओं द्वारा विद्युत उपभोग किए जाने के कारण बी एस ई बी को 98.08 लाख रुपये का भुगतान किया जबकि इसने उनसे 2001–04 के दौरान मात्र 29.48 लाख रुपये की वसूली की।

इसके फलस्वरूप आई जी आई एम एस के द्वारा आवासीय तथा अन्य उपभोक्ताओं के लिए विद्युत शुल्क के भुगतान के कारण 2001–04 के दौरान 68.40 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

[1] *1.78 रुपये प्रति यूनिट + 125 रुपये प्रति के भी ए की दर से अधिकतम माँग शुल्क + 2.44 प्रति यूनिट की दर से ईंधन अधिभार + ईंधन के मूल्य का 6 प्रतिशत इ डी सी*

लेखापरीक्षा आपत्ति पर निदेशक, आई जी आई एम एस, पटना ने बताया (मार्च 2005) कि आवासीय उपभोक्ताओं तथा अन्य के लिए घरेलू कनेक्शन लेने के लिए बी एस ई बी से पत्राचार किया गया है। जबकि आई जी आई एम एस को घरेलू कनेक्शन लेने के उसी समय बी एस ई बी से सम्पर्क करना चाहिए था जब स्टाफ क्वार्टर का निर्माण हो रहा था। आई जी आई एम एस के कार्रवाई में विलम्ब के कारण, इसे विद्युत शुल्क के लिए 68.40 लाख रुपये का परिहार्य व्यय वहन करना पड़ा।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (मई 2005) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (दिसम्बर 2005)।

4.5 निष्क्रिय निवेश/निष्क्रिय स्थापना/निधि का अवरोधन

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

4.5.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आवास एवं पथ सुविधा का नहीं दिया जाना

542 एकड़ भूमि के लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 26.22 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया। परिणामस्वरूप लाभार्थियों के लक्षित समूह को वांछित सुविधाओं से वंचित रखा गया तथा 5.57 करोड़ रुपये की निधि अवरूद्ध रही।

राज्य की आकस्मिक निधि सरकार के नियंत्रण में एक अग्रदाय के रूप में रहती है जिसे राज्य के विधायिका के स्वीकृति की प्रत्याशा में अदूरदर्शी व्यय को पूरा करने के लिए होता है।

वित्त विभाग द्वारा राज्य के आकस्मिक निधि में से 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए (मार्च 2001)। तदन्तर इसे प्रतिपूर्ति किया गया (2000–01 का तीसरा अनुपूरक बजट) तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आपातकालीन स्थिति में जिला स्तर पर अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के गृहविहीन परिवारों के गृह तथा संपर्क पथ के निर्माण (लक्षित लाभार्थियों का क्षेत्र : 541.93 एकड़) के लिए जमीन खरीदने के लिए 17 जिलों[1] को यह राशि विमुक्त की गई। अग्रिम के आहरण की तिथि से तीन माह के अंदर क्रय कर लिया जाना था।

छः जिला समाहर्त्ता[2] तथा भू–अर्जन पदाधिकारियों (जि.स. तथा भू.अ.पदा.) के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ (अप्रैल–मई 2005) कि 6.90 करोड़ रुपये की आवंटित निधि इन जिलों में उपरोक्त परियोजना/योजना के लिए कोषागार से आहरित की गई (मार्च 2001) तथा आयुक्त सह सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देशानुसार (मार्च 2001) इसे संबंधित जिला समाहर्ताओं द्वारा शीर्ष 8443 असैनिक जमा के अंतर्गत जमा कर दिया गया (मार्च 2001 से मार्च 2002)। तदन्तर सरकार ने परियोजना के खर्च को पूरा करने के लिए जिला समाहर्त्ताओं को निधि को असैनिक जमा से आहरण/विमुक्ति

1 *औरंगाबाद, बेगुसराय, बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज, जमुई, खगड़िया, मधुबनी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, नवादा, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल तथा वैशाली।*

2 *जमुई, मोतिहारी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली।*

हेतु निदेश जारी किया (सितम्बर 2001 से मार्च 2002)। पाँच डी एम/ एल ए ओ[3] ने असैनिक जमा से 4.14 करोड़ रुपये आहरित किया (फरवरी 2002 से अक्टूबर 2004) तथा निधि को योजना के लिए उपयोग करने के बदले 2.81 करोड़ रुपये बचत/चालू बैंक खाते में डाल दिया (फरवरी 2002 से अक्टूबर 2004) तथा 50 लाख रुपये जमुई जिले के कोषागार में "0029 भूमि सुधार" प्राप्ति शीर्ष में जमा कर दिया (मार्च 2002)। जबकि 83 लाख रुपये 26.22 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु उपयोग में लाई गई।

जिला स्तर के पदाधिकारी निधियों का उपयोग करने में विफल रहे तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के परिवारों को सुविधाएँ प्रदान करने के वांछित लक्ष्य को पूरा नहीं किया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा योजना की प्रगति का अनुश्रवण नहीं किया गया। परिणामस्वरूप 2.81 करोड़ रुपये बैंक के बचत खाते में अवरूद्ध रहा तथा 2.76 करोड़ रुपये चार वर्षों तक असैनिक जमा में रखा गया।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जुलाई 2005) ; उत्तर अप्राप्त थे (दिसम्बर 2005)।

[3] *जमुई (0.50 करोड़ रुपये) ; मोतिहारी (1.59 करोड़ रुपये) मुजफ्फरपुर (0.80 करोड़ रुपये); सीतामढ़ी (0.70 करोड़ रुपये) ; वैशाली (0.55 करोड़ रुपये).*

अध्याय–V

आंतरिक नियंत्रण तंत्र

पशुपालन विभाग

5.1 पशुपालन विभाग में आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन

मुख्याकर्षण

पशुपालन विभाग में निधियों का अभ्यर्पण, अनुपूरक अनुदान का अनावश्यक माँग एवं विभिन्न योजनाओं के अक्रियान्वयन/अल्प क्रियान्वयन के कारण आन्तरिक नियंत्रण तंत्र प्रभावी ढ़ंग से कार्य नहीं कर रहा था। योजनाओं से संबंधित नियत लक्ष्यों के आंकड़ों को उपलब्ध कराने में विभाग विफल रहा। तदन्तर विभाग स्वीकृत बल और कार्यरत बल की जानकारी नहीं दे सका। इससे यह परिलक्षित होता है कि विभाग में आन्तरिक नियंत्रण तंत्र अप्रभावी था।

वास्तविक जरूरत का ध्यान नहीं रखते हुए बजट प्राक्कलन तैयार करने से वर्ष 2000–2005 के दौरान निधियों का भारी मात्रा में अभ्यर्पण हुआ। व्यय नियंत्रण पंजी के अनुपलब्धता के कारण विभाग निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से प्राप्त मासिक व्यय आंकड़ों को संकलित नहीं किया।

(कंडिका 5.1.5 एवं 5.1.7)

विभाग में कार्यक्रम प्रबंधन की कमी के कारण सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत् 1.02 करोड़ रुपये की राशि जो अस्पताल निर्माण के लिए प्रदान की गई थी, का उपयोग करने में विफल रहा।

(कंडिका 5.1.18)

वर्ष 1982 से पशुओ की गणना नहीं की गयी जबकि 17वीं पंचवार्षिक पशुधन गणना के लिए व्यय केवल 17 प्रतिशत हुआ था। योजना लक्ष्य के विरूद्ध कुक्कुट विकास की उपलब्धि काफी कम थी। पशु प्रजनन फार्म लगभग अकार्यशील था।

(कंडिका 5.1.15, 5.1.20 और 5.1.21)

विभाग में अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तंत्र अस्तित्व में नही था।

(कंडिका 5.1.22)

वर्ष 2003–05 के दौरान शीतलीकृत शुक्राणु (स्ट्रॉ) को तैयार नहीं करने के कारण पशु प्रजनन एवं विकास परियोजना के 2980 कर्मियों पर 22.70 करोड़ रुपये का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 5.1.24)

परिचय

आंतरिक नियंत्रण एक संस्था को सुचारू रूप से चलाने का एक अभिन्न अंग है एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्रबंधन को दक्षता, प्रभावकारिता तथा संसाधनों का आर्थिक उपयोग प्रदान करने का ढंग सुनिश्चित करती है। यह भी सुनिश्चित करती है कि वित्तीय हितों एवं संसाधनों को सुरक्षित किया जाय तथा प्रशासन को विश्वसनीय सूचना प्रदान की जाए। आंतरिक लेखापरीक्षक विभागीय नियमों एवं क्रियाविधियों के अनुपालन स्तरों का मूल्यांकन तथा जाँच एवं पर्याप्त या निहित आंतरिक नियंत्रण के प्रावधानों का स्वतंत्र आश्वासन प्रबंधन को प्रदान करता है।

पशुपालन विभाग का मुख्य लक्ष्य पशुधन के स्वास्थ्य की देखभाल तथा इसे उन्नत बनाना एवं दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद के उत्पादन से है। विभाग की मुख्य गतिविधियाँ (i) मवेशियों के विकास के लिए फार्म और चारा का उत्पादन (ii) पशु पोलीक्लिनीक, अस्पताल एवं जानवरों के इलाज के लिए दवाखाना, टीका, बन्ध्याकरण एवं कृत्रिम गर्भाधान का परचिालन एवं संधारण करना था।

5.1.2 संगठनात्मक ढाँचा

विभाग के प्रधान, सचिव होते हैं जिनकी सहायता के लिए एक निदेशक प्रशासन हेतु एवं दूसरे पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्था के लिए जो टीका उत्पादन का कार्य करती है, 8 सहायक निदेशक एवं 29 जिला पशुपालन पदाधिकारी होते हैं। राज्य में तीन पॉल्ट्री फार्म (पटना, मुजफ्फरपुर तथा भागलपुर) और दो पशु प्रजनन फार्म (डुमराँव और पटना) थे।

5.1.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्नांकित की पर्याप्तता तथा प्रभावकारिता का निरीक्षण करना था :–

- वित्तीय एवं बजटीय नियंत्रण
- परिचालन नियंत्रण
- आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली
- मानव बल प्रबंधन

5.1.4 लेखा परीक्षा क्षेत्र

आंतरिक नियंत्रण तंत्र की पर्याप्तता एवं प्रभावकारिता की समीक्षा में विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2000–2005 की अवधि के अप्रैल 2005 से जुलाई 2005 के दौरान सचिवालय/निदेशालय, अनुसंधान अधिकारी, पशुओं के लिए राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन योजना, विशेष अपर निदेशक, शीतलीकृत शुक्राणु बैंक सह साँढ़ स्टेशन, पटना, आठ[1] पशुपालन पदाधिकारी, मुख्य प्रबंधक केन्द्रीय पौलट्री फार्म पटना, प्रबंधक पौल्ट्री फार्म, मुजफ्फरपुर और भागलपुर एवं प्रबंधक हरियाणा पशु प्रजनन फार्म, डुमराँव के अभिलेखों का नमूना जाँच किया गया।

5.1.5 बजटीय नियंत्रण एवं व्यय नियंत्रण

जाँच के दौरान यह पाया गया कि विभाग बजटीय प्रावधानों जैसा कि बिहार बजट नियमावली एवं स्थायी निर्देशों में वर्णित है, का पालन नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बजट प्राक्कलनों को देर से जमा किया गया और विभाग के व्यय विवरणी को निदेशालय कार्यालय द्वारा संकलन नहीं किया गया जो अप्रभावी और कमजोर बजटीय एवं व्यय नियंत्रण को दर्शाता था।

[1] *भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, पू. चम्पारण, गया, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पूर्णिया*

5.1.6 बजट प्रक्रिया

बिहार बजट मैनुअल एवं स्थायी आदेशों के अनुसार आहरण एवं संवितरण पदाधिकारी को एक जुलाई तक चालू वर्ष के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन एवं अगले वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन निदेशक कार्यालय को भेजना होता है जो इसे आगे वित्त विभाग को एक अक्टूबर तक भेजता है।

तथापि यह पाया गया कि बजट प्राक्कलन को आहरण एवं संवितरण पदाधिकारी द्वारा 15 से 75 दिनों के विलंब से तथा निदेशालय द्वारा 17 से 25 दिनों की देरी से वित्त विभाग को वर्ष 2002–05 के दौरान प्रेषित किया गया जो कि वित्त विभाग को बजट प्राक्कलनों के परीक्षण हेतु सीमित क्षेत्र प्रदान करता था।

वर्ष 2000–05 के दौरान विभाग के बजट प्रावधान के साथ–साथ व्यय निम्नानुसार था :–

वर्ष	मूल अनुदान	पूरक अनुदान	कुल अनुदान	व्यय	बचत	अभ्यर्पण
	1	2	3	4	5	6
2000-01	102.45	0.43	102.88	72.81	0.60	29.47
2001-02	90.37	1.00	91.37	51.30	1.24	38.83
2002-03	68.29	1.52	69.81	50.82	1.05	17.94
2003-04	70.95	1.88	72.83	53.18	2.01	17.64
2004-05	69.84	7.75	77.59	57.77	4.92	14.90
कुल	**401.90**	**12.58**	**414.48**	**285.88**	**9.82**	**118.78**

(स्रोत :– वर्ष 2000–05 के विनियोग लेखे, विभाग द्वारा आँकड़ा उपलब्ध नहीं कराया गया)

प्रत्येक वर्ष कोषों का अभ्यर्पण यह दर्शाता है कि बजट प्राकलन पूर्ववर्ती वर्षों के व्यय को बिना ध्यान में रखे हुए बनाये गये। व्यय नियंत्रण पंजी के अभाव में पूरक अनुदान प्राप्त किये गये जबकि वास्तविक अनुदान पर्याप्त थे। आगे यह भी प्रकाश में आया कि योजना को विलम्ब से स्वीकृत होने के कारण क्रय सामग्रियों के लिए स्वीकृतियों में तालमेल नहीं लाया जा सका जो कि कोषों के भारी समर्पण का कारण बना। यह विभाग के कमजोर वित्तीय नियंत्रण एवं अनुश्रवण के अभाव को दर्शाता है।

प्रत्याशित बचत के अभ्यर्पण में विभाग विफल रहा

बिहार बजट मैनुअल में प्रावधान है कि सभी प्रत्याशित बचत को प्रशासनिक विभाग द्वारा 25 मार्च तक वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर देना है। फिर भी, नियमों का उल्लंघन करते हुए विभाग वर्ष 2003–04 में 17.64 करोड़ रूपये एवं वर्ष 2004–05 में 14.90 करोड़ रूपये वित्तीय वर्ष के अन्तिम तारीख को अभ्यर्पित किया, जिसके कारण अन्य विभाग निधि से वंचित रह गये, जिसका उपयोग वे कर सकते थे।

5.1.7 व्यय नियंत्रण पंजी

आठ नमूना जाँचित जिलों के क्षेत्रीय कार्यालयों के अभिलेखों के परीक्षण में पाया गया कि व्यय का प्रगतिशील प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जमा किये गये थे, परन्तु निदेशालय के कर्मियों द्वारा व्यय नियंत्रण पंजी का संधारण नही किये जाने के कारण इसका मिलान नहीं किया जा सका।

5.1.8 बजट अनुदान को व्यपगत होने से रोकने के लिए राशि की अनियमित निकासी

निधियों को सिविल डिपोजिट में रखा गया

बिहार कोषागार संहिता (नियम 300) कोषागार से राशि के आहरण को प्रतिबंधित करता है जबतक कि शीघ्र संवितरण आवश्यक न हो। यह पाया गया कि चार जिला पशुपालन अधिकारियों[2] द्वारा 32 लाख रुपये का आहरण वर्ष 2001–02 में लघु सीमान्त किसानों एवं खेतिहर मजदूर योजना की सहायता के लिए किया गया तथा बजट अनुदान को व्यपगत होने से रोकने के लिए राशि को सिविल डिपोजिट में रखा गया।

राज्य के सहायतार्थ पशु रोग नियंत्रण योजना के लिए (एसकाड) वर्ष 2000–05 में 3.16 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया जिसमें से 3.01 करोड़ रुपये निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान को आवंटित किये गये। निदेशक ने 2.68 करोड़ रुपये एसकाड योजना के लिए वर्ष 2004–05 में निकाला तथा उसे सिविल डिपोजिट में रख दिया।

5.1.9 व्यय की तीव्रता

35 से 69 प्रतिशत व्यय मार्च में हुआ

बजट मैन्युअल नियंत्रण अधिकारी से यह अपेक्षा करता है कि बजटीय माह के अंत में व्यय की तीव्रता को रोकने हेतु वह आहरण एवं नियंत्रण पदाधिकारी एवं विभाग के मासिक प्रगतिशील व्ययों पर कड़ी निगाह रखें। वित्तीय वर्ष के अन्त में व्यय की तीव्रता सरकार के इस जोखिम को बढ़ाता है कि धन के लिए उचित मूल्य की प्राप्ति नहीं होती है क्योंकि व्यय बिना कारगर परिश्रम और सावधानी के होता है। लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि नमूना जाँचित जिलों में वर्ष 2000–05 के दौरान प्रत्येक वर्ष के मार्च माह में व्यय कि प्रतिशतता 35 से 69 प्रतिशत[3] के बीच था जो वित्तीय वर्ष के अन्त में व्यय की तीव्रता को इंगित करता था।

5.1.10 रोकड़ प्रबंधन

बिहार कोषागार संहिता के नियम 86 यह प्रावधान करता है कि सभी मौद्रिक लेन–देनों को रोकड़ पंजी में दर्ज किया जाना चाहिए , जैसे ही ऐसे लेन देन किए जाते हैं तथा उसे जाँच करने के प्रमाण स्वरूप कार्यालय प्रधान द्वारा अभिप्रमाणित किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय कार्यालयों के विभागीय अभिलेखों की नमूना जाँच में यह पाया गया कि रोकड़ पंजियों का दैनिक सत्यापन नहीं किया गया, रोकड़ पंजियों के दैनिक योगों को जाँचा नहीं गया तथा महीने के अन्त में कार्यालय प्रमुखों द्वारा रोकड़ का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।

5.1.11 भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण–पत्र

रिन्डरपेस्ट उन्मूलन पर राष्ट्रीय परियोजना के तहत् विभाग 94.10 लाख रूपये वर्ष 1994–95 के दौरान रिन्डरपेस्ट नियंत्रण योजना के लिए भारत सरकार से प्राप्त किया। मार्च 2005 तक विभाग ने 56.43 लाख रुपये योजना के तहत् खर्च किया परन्तु उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को नहीं सौंपा गया (सितम्बर 2005)। इसके अलावा शेष 37.67 लाख रुपये भी वित्त विभाग को प्रत्यार्पित नहीं किया गया।

2 गया, मुंगेर, पटना तथा रोहतास (आठ लाख रूपये की दर से)

3 यय का व्यौरा :– मार्च 2000–01 : 35 प्रतिशत, 2001–02 : 48 प्रतिशत, 2002–03 : 49 प्रतिशत, 2003–04 : 69 प्रतिशत, 2004–05 : 43 प्रतिशत

5.1.12 योजनाओं की विलम्ब से स्वीकृति

योजनाओं की स्वीकृति वित्तीय वर्ष के बिल्कुल अन्त में दी गई

पशुपालन विभाग के तहत् 18 राज्य योजनागत योजना, पाँच केन्द्र प्रायोजित योजना, एक केन्द्र योजनागत योजना और 23 गैर योजनागत योजना था (**सन्दर्भ परिशिष्ट–XLI और XLII**)। यह पाया गया कि 23 गैर योजनागत योजनाओं में से एक (कुक्कुट पालन फार्म और स्मॉल ड्रेसिंग प्लांट) फरवरी 2005 में स्वीकृत किया गया और 6 योजनायें[4] मार्च 2005 में स्वीकृत हुई जोकि योजनाओं के कमजोर क्रियान्वयन के रूप में परिणत हुआ। गैर–योजनागत योजना के अन्तर्गत जो कि रैन्ज पौल्ट्री फार्म योजना था, में बॉयलर्स और लेयर्स की आवश्यक संख्या को बनाये नहीं रखा गया, पशु प्रजनन फार्म योजना में जानवरों के प्रजनन को क्किसित नहीं किया गया तथा पशु प्रजनन एवं विकास परियोजना के अन्तर्गत दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निश्चित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। योजनागत योजना एसकाड की राशियों को सिविल डिपोजिट में रखा गया और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भवन निर्माण विभाग को राशि विलम्ब से निर्गत किया गया।

5.1.13 भंडार नियंत्रण

बिहार वित्तीय नियमावली के अनुसार भंडार का क्रय छोटी छोटी मात्राओं में नहीं किया जाना चाहिए। आवधिक मांगपत्रों को तैयार किया जाना चाहिए तथा मितव्ययिता सुनिश्चित करने हेतु क्रय थोक में किया जाना चाहिए। आवधिक मांग पत्र तैयार किया जाना चाहिए तथा जहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक सामग्रियों को ऐसी मांग पत्र के आधार पर प्राप्त किया जाना चाहिए। जबकि, यह पाया गया कि वर्ष 2000–2005 के दौरान वर्ष 2001–03 में 51.95 लाख रुपये के पैर और मुख रोग के टीकों को छोड़कर अन्य कोई भंडार सामान जैसे कि आवश्यक प्रयोगशाला रसायनों, मवेशी और कुक्कुट के लिए औषधियों, टीके, मशीन एवं सयंत्रों इत्यादि की प्राप्ति नहीं की गई।

निष्क्रिय संयत्रों पर निष्फल व्यय

आगे, दुग्ध विकास के लिए तकनीकी लक्ष्य के अन्तर्गत वर्ष 1996–97 के दौरान 49.73 लाख रुपये मूल्य के मशीन एवं यंत्रों की आपूर्ति शीतलीकृत शुक्राणु बैंक पटना को की गई जिसका प्रतिष्ठापन नहीं किया जा सका। पूछे जाने पर (अप्रैल–जुलाई 2005) यह कहा गया कि केन्द्रीय क्रय समिति के द्वारा प्रचालन के लिए प्रयोगशाला उपकरणों[5] एवं जरूरी रसायनों[6] के क्रय को अनुमोदित नही किये जाने के कारण मशीन एवं यंत्रों का प्रतिष्ठापन नहीं किया जा सका। अतः निष्क्रिय सयंत्रों पर 62.75 लाख रुपये[7] का व्यय निष्फल हो गया।

निर्णय लेने की प्रक्रिया में विलम्ब के कारण टींका का उत्पादन बन्द कर दिया गया

पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, फुलवारीशरीफ में वर्ष 1993–94 से हेमोरेजीक सेप्टीसीमीया, ब्लैक क्वार्टर्स और एन्थ्रेक्स के जीवाणु नाशक टीकों का उत्पादन रोक दिया गया, क्योंकि टीकों के उत्पादन के लिए आवश्यक मशीनें मरम्मत के लायक नहीं थे। अगस्त 1999 में निदेशालय को नई मशीनों (आउटोक्लेभ एवं वोयलर) के क्रय हेतु मांग पत्र भेजा गया परन्तु केन्द्रीय क्रय समिति के द्वारा दरों को अनुमोदित नही किये जाने के कारण मशीनों का क्रय नहीं किया जा सका (मार्च 2005)।

4 (1) रैंज कुक्कुट पालन फार्म के लिए योजना, केन्द्रीय कुक्कुट विकास एवं उत्पादन तथा कुक्कुट चारा के वितरण (2) पशु मेला व प्रदर्शनी तथा मवेशी कल्याण (3) पशु प्रजनन फार्म के लिए योजना (4) पशु प्रजनन एवं विकास परियोजना (5) सुअर प्रजनन फार्म तथा (6) रिण्डरपेस्ट की रोकथाम के लिए योजना

5 हौट एयर ओभेन तथा जेनेरेटर

6 खनिज मिश्रण, विटामीन, लिक्युड नाईट्रोजन

7 6.51 लाख रू0×2 = 13.02 लाख रू0 + 49.73 लाख रू0 = 62.75 लाख रू0

5.1.14 भंडारों का भौतिक सत्यापन

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 143 के अनुसार विभाग प्रमुख द्वारा वर्णित नियमों के अन्तर्गत वर्ष में कम से कम एक बार भंडारों का भौतिक सत्यापन अनिवार्य था, जबकि यह पाया गया कि विभाग के नमूना जाँचित कार्यालयों में औषधी भंडारों का कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।

5.1.15 पशुगणना कार्यक्रम

पशु गणना का कार्य पूर्ण नहीं किया गया

प्रत्येक पाँच वर्ष में एक बार गणना के प्रावधान के बावजूद राज्य में वर्ष 1982 से कोई भी पशु गणना नहीं किया गया। जबकि भारत सरकार ने वर्ष 1997–2002 के दौरान सोलहवीं पंचवार्षिक पशुधन गणना के लिए 1.45 करोड़ रुपये राज्य सरकार को स्वीकृत किया परन्तु विभाग वर्ष 2002–03 तक राशि को उपयोग करने में असफल रहा। भारत सरकार ने वर्ष 2003–04 के दौरान 1.45 करोड़ रुपये को पुनर्वेध कर दिया तथा 1.18 करोड़ रुपये और उपलब्ध कराया तथा 17वीं पंचवार्षिक पशुधन गणना में उपयोग हेतु 4.65 करोड़ रुपये वर्ष 2004–05 के दौरान उपलब्ध कराया। कुल अनुदान 7.28 करोड़ रुपये (भारत सरकार) के विरूद्ध वर्ष 2003–05 के दौरान 90.43 लाख रुपये (17 प्रतिशत) खर्च किया गया। फिर भी पशु गणना का कार्य पूरा नहीं किया जा सका।

5.1.16 पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्य सहायतार्थ सी. एस. एस. योजना लागू करना

टीकाकरण कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण, टीका के निर्माण कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण, जागरूकता अभियान एवं प्रयोगशाला की स्थापना को मिलाकर पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्य को सहायतार्थ एसकाड योजना लागू किया गया (2003–04)। लेकिन इस योजना के तहत् कोई प्रगति नहीं हुई जबकि विभाग के द्वारा 3.04 करोड़ रुपये पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादकता संस्थान को वर्ष 2004–05 में उपलब्ध कराये गये जिसमें से 2.98 करोड़ रुपये व्यय दिखलाये गये। तथापि इस व्यय रकम में से 2.68 करोड़ रुपये सिविल डिपोजिट में जमा कर दिया गया (मार्च 2005)।

5.1.17 राष्ट्रीय रिन्डरपेस्ट उन्मूलन परियोजना

राष्ट्रीय रिन्डरपेस्ट उन्मूलन परियोजना का उद्देश्य रिन्डरपेस्ट जैसी घातक बीमारी से मुक्ति प्राप्त करना था। यह तीन स्तरों की प्रक्रिया है। पहला स्तर टीका करण, द्वितीय रिन्डरपेस्ट रोग से मुक्ति पाना तथा तीसरा स्तर सिरम निगरानी कार्यक्रम है। योजना अनुसार संपूर्ण आधारभूत सुविधाओं के साथ एलिसा प्रयोगशाला की स्थापना तथा वर्तमान प्रयोगशाला को उत्तक्रमित किया जाना था। राष्ट्रीय रिन्डरपेस्ट उन्मूलन परियोजना (केन्द्रीय योजना) के लिए बिहार सरकार ने 94.10 लाख रूपये (मार्च 1995) स्वीकृत किया। इसमें से विभाग मार्च 2005 तक 54.34 लाख रूपये खर्च किया ।

यह पाया गया कि केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा दरों की स्वीकृति के अभाव में ऑटोक्लेव, अनुसंधान सुक्ष्मदर्शी, कम्प्युटर प्रिन्टर तथा एलिसा प्लेट इत्यादि की खरीद न होने के कारण वर्तमान प्रयोगशाला को उत्क्रमित नहीं किया गया। अतः प्रारम्भिक स्तर पर किये गये टीकाकरण की प्रभावकारिता को पता लगाने के लिए बने एलिसा जाँच को पूरा नहीं किया जा सका। इस प्रकार यह योजना असफल हो गयी, क्योंकि निरन्तर जाँच पूरा नहीं किया गया।

5.1.18 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

सीमा क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत सीमा क्षेत्र में 12 चिकित्सालयों के भवनों को बनाये जाने का प्रस्ताव था जिसके लिए 2004–05 के दौरान बजट में 1.02 करोड़ रूपये आवंटित की गई। यह राशि भवन निर्माण विभाग को मई 2005 में अग्रिम के रूप में दे दी गई। परन्तु, निर्माण कार्य को पूरा नहीं किया गया (अक्टूबर 2005)।

5.1.19 पशु प्रजनन एवं विकास परियोजना

सरकार ने अधिसूचना द्वारा पुरानी योजनाओं यथा सधन गब्य विकास प्रखंड, आदर्श ग्राम प्रखंड, शीतलीकृत शुक्राणु बैंक को मिलाकर एक नई योजना पशु प्रजनन एवं विकास परियोजना के नाम से इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया (जनवरी 02) ताकि दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 55 लाख मवेशियों के कृत्रिम गर्माधान के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

पशु प्रजनन एवं विकास परियोजना का प्रारम्भ ही नहीं हुआ

शीतलीकृत शुक्राणु बैंक सह साँढ़ केन्द्र पटना को शुक्राणु के संग्रह, शीतलीत शुक्राणु (स्ट्रा) की तैयारी एवं इसे 1401 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र में वितरित करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। तथापि, वर्ष 2002–03 में खरीदे गये 16 साँढ़ों में से छः सांढ़ वर्ष 2002–03 से 2004–05 के बीच मर गए तथा शेष बचे साँढ़ों को शीतलीकृत शुक्राणु की तैयारी के लिए उपयोग में नहीं लाया गया और इस प्रकार यह योजना प्रारम्भ ही नंही हुआ। अतः इसकी स्थापना पर वर्ष 2003–04 में 8.65 करोड़ रूपये एवं वर्ष 2004–05 में 14.05 करोड़ रूपये का व्यय निरर्थक था।

5.1.20 पशु प्रजनन प्रक्षेत्र

हरियाना पशु प्रजनन फार्म, डुमराँव का कार्यकलाप दयनीय रहा

हरियाणा पशु प्रजनन फार्म के अन्तर्गत 231 एकड़[8] भूमि है जिसमें 450 जानवरों को रखने की क्षमता है। फार्म का मुख्य उदेश्य पशु प्रजातियों का विकास तथा दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना था। यह पाया गया कि 2004–05 के दौरान पशुओं की संख्या 60 एवं 77 के बीच थी। 2000–05 में दुग्ध उत्पादन सिर्फ 1433 लीटर था जबकि, 2000–05 में फार्म द्वारा इसकी स्थापना के लिए 1.92 करोड़ रूपये खर्च किया गया।

यह पूछे जाने पर प्रबंधक ने कहा (अगस्त 2005) कि सूखा चारा की अनुपलब्धता के कारण पशुओं की संख्या में गिरावट आया तथा दुग्ध उत्पादन में कमी आयी ।

5.1.21 कुक्कुट विकास

दसवीं पंचवर्षीय योजना में निम्न निवेश तकनीकी वाणिज्यिक चुजा के उत्पादन के लिए दो अतिरिक्त नये फार्मो की स्थापना के साथ वर्तमान तीन कुक्कुट फार्मों[9] का विस्तार 2000 लेयर और 5000 ब्रोलर के लिए किया जाना था। दो अतिरिक्त नये प्रयोगशालाओं की स्थापना बजट प्रावधान के अभाव में नहीं किया गया। वर्तमान तीन कुक्कुट फार्मों में से केवल दो, केन्द्रीय कुक्कुट फार्म, पटना और कुक्कुट फार्म, मुजफ्फरपुर कार्यरत थे जिसके लिए वर्ष 2000–05 के दौरान उपलब्ध 6.39 करोड़ रूपये में से 6.16 करोड़ रूपये खर्च किया गया।

[8] 100 एकड़ की भूमि पर पौधाकरण, 36.20 एकड़ की भूमि पर भवन निर्माण तथा 94.90 एकड़ भूमि चारागाह के लिए अर्थात कुल 231 एकड़ भूमि।

[9] केन्द्रीय कुक्कुट फार्म पटना, कुक्कुट फार्म मुजफ्फरपुर तथा कुक्कुट फार्म भागलपुर

विभाग द्वारा भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया तथापि दसवीं पंचवर्षीय योजना से यह लक्ष्य लिया गया था। केन्द्रीय कुक्कुट फार्म, पटना के पास वर्ष 2004–05 में सिर्फ 1693 ब्रोलर और लेयर्स थे जबकि लक्ष्य 7000 ब्रोलर एवं लेयर्स का था। अतः फार्म का अधिकतम उपयोग नहीं किया गया। इसका कारण 27 मे सें 18 शेडों की जीर्णशीर्ण अवस्था तथा दोषपूर्ण जल आपूर्ति तंत्र का होना था। मामले को निदेशालय की जानकारी में लाया गया (अगस्त 2001) परन्तु शेडों की मरम्मत हेतु विभाग द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई (नवम्बर 2005)। कुक्कुट फार्म, मुजफ्फरपुर में सिर्फ अण्डों का उत्पादन किया गया जबकि इन्क्यूवेटर के अभाव में चूजों का उत्पादन नहीं किया गया।

अनुचित प्लानिंग के कारण योजना का कार्यान्वयन नहीं होना

भागलपुर कुक्कुट फार्म में वर्ष 2000–01 से एक भी चूजा नहीं था। जबकि सहायक निदेशक, कुक्कुट फार्म भागलपुर के द्वारा निम्न निवेश तकनीकी के मशीन एवं यंत्रों की खरीद के लिए तथा भवन निर्माण हेतु वर्ष 2002–03 के दौरान 39 लाख रूपये निकाला गया। इसमें से 10 लाख रूपये शेडों के निर्माण में (अप्रैल 2003) खर्च किया गया तथा शेष को चालू खाता में रखा गया (अप्रैल 2003)। यह फार्म अकार्यशील था क्योंकि बिजली बिल जमा नही करने के कारण फार्म की बिजली मार्च 2004 में काट दी गयी थी । अतः शेड पर खर्च किये गये 10 लाख रूपये निष्फल रहा।

5.1.22 अनुश्रवण तंत्र की विफलता

विभाग में कोई भी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कोषांग कार्यरत नहीं था। अतः विभाग विविध योजनाओ एवं कार्य कलापों के समयबद्ध एवं उचित कार्यान्वयन के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करने में असफल रहा। बिहार कोषागार संहिता के नियम 306A के अनुसार प्रत्येक नियंत्री अधिकारी को अपने अधीनस्थ कार्यालयों का सघन निरीक्षण वर्ष में एक बार करना चाहिए परन्तु निदेशक द्वारा कोई भी निगरानी नहीं किया गया। इसके अलावा जिला पशु चिकित्सा अधिकारी ने भी अपने कार्य क्षेत्र के अन्दर आने वाले अनुमंडल कार्यालयों का निरिक्षण नहीं किया। जिला पशु चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा सौंपी गई प्रतिवेदन एवं प्रतिउतरों को निदेशालय द्वारा जाँचा नहीं गया। यह इंगित करता है कि विभाग में अनुश्रवण तंत्र अस्तित्व में नहीं था।

5.1.23 आंतरिक अंकेक्षण

राज्य सरकार द्वारा वित्त विभाग के नियंत्रण में आंतरिक अंकेक्षण स्कन्ध का स्थापना (1953) किया गया। आन्तरिक अंकेक्षण स्कन्ध के प्रमुख मुख्य लेखा नियंत्रक होते हैं जो वित्त विभाग के सचिव–सह–आयुक्त की प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करते हैं।

जाँच में पाया गया कि पशुपालन विभाग का आन्तरिक अंकेक्षण विभाग के अनुरोध पर किया गया। स्वतंत्र अंकेक्षण योजना अस्तित्व में नहीं था।

वर्ष 2000–05 के दौरान आन्तरिक अंकेक्षण विभाग ने केवल 64 निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत किए लेकिन निरीक्षण प्रतिवेदन में उठाए गए आपत्तियों के शीघ्र निराकण को सुनिश्चित करने में विभाग असफल रहा। 8.28 करोड़ रूपये के अंकेक्षण आपत्ति के विरूद्ध केवल 1.24 लाख रूपये (0.15%) की कंडिकाएं अगस्त 2005 तक विभाग द्वारा निपटाये गये, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है :

(रूपये लाख में)

वर्ष	निर्गत किये गए कुल नि0प्र0 की संख्या	गवन/ दुवि–नियोग	समायोजन योग्य रकम	आपत्ति के तहत् रकम	हानि	असमा–योजित अग्रिम	कुल	निपटाये गये रकम
2000–01	2	–	0.52	0.55	–	0.19	1.26	–
2001–02	32	0.89	28.26	368.84	–	12.28	410.27	1.21
2002–03	18	3.03	16.15	319.58	3.97	5.97	348.70	0.01
2003–04	4	–	0.15	10.12	–	2.86	13.13	–
2004–05	8	2.45	0.96	46.14	0.83	3.87	54.25	0.02
कुल	**64**	**6.37**	**46.04**	**745.23**	**4.80**	**25.17**	**827.61**	**1.24**

लेखा परीक्षा के द्वारा उठाए गए आपत्तियों में से केवल 3 प्रतिशत हीं निपटाये गये।

पशुपालन विभाग के तहत् 231 लेखा परीक्षा इकाई थे (वार्षिक 50, द्विवार्षिक 98 तथा त्रीवार्षिक 83)। वर्ष 2000–05 के दौरान 54.45 करोड़ रूपये के 452 कंडिकाओं का 122 निरीक्षण प्रतिवेदन वैधानिक लेखा परीक्षा द्वारा निर्गत किया गया। अगस्त 2005 तक विभाग 1.91 करोड़ रूपये (3%) के रकम के केवल 33 कंडिकाओं का ही निपटान किया, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	नि0प्र0 की संख्या	कुल		निपटाये गये		बचे रह गये	
		कंडिकायें	रकम	कंडिकायें	रकम	कंडिकायें	रकम
2000–01	25	83	6.41	12	0.58	71	5.83
2001–02	39	121	8.06	13	1.13	108	6.93
2002–03	40	170	37.29	8	0.20	162	37.09
2003–04	9	42	1.91	–	–	42	1.91
2004–05	9	36	0.78	–	–	36	0.78
कुल	**122**	**452**	**54.45**	**33**	**1.91**	**419**	**52.54**

5.1.24 मानव बल प्रबन्धन

कार्यरत बल के सम्बन्ध में सूचना नहीं

विभाग अपनी स्वीकृत बल एवं कार्यरत बलों की संख्या से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। सरकार ने अधिसूचना द्वारा पुरानी योजनाओं यथा सघन गब्य विकास प्रखण्ड, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, असक्षम सांढ़ों का बधियाकरण, शीतलीकृत शुक्राणु बैंक को मिलाकर एक नई योजना पशु प्रजनन एवं विकास परियोजना के नाम के अन्तर्गत इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कि दशवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 55 लाख मवेशियों के कृत्रिम गर्भाधान के लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके स्थापित किया एवं इस योजना के तहत् 2980 पदों को चालू किया गया।

शीतलीकृत शुक्राणु बैंक सह साँढ़ केन्द्र, पटना को शुक्राणु के संग्रह, शीतलीकृत शुक्राणु (स्ट्रा) की तेयारी एवं इसे 1401 कृत्रिम गर्भाधान केन्द में वितरित करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। तथापि, वर्ष 2002–03 में खरीदे गये 16 साँढ़ों में से छः, वर्ष 2002–03 से 2004–05 के बीच मर गये तथा शेष बचे साँढ़ों को शीतलीकृत शुक्राणु की तैयारी के लिए उपयोग में नहीं लाया गया और इस प्रकार यह योजना प्रारम्भ ही नहीं हुआ। अतः इस योजना के तहत् समायोजित 2980 व्यक्ति बेकार रह गये एवं उनके स्थापना पर वर्ष 2003–04 में 8.65 करोड़ रूपये एवं वर्ष 2004–05 में 14.05 करोड़ रूपये का व्यय निरर्थक था।

5.1.25 निष्कर्ष

विभाग में आन्तरिक नियंत्रण जैसे कि वित्त नियंत्रण, व्यय नियंत्रण, परिचालन नियंत्रण तथा अनुश्रवण तंत्र अपर्याप्त एवं अप्रभावी था। व्यय नियंत्रण पंजी के अभाव में वित्त नियंत्रण नहीं हो सका। विभाग के द्वारा लिए गए योजनाओं को पूर्ण नहीं किया जा सका क्योंकि केन्द्रीय क्रय समिति सामग्री एवं औजारों के क्रय के लिए समय पर निर्णय लेने में असमर्थ रही। विभाग के पास कार्यरत बल की सूचना नहीं थी।

अनुशंसा

- निधियों के अभ्यर्पण से बचने के लिए बजट वास्तविकता के आधार पर बनाया जाना चाहिये।
- व्यय नियंत्रण पंजी का संधारण निदेशालय में किया जाना चाहिये।
- केन्द्रीय क्रय समिति को निर्धारित समय–तालिका के अन्तर्गत निर्णय लेना चाहिये।
- उच्च अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण नियमित रूप से किया जाना चाहिये और अनुश्रवण तंत्र को सृदृढ़ किया जाना चाहिये।
- आन्तरिक अंकेक्षण स्कन्ध तथा वैधानिक लेखापरीक्षा की कंडिकाओं का अनुपालन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (अक्टूबर 2005), उनके उत्तर प्राप्त हुए (दिसम्बर 2005), जिसमें विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया तथा उनके निराकरण के उपाय करने हेतु आश्वस्त किया।

विक्रम चन्द्र

(विक्रम चन्द्र)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार

पटना

प्रतिहस्ताक्षरित

वि. ना. कौल

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

शुद्धि–पत्र

क्रम सं0	पृष्ठ संख्या	संदर्भ	कृप्या पढ़ें	के बदले में
10	64	उपर से प्रथम पंक्ति	कनीय अभियंताओं को प्रदत 141.26 करोड. रूपये	कनीय अभियंताओं को प्रदत 144.26 करोड. रूपये
11	64	उपर से पॉचवा पंक्ति	(51.79 करोड. रूपये)	(57.79 करोड. रूपये)
12	66	कंडिका 3.5.6 का चौथा पंक्ति	चार जिला पर्षदों में	चार जिला पर्षदों ने
13	146	परिशिष्ट–XIII	लाख रू. में	करोड. रूपयें में
14	83	कंडिका 4.2.1 के बाद कंडिका 4.2.2 निम्नांकित पढा जाए।		

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग

4.2.2 *क्षेत्रीय जाँच केन्द्र की स्थापना*

अपूर्ण भवनों पर 4.02 करोड़ रूपये का निष्फल व्यय के अतिरिक्त उपकरणों के क्रय नहीं किए जाने के कारण 22.77 करोड़ रूपये अवरूद्ध रहे।

ग्यारहवें वित्त आयोग ने क्षेत्रीय स्तर पर आधुनिक जाँच सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से 27 करोड़ रूपये[1] के प्राक्कलित खर्च पर 9 क्षेत्रीय जाँच केन्द्रों (आर डी सी) की स्थापना को अनुमोदित किया। निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के अभिलेखों के नमूना जाँच से पता चला (अप्रैल/मई 2005) कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001–05 के दौरान 24.30 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए, जबकि बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इस कार्य के लिए वर्ष 2001–05 के दौरान 27 करोड़ रूपये विमुक्त किया तथा भारत सरकार से बकाया अनुदान (2.70 करोड़ रूपये) विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया (मार्च 2005) जिसे प्राप्त नहीं किया जा सका (सितम्बर 2005)। यह पाया गया कि 27 करोड़ रूपये में से 4.23 करोड़ रूपये आर.डी.सी के भवनों के निर्माण हेतु सितम्बर 2002 तथा मई 2003 के अवधि में सचिव, भवन निर्माण विभाग (भ.नि.वि.) को विमुक्त किया गया। भ.नि.वि. ने सात[2] पूर्ण भवनों के निर्माण तथा दो[3] थोड़ा अपूर्ण भवनों पर 4.02 करोड़ रूपये खर्च किया। जबकि आर.डी.सी. आवश्यक उपकरणों के क्रय के अभाव में अकार्यशील रहे। उप सचिव, भ.नि.वि. ने लेखा परीक्षा को बताया (जुलाई 2005) कि सचिव, स्वास्थ्य विभाग को भवनों को पूर्ण करने के लिए 25 लाख रूपये की अतिरिक्त निधि विमुक्त करने के लिए अनुरोध (अगस्त 2004) किया गया था जिसे अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।

आर.डी.सी. के लिए उपकरणों के क्रय से संबंधित आठ प्रमंडलीय आयुक्तों[4] (डी सी) के अभिलेखों की संवीक्षा से आगे ज्ञात हुआ कि 22.77 करोड़ रूपये की स्वीकृत राशि में से 15.56 करोड़ रूपये वर्ष 2003–05 के दौरान सिविल डिपोजिट में रखे गये तथा समय पर निधि आहरित नहीं किए जाने के कारण 7.21 करोड़ रूपये राज्य सरकार के खाते में अनुपयोगित पड़े रहे। जून 2005 में उपकरणों के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित करने की कार्रवाई शुरू नही हुई थी क्योंकि भ.नि.वि. द्वारा उपकरणों को रखने के लिए भवनों को आर.डी.सी. को हस्तगत नहीं किया जा सका था। इस प्रकार 4.02 करोड़ रूपये का निष्फल व्यय हुआ तथा आर डी सी के लिए आवश्यक उपकरणों के क्रय के अभाव में 22.77 करोड़ रूपये अनुपयोगित पड़े रहे।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (जुलाई 2005)य उनके उत्तर अप्राप्त थे (दिसम्बर 2005)।

1 *9X3 करोड़ रूपये प्रति केन्द्र (भवन के लिए 0.47 लाख रूपये तथा उपकरणों के लिए 2.53 करोड रूपये)*

2 *आरा, भागलपुर, गया, छपरा, मोतिहारी, मुंगेर तथा पूर्णिया*

3 *मुजफ्फरपुर, सहरसा*

4 *पटना, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, गया, छपरा, सहरसा तथा पूर्णिया*

शुद्धि - पत्र

क्रम सं0	पृष्ठ संख्या	संदर्भ	कृप्या पढ़ें	के बदले में
1.	(iii)	4.4	परिहार्य/आधिक्य/निष्फल व्यय	परिहार्य/आधिक्य/निस्फल व्यय
2.	(iv)	परिशिष्ट II	वर्ष 2004-05	वर्ष 2003-04
3.	(vii)	प्राक्कथन (5) की तीसरी पंक्ति	वैसे मामले भी हैं जो पूर्ववर्ती	वैसे मामले भी हैं जो भी है जो पूर्ववर्ती
4.	7	सारणी-3 चौथी पंक्ति :- "केन्द्रीय कर स्थानांतरण " के वर्ष 2004-05 के कॉलम में	9117(58)	9171(58)
5.	25	2.3.9. की दूसरी कंडिका-प्रथम पंक्ति	" 70 मामलों में कुल बचत 6442.77 करोड़ रूपये में से 6156.53 करोड़ रूपये....."	" 70 मामलों में कुल बचत 6156.53 करोड़ रूपये में से 6442.77 करोड़ रूपये....."
6.	27	2.4.3 की चतुर्थ कंडिका का अंतिम वाक्य	" इस मांग पर दबाव न देकर....."	" इस मांग पद दबाव न देकर....."
7.	30	3.1.7 की सारणी	दी गयी सारणी में रकम " करोड़ रूपये में "	----
8.	49	3.3 की नौवीं पंक्ति	जिला पदाधिकारी.....सर्वेसर्वा प्रभारी होता है। वह..... उप समाहर्त्ता (सहाय्य) द्वारा सहायतित है।	जिला पदाधिकारी.....सर्वेसर्वा प्रभारी सहायतित होता है। वह..... उप समाहर्त्ता (सहाय्य) द्वारा है।
9.	127	परिशिष्ट xviii कॉलम पाँच का शीर्ष	'व्यय'	'बचत'

परिशिष्ट–I

(संदर्भ : कंडिका 1.3 ;पृष्ठ : 3–4)

बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति का सार

(करोड़ रुपये में)

31 मार्च 2004 को		दायित्व		31 मार्च 2005 तक
16298.48		**आंतरिक ऋण**		**21905.87**
	8901.09	ब्याज सहित बाजार ऋण		
	4.34	ब्याज रहित बाजार ऋण		
	13.67	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण		
	7379.38	अन्य संस्थानों आदि से ऋण		
747.99		अर्थोपाय अग्रिमें रिजर्व बैंक के पास जमा में कमी		1424.48
10105.59		**केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिमें**		**9037.06**
	469.61	1984–85 के पूर्व के ऋण	409.92	
	936.15	गैर–योजना ऋण	300.13	
	8631.38	राज्य योजना कार्यक्रम हेतु ऋण	8257.41	
	10.57	केन्द्रीय योजना कार्यक्रम हेतु ऋण	9.76	
	14.92	केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यक्रम हेतु ऋण	16.88	
	42.96	अर्थोपाय अग्रिमें	42.96	
350.00		**आकस्मिकता निधि**		**350.00**
7997.21		**लघु बचतें, भविष्य निधि आदि**		**8400.72**
2592.07		**जमा**		**2603.10**
459.88		**आरक्षित निधि**		**536.63**
-		**प्रेषण अंतशेष**		
-		**उचन्त एवं विविध अंतशेष**		
38551.22		**योग**		**44257.86**
31 मार्च 2004 को		**परिसंपत्तियाँ**		**31 मार्च 2005 तक**
15880.15		**सकल वित्तीय परिव्यय**		**17084.67**
	700.01	कंपनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	708.66	
	15180.14	अन्य पूँजीगत परिव्यय	16376.01	
10763.68		**ऋण एवं अग्रिमें**		**11876.69**
	8630.26	ऊर्जा परियोजनाओं हेतु ऋण	9701.30	
	2066.59	अन्य विकास ऋण	2111.89	
	66.83	सरकारी सेवकों आदि को ऋण	63.50	
145.84		**अग्रिमें**		**196.04**
1649.15		**प्रेषण अंतशेष**		**1642.89**
-888.37		**उचन्त एवं विविध अंतशेष**		**985.49**
395.91		**रोकड़**		**2942.95**
		कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण		
	91.70	विभागीय अंतशेष	92.83	
	0.18	स्थायी रोकड़ अग्रदाय	0.18	
	304.03	रोकड़ शेष का निवेश तथा अन्य आरक्षित निधि का निवेश	2849.94	
		रिजर्व बैंक के पास जमा		
10604.86		**सरकारी लेखे में घाटा**		**9529.13**
	255.26	(i) चालू वर्ष का राजस्व घाटा/कम राजस्व घाटा	-1075.73	
	10349.60	पूर्व वर्ष तक संचित घाटा विविध सरकारी लेखे	10604.86	
38551.22		**योग**		**44257.86**

टिप्पणी : सामान्य भविष्य निधि, लघु बचते, वित्तीय परिव्यय, ऋण एवं अग्रिम इत्यादि बिहार एवं झारखण्ड के बीच नही बॉटा गया है ।

परिशिष्ट–II

(संदर्भ : कंडिका 1.4 ; पृष्ठ : 4)
वर्ष 2003–04 की प्राप्तियों एवं संवितरण का सार

(करोड़ रुपये में)

प्राप्तियाँ				संवितरण				
2003-04			2004-2005	2003-04				2004-05
	खंड अ : राजस्व			कुल		गैर–योजना	योजना	कुल
12455.5	**I. राजस्व प्राप्तियाँ**		**15714.14**	12710.83	**I. राजस्व व्यय**	**12642.78**	**1995.63**	**14638.41**
2889.69	कर राजस्व	3347.39		7175.46	**सामान्य सेवाएँ**	**7625.29**	**178.19**	**7803.48**
320.38	करेत्तर राजस्व	417.79		4033.43	**सामाजिक सेवाएँ**	**3870.36**	**924.62**	**4794.98**
7627.87	संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश	9117.13		2821.76	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	2757.46	384.77	3142.23
151.56	गैर योजना अनुदान	683.99		534.25	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	400.39	207.08	607.47
1169.28	राज्य योजनागत योजना हेतु अनुदान	1642.90		200.49	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास	173.73	77.36	251.09
40.95	केन्द्रीय योजना हेतु अनुदान	10.33		11.11	सूचना एवं प्रसारण	11.94		11.94
250.83	केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत हेतु अनुदान	494.61						
				81.73	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण	67.59	27.52	95.11
				83.62	श्रम एवं श्रम कल्याण	27.95	87.14	115.09
				291.01	समाज कल्याण एवं पोषण	420.90	140.75	561.65
				9.46	अन्य	10.40		10.10
				1498.18	**आर्थिक सेवाएँ**	**1142.85**	**892.82**	**2035.67**
				248.66	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	212.98	183.86	396.84
				624.23	ग्रामीण विकास	327.03	475.65	802.68
				319.09	कृषि एवं बाढ़ नियंत्रण	284.34	188.68	473.02
				1.15	ऊर्जा		1.74	1.74
				31.50	उद्योग एवं खनिज	19.65	13.76	33.41
				204.61	परिवहन	223.51	1.10	224.61
				68.94	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	75.34	28.03	103.37
				3.76	**सहायतानुदान एवं अंशदान**	**4.28**		**4.28**
255.27	**II. खंड ब में ले जाए गए राजस्व घाटे**		255.27*		**खंड ब में ले जाए गए राजस्व अधिशेष**			**1075.73**
12710.83	योग खंड अ		15714.14	12710.83				15714.14
	खंड ब – अन्य							
92.85	III स्थायी अग्रिमों तथा रोकड़ शेष निवेश को शामिल करते हुए आरंभिक रोकड़ शेष		-352.08	1549.17	**II. पूँजीगत परिव्यय**	**34.52**	**1170**	**1204.52**
				22.23	**सामान्य सेवाएँ**	**32.46**	**35.19**	**67.65**
				163.44	**सामाजिक सेवाएँ**	**1.26**	**136.03**	**137.29**
				54.16	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति		17.59	17.59
				4.78	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.02	21.92	21.94
				75.74	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास	1.24	68.40	69.64
				28.76	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण		8.49	8.49
				-	सामाजिक कल्याण एवं पोषण		19.63	19.63
				1363.50	**आर्थिक सेवाएँ**	**0.80**	**998.78**	**999.58**
				5.67	कृषि एवं तत्संबंधी कार्यकलाप	0.65	9.67	10.32
				470.74	ग्रामीण विकास	-	367.47	367.47
				521.36	कृषि एवं बाढ़ नियंत्रण	-	442.52	442.52
				300.40	ऊर्जा	-	26.50	26.50
				1.80	उद्योग एवं खनिज	-	1.12	1.12
				61.53	परिवहन	-	144.06	144.06
				2.00	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	0.15	7.44	7.59

* पूर्णांकित करने के कारण वृद्धि

प्राप्तियाँ				संवितरण			
2003-04			2004-05	2003-04			2004-05
10.45	**IV. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली**		14.83	2568.92	**III. ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण**		**1127.84**
-	ऊर्जा परियोजनाओं से		-	**2491.69**	ऊर्जा परियोजनाओं हेतु	1071.04	
7.77	सरकारी सेवकों से	5.99		1.94	सरकारी सेवकों को	2.66	
2.68	अन्य से	8.84		75.30	अन्य को	54.14	
	V. राजस्व अधिक लाई गई		**1075.73**	**255.27**			
5068.51	**VI. लोक ऋण प्राप्तियाँ**		**7622.58**	**2801.64**	**IV. लोक ऋण का पुनर्भुगतान**		**3083.72**
4248.80	आंतरिक ऋण, अर्थोपाय अग्रिमें एवं ओवरड्राफ्टों के अलावा	5968.40		421.94	आंतरिक ऋण, अर्थोपाय अग्रिमें एवं ओवरड्राफ्टों के अलावा	361.01	
	अर्थोपाय अग्रिमें एवं ओवरड्राफ्टों के तहत कुल लेन–देन			-	अर्थापाय अग्रिमें एवं ओवरड्राफ्टों के तहत कुल लेन–देन		
819.71	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिमें	1654.18		2379.70	केन्द्र सरकार को ऋण एवं अग्रिमें का भुगतान	2722.71	
7440.06	**VI. लोक लेखा प्राप्तियाँ**		**4092.67**	**5788.95**	**VI. लोक लेखा संवितरण**		**5519.18**
986.74	लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	1198		868.76	लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	794.50	
	आरक्षित निधि	188.59		-	आरक्षित निधि	111.84	
3153.80	जमा एवं अग्रिमें	3129.42		3386.63	जमा एवं अग्रिमें	3168.59	
2079.64	उचन्त एवं विविध	- 1661.61		327.14	उचन्त एवं विविध	212.24	
1219.88	प्रेषण	1238.27		1206.42	प्रेषण	1232.01	
				-352.08	**VII. रोकड़ अंतशेष**		**1518.47**
					कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण		
				-747.99	रिजर्व बैंक में जमा	-1424.48	
				91.88	विभागीय रोकड़ शेष जिसमें स्थायी अग्रिम शामिल है	93.01	
				304.03	रोकड़ अंतशेष निवेश	2849.94	
12611.87	**योग – खंड 'ब'**		**12453.73**	**12611.87**	**योग**		**1245.73**

परिशिष्ट–III

(संदर्भ : कंडिका 1.4 ; पृष्ठ : 4)

निधि का स्रोत एवं उपयोग

(करोड़ रुपये में)

2003-2004	स्रोत			2004-2005
12455.56		राजस्व प्राप्तियाँ		15714.14
10.45		ऋण एवं अग्रिमों की वसूली		14.83
2266.87		लोक ऋण में वृद्धि		4538.86
1651.11		लोक लेखा से निवल प्राप्तियाँ		- 1426.51
	117.98	लघु बचतों, भविष्य निधियों आदि में वृद्धि	403.50	
	- 232.83	जमा एवं अग्रिमों में वृद्धि	- 39.17	
	-	आरक्षित निधियों में वृद्धि	76.75	
	1752.50	उचन्त एवं विविध लेनदेनों का निवल प्रभाव	- 1873.85	
	13.46	प्रेषण लेनदेनों का निवल प्रभाव	6.26	
444.93		रोकड़ शेष में कमी		
16828.92	कुल			18841.32
2003-2004	उपयोग			2004-05
12710.83		राजस्व व्यय		14638.41
2568.92		विकास एवं अन्य उद्देश्यों के लिए उधार देना		1127.84
1549.17		पूँजीगत व्यय		1204.52
-		रोकड़ शेष में वृद्धि		1870.55
16828.92	योग			18841.32

विवरणी I, II एवं III के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

दी जा रही विवरणियों में संक्षिप्त लेखा वित्त लेखे की टिप्पणियों एवं व्याख्याओं के साथ पढ़ी जानी है।

सरकारी लेखे मुख्यतः रोकड़ आधारित होने के कारण सरकारी खाते का घाटा जैसा कि प्रदर्श–I में दर्शाया गया है, रोकड़ आधार पर स्थिति बताता है जो कि बढ़ोत्तरी आधारित वाणिज्यिक लेखाकरण के विपरीत है। परिणामस्वरूप भुगतेय या प्राप्त मद अथवा मूल्य ह्रास अथवा भंडार आँकड़ों में विविधता इत्यादि वाले मद लेखे में अंकित नहीं होते हैं।

प्रेषण, उचन्त एवं विविध शेषों में निर्गत किन्तु भुगतान न किए गए चेक, अन्य राज्य की ओर से किये गए भुगतान तथा अन्य लम्बित लेन–देनों का निपटारा आदि सम्मिलित है।

बिहार पुनर्गठन विधेयक, 2000 (वर्ष 2000 का सं. 30) के तहत निर्धारित तिथि (15 नवम्बर 2000) के ठीक पहले संयुक्त बिहार राज्य के परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का बँटवारा तथा अन्य वित्तीय समायोजन अभी तक मात्र लोक ऋण एवं रोकड़ शेष के सम्बन्ध में किया गया है।

लेखा में दर्शाए गए आँकड़ों तथा आर. बी. आई. द्वारा सूचित "रिजर्व बैंक के साथ जमा" शीर्ष के तहत आँकड़ों में 34.43 करोड़ रुपये (नामे) का अंतर था।

परिशिष्ट–IV

(संदर्भ : कंडिका 1.4, पृष्ठ 4)

राज्य सरकार के वित्त के कालबद्ध आँकड़े

(करोड़ रुपये में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
खण्ड अ : प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	**11177**	**9839**	**10968**	**12456**	**15714**
(i) कर राजस्व	**2809(25)**	**2319(24)**	**2761(25)**	**2890(23)**	**3347(21)**
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	1821(65)	1413(61)	1648(60)	1637(57)	1891(57)
राज्य उत्पाद	243(9)	239(10)	242(9)	240(8)	272(8)
वाहन पर कर	224(8)	142(6)	178(6)	209(7)	213(6)
मुद्रांक एवं निबंधक शुल्क	302(11)	304(13)	348(13)	418(14)	429(13)
भू–राजस्व	34(1)	34(2)	36(1)	34(1)	33(1)
अन्य कर	185(7)	187(8)	309(11)	352(13)	509(15)
(ii) करेत्तर राजस्व	**712(6)**	**287(3)**	**261(2)**	**320(3)**	**418(3)**
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	**6576(59)**	**6177(63)**	**6549(60)**	**7628(61)**	**9117(58)**
(iv) भारत सरकार से अनुदान	**1080(10)**	**1057(11)**	**1397(13)**	**1618(13)**	**2832(18)**
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
3. कुल राजस्व एवं गैर–ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ(1+2)	**11177**	**9839**	**10968**	**12456**	**15714**
4. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	**11**	**13**	**16**	**10**	**15**
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	**3528**	**3758**	**4190**	**5069**	**7623**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमें एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	2045	2681	2935	4249	5969
अर्थोपाय अग्रिमें एवं ओवरड्राफ्टों के तहत निवल लेनदेन	237	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिमें[1]	1246	1077	1255	820	1654
6. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (3+4+5)	**14716**	**13619**	**15174**	**17535**	**23352**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**10462**	**7719**	**5584**	**7440**	**4092**
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	**25178**	**21329**	**20758**	**24975**	**27444**
खण्ड 'ब' व्यय					
10. राजस्व व्यय	**13507(89)**	**11159(90)**	**12255(88)**	**12711**	**14638**
योजना	839(6)	867(8)	1354(11)	1084(9)	1996(14)
गैर–योजना	12668(94)	10292(92)	10901(89)	11627(91)	12642(86)
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	6983(52)	6323(57)	6574(54)	7176(56)	7803(53)
आर्थिक सेवाएँ	1713(13)	1302(12)	1763(14)	1498(12)	2036(33)
सामाजिक सेवाएँ	4809(35)	3532(31)	3916(32)	4033(32)	4795(14)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	1.96	1.82	1.82	4	4
11. पूँजीगत व्यय	**1076**	**742**	**970**	**1549**	**1205**
योजना	1076(100)	742(100)	970(100)	1493(96)	1170(97)
गैर–योजना	Neg.	Neg.	Negligible	56(4)	35(3)
सामान्य सेवाएँ	9(1)	19(2)	81(8)	22(1)	68(6)
आर्थिक सेवाएँ	983(91)	680(92)	747(77)	1364(88)	1000(83)
सामाजिक सेवाएँ	84(8)	43(6)	142(15)	163(11)	137(11)
12. ऋण एवं अग्रिमोंका संवितरण	**680**	**534**	**747**	**2569**	**1128**
13. कुल (10+11+12)	**15263**	**12435**	**13972**	**16829**	**16971**
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	**807**	**624**	**1526**	**2802**	**3084**

[1] *भारत सरकार से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिमों को शामिल करना है।*

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमें एवं ओवरड्राफ्टों को छोड़कर)	71	96	145	422	361
अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्टों के तहत निवल लेन–देन	186	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिमें	550	528	1381	2380	2723
15. आकस्मिकता निधि से विनियोजन	-	-	-	-	-
16. संचित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	16070	13059	15498	19631	20055
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	-	-	-	-	-
18. लोक लेखा संवितरण	8966	8060	4822	5789	5519
19. राज्य सरकार द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	25036	21119	20320	25420	25574
खंड–स : घाटा					
20. राजस्व घाटा (1–10)	*-2330*	*-1320*	*-1287*	*-255*	*(+) 1076*
21. राजकोषीय घाटा (3+4–13)	(-)4075	(-)2583	(-)2988	(-)4363	(-)1242
22. प्रारंभिक घाटा (–)/ आधिक्य (+) (21–23)	(-)933	(+) 46	(+) 34	(-)1020	(+) 2232
खण्ड – घ : अन्य आँकड़ें					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	3142	2629	3022	3343	3474
24. राजस्व अत्यधिक बकाया (कोष्ठक में कर एवं करेत्तर राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत)	1012 (29)	1141 (44)	1485 (49)	1357 (42)	1101 (29)
25. स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता	634	1237	अनु.	अनु.	-
26. उपयोगित अर्थोपाय अग्रिमें / ओवरड्राफ्ट (दिन)	188	229	1	44	3
27. अर्थोपाय अग्रिमों / ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	12	12	नगण्य	5	नगण्य
28. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)	49383	50987	56688	59862	*62792
29. राजकोषीय दायित्व (वर्षांत)	28444	31883	35249	37453	42483
30. ब्याज सहित लंबित प्रत्याभूति (वर्षांत)					
31. गारंटी दी गयी अधिकतम राशि (वर्षांत)	अनू	अनू	अनू	अनू	473
32. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	23	22	22	22	18
33. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध पूँजी	116	30	नगण्य	अनू	1183

टिप्पणी : कोष्ठक में अंक प्रत्येक उपशीर्ष के योग के प्रतिशत (पूर्ण अंक में) दर्शाते हैं।

* बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त अग्रिम अनुमानित आँकड़े।

परिशिष्ट–V

(संदर्भ : कंडिका 1.4 ; पृष्ठ : 5)

अध्याय–I में प्रयुक्त शब्दावली तथा उनके गणना का आधार

शब्दावली	गणना का आधार
पैरामीटर की उत्पलावकता	पैरामीटर की वृद्धि दर / सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि
पैरामीटर (Y) की तुलना में पैरामीटर (X) की उत्प्लावकता	पैरामीटर (X) की वृद्धि दर / पैरामीटर (Y) की वृद्धि दर
वृद्धि दर (वृ. द.)	[(चालू वर्ष की राशि / पूर्व वर्ष की राशि)–1] *100
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएँ + आर्थिक सेवाएँ
भारित ब्याज दर (राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज)	ब्याज भुगतान / [(पूर्व वर्ष के राजकोषीय दायित्वों की राशि + चालू वर्ष का राजकोषीय दायित्व) / 2] * 100
ब्याज विस्तार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि – भारित ब्याज दरें
दिए गए ऋणों के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(आरंभ शेष + ऋण एवं पेशगियों का अंतशेष / 2] * 100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियाँ – राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं पेशगियाँ – राजस्व प्राप्तियाँ – विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्रारंभिक घाटा	राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष (बी सी आर)	राजस्व प्राप्तियों में से सभी योजना अनुदान तथा आयोजनेत्तर राजस्व व्यय को घटाकर जिसमें 2048–ऋण परिहार्य अथवा विनियोग को कमी के अंतर्गत उधार सम्मिलित नही है।

* यह निशान गुणा को दर्शाता है

परिशिष्ट–VI

(संदर्भ : कंडिका 1.7.2 ; पृष्ठ : 15)

मार्च 2004 तक भुगतान किए गए सहायता अनुदान जिनके उपयोगिता प्रमाण पत्र सितंबर 2004 तक अप्राप्त थे

14.11.2000 तक संयुक्त बिहार

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	विभाग	वर्ष जिसके लिए अनुदान भुगतान किए गए	बकाये उपयोगिता प्रमाण पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र		उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रतीक्षित	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
14.11.2000 तक संयुक्त बिहार								
1.	पशुपालन	2000-2002 तक	511	1533.53	शून्य	शून्य	511	1533.53
2.	कृषि	2000-2002 तक	167	4811.84	शून्य	शून्य	167	4811.84
3.	सहकारिता	2000-2002 तक	471	7149.69	शून्य	शून्य	471	7149.69
4.	शिक्षा	2000-2002 तक	56	4214.91	शून्य	शून्य	56	4214.91
5.	आरक्षी	2000-2002 तक	6	559.94	शून्य	शून्य	6	559.94
6.	लोक कार्य	2000-2002 तक	555	512.12	शून्य	शून्य	555	512.12
7.	कल्याण	2000-2002 तक	1615	2909.22	शून्य	शून्य	1615	2909.22
8.	चिकित्सा	2000-2002 तक	778	2233.09	शून्य	शून्य	778	2233.09
9.	नगर विकास	2000-2002 तक	6852	22915.76	शून्य	शून्य	6852	22915.76
10.	उद्योग	2000-2002 तक	2495	33639.88	शून्य	शून्य	2495	33639.88
11.	अन्य	2000-2002 तक	6684	30702.84	शून्य	शून्य	6684	33702.84
	योग		**20190**	**111182.82**	**शून्य**	**शून्य**	**20190**	**111182.82**
15.11.2000 से विभाजित बिहार								
1.	पशुपालन	2001-2002	5	187.75	शून्य	शून्य	5	187.75
		2003-04	2	71.47	शून्य	शून्य	2	71.47
		2004-05	6	143.20	शून्य	शून्य	6	143.20
2.	कृषि	2003-04	2	597.05	शून्य	शून्य	2	597.05
		2004-05	1	625.74	शून्य	शून्य	1	625.74
3.	शिक्षा	2001-2002	30	7808.03	शून्य	शून्य	30	7808.03
		2002-03	21	1164.30	15	461.07	6	703.23
		2004-05	1	338.64	शून्य	शून्य	1	338.64
4.	कल्याण	2001-2002	28	1135.34	शून्य	शून्य	28	1135.34
		2003-04	7	338.62	2	39.00	5	299.62

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	विभाग	वर्ष जिसके लिए अनुदान भुगतान किए गए	बकाये उपयोगिता प्रमाण पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र		उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रतीक्षित	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
		2004-05	3	191.92	शून्य	शून्य	28	1135.34
5.	सहकारिता	2001-02	6	152.25	शून्य	शून्य	6	152.25
		2003-04	1	75.00	शून्य	शून्य	1	75.00
		2004-05	17	11023.87	शून्य	शून्य	17	11023.87
6.	लोक कार्य	2003-04	37	233.00	7	41.69	30	191.31
7.	उद्योग	2001-02	37	980.74	शून्य	शून्य	37	980.74
		2002-03	19	891.83	शून्य	शून्य	19	891.83
		2004-05	28	823.07	शून्य	शून्य	28	823.07
8.	नगर विकास	2001-02	207	1909.35	2	100.50	205	1808.85
		2002-03	18	3100.64	6	1577.93	12	1522.71
		2003-04	18	7685.68	शून्य	शून्य	18	7685.68
		2004-05	18	3925.41	शून्य	शून्य	18	3925.41
9.	अन्य	2001-02	141	14088.70	शून्य	शून्य	141	14088.70
		2002-03	6	756.48	3	446.58	3	309.90
		2003-04	6	6212.29	3	126.55	3	6085.74
		2004-05	25	17466.76	10	13684.26	15	3782.50
	योग	**14-11-2000 तक**	**20190**	**111182.82**	शून्य	शून्य	**20190**	**111182.282**
		2001-02	**454**	**26262.16**	**2**	**100.50**	**452**	**26161.66**
		2002-03	**64**	**5913.25**	**24**	**2485.58**	**40**	**3427.67**
		2003-04	**73**	**15213.11**	**12**	**207.24**	**61**	**15005.87**
		2004-05	**99**	**34538.61**	**10**	**13684.26**	**89**	**20854.35**
	कुल योग			**193109.95**		**16477.58**		**176632.37**

परिशिष्ट–VII

(संदर्भ : कंडिका 1.7.3 ; पृष्ठ : 15)

स्वायत्तशासी निकायों द्वारा राज्य विधायिका को सौंपे गए लेखाओं की वस्तुस्थिति का विवरण

क्रम सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को सौंपे गए लेखा के लेखा परीक्षा की अवधि	वर्ष, जब तक के लेखा बकाए हैं	वर्ष, जबतक के लेखे प्रस्तुत किए गए	वर्ष जबतक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए हैं	वर्ष जब तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को सौंपे गए	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अपूर्णता के कारण
1.	बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना	1994-2004	1994-95 से 1998-99	1993-94	1993-94	1993-94	वर्ष 1994-95 से 1998-99 तक के पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तैयार किए जा रहे हैं (अकटुबर 2005)
2.	बिहार खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना	1987-88 से 2002-2003	1987-88 से 2002-03	1986-87	1986-87	1986-87	वर्ष 1987-88 से ही वार्षिक लेखे अभी तक प्राप्त नही हुए।
3.	बिहार राज्य वैधिक सेवा प्राधिकार, पटना	2002-03	2002-03	2001-02	2001-02	2001-02	वर्ष 2004-05 के वार्षिक लेखा अप्राप्त है।

परिशिष्ट–VIII

(संदर्भ : कंडिका 1.8.1 ; पृष्ठ : 15)

अपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं की सूची जहाँ वृहत पूँजी अवरूद्ध थी

क्रम सं.	परियोजना/योजना का नाम	व्यय (करोड़ रुपये में)
		अद्यतन **2004-05**
1	कोशी परियोजना	389.15
2	गंडक परियोजना फेज–II	47.50
3	उत्तर कोयल परियोजना	374.25
4	कोनार सिंचाई परियोजना	70.64
5	औरंगा जलाशय परियोजना	36.53
6	कदवाँ जलाशय	0.30
7	दुर्गावती जलाशय	52.23
8	सोन नहर आधुनिकीकरण परियोजना	74.68
	योग (क)	**1045.28**
1	नकटी जलाशय योजना	14.01
2	ऊपरी शंख जलाशय	11.54
3	राम रेखा जलाशय	2.96
4	कंस जलाशय योजना	8.66
5	सोनुआ जलाशय योजना	24.52
6	भैरवा जलाशय योजना	7.41
7	केसो जलाशय योजना	3.22
8	धानसिंह टोली जलाशय योजना	14.83
9	कतरी जलाशय योजना	33.36
10	कामसजोर जलाशय योजना	17.35
	योग (ख)	**137.86**
	कुल योग (क+ख)	**1183.14**

परिशिष्ट–IX

(संदर्भ : कंडिका 1.8.4 ; पृष्ठ : 16)

विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक/अर्द्ध–वाणिज्यिक उपक्रम, जिन्होंने स्थापना काल से ही प्रोफार्मा लेखा तैयार नहीं किया है

क्रम सं.	वाणिज्यिक/अद्धवाणिज्यिक उपक्रमों के नाम	इकाई की संख्या	उपक्रमों के स्थापना की तिथि
	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग		
1	केन्द्रीय पौल्ट्री फार्म, पटना	1	दिसम्बर 1948
2	क्षेत्रीय पौल्ट्री फार्म, भागलपुर	1	दिसम्बर 1959
3	क्षेत्रीय पौल्ट्री फार्म, मुजफ्फरपुर	1	अक्टूबर 1971
	उद्योग विभाग		
4	आदर्श लौह कार्यशाला	5	1956-61
5	आदर्श काष्ठ कार्यशाला	8	1956-64
6	अधिप्राप्ति केन्द्र	7	--
7	शोरा–शोधक कारखाना, मेहशी, पूर्वी चम्पारण	1	1953
	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग		
8	अफीम भंडार की खरीद एवं बिक्री	1	--
9	अनाज गोला	1	1947-48
	योग	**26**	

परिशिष्ट–X

(संदर्भ : कंडिका 1.8.4 ; पृष्ठ : 16)

विभाग द्वारा प्रबंधित वाणिज्यिक/अर्द्ध वाणिज्यिक उपक्रम जिनके प्रोफार्मा लेखे बकाया है

क्रम सं.	वाणिज्यिक/अर्द्धवाणिज्यिक उपक्रमों के नाम	प्रोफार्मा लेखे के बकाये की अवधि
	कृषि विभाग	
1	राज्य ट्रैक्टर संगठन, पूर्णियाँ	1977 के बाद (नवंबर से अक्टूबर)
	गृह (कारा) विभाग	
2	विनिर्माण विभाग, केन्द्रीय कारा, भागलपुर	1981 से 2002 (जनवरी से दिसंबर)
3	विनिर्माण विभाग, केन्द्रीय कारा, बक्सर	1987 से 2002 (जनवरी से दिसंबर)

टिप्पणी : राज्य ट्रैक्टर संगठन, पूर्णियाँ बंद कर दिया गया है।

परिशिष्ट–XI

(संदर्भ : कंडिका 2.3.1 ; पृष्ठ : 22)

नियमन की अपेक्षा वाले आधिक्य अनुदान/विनियोजन की विवरणी

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोजन की संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/विनियोजन (मुल + पूरक)	वास्तविक व्यय	आधिक्य राशि (प्रतिशत में)	मुख्य कारण
	राजस्व दत्तमत अनुदान				
1ण	21–उच्च शिक्षा विभाग	520ण78	526ण32	5ण54 ,1ण06द्ध	सूचित नही किया गया (अक्टुबर 2005)
	पूंजीगत दत्तमत अनुदान				
2.	19- वन एवं पर्यावरण विभाग	0.60	0.65	0.05 (9.08)	सूचित नही किया गया (अक्टुबर 2005)
3.	21- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	21.91	21.94	0.03 (0.12)	सूचित नही किया गया (अक्टुबर 2005)
4.	46- पर्यटन विभाग	7.39	7.45	0.06 (0.74)	सूचित नही किया गया (अक्टुबर 2005)
	कुल भारित विनियोजन	**550.68**	**556.36**	**5.68**	

परिशिष्ट–XII

(संदर्भ : कंडिका 2.3.2 ; पृष्ठ : 23)

क्षेत्र जिसमें मुख्य बचत (पाँच करोड़ रूपए एवं उससे अधिक) की हुई

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	अनुदान सं. /विभाग	लेखा शीर्ष (मुख्य/उप /लघु)	मुख्य बचत (प्रतिशत)
1.	2.	3.	4.
	राजस्व दत्तमत		
I	12 वित्त विभाग	**2048 विनियोग अग्रिम की कटौती अथवा ऋण की परिहार्यता**	
1.		0001- शोधन निधि 00 - 101 - 0001	400.00 (100)
II	15 पेंशन	**2071 पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभें**	
2.		0001- उत्तरवर्ती बिहार राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन का रूपांतरित मूल्य का भुगतान 01 - 102 - 0001	82.59
3.		0003- 15.11.2000 के पहले के पारिवारिक पेंशनरों का मँहगाई भत्ता 01 - 105 - 0003	13.35
		2075 विविध सामान्य सेवाएँ	
4.		0001- विशिष्ट एवं प्रतिष्ठित सेवाओं के लिए पेंशन 00 - 104 - 0001	6.00 (100)
III	20 स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	**2210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य**	
5		0016- मानसिक आरोग्यशाला 01-110-0016	9.90
6.		0002- ग्रामीण औषधालय 03 - 101 - 0001	9.13
7.		0002- अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 03 - 101 - 0002	15.55
8.		0003- स्वास्थ्य उप–केन्द्र 03 - 101 - 0003	9.05
9.		0001- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 03 - 103 - 0001	19.64
10.		0801- एलोपैथी 03 - 110 - 0801	7.49
11.		0602- राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम साथ में कालाजार 06 - 003 - 0602	10.79
		2211 परिवार कल्याण	
12.		0602- स्वास्थ्य उप–केन्द्र 00 - 101 - 0602	40.35
13.		0601- क्षतिपूर्ति 00 - 105 - 0601	9.24

क्रम सं.	अनुदान सं. /विभाग	लेखा शीर्ष (मुख्य/उप /लघु)	मुख्य बचत (प्रतिशत)
1.	2.	3.	4.
IV	22 गृह विभाग	**2055 पूलिस**	
14.		0003- केन्द्रीय स्तर पर सामग्रियों का क्रय 00 - 001 - 0003	8.85
15.		0001- जिला कार्यकारी बल 00 - 109 - 0001	122.54
16.		0001- चौकीदार, दफादार का स्थापना 00 - 110 - 0001	18.97
17.		0001- पूलिस बल आधुनिकीकरण योजना के तहत केन्द्र सरकार से समान राशि 00 - 115 - 0001	10.90
V	39 आपदा प्रबंधन विभाग	**2245 प्राकृतिक आपदा के कारण सहायता**	
18.		0001- विशेष पौष्टिक भोजन 01 - 103 - 0001	25.88 (100)
19		0003- अन्य कार्य (कृषि में उत्थान के लिए कृषि विभाग को अनुदान) 01 - 800 - 0003	67.40 (100)
20.		0004- स्वरोजगार 01 - 800 - 0004	60.00 (100)
21.		0002- खाद्यान्नों की आपूर्त्ति 02 - 101 - 0002	11.76
22.		0001- पेयजल की आपूर्ति 02 - 102 - 0001	18.92
23.		0001- क्षतिग्रस्त पथ एवं पूलों की मरम्मती कर फिर से चालु करना 02 - 106 - 0001	14.08
24.		0003- साहाय्य कार्य के लिए सुरक्षा तथा निरक्रमण उपकरणों की खरीद तथा आपदा प्रभावित लोगों की खोज 02 - 112 - 0003	6.14 (100)
25.		0001- बाढ से क्षतिग्रस्त भवनों का मरम्मति/ जीर्णोद्धार 02 - 113 - 0001	93.52
26.		0001- बाढ नियंत्रण प्रणाली तथा क्षतिग्रस्त सिंचाई प्रणाली की मरम्मति 02-122-0001	9.81
27.		0005- स्वरोजगार योजना के लिए ग्रामीण विकास विभाग को नगद भुगतान	9.93
VI	42 ग्रामीण विकास विभाग	**2501 ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम**	
28.		0102 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 01 - 800 - 0102	10.57
		2505 ग्रामीण रोजगार	
29.		0109 सुनिश्चित रोजगार कार्यक्रम 01 - 702 - 0109	24.04
30.		0110 पूर्ण ग्राम रोजगार योजना 01-702-0110	21.60
		2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमें	
31.		0003- जिला पंचायत स्थापना 00 - 001 - 0003	17.46

क्रम सं.	अनुदान सं. /विभाग	लेखा शीर्ष (मुख्य/उप /लघु)	मुख्य बचत (प्रतिशत)
1.	2.	3.	4.
32.		0001- पोस्ट स्टेज –2 ब्लॉक 00-102-0001	19.83
33.		0001 पंचायती राज संस्थान को सहायता 00 - 197 - 0001	8.68
34.		0001 पंचायती राज संस्थान को सहायता 00 - 198 - 0001	124.50
35.		0004 अधीक्षण अभियंता(आर.ई.ओ.) 00 - 800 – 0004	9.89
VII	**44 माध्यमिक, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग**	**2202 सामान्य शिक्षा**	
36.		0001 राजकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय 01 - 101 - 0001	759.31
37.		0801 राजकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय प्रधानमंत्री ग्रामीण उत्थान कार्यक्रम 01 - 101 - 0801	39.41
38.		0102 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत रोजगारोन्मुखी योजना 01 - 800 - 0002	22.56
39.		0111 सर्व शिक्षा अभियान 01 - 800 - 0111	88.51
40.		0001 अन्य विद्यालयें 02 - 109 - 0001	147.88
VIII	**51 कल्याण विभाग**	**2225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण**	
41.		0602- विशेष समेकित योजनाओं के अंतर्गत हरिजनों के बहुमुखी विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (सतप्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम) 01 - 102 - 0602	9.34
		2235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	
42.		0002- विशेष पोषण योजना 02 - 102 - 0002	12.68
43.		0602- समग्र बाल विकास योजना 02 - 102 - 0602	62.96
44.		0603- वाहय प्रायोजित योजना (विश्व बैंक) राज्य प्रायोजित समेकित बाल विकास योजना 02 - 102 - 0603	16.26
45.		0605- बालिका समृद्धि योजना सहायता अनुदान 02 - 103 - 0605	10.24 (100)
46.		0802- अल्प पोषित गर्भवती/प्रसवोपरांत महिलाएँ एवं अल्प व्यस्क बालिकाएँ हेतु खाद्यान्न वितरण के लिए विशेष कार्यक्रम 02-101-0802	13.31 (100)
	पूँजीगत दत्तमत		
IX	**10 उर्जा विभाग**	**2235 ऊर्जा परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय**	
47		0101- राष्ट्रीय सम विकास योजना 05-800-0101	275.00
		6801 ऊर्जा परियोजना के लिए ऋण	
48.		0105- बिहार राज्य जल विद्युत निगम को ऋण (नाबार्ड) 00-201-0105	20.36

क्रम सं.	अनुदान सं. /विभाग	लेखा शीर्ष (मुख्य/उप /लघु)	मुख्य बचत (प्रतिशत)
1.	2.	3.	4.
49.		0007- ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा विद्युत संस्थानों के केन्द्रीय प्रकोष्ठ को प्रदत राशि के विरूद्ध बि. रा.वि.बो. को ऋण 02 - 101 - 0802	95.64 (100)
50.		0105- ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण 00-201-0105	73.00 (100)
X	**41 पथ निर्माण विभाग**	**4515- पथों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय**	
51.		0103- पुल (नाबार्ड ऋण) 03-101-0103	149.20
52.		0106- केन्द्रीय पथ निधि 03-337-0106	30.96
53.		0107- राष्ट्रीय सम विकास योजना	393.43
XI	**42 ग्रामीण विकास विभाग**	**5054- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय**	
54.		0101- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 00-103-0101	75.09
55.		0108- मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण विकास) 00-103-0108	8.39
VIII	**49 जल संसाधन विभाग**	**4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजिगत परिव्यय**	
56		0121- दक्षिण बिहार सिंचाई परियोजना (नाबार्ड) समर्थित परियोजना 04-800-0121	59.30
57.		0126- राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत पूर्वी गंडक नहर के पुनस्थापना	97.93
	राजस्व भारित प्रभाग		
	13- ब्याज भुगतान	**2049- ब्याज भुगतान**	
58.		0001- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज 01-115-0001	10.00
59.		0001- नाबार्ड द्वारा प्राप्त ऋण पर सुद प्रायोजित परियोजना) 01-200-0001	6.10
60.		0002- 1989-90 से बाधित ऋण पर सुद 04 - 101 - 0002	148.48
61.		0002- लघु बचत संग्रहण के अंश के रूप में 1984-85 से प्राप्त ऋण पर सुद 04-107-0002	229.90
	पूँजीगत्त भारित प्रभाग		
	14- ऋण का पुनर्भुगतान	**6003- राज्य का आंतरिक ऋण**	
62.		0003- उच्चतर दर की ब्याज से प्राप्त ऋण का पुर्नभुगतान 01-102-0003	584.01

परिशिष्ट–XIII

(संदर्भ : कंडिका 2.3.3; पृष्ठ : 23)

मामले जहाँ व्यय बजट प्रावधान से 2 करोड़ रुपये से अधिक से कम थे तथा प्रत्येक मामले में कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक थे

क्रम सं.	अनुदान/विनियोजन की संख्या और नाम	अनुदान/विनियोजन की राशि	बचत की राशि (प्रावधान का प्रतिशत कोष्ठ में)	सरकार द्वारा प्रस्तुत बचत के मुख्य कारण
अ. राजस्व – दत्तमत प्रभाग				
1.	1- कृषि विभाग	213.55	54.99 (25.75)	54.99 करोड़ रूपये के प्रत्याशित बचत का कारण सूचित नही किया गया।
2.	2- पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	94.08	24.39 (25.92)	24.39 करोड़ रूपये के बचत का कारण सूचित नही किया गया।
3.	17- वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	35.96	14.39 (40.01)	14.39 करोड़ रूपये के बचत का कारण सूचित नही किया गया ।
4.	19- वन एवं पर्यावरण विभाग	55.87	24.79 (44.37)	14.39 करोड़ रूपये अत्यधिक व्यय और 24.95 करोड़ रूपये की बचत का कारण सूचित नही किया गया।
5.	23- उद्योग विभाग	36.43	9.23 (25.33)	9.23 करोड़ रूपये के बचत का कारण सूचित नही किया गया।
6.	27- विधि विभाग	163.79	41.15 (25.13)	रिक्त पदों के कारण 34.51 करोड़ रूपये की बचत हुई। 0.07 करोड रूपये का अत्यधिक व्यय और 6.71 करोड़ रूपये के अंतिम बचत का कारण नही सूचित किया गया।
7.	31- संसदीय कार्य विभाग	2.73	2.21 (80.97)	2.21 करोड़ रूपये की बचत का कारण कर्मचारीयों के हडताल के कारण वाहन एवं दूरभाष पर निधि का व्यय नहीं किया गया एवं ए.सी.पी बकाए का भुगतान नहीं किया गया।
8.	33- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	16.85	9.09 (53.97)	7.40 करोड़ रूपये के प्रत्याशित बचत भर्ती के लिए परीक्षा स्थगित होने के कारण और अवशेष 1.69 करोड़ रूपये के बचत का कारण नही सूचित किया गया।
9.	43- विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	43.28	12.02 (27.78)	12.02 करोड़ रूपये का बचत का कारण सूचित नही किया गया है।

10.	48- शहरी विकास विभाग	179.02	50.19 (28.03)	भारत सरकार के निधि नहीं मुक्त करने के कारण 40.24 करोड़ रूपये की बचत । 0.11 करोड़ रूपये आधिक्य व्यय और 10.06 करोड रूपये के अंतिम बचत का कारण नहीं सुचित कीया गया।
11.	49- जल संसाधन विभाग	286.92	63.56 (22.15)	बजट प्रावधान के बावजूद 0.29 करोड़ रूपये के व्यय का कारण नहीं सूचित किया गया। 1.44 करोड़ रूपये की बचत का कारण कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के झारखण्ड राज्य में स्थानान्तरण एवं मंहगाई भत्ते का भुगतान नहीं हुआ। अवशेष 62.41 करोड़ रुपए की बचत का कारण नहीं कहा गया।
	कुल	**1128.48**	**306.01**	
ब. पूँजीगत दत्तमत प्रभाग				
1.	3- भवन निर्माण एवं आवास विभाग	90.70	37.17 (40.98)	37.17 करोड़ रूपये के अंतिम बचत का कारण सूचित नही किया गया।
2.	9- सहकारिता विभाग	37.20	13.48 (36.22)	13.48 करोड़ रूपये के समस्त बचत का कारण सूचित नही किया गया।
3.	12- वित्त विभाग	14.95	11.89 (79.57)	11.89 रूपये करोड़ के समस्त बचत का कारण सूचित नही किया गया।
4.	22- गृह विभाग	72.95	72.95 (100.00)	72.95 करोड़ रूपये के बचत का कारण सूचित नही किया गया।
5.	36- लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग	166.41	97.98 (58.88)	0.03 करोड़ रूपये के आधिक्य व्यय और 98.01 करोड़ रूपये अंतिम बचत का कारण सूचित नही किया गया।
6.	44- माध्यमिक, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग	21.51	6.95	6.95 करोड़ रूपये के समस्त बचत का कारण सूचित नही किया गया।
7.	50- लघु सिंचाई विभाग	79.77	20.34 (25.50)	रूपये 20.34 करोड़ के समस्त बचत का कारण सूचित नही किया गया है।
	कुल	**483.49**	**260.76**	
स. राजस्व भारित खण्ड				
1.	बिहार का उच्च न्यायालय	24.45	5.65 (23.12)	5.65 करोड रूपए के प्रत्याशित बचत का कारण रिक्त पदों, आपूर्त्तिकर्त्ताओं एवं फर्मो द्वारा विपत्रों की अप्राप्ति एवं मंहगाई भत्ते का भुगतान नहीं हुआ था।
	कुल	**24.45**	**5.65**	
	कुल योग (अ + ब + स)	**1636.42**	**572.42**	

परिशिष्ट–XIV

(संदर्भ : कंडिका 2.3.4 ; पृष्ठ : 23)

प्रत्येक मामले में 2 करोड़ रुपये से अधिक लगातार बचत के मामले

क्रम सं.	अनुदान/विनियोजन की संख्या एवं नाम	बचत (राशि करोड़ रुपये में और प्रावधान से इसका प्रतिशत कोष्ठक में)		
		2002-2003	2003-04	2004-05
	राजस्व दत्तमत			
1	1. कृषि विभाग	89.07(39)	73.91(35)	54.99(26)
2	2. पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	31.21(32)	23.05(26)	24.39(26)
3	6. निर्वाचन	8.44(24)	22.26(43)	32.68(18)
4	12. वित्त विभाग	314.30(86)	15.33(25)	415.81(89)
5	19. वन एवं पर्यावरण विभाग	14.89(33)	21.14(39)	24.79(44)
6	20. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	207.48(27)	185.56(26)	207.41(26)
7	22. गृह विभाग	262.02(22)	136.55(13)	198.16(15)
8	23. उद्योग विभाग	16.43(29)	20.92(45)	9.23(25)
9	26. श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	45.44(24)	34.87(20)	40.59(19)
10	27. विधि विभाग	31.73(24)	41.84(28)	41.15(25)
11	39. सहाय्य एवं पुनर्वास विभाग	85.66(46)	50.40(47)	277.23(50)
12	40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	47.39(21)	53.42(22)	42.14(17)
13	41. पथ निर्माण विभाग	32.98(15)	27.56(12)	26.64(11)
14	42. ग्रामीण विकास विभाग	152.00(16)	287.84(31)	261.01(24)
15	43. विज्ञान एवं तकनीकी विभाग	18.23(53)	26.22(51)	12.02(28)
16	44. माध्यमिक, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग	494.28(18)	696.75(23)	1070.36(29)
17	48. शहरी विकास विभाग	35.70(26)	43.55(34)	50.19(28)
18	49. जल संसाधन विभाग	38.36(16)	28.05(12)	63.56(22)
19	51. कल्याण विभाग	109.80(32)	183.59(42)	163.72(34)
20	52. युवा, कला एवं संस्कृति विभाग	5.47(28)	5.37(28)	2.98(16)
	योग	**2040.88**	**1978.18**	**3019.05**
अ	पूंजी – दत्तमत			
1	3. भवन निर्माण एवं आवास विभाग	7.57(23)	113.28(74)	37.17(41)
2	9. सहकारिता विभाग	9.86(32)	19.52(53)	13.48(36)
3	12. वित्त विभाग	7.86(61)	10.64(85)	11.89(80)
4	36. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	70.79(50)	113.78(61)	97.98(59)
5	41. पथ निर्माण विभाग	39.08(31)	69.64(53)	576.98(80)
6	42. ग्रामीण विकास विभाग	233.43(41)	120.21(20)	102.12(22)
7	49. जल संसाधन विभाग	331.96(52)	315.63(48)	241.73(39)
	योग	**700.55**	**762.70**	**1081.35**
ब	राजस्व– भारित प्रभाग			
1	28. बिहार का उच्च न्यायालय	7.09(32)	5.66(25)	5.65(23)
	योग	**7.09**	**5.66**	**5.65**
	कुल योग	**2748.52**	**2746.54**	**4106.05**

परिशिष्ट–XV

(संदर्भ : कंडिका 2.3.5 ; पृष्ठ : 24)

1977–78 से 2004–05 तक आधिक्य

वर्ष	अनुदान/विनियोजन की संख्या	अनुदान/विनियोजन संख्या	आधिक्य की राशि	राशि जिसके लिए लो.ले.स. को स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया
			(रुपये करोड़ में)	
1977-78	2	5, 24	0.40	0.40
1978-79	2	17, 27	16.17	16.17
1979-80	1	17	33.46	33.46
1980-81	2	12, 17	26.03	26.03
1981-82	7	3, 11, 12, 13, 15, 17, 24	39.24	39.24
1982-83	2	12, 22	4.79	4.79
1983-84	2	11, 12	9.98	9.98
1984-85	2	3,14	2.62	2.62
1985-86	2	10, 13	14.83	14.83
1986-87	1	13	65.62	65.62
1987-88	6	9, 19, 25, 38, 48	244.76	244.76
1988-89	3	9, 25, 38	85.15	85.15
1989-90	3	25, 27, 38	99.40	99.40
1990-91	4	37, 38, 42, 43	92.07	92.07
1991-92	2	6, 38, 43	85.11	85.11
1992-93	2	25, 38	93.25	93.25
1993-94	2	25, 37	157.68	157.68
1994-95	1	37	170.61	170.61
1995-96	3	25, 36, 37	213.22	213.22
1996-97	3	20, 23, 37	22.44	22.44
1997-98	1	7	0.01	0.01
1998-99	1	30	0.33	0.33
1999-00	5	10, 13, 14, 40, 50	196.23	196.23
2000-01	5	5, 13, 15, 25, 32	712.34	712.34
2001-02	1	15	491.24	491.24
2002-03	2	15, 47	10.15	10.15
2003-04	7	10, 11, 14, 15, 30, 32, 50	3782.34	3782.34
2004-05	4	19,20,21,46	5.68	5.68
कुल			**6675.15**	**6675.15**

परिशिष्ट–XVI

(संदर्भ : कंडिका 2.3.5 ; पृष्ठ : 24)

अधिकाई व्यय के मुख्य मामले जिसमें प्रत्येक लघु शीर्षो में प्रावधान के विरूद्व एक करोड़ रूपये या अधिक का आधिक्य था

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष (वृहत/उप/लघु शीर्ष)	प्रावधान	व्यय	आधिक्य	आधिक्य का प्रतिशत
I	**11**	**2039–राज्य उत्पाद शुल्क**				
1		0002. जिला प्रभार 00.001.0002	12.30	14.46	2.16	18
II	**14**	**6003. आंतरिक ऋण**				
2		एन. 0006.13.5: बिहार राज्य विकास ऋण, 2003 (ऋण रहित) 00.101.एन 0006	0.13	5.34	5.21	4008
3		एन. 00039.11–5: बिहार राज्य विकास ऋण, 2001 (ऋण रहित) 01.102.एन 0039	0.03	1.93	1.90	6333
4		एन. 0040.11: बिहार राज्य विकास ऋण, 2002 (ऋण रहित) 01.102एन0040	0.05	2.17	2.12	4240
		6004.केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिमें				
5		0002. 1984.85 से ऋण प्राप्त 01.102.0002	189.70	195.47	5.77	3
6		0001. 1989.90 से प्राप्त अवरूद्व ऋण 01.101.0001	469.18	1944.83	1475.65	315
III	**15**	**2071. पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ**				
7		0002. परवर्ती बिहार राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन भुगतान 01.104.0002	220.00	221.00	1.00	0.45
IV	**20**	**4210.चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय**				
8		0101. पी.एम.सी.एच परिसर में परिचारिका छात्रावास एवं गैरेज का निर्माण 01.110.0101	1.00	2.82	1.82	182
V	**21**	**2202 सामान्य शिक्षा**				
9		0003. बाबा साहेब भीम राव अंबेदकर (बिहार) विश्वविद्यालय (सहायता अनुदान) 03.001.0003	70.35	76.35	6.00	9
10		0004. जय प्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, छपरा (सहायता अनुदान) 03.001.0004	30.90	32.77	1.87	6

क्रम सं0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष (वृहत / उप / लघु शीर्ष)	प्रावधान	व्यय	आधिक्य	आधिक्य का प्रतिशत
VI	**22**	**2055.आरक्षी**				
11		0001. आरक्षी आधुनिकीकरण योजना के तहत केन्द्र सरकार की समान राशि 00.115.0001	35.68	41.10	5.42	15
VII	**29**	**2853. अलौह खनन् एवं धातुकर्मीय उद्योग**				
12		0001. खनन् स्थापना 02.001.0001	2.73	3.84	1.11	41
VIII	**38**	**2030. मुद्रांक और निबंधन**				
13		0002. जिला प्रभार 03.001.0002	15.35	16.67	1.32	9
IX	**39**	**2245.प्राकृतिक आपदा के संदर्भ में साहाय्य**				
14		0002. आबादी का विस्थापन 02.112.0002	20.39	24.59	4.20	21
15		0001. आपदा साहाय्य निधि 05.101.0001	81.40	188.59	107.19	132
X	**48**	**2217. शहरी विकास**				
16		0113. अनुसूचित जाति झुग्गी झोपडी विस्थापन पर्यावरण सुधार हेतू पर्यावरण सुधार योजना के तहत अनुदान 80.800.0113	10.95	38.73	27.78	2454
XI	**49**	**4701. वृहत्त एवं मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय**				
17		0117. दक्षिणी बिहार सिंचाई परियोजना (ए.आई.बी.पी) 04.800.0117	74.39	81.69	7.30	10
18		0120. उत्तरी बिहार सिंचाई परियोजना (नाबार्ड प्रायोजित योजना) 04.800.0120	25.00	26.48	1.48	6
		योग	**1259.53**	**2918.83**	**1659.30**	

परिशिष्ट–XVII

(संदर्भ : कंडिका 2.3.5 ; पृष्ठ : 24)

बिना बजट प्रावधान के लघु शीर्ष में व्यय

क्रम सं.	अनुदान / विनियोजन का नाम एवं सख्या	लेखा का शीर्ष (उप / लघु / उप शीर्ष / योजना)	प्रावधान (मूल + पुरक)	वास्तविक व्यय	आधिक्य
	(रुपये लाख में)				
	राजस्व दत्तमत्त				
I	42 आपदा प्रबंधन विभाग	**2245 प्राकृतिक आपदा के संदर्भ में साहाय्य**			
1		0005 ग्रमीण विकास विभाग द्वारा स्वरोजगार योजना के लिए नगद भुगतान	0.00	5.23	5.23
II	42 पथ निर्माण विभाग	**3054 पथ एवं पुल**			
2		3710 विविध कार्य अग्रिमें 03-799-3710	0.00	0.13	0.13
III	**49 जल संसाधन विभाग**	**2701 मध्य सिंचाई**			
3	जल संसाधन विभाग	3710 विविध कार्य अग्रिमें 00-799-3710	0.00	0.29	0.29
4		3730 क्रय	0.00	0.03	0.03
		कुल	**0.00**	**5.68**	**5.68**

परिशिष्ट–XVIII

(संदर्भ : कंडिका 2.3.7 ; पृष्ठ : 24)

मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	अनुदान / विनियोजन की संख्या एवं नाम	वास्तविक अनुदान / विनियोजन	व्यय	व्यय	अनावश्यक पूरक अनुदान / विनियोजन
1	2	3	4	5	6
अ.- राजस्व प्रभाग दत्तमत्त					
1	1-कृषि विभाग	198.16	158.55	39.61	15.38
2	2- पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	85.82	69.69	16.13	8.26
3	3- भवन निर्माण एवं आवास विभाग	97.48	90.69	6.79	5.88
4	4- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	6.86	5.62	1.24	0.57
5	6- निर्वाचन	179.96	147.46	32.50	0.17
6	7- निगरानी	7.23	6.74	0.49	0.16
7	10- ऊर्जा विभाग	11.64	11.09	0.55	0.37
8	11- उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	16.27	16.25	0.02	0.65
9	12- वित्त वभाग	461.27	52.38	408.89	6.93
10	15- पेंशन	2440.12	2324.73	115.39	3.00
11	17- वित्त (वाणिज्यिक कर) विभाग	25.79	21.57	4.22	10.17
12	19-वन एवं पर्यावरण विभाग	55.12	31.08	24.04	0.75
13	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण	697.25	604.12	93.13	114.28
14	22-गृह विभाग	1224.17	1098.17	126.00	72.16
15	23-उद्योग विभाग	32.58	27.20	5.38	3.85
16	27-विधि विभाग	161.64	122.64	39.00	2.15
17	30-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2.01	1.32	0.69	0.12
18	31-संसदीय कार्य विभाग	0.524	0.519	0.005	2.21
19	32-विधायिका	34.98	33.25	1.73	0.35
20	33-कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	14.48	7.76	6.72	2.37
21	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	128.87	124.29	4.58	2.29
22	37-राजभाषा विभाग	14.22	12.86	1.36	0.65
23	38-निबंधन विभाग	22.55	22.02	0.53	1.49

क्रम सं.	अनुदान / विनियोजन की संख्या एवं नाम	वास्तविक अनुदान / विनियोजन	व्यय	व्यय	अनावश्यक पूरक अनुदान / विनियोजन
1	2	3	4	5	6
24	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	236.48	204.63	31.85	10.29
25	41-पथ निर्माण विभाग	249.24	224.01	25.23	1.42
26	44-मध्य, प्राथमिक एवं जन शिक्षा विभाग	3338.16	2570.17	767.99	302.37
27	45- ईख विभाग	10.34	9.58	0.76	1.30
28	49- जल संसाधन विभाग	279.78	223.35	56.43	7.14
29	50-लघु सिंचाई विभाग	276.08	253.86	22.22	2.73
30	51-कल्याण विभाग	401.14	322.73	78.41	85.31
31	52-युवा, कला एवं संस्कृति विभाग	17.08	15.25	1.83	1.16
	योग	**10727.29**	**8813.57**	**1913.72**	**665.93**
ब.- पूँजीगत प्रभाग दत्तमत्त					
1	3- भवन निर्माण एवं आवास विभाग	87.07	53.53	33.54	3.63
2	9- सहकारिता विभाग	25.84	23.73	2.11	11.36
3	10- ऊर्जा विभाग	1196.35	1097.74	98.61	410.66
4	22-गृह विभाग	72.00	0.00	72.00	0.96
5	42-ग्रामीण विकास विभाग	438.03	370.51	67.52	34.60
6	44-माध्यमिक, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग	16.74	14.56	2.18	4.77
7	जल संसाधन विभाग	607.32	383.09	224.23	17.50
	योग	**2443.35**	**1943.16**	**500.19**	**483.48**
स.- राजस्व प्रभाग–भारित					
1.	13- ब्याज का भुगतान	3859.61	3473.90	385.71	15.72
2.	28- बिहार का उच्च न्यायालय	23.47	18.80	4.67	0.98
3.	34- बिहार लोक सेवा आयोग	5.07	4.96	0.11	0.16
	योग	**3888.15**	**3497.66**	**390.49**	**16.86**
द–पूँजीगत भारित					
1.	14- ऋण का पुर्नभुगतान	4182.45	3087.22	1095.23	0.14
	योग	**4182.45**	**3087.22**	**1095.23**	**0.14**
	कुल योग अ+ब+स+द :	**21241.24**	**17341.61**	**3899.63**	**1166.41**

परिशिष्ट–XIX

(संदर्भ : कंडिका 2.3.7 ; पृष्ठ : 24)

मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान वास्तविक आवश्यकता से अधिक साबित हुए (प्रत्येक मामले में 10 लाख रूपये से अधिक)

(रुपये करोड़में)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	मुल प्रावधान	व्यय	वास्तविक आवश्यकता	अनुपूरक प्रावधान	अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान
राजस्व दत्तमत्त						
1	9-सहकारिता विभाग	36.24	135.05	98.81	105.75	6.94
2	18- खाद्य आपुर्ति एवं वाणिज्य विभाग	58.45	71.38	12.93	16.27	3.34
3	26-श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	149.96	173.59	23.63	64.21	40.58
4	35-योजना एवं विकास विभाग	26.36	135.79	109.43	120.60	11.17
5	39-आपदा प्रबंधन विभाग	104.87	277.40	172.53	449.77	277.24
6	42-ग्रमीण विकास विभाग	668.97	809.09	140.12	401.13	261.01
7	43-विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग	28.75	31.26	2.51	14.53	12.02
8	46-पर्यटन विभाग	2.68	4.77	2.09	2.79	0.70
9	48-शहरी विकास विभाग	98.72	128.83	30.11	80.30	50.19
	योग	**1175.00**	**1767.16**	**592.16**	**1255.35**	**663.19**
राजस्व प्रभारित						
1	51-कल्याण विभाग	2.25	24.64	22.39	24.63	2.24
	योग	**2.25**	**24.64**	**22.39**	**24.63**	**2.24**
	कुल योग	**1177.25**	**1791.80**	**614.55**	**1279.98**	**665.43**

परिशिष्ट–XX

(संदर्भ : कंडिका 2.3.8 ; पृष्ठ : 25)

मामले जहाँ अनावश्यक राशि का पुनर्विनियोजन (प्रत्येक मामले में 5 लाख रूपये से अधिक)

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष (वृहत / उप / योजना	प्रावधान (मुल + अनुपूरक)	प्रत्यार्पण	कुल	व्यय	अधिक
1	2	3	4	5	6	7	
राजस्व प्रभाग दत्तमत्त							
1	21	**2202-सामान्य शिक्षा**					
		0003-बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर बिहार विश्वविधालय (सहायक अनुदान) 03–102–0003	7417.45	382.37	7035.08	7634.58	599.50
2	26	**2230-श्रम एवं नियोजन**					
		0001-श्रमायुक्त 01-001-0001	126.41	6.60	119.81	152.65	32.84
3	41	**3054-पथ एवं पूल**					
		0001-निर्देशन 80-001-0001	500.99	26.32	474.67	572.90	98.23
		कुल	**8044.85**	**415.29**	**7629.56**	**8360.13**	**730.57**

परिशिष्ट–XXI

(संदर्भ : कंडिका 2.3.8 ; पृष्ठ : 25)

अधिक अभ्यर्पण की विवरणी

(रुपये लाख में)-

क्रम सं.	अनुदान सं0	लेखा का शीर्ष / योजना (वृहत / लघु / उप–शीर्ष)	प्रावधान (मुल + अनुपूरक)	अभ्यर्पण / पुनर्विनियोजन	कुल	व्यय	पूनर्विनि–योजन / अभ्यर्पण से अधिक
1	8	**5053-विमानपत्तन्म पर पूँजीगत परिव्यय**					
		0101-हवाई अड्डा 02-102-0101	100.00	24.30	75.70	88.82	13.12
2	12	**2013- मंत्री परिषद्**					
		0001-मंत्रीगण	274.49	133.21	141.28	159.96	18.68
3	18	**3456-असैनिक आपूर्ति**					
		0002- जिला शुल्क 00-001-0002	1307.04	350.19	956.85	972.74	15.89
4	20	**2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य**					
		0003-दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय 05-105-0003	650.92	93.86	557.06	581.69	24.63
		0008-श्रीकृष्णा चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर 05-105-0008	755.63	209.28	546.35	559.54	13.19
		0002-लोक स्वास्थ्य संस्थान 06-003-0002	647.24	92.30	554.94	568.44	13.50
5	22	**2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण**					
		0001- पुलिस बल के आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को समान राशि 60-115-0001	5200.00	1631.58	3568.42	4109.66	541.24
6	29	**2853-अलौह खनन् एवं धातुकर्मीय उद्योग**					
		0001.खनन् स्थापना 02-001-0001	475.28	202.72	272.56	384.42	111.86
7	38	**2030- मुद्रांक एवं निबंधन**					
		0002-जिला शुल्क 03-001-0002	1860.86	326.10	1534.76	1667.37	132.61
8	39	**2245-प्राकृतिक आपदा के संदर्भ में साहाय्य**					
		0005-स्वरोजगार योजना के लिए ग्रामीण विकास विभाग से नकद भुगतान 02-800-0005	1516.00	1516.00	0.00	522.67	522.67
9	48	**2217-शहरी विकास**					
		0101- शहरी आधारभूत संरचनाओं एवं सेवाओं में विकास हेतु सहायता 80-191-0101	1520.00	836.05	683.95	695.34	11.39
		योग	**14307.46**	**5415.59**	**8891.87**	**10310.65**	**1418.78**

परिशिष्ट–XXII

(संदर्भ : कंडिका 2.3.9 ; पृष्ठ : 25)

प्रत्याशित बचत अभ्यर्पित नहीं किए गये (एक करोड़ रूपये से अधिक)

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान / विनियोग की संख्या एवं नाम	बचत	अभ्यर्पण	अनाभ्यर्पित बचत	बचत का प्रतिशत
अ. राजस्व प्रभाग दत्तमत्त					
1	1-कृषि विभाग	54.99	40.65	14.34	26
2	2-पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग	24.39	19.40	4.99	20
3	3-भवन निर्माण एवं आवास विभाग	12.67	10.60	2.07	16
4	12-वित्त विभाग	415.81	413.07	2.74	0.65
5	15- पेंशन	118.38	1.08	117.30	99
6	19- वन एवं पर्यावरण विभाग	24.79	22.71	2.08	8
7	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	207.41	106.53	100.88	49
8	22- गृह विभाग	198.16	176.26	21.90	11
9	26- श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	40.59	37.44	3.15	8
10	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	42.15	23.04	19.11	45
11	41- पथ निर्माण विभाग	26.64	21.00	5.64	21
12	42- ग्रामीण विकास विभाग	261.01	220.83	40.18	15
13	43- विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	12.02	0.00	12.02	100
14	44- माध्यमिक, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग	1070.36	736.10	334.26	31
15	49- जल संसाधन विभाग	63.56	20.80	42.76	67
16	50- लघु सिंचाई विभाग	24.95	17.24	7.71	31
17	51- कल्याण विभाग	163.72	126.19	37.53	23
	कुल	**2761.60**	**1992.94**	**768.66**	
ब. पूँजीगत प्रभाग दत्तमत्त					
1	3-भवन निर्माण एवं आवास विभाग	37.17	32.66	4.51	12
2	10- ऊर्जा विभाग	509.27	413.49	95.78	19
3	22- गृह विभाग	72.96	56.00	16.96	23
4	36- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	97.98	72.41	25.57	26
5	42-ग्रामीण विकास विभाग	102.12	89.41	12.71	12
6	50-लघु सिंचाई विभाग	20.34	14.50	5.84	29
	कुल	**839.84**	**678.47**	**161.37**	
स. राजस्व भारित प्रभाग					
1	13- ब्याज भुगतान	401.43	19.27	382.16	95.00
	कुल	**401.43**	**19.27**	**382.16**	
	कुल योग (अ+ब+स)	**4002.87**	**2690.68**	**1312.19**	

परिशिष्ट–XXIII

(संदर्भ : कंडिका 2.3.9 ; पृष्ठ : 25)

मार्च 2005 माह के अंतिम दिन अभ्यर्पित राशि

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	मार्च 2005 माह के अंतिम दिन अभ्यर्पित राशि (रुपये करोड़ में)
अ. राजस्व प्रभाग (दत्तमत्त)		
1	1. कृषि विभाग	39.28
2	2. पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	19.40
3	3. भवन निर्माण एवं आवास विभाग	10.60
4	4. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग	1.37
5	6. निर्वाचन	32.67
6	7. निगरानी	0.40
7	8. नागरिक उड्डयन विभाग	0.97
8	9. सहकारिता विभाग	6.59
9	10. ऊर्जा विभाग	0.96
10	11. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	3.35
11	12. वित्त विभाग	413.07
12	15. पेंशन	1.08
13	16. राष्ट्रीय बचत	0.90
14	17. वित्त (वाणिज्य कर) विभाग	13.77
15	18. खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	4.04
16	19. वन एवं पर्यावरण विभाग	22.71
17	20. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	106.53
18	21. उच्चतर शिक्षा विभाग	0.71
19	22. गृह विभाग	176.26
20	23. उद्योग विभाग	8.62
21	24. सूचना एवं जनसम्पक्र विभाग	1.04
22	25. संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	0.48
23	26. श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग	37.44
24	27. विधि विभाग	40.48
25	29. खनिज एवं भूगर्भ विभाग	2.29
26	30. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	0.76
27	31. संसदीय कार्य विभाग	2.21
28	32. विधान मंडल	2.15
29	33. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	8.91
30	35. योजना एवं विकास विभाग	11.53
31	36. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	6.27
32	37. राजभाषा विभाग	1.43
33	38. निबंधन विभाग	4.14
34	39. आपदा प्रबंधन विभाग	363.18
35	40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	23.04
36	41. पथ निर्माण विभाग	20.34
37	42. ग्रामीण विकास विभाग	220.83
38	44. माध्यमिक, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग	736.10
39	45. गन्ना विभाग	1.99

40	46. पर्यटन विभाग	0.57
41	47 परिवहन विभाग	1.82
42	48. शहरी विकास विभाग	78.37
43	49. जल संसाधन विभाग	20.80
44	50. लघु सिंचाई विभाग	17.24
45	51. कल्याण विभाग	126.19
45	52. युवा, कला एवं संस्कृति विभाग	2.38
	कुल	**2595.26**
ब. राजस्व भारित प्रभाग		
1	5. गर्वनर का सचिवालय	0.26
2	13. ब्याज भुगतान	19.27
3	28. बिहार का उच्च न्यायालय	4.73
4	32. विधायिका	0.02
5	34. बिहार लोक सेवा आयोग	0.26
	कुल	**24.54**
स. पूँजी दत्तमत्त प्रभाग		
1	3. भवन निर्माण एवं आवास विभाग	32.66
2	9. सहकारिता विभाग	13.48
3	10. ऊर्जा विभाग	413.49
4	12. वित्त विभाग	11.38
5	19. वन एवं पर्यावरण विभाग	0.05
6	20. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	0.31
7	22. गृह विभाग	56.00
8	30. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	0.08
9	36. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	72.41
10	40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	0.04
11	41. पथ निर्माण विभाग	576.58
12	42. ग्रामीण विकास विभाग	89.41
13	44. माध्यमिक, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग	5.98
14	47. परिवहन विभाग	0.75
15	48. शहरी विकास विभाग	0.71
16	49. जल संसाधन विभाग	250.16
17	50. लघु सिंचाई विभाग	14.50
18	51. कल्याण विभाग	2.24
	कुल	**1540.23**
द. पूँजी भारित प्रभाग		
1	14 लोक ऋण का पुर्नभुगतान	1996.50
	कुल	**1996.50**
	कुल योग(अ+ब+स+द)	**6156.53**

परिशिष्ट–XXIV

(संदर्भ : कंडिका 2.3.10 ; पृष्ठ : 25)

संपूर्ण प्रावधानों के अभ्यर्पण/पूनर्विनियोजन के मुख्य मामले (10 लाख रूपये से अधिक)

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोजन की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष (वृहत/लघु/उप–शीर्ष/योजना)	कुल अनुदान	अभ्यर्पित/ पुनर्विनियोजन
I	1. कृषि विभाग	**2401-फसल पालन**		
1.		0604- छोटे किसान क्रेडिट एजेन्सी के लिए फसल निधि (50:50) 00-001-0604	25.00	25.00
2.		0108-राष्ट्रीय सम विकास योजना 00-001-0108	1000.00	1000.00
3.		0610-मसाले विकास योजना (मैक्रोमोड 90:10) 00-119-0610	63.00	63.00
4.		0612-सब्जी बीज विकास योजना (मैक्रोमोड 90:10) 00-119-0612	45.00	45.00
5.		0122- राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मसरूम उत्पादन कार्य 00-119-0122	32.30	32.30
		2402- मृदा एवं जल संरक्षण		
6.		0601-पुनपुन एवं कोशी ,एफ आर आरद्ध ,मैक्रोमोड 90:10) 00-102-0601	44.54	44.54
II	2- पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	**2403- पशुपालन**		
7.		0604- पॉल्ट्री फार्म– पॉल्ट्री फार्म निगम 00-103-0604	80.00	80.00
8.		0106- क्षेत्रीय पॉल्ट्री फार्म की योजना, केन्द्रीय पौल्ट्री विकास, उत्पादन एवं मुर्गियों के भोजन का वितरण 00-103-0106	20.00	20.00
		2404- दुग्धशाला विकास		
9.		0603- मत्स्य प्रशिक्षण एवं विस्तार योजना 00-101-0603	16.00	16.00
10.		0401- अन्तर्देशीय मत्स्यों के सांख्यिकी का विकास 00-800-0401	54.00	54.00
III	3- भवन निर्माण एवं आवास विभाग	**4059- लोक कार्य पर पूँजीगत परिव्यय**		

क्रम सं.	अनुदान/विनियोजन की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष (वृहत/लघु/उप-शीर्ष/योजना)	कुल अनुदान	अभ्यर्पित/पुनर्विनियोजन
11.		0002- लघु कार्य 80-051-0002	300.00	300.00
12.		0109-बिहार राज्य न्यायायिक सेवा प्रशिक्षण संस्थान के आवास निर्माण (विधि विभाग) 80-051-0109	58.55	58.55
		6216- आवास हेतु ऋण		
13.		0003- भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त ऋण की बकाया राशि का भूगतान 02-201-0003	519.51	519.51
14.		0004- ग्रामीण आवास परियोजना से हुडको द्वारा प्राप्त बकाये ऋण का भूगतान 02-201-0004	270.16	270.16
15.		0005- ग्रामीण आवास परियोजना से हुडको द्वारा प्राप्त बकाये ऋण का भूगतान 02-201-0005	191.76	191.76
IV	**9-सहकारिता विभाग**	**2425- सहकारी**		
16.		0601-बिहार स्टेट कॉपरेटिव बैंक लिमीटेड पटना से कृषि निधि से सहायक अनुदान (सुदृढीकरण) 00-001-0601	30.00	30.00
17.		0611- बिहार राज्य सहकारिता बैंक लिमिटेड तथा केन्द्रीय सहकारिता बैंक की पूँजिगत स्थिति के तहत रा.व्या.सं. की निधि में अंशदान 00-108-0611	1000.00	1000.00
18.		0601-बिहार स्टेट कॉपरेटिव बैंक पटना से कृषि क्रेडिट (सुदृढ़ीकरण) निधि के लिए ऋण 00-107-0601	10.00	10.00
V	**10- ऊर्जा विभाग**	**6801- ऊर्जा परियोजना के लिए ऋण**		
19.		0105- ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का ऋण 00-800-0105	7300.00	7300.00
		2801- ऊर्जा		
20.		0001- बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	24.04	24.04
VI	**12-वित्त विभाग**	**2048- ऋण की परिहार्यता अथवा कमी हेतु विनियोजन**		

क्रम सं	अनुदान/विनियोजन की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष (वृहत/लघु/उप-शीर्ष/योजना)	कुल अनुदान	अभ्यर्पित/पुनर्विनियोजन
21.		0001- शोधन निधि 00-101-0001	40000.00	40000.00
		7610- सरकारी कर्मचारीयों को ऋण		
22.		0003- अराजपत्रित कर्मचारियों को साईकिल खरीद के लिए अग्रिम 00-203-0001	15.00	15.00
23.		0002- ग्रुप घ सरकारी कर्मचारियों को पंखा खरीद के लिए अग्रिम 00-800-0002	10.00	10.00
24.		0001- अराजपत्रित कर्मचारीयों को साईकिल क्रय के लिए अग्रिम	10.00	10.00
VII	**19- वन एवं पर्यावरण विभाग**	**2406- वानिकी एवं वन्य जीवन वानिकी**		
25.		0126- राष्ट्रीय सम विकास योजना 01-101-0126	1200.00	1200.00
26.		0605- अभ्यारण्य का विकास (100% सी.एस.एस) 01-101-0605	65.00	65.00
VIII	**20- स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण**	**4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजि परिव्यय**		
27.		0601- होमियोपैथी महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर 03-102-0601	15.00	15.00
28.		0601- भारत सरकार के मशीनी उपकरण में आयुर्वेदिक एवं यूनानी दवा बनाने वाले केन्द्र के लिए अनुदान	15.70	15.70
IX	**22- गृह विभाग**	**2055- पूलिस**		
29.		0002- केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो पटना के लिए अनुदान 00-109-0002	65.73	65.73
30.		0003- वामपंथी आतंकवादी का समर्पण 00-109-0003	462.00	462.00
X	**23- उद्योग विभाग**	**2851- ग्राम एवं लघु उद्योग**		
31.		0614- चरखा योजना 00-103-0614	15.60	15.60
32.		0152- क्रां.अ.सं. (क्रांतिक अंतःसंरचना संतुलन परियोजना) राज्यांश 50% 00-102-0152	70.62	70.62

क्रम सं.	अनुदान/विनियोजन की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष (वृहत/लघु/उप-शीर्ष/योजना)	कुल अनुदान	अभ्यर्पित/पुनर्विनियोजन
33.		0154- खण्डसारी उद्योग से सहायक अनुदान 00-102-0154	10.00	10.00
34.		0157- आई.सी.डी/सी.एस. एफ शीलालखपुर योजना पर सहायक अनुदान	10.00	10.00
XI	**36- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग**	**4215- जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूँजिगत परिव्यय**		
35.		0602- केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 02-106-0602	200.00	200.00
XII	**37- राजभाषा विभाग**	**2052- सचिवालय– सामान्य सेवाएँ**		
36.		0101- राजभाषा विभाग 00-090-0101	80.00	80.00
XIII	**39- प्राकृतिक आपदा विभाग**	**2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण**		
37.		0003- सर्द लहर के चलते सहाय्य 01-200-0003	25.00	25.00
		2245- प्राकृतिक आपदा पर सहायता		
38.		0001- अनाथ एवं अपंग व्यक्तियों को नकद भुगतान 01-101-0001	70.00	70.00
39.		0002- खाद्यानों की आपूर्ति 01-101-0002	80.00	80.00
40.		0004- सुखा प्रभावित व्यक्तियों को निःशुल्क वस्त्र एवं वर्तनों का वितरण 01-101-0004	30.00	30.00
41.		0001- विशेष पौष्टिक आहार 01-103-0001	2588.00	2588.00
42.		0001- चारा की आपुर्ति 01-104-0001	400.00	400.00
43.		0001- मवेशी के लिए दवा 01-105-0001	107.00	107.00
44.		0001- दवा की आपूर्ति 01-282-0001	200.00	200.00
45.		0003- अन्य कार्य (कृषि कार्यो के लिए कृषि विभाग को अनुदान) 01-800-0003	6740.00	6740.00
46.		0004- स्व–रोजगार 01-800-0004	6000.00	6000.00
47.		0004- प्रभावित व्यक्तियों को निःशुल्क वस्त्र एवं वर्तनों का वितरण 01-101-0004	100.00	100.00

क्रम सं.	अनुदान/विनियोजन की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष (वृहत/लघु/उप–शीर्ष/योजना)	कुल अनुदान	अभ्यर्पित/ पुनर्विनियोजन
48.		0001- सरकारी स्वास्थ्य एवं शिक्षा भवनों की मरम्मती एवं जिर्णोद्धार 02-106-0001	50.00	50.00
49.		0001- सरकारी एवं आवासीय भवन का जिर्णोद्धार 02-108-0001	35.00	35.00
50.		0004- संचार उपकरणों का क्रय 02-112-0004	200.00	200.00
51.		0001- बाढ के कारण क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मती एवं जिर्णोद्धार 02-113-0004	9352.00	9352.00
52.		0002- मत्स्य क्षेत्र से खारापन/बालू इत्यादि को निकालना 02-115-0002	50.00	50.00
53.		0001- खराब नलकुप/ पम्पसेट इत्यादि की मरम्मती के लिए किसानों को अनुदान 02-116-0001	25.00	25.00
54.		0001- बाढ एवं सुखे से प्रभावित जानवरों का आदान–प्रदान	25.00	25.00
55.		0002- दुधारू जानवरों का आदान–प्रदान 02-117-0002	25.00	25.00
56.		0001- प्रखण्ड पंचायत/मध्य स्तरीय पंचायत को सहायता अनुदान 02-197-0001	66.25	66.25
57.		0003- पी.ओ.एच के लिए चलंत स्वास्थ्य इकाई की आपूर्ति 02-282-0003	50.00	50.00
58.		0001- भू–कटाव के कारण हुई हानि के लिए सहायक अनुदान 02-800-0001	100.00	100.00
59.		0006- कल्याण विभाग के लिए पुरक पोषण सामाग्री की आपूर्ति 02-282-0006	151.00	151.00
XIV	**40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**	**3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ**		
	2029- भू–राजस्व			
60.		0004- जमींदारी उन्मूलन बंध पत्र	100.35	100.35

क्रम सं.	अनुदान/विनियोजन की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष (वृहत/लघु/उप-शीर्ष/योजना)	कुल अनुदान	अभ्यर्पित/पुनर्विनियोजन
61.		0001- सिलिंग भूमि का नियतीकरण एवं अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण 00-201-0001	30.48	30.48
XV	**41- पथ निर्माण विभाग**	**5054- पुल एवं पथ पर पूँजिगत परिव्यय**		
62.		0107- राष्ट्रीय सम विकास योजना 03-337-0107	39343.00	39343.00
XVI	**42- ग्रामीण विकास विभाग**	**2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम**		
63.		0101- बिहार ग्रामीण विकास प्रशिक्षण 00-001-0101	27.70	27.70
64.		0101 पोस्ट स्टेज ब्लॉक–2 लघु निर्माण कार्य 00-102-0101	100.00	100.00
65.		0002- ग्रामीण भवनों के लिए जिला परिषद को अनुदान 00-196-0002	50.00	50.00
		4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय		
66.		0112- सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 00-103-0112	128.00	128.00
XVII	**44- माध्यमिक, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग**	**2202-सामान्य शिक्षा**		
67.		0101- राजकीयकृत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय 01-101-0101	100.00	100.00
68.		0002- अन्य विद्यालयें 01-107-0002	120.00	120.00
		4202- शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय		
69.		0402-भवन 01-201-0402	505.08	505.08
70.		0801- प्राथमिक विद्यालय में भवन निर्माण, पीने का पानी एवं शौचघर की व्यवस्था	86.14	86.14
XVIII	**47-परिवहन विभाग**	**5075 अन्य परिवहन सेवाएँ पर पूँजीगत परिव्यय**		
71.		0101- नदी प्रशिक्षण कार्य परियोजना– निदेशन एवं प्रशासन	75.00	75.00

क्रम सं.	अनुदान/विनियोजन की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष (वृहत/लघु/उप-शीर्ष/योजना)	कुल अनुदान	अभ्यर्पित/पुनर्विनियोजन
XIX	**49- जल संसाधन विभाग**	**4711- बाढ नियंत्रण परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय**		
72.		112- नाली परियोजना (नाबार्ड द्वारा प्रायोजित) कार्य 01-001-0112	1500.00	1500.00
73.		0602- तिनमुहानी कुरसैला तटबंध पर निर्माण कार्य 01-800-0603	1000.00	1000.00
74.		0604- कमला नदी तटबंध का विस्तार (भरतीय भाग को ऊँचा एवं मजबुत करना (100% केन्द्रीय भाग)	500.00	500.00
75.		0609- बागमती नदी तटबंध का विस्तार एवं मजबुतीकरण	500.00	500.00
XX	**51-कल्याण विभाग**	**2225- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण**		
76.		0602- छात्राओं के लिए छात्रावास 01-277-0602	115.00	115.00
77.		0604- परीक्षापूर्व प्रशिक्षण केन्द्र 01-277-0604	32.00	32.00
78.		0605- छात्रों के लिए छात्रावास– वृहत निर्माण कार्य	57.50	57.50
79.		0101- संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के बहुधंधी विकास हेतु भारत सरकार से प्राप्ति 02-102-0101	209.00	209.00
80.		0107- छात्राओं के लिए छात्रावास – वृहत निर्माण कार्य (50:50) 02-102-0107	115.00	115.00
		2236- पोषण		
81.		0802- अल्प पोषित गर्भवती/प्रसवोंपरान्त महिलाओं एवं अल्प व्यस्क बालिकाएँ हेतु खाद्यान वितरण के लिए विशेष कार्यक्रम 02-101-0802	1331.00	1331.00

क्रम सं.	अनुदान/विनियोजन की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष (वृहत/लघु/उप-शीर्ष/योजना)	कुल अनुदान	अभ्यर्पित/पुनर्विनियोजन
		4225- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्गो को कल्याण पर पूँजिगत परिव्यय		
82.		0101- आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जिर्णोद्धार 02-277-0101	153.31	153.31
	कुल		**125976.32**	**125976.32**
	कुल (रुपये करोड़ में)		**1259.77**	**1259.77**

परिशिष्ट–XXV

(संदर्भ : कंडिका 2.3.11 ; पृष्ठ : 25)

अनुदान में वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण

(रूपये करोड़ में)

क्रम सं.	विनियोग/अनुदान का नाम एवं संख्या	कुल अनुदान	बचत	प्रत्यर्पित राशि	अधिक राशि का प्रत्यार्पण
	राजस्व प्रभाग–दत्तमत्त				
1	10- ऊँर्जा विभाग	12.01	0.92	0.96	0.04
2	11-उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	16.93	0.67	3.35	2.68
3	18- खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग	74.71	3.33	4.04	0.71
4	29- खनिज एवं भूगर्भ विभाग	6.71	1.49	2.29	0.80
5	35- योजना एवं विकास विभाग	146.96	11.17	11.53	0.36
6	38- निबंधन विभाग	24.04	2.03	4.14	2.11
7	39- आपदा प्रबंधन विभाग	554.64	277.23	363.18	85.95
8	48- शहरी विकास विभाग	179.02	50.19	78.37	28.18
	कुल (अ)	**1015.02**	**347.03**	**467.86**	**120.83**
पूँजीगत प्रभाग – दत्तमत्त					
9	08- नागरिक उडडयन विभाग	1.00	0.11	0.24	0.13
	कुल (ब)	**1.00**	**0.11**	**0.24**	**0.13**
पूँजीगत भारित प्रभाग					
10	14- लोक ऋण का पुनर्भुगतान	4182.59	1095.37	1996.50	901.13
	कुल (स)	**4182.59**	**1095.37**	**1996.50**	**901.13**
	कुल योग (अ+ब+स)	**5198.61**	**1442.51**	**2464.60**	**1022.09**

परिशिष्ट–XXVI

(संदर्भ : कंडिका 2.3.11 ; पृष्ठ :25)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन

(रूपये करोड़ में)

क्र. सं.	विनियोजन/अनुदान का नाम एवं संख्या	कुल प्रावधान (मूल+पूरक)	वास्तविक व्यय	आधिक्य	अभ्यर्पण (पुर्नविनियोजन)	पुर्नविनियोजन के बाद आधिक्य
	राजस्व दत्तमत					
1	21– उच्च शिक्षा विभाग	520.78	526.32	5.54	0.71	6.25
	पूँजीगत दत्तमत					
2	19– वन एवं पर्यावरण विभाग	0.60	0.65	0.05	0.05	0.10
3	20– स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	50.68	792.48			
4	46– पर्यटन विभाग	7.39	7.45	0.06	0.0002	0.06
	कुल	**550.68**	**556.36**	**5.68**	**1.07**	**6.75**

परिशिष्ट–XXVII

(संदर्भ : कंडिका 2.3.12 ; पृष्ठ : 25)

मार्च 2005 में व्यय की तीव्रता

(रूपये करोड में)

कोषागार माह	राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	कुल व्यय	प्रत्येक तिमाही में व्यय का प्रतिशत	मार्च माह में व्यय का प्रतिशत
अप्रैल -2004	423.83	12.39	436.22		
मई 2004	592.04	31.52	623.56		
जून 2004	497.12	40.34	537.46		
कुल	**1512.99**	**84.25**	**1597.24**	**10**	
जुलाई 2004	536.11	35.56	571.67		
अगस्त 2004	618.98	27.56	646.54		
सितम्बर 2004	637.69	63.88	701.57		
कुल	**1792.78**	**127.00**	**1919.78**	**12**	
अकटुबर 2004	1421.10	59.11	1480.21		
नवंबर 2004	1274.11	77.71	1351.82		
दिसंबर 2004	548.80	50.65	599.45		
कुल	**3244.01**	**187.47**	**3431.48**	**22**	
जनवरी 2005	337.84	39.24	377.08		
फरवरी 2005	1010.64	83.32	1093.96		
मार्च 2005 (पी)	6584.56	663.02	7247.58		
मार्च 2005 (एस)	155.59	20.22	175.81		**47**
कुल	**8088.63**	**805.80**	**8894.43**	**56**	
कुल योग	**14638.41**	**1204.52**	**15842.93**	**100**	

परिशिष्ट–XXVIII

(संदर्भ : कंडिका 2.3.13 ; पृष्ठ : 25)

असमाशोधित व्यय की विवरणी

वर्ष 2004–05 के दौरान निम्नलिखित लेखाशीर्षों का मिलान किया गया।

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	वृहत्त शीर्ष	राशि
1.	2011- राज्य विधायिका	577.60
2.	2012- राज्यपाल	24.60
3.	2013- मंत्रिपरिषद्	761.30
4.	2014- न्याय का प्रशासन	5423.50
5.	2015- चुनाव	12442.70
6.	2029- भू–राजस्व	3106.30
7.	2030- मुद्रांक एवं निबंधन	2047.10
8.	2039- राज्य उत्पाद	1135.00
9.	2040- बिक्री कर	858.50
10.	2041- परिवहन	385.00
11.	2045- अन्य कर	5.10
12.	2047- अन्य वित्तीय सेवाएँ	223.70
13.	2049- सूद भुगतान	44105.10
14.	2051- बी0पी0एस0सी0	116.40
15.	2052- सचिवालय सामान्य सेवाएँ	1381.00
16.	2053- जिला प्रशासन	19701.10
17.	2054- प्रशिक्षण एवं लेखा प्रशासन	1715.20
18.	2055- पुलिस	1076.00
19.	2056- जेल	2046.90
20.	2058- लेखन सामग्री एवं मुद्रण	786.50
21.	2059- लोक कार्य	1714.40
22.	2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	9714.30
23.	2071- पेंशन	232473.20
24.	2075- विविध सामान्य सेवाएँ	0.20
25.	2202- सामान्य शिक्षा	306452.60
26.	2203- तकनीकि शिक्षा	1942.90
27.	2204- खेल एवं युवा सेवाएँ	566.00

क्र. सं.	वृहत्त शीर्ष	राशि
28.	2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	50446.30
29.	2211- परिवार कल्याण	10300.70
30.	2215- जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	9955.80
31.	2217- शहरी विकास	10878.20
32.	2220- सूचना एवं प्रसारण	1193.60
33.	2225- अनुसूचित जाति/जनजाति और अ0 पि0 व0 का कल्याण	9380.20
34.	2230- श्रम एवं रोजगार	10892.20
35.	2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	24563.90
36.	2236- पोषण	3473.50
37.	2245- प्राकृतिक आपदाओं हेतु साहाय्य	23929.40
38.	2250- अन्य सामाजिक सेवाएँ	35.50
39.	2251- सचिवालय सामाजिक सेवाएँ	399.60
40.	2401- फसल पालन	19825.30
41.	2402- मृदा एवं जल संरक्षण	599.40
42.	2403- पशुपालन	4258.80
43.	2415- कृषि अन्वेषण	4490.20
44.	2425- सहकारिता	2496.30
45.	2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2988.90
46.	2505- ग्रामीण रोजगार	212.00
47.	2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	20009.90
48.	2701- लघु एवं मध्यम सिंचाई	9572.90
49.	2702- लघु सिंचाई	23892.50
50.	2705- कमाण्ड क्षेत्र विकास	2231.90
51.	2711- बाढ़ नियंत्रण	2880.10
52.	2810- गैर परम्परागत ऊर्जा	173.50
53.	2851- ग्राम्य एवं लघु उद्योग	1671.50
54.	2852- उद्योग	1156.00
55.	2853- अलौह खनन एवं धातु उद्योग	513.80
56.	3054- पथ एवं पूल	8174.30
57.	3055- पथ परिवहन	15.40
58.	3075- अन्य परिवहन सेवाएँ	17.90
59.	3451- सचिवालय आर्थिक सेवाएँ	382.20
60.	3452- पर्यटन	467.90
61.	3454- जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	1298.40

क्र. सं.	वृहत्त शीर्ष	राशि
62.	3456- असैनिक आपूर्ति	7016.00
63.	3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	81.80
64.	3604- हस्ताक्षर एवं अनुकंपा भुगतान	427.60
65.	4047- वित्तिय सेवाओं पर क्षतिपूर्त्ति परिव्यय	224.00
66.	4058- लेखा सामाग्री एवं मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय	40.00
67.	4059- लोक कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	1885.10
68.	4070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ पर पूँजीगत परिव्यय	1250.00
69.	4202- शिक्षा और खेल आदि पर पूँजीगत परिव्यय	1758.70
70.	4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	2194.00
71.	4215- जल आपूर्ति एवं स्वछता पर पूँजीगत परिव्यय	3485.90
72.	4216- आवास पर पूँजीगत परिव्यय	3.00
73.	4225-अनु. जाति, अनु. जनजाति एवं अ0पि0व0 के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	827.00
74.	4235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	1962.60
75.	4403- पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय	101.70
76.	4425- सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	864.90
77.	4515- शहरी विकास विभाग पर पूँजीगत परिव्यय	36634.80
78.	4701- सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	2975.50
79.	4702- बाढ नियंत्रण पर पूँजीगत परिव्यय	25.40
80.	4801- ऊर्जा परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय	2500.00
81.	4810- ऊर्जा के गैर परम्परागत श्रोतों पर पूँजीगत परिव्यय	150.00
82.	4885- उद्योग एवं खनिज पर पूँजीगत परिव्यय	112.00
83.	5452- पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	745.00
84.	5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	14.50
	कुल	**978839.70**
	(करोड़ रूपये में)	**9788.40**

परिशिष्ट–XXIX

(संदर्भ : कंडिका 2.3.14 ; पृष्ठ : 26)

(I) योजनागत योजना के अन्तर्गत बचत की विवरणी

(रूपये करोड़ में)

योजनाएं	कुल प्रावधान (मुल + पूरक)	वास्तविक व्यय	बचत
राज्य योजना	4861.76	3124.32	1737.44
केन्द्र योजना	15.64	1.68	13.96
केन्द्र प्रायोजित	695.97	349.91	346.06
कुल	**5573.37**	**3475.91**	**2097.46**

(II) योजनाओं के अन्तर्गत एक करोड़ रूपये या अधिक की बचत विवरणी

(रूपये लाख में)

क्रम. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष (वृहद / लघु / उप शीर्ष / योजना)	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	वास्तविक व्यय	बचत (-)
अ	राज्य योजना				
I	**1**	**2401- फसल पालन**			
1		0119-राष्ट्रीय सम विकास योजना 00-119-0119	2000.00	1800.00	200.00
		2402- मृदा एवं जल संरक्षण			
2		0108- राष्ट्रीय सम विकास योजना 00-102-0108	2500.00	0.00	2500.00 (100)
II	**3**	**4059-लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय**			
3		0105 भवन निर्माण विभाग न्यायिक भवन का निर्माण (11 वें वित्त आयोग के आलोक में) 01-80-0105	1208.25	111.10	1097.15
4		0110 न्यायिक भवन (भवन निर्माण विभाग) 01-80-110	160.00	42.08	117.92
III	**10**	**4801- ऊर्जा परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय**			
5		0101- राष्ट्रीय सम विकास योजना	30000.00	2500.00	27500.00
		6801- ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण			
6		0105- बिहार राज्य जल विद्युत निगम को ऋण (नाबार्ड) 00-201-0105	2338.00	302.00	2036.00
7		0007- विद्युत संस्थान(केन्द्रीय कोषांग के विरूद्ध बी.एस.ई.बी) को ऋण का प्रावधान	9564.10	0.00	9564.10 (100)

क्रम सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष (वृहद / लघु / उप शीर्ष / योजना)	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	वास्तविक व्यय	बचत (-)
8		0105- ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण	7300.00	0.00	7300.00 (100)
IV	**19**	**2406- वन एवं वन प्राणी**			
9		0126- राष्ट्रीय सम विकास योजना	1200.00	0.00	1200.00 (100)
V	**20**	**2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य**			
10		0105- अंधापन की रोकथाम	323.81	190.70	133.11
11		0101- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 03-103-0101	4003.22	3594.45	408.77
12		0801- एलोपैथी 03-110-0801	2417.30	1668.76	748.54
13		0101- इंदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना को सहायता अनुदान 03-200-0101	675.00	500.00	175.00
		2211- परिवार कल्याण			
14		0101- ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र 00-101-0101	1815.54	1375.09	440.45
		4210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय			
15		0701- अन्य व्यय 80-800-0701	520.72	405.00	115.72
VI	**40**	**2029 भू–राजस्व**			
16		0701- 11 वें वित्त आयोग के अनुशंसा पर व्यय	1203.72	917.94	285.78
VII	**41**	**5054- पथ एवं पूल पर पूँजीगत परिव्यय**			
17		0103- पूल (नाबार्ड ऋण) 03-337-0104	15000.00	80.00	14920.00
18		0106- केन्द्रीय पथ निधि 03-337-0104	5000.00	1903.69	3096.31
19		0107- राष्ट्रीय सम विकास योजना	39343.00	0.00	39343.00 (100)
VIII	**42**	**2501- शहरी विकास के लिए विशेष कार्यक्रम**			
20		0102- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 01-800-0102	3896.10	2838.72	1057.38
		2505- ग्रामीण रोजगार			
21		0105- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम क्षेत्रीय स्थापना	1200.00	725.97	474.03

क्रम सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष (वृहद / लघु / उप शीर्ष / योजना)	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	वास्तविक व्यय	बचत (-)
22		0109-सुनिश्चित रोजगार कार्यक्रम 01-702-0109	8460.55	6056.32	2404.23
23		0110- पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 01-702-0110	16800.00	14639.73	2160.27
		2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
24		0101- उत्तरार्द्ध–खण्ड2 लघु निर्माण कार्य 00-102-0101	100.00	0.00	100.00 (100)
		4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय			
25		0101- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 00-103-0101	8587.15	1078.39	7508.76
26		0108- मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण विकास) 00-103-0108	4563.31	3723.87	839.44
27		0112- सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 00-103-0112	128.00	0.00	128.00 (100)
IX	**44**	**2202- सामान्य शिक्षा**			
28		0101- राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय 01-101-0101	100.00	0.00	100.00 (100)
29		0801- राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय– प्रधानमंत्री ग्रामोदय कार्यक्रम 01-101-0801	19309.74	15369.23	3940.51
30		0102- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगारोन्मुख जनित योजना 01-800-0102	8630.65	6374.82	2255.83
31		0111- सर्व शिक्षा अभियान 01-800-0111	20900.00	12048.67	8851.33
32		0101- अन्य विद्यालयें 02-109-0101	303.94	154.64	149.30
33		0701- लोक पुस्तकालय (11 वें वित्त आयोग के अनुशंसापर)	546.29	338.64	207.65
X	**49**	**2705- कमाण्ड क्षेत्र विकास**			
34		0102- क्षेत्र विकास कमाण्ड स्तर पर 00-001-0102	1590.04	602.30	987.74
		4701- वृहद एवं मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
35		0113-उत्तर बिहार सिंचाई परियोजना 04-800-0113	3596.25	3102.71	493.54

क्रम. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष (वृहद / लघु / उप शीर्ष / योजना)	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	वास्तविक व्यय	बचत (-)
36		0121- दक्षिण बिहार सिंचाई परियोजना (नाबार्ड प्रायोजित परियोजना) 04-800-0121	6500.00	569.80	5930.20
37		0126- राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत पूर्वी गंडक नहर का पुर्नगठन	10000.00	206.85	9793.15
		4711- बाढ नियंत्रण परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय			
38		0105- बाढ नियंत्रण तटबंध सड़क परियोजना कार्य 01-001-0105	250.00	80.79	169.21
39		0106- निस्सरण परियोजना 01-001-0106	480.00	182.15	297.85
40		0111- बाढ नियंत्रण तटबंध सड़क परियोजना कार्य (नाबार्ड प्रायोजित)	1500.00	0.00	1500.00 (100)
XI	**50**	**2702- लघु सिंचाई**			
41		0002- राज्य नलकूप 02-005-0002	6483.21	5607.18	876.03
		4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
42		0101-अपूर्ण नलकूप योजना की पूर्णता के लिए नाबार्ड से ऋण 00-102-0101	4788.00	4260.04	527.96
43		0102- पूर्ण मध्यम सिंचाई योजना के लिए नाबार्ड से ऋण 00-102-0102	600.00	74.44	525.56
44		0103- नए / अपूर्ण उठाव सिंचाई योजना की पूर्णता के लिए नाबार्ड से ऋण 00-102-0103	2500.00	1583.22	916.78
XII	***51***	**2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण**			
45		0101- शिक्षा 01-277-0101	238.00	52.54	185.46
46		0101- अनुसूचित जनजाति का बहुधंधी विकास–भारत सरकार के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंर्तगत प्राप्ति 02-102-0101	209.00	0.00	209.00 (100)
47		0101- शिक्षा 03-277-0101	290.00	91.60	198.40
48		0107-छात्रों के लिए छात्रावास वृहद निर्माण कार्य – राज्यांश (50:50)	115.00	0.00	115.00 (100)

क्रम. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष (वृहद / लघु / उप शीर्ष / योजना)	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	वास्तविक व्यय	बचत (-)
		2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण			
49		0105-महिला विकास सहायता अनुदान 02-103-0105	521.62	182.95	338.67
50		0802- अल्प पोषित गर्भवती / प्रसवोंपरान्त महिलाएँ एवं अल्प व्यस्क बालिकाओं हेतु खाद्यान्न वितरण के लिए विशेष 02-101-0802	1331.00	0.00	1331.00 (100)
		4225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्गो पर पूँजीगत परिव्यय			
51		0101- आवासीय विद्यालयों और छात्रावास भवनों का निर्माण एवं पुनुरूद्धार 02-277-0101	153.31	0.00	153.31 (100)
	राज्य योजना	**कुल (रूपये करोड़ में)**	**261243.82 2612.43**	**95336.38 953.36**	**165907.44 1659.07**
ब. केन्द्र योजनागत योजना					
I	**20**	**2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य**			
1		0401-भारत सरकार द्वारा इंदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना को ऑनकोलोजी शाखा के विकास के लिए सहायता अनुदान 05-200-0401	200.00	0.00	200.00 (100)
II	**35**	**2035- जिला प्रशासन**			
2		0401- आर्थिक गणना 00-800-0401	551.89	5.70	546.19
III	**44**	**4202- शिक्षा, खेल,कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय**			
3		0402-भवन 01-201-0402	505.08	0.00	505.08 (100)
	सी.पी.एस.	**कुल (रूपये करोड़ में)**	**1256.97 12.57**	**5.70 0.06**	**1251.27 12.51**
ग. केन्द्र प्रायोजित योजना					
I	*2*	**3454- जनगणना सर्वेक्षण एवं साख्यिकि**			
1		0602- मवेशी गणना 01-001-0602	465.00	53.67	411.33
		4216- राजकीय आवासीय भवनों पर पूँजीगत परिव्यय			

क्रम. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष (वृहद / लघु / उप शीर्ष / योजना)	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	वास्तविक व्यय	बचत (-)
2		0602- न्यायिक आवासीय भवन 01-700-0602	140.00	19.00	121.00
II	***9***	**4425- सहायता पर पूँजीगत परिव्यय**			
3		0601- केन्द्रीय सहकारी विकास परियोजना के पूँजीगत हिस्से हेतु अंशदान 00-108-0610	1042.65	864.92	177.73
4		0611- बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक के पूँजीगत हिस्से के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन को अंशदान 00-108-0611	1000.00	0.00	1000.00 (100)
		6425- सहायता के लिए ऋण			
5		0612- एकीकृत सहकारी विकास परियोजना हेतु केन्द्रीय सहकारी बैंक से ऋण 00-108-0612	531.69	407.78	123.91
III	**20**	**2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य**			
6		0602- राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम–कालाजार भी शामिल 06-101-0602	1356.00	276.98	1079.02
7		0603- फलेरिया अन्मूलन कार्यक्रम 06-101-0603	350.00	218.82	-131.18
		2211- परिवार कल्याण			
8		0602- राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो का पर्यवेक्षण एवं तकनीकि सलाह 00-001-0603	1053.13	648.31	404.82
9		0604- प्रशिक्षण एवं अनुसंधान ए एन एम विद्यालयों / एल एच भी विद्यालयों का 00-001-0604	420.38	243.74	176.64
10		0602- स्वास्थ्य उप–केन्द्र 00-101-0602	11515.52	7480.93	4034.59
11		0601- क्षतिपूर्ति 00-105-0601	1100.00	175.79	924.21
IV	35	**2053- जिला प्रशासन**			
12		0604- लघु सिंचाई परियोजना पर तीसरी जनगणना 00-800-0604	122.44	2.32	120.12

क्रम. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष (वृहद / लघु / उप शीर्ष / योजना)	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	वास्तविक व्यय	बचत (-)
V	**36**	**4215- जल आपूर्ति एवं स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय**			
13		0602- केन्द्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम 01-102-0602	8925.00	3684.70	5240.30
14		0603- त्वरित शहरी जलापूर्त्ति योजना 01-102-0603	1000.00	555.35	444.65
15		0602- केन्द्र प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 02-106-0602	200.00	0.00	200.00 (100)
VII	**49**	**2705- कमाण्ड क्षेत्र विकास**			
16		0602- क्षेत्र विकास कमाण्ड स्तर पर 00-001-0602	3834.44	1616.41	2218.03
		4711- बाढ नियंत्रण परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय			
17		0602- तिनमुहानी कुरसेला तटबन्ध पर निर्माण कार्य 01-001-0602	1000.00	0.00	1000.00 (100)
18		0603- गंगा के अलावे नदियों का कटाव निरोधक कार्य (नेपाल क्षेत्र के कोशी नदी) (100 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्सा) 01-001-0603	300.00	7.00	293.00
19		0604- कमला नदी तटबन्ध के विस्तार (भारतीय भाग), ऊचाईकरण एवं विस्तार (100 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्सा) 01-001-0604	500.00	0.00	500.00 (100)
20		0609- बागमती नदी तटबन्ध पर मजबूतीकरण एवं विस्तार 01-001-0609	500.00	0.00	500.00
21		0610- गंगा नदी पर कटाव निरोधक कार्य 01-001-0610	2480.00	954.22	1525.78
VIII	**51**	**2225- अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण**			
22		0602- हरिजनों के बहुमुखी विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता – अनुसूचित जाति के लिए विशेष (100 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्सा) 01-001-0602	1295.00	361.34	933.66
23		0602- लडकियों के लिए छात्रावास 01-277-0602	115.00	0.00	115.00 (100)
24		0613- दाखिला के बाद छात्रवृत्ति 01-277-0602	1000.00	794.49	205.51

क्रम. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष (वृहद / लघु / उप शीर्ष / योजना)	कुल प्रावधान (मूल + पूरक)	वास्तविक व्यय	बचत (-)
25		0601- दाख्लिा के बाद छात्रवृत्ति 01-277-0601	500.00	79.38	420.62
26		0602- उच्चत्तर माध्यमिक छात्रवृत्ति (दसवी पूर्व छात्रवृत्ति) 01-277-0602	100.00	0.00	100.00 (100)
		2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण			
27		0602- समग्र बाल विकास योजना 02-102-0602	11854.73	5559.22	6295.51
28		0603- राज्य प्रायोजित समग्र बाल विकास योजना पर वाह्य प्रायोजित योजना (विश्व बैंक) 02-102-0603	6430.92	4804.98	1625.94
29		0602- इंदिरा महिला योजना सहायता अनुदान 02-103-0602	300.00	0.00	300.00 (100)
30		0605- बालिका समृद्धि सहायता अनुदान 02-103-0605	1024.46	0.00	1024.46 (100)
	सीपीएस	कुल (रूपये करोड़ में)	**60456.36 604.56**	**28809.35 288.09**	**31647.01 316.47**
	कुल योग	(अ+ब+स) (रूपये करोड़ में)	**3229.56**	**1241.51**	**1988.05**

परिशिष्ट–XXX

(संदर्भ : कंडिका 3.1.10 ; पृष्ठ : 33)

कटाव निरोधक कार्यों का ब्यौरा

(रूपए करोड में)

वर्ष	क्षेत्रीय मु.अ. द्वारा प्रस्ताव		टी.ए.सी द्वारा अनुशंसित		एस.आर.सी द्वारा अनुशंसित		एस.एफ.सी.बी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित	
	कटाव निरोधक कार्यों की संख्या	प्राक्कलित मूल्य	कटाव निरोधक कार्यों की संख्या	प्राक्कलित मूल्य	कटाव निरोधक कार्यों की संख्या	प्राक्कलित मूल्य	कटाव निरोधक कार्यों की संख्या	प्राक्कलित मूल्य
2000-01	469	188.46	382	127.04	355	88.95	356	अनु.
2001-02	अनु.	अनु.	343	187.61	287	123.87	286	अनु.
2002-03	542	254.68	419	179.25	385	158.72	299	73.13
2003-04	513	624.33	463	579.13	329	82.43	278	121.99
2004-05	948	1800.26	596	1270.91	543	1017.49	323	124.63
Total	**2472**	**2867.73**	**2203**	**2343.94**	**1899**	**1471.46**	**1542**	**319.75**

(स्रोत : जल संसाधन विभाग द्वारा प्रदत्त)

परिशिष्ट–XXXI

(संदर्भ : कंडिका 3.2.4 ; पृष्ठ : 40)

ओ.आर.जी मार्ग सर्वेक्षण द्वारा पाये गये तथ्य के निष्कर्ष

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के कार्यकारी स्थिति पर जानकारी प्राप्त करने के प्रयास में विस्तृत तौर पर शिकायतकर्ताआ, निर्माणकर्ताओं/सेवा प्रदानकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों और उचित प्रयोगशालाओं को ओ.आर.जी सर्वेक्षण मार्ग द्वारा आच्छादित किया गया। इस संबंध में बिहार में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में फैले कुल 2582 उपभोक्ताओं से संपक्र किया गया। इसके अतिरिक्त 234 शिकायतकर्ताओं, 10 निर्माणकर्ताओं/सेवा प्रदानकर्ताओं, 2 गैर–सरकारी संगठनों और एक प्रयोगशाला का साक्षात्कार किया गया। ओ.आर.जी मार्ग सर्वेक्षण जूलाई– 2005 की दूसरी सप्ताह से सितम्बर 2005 के दूसरी सप्ताह के दौरान किया गया।

ओ.आर.जी.मार्ग सर्वेक्षण का निष्कर्ष

- कुल मिलाकर 66 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (सी.पी.ए) के जानकारी को महत्व दिया लेकिन 91 प्रतिशत उपभोक्ता के अधिकार से और 80 प्रतिशत अभी भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से अपरिचित थे।
- अधिनियम में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सभी उपभोक्ताओं के लाभ की परिकल्पना है लेकिन मात्र 10 प्रतिशत ग्रामीण लोग ही इसके बारे में जानते हैं।
- इसके जबाब में कि, सरकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा में प्रयासरत है, मात्र 8 प्रतिशत सकारात्मक उत्तर दिया तथा शेष या तो नकारात्मक या कोई पता नही में जबाब दिया।
- जागरूकता के औपचारिक स्रोत–इलेक्ट्रानिक एवं अखबारों के माध्यम से क्रमशः 66 एवं 35 प्रतिशत/कोई भी जागरूक उपभोक्ता अधिनियम की जानकारी गैर सरकारी संस्था से नही पाया था।
- करीब 44 प्रतिशत जागरूक उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी पिछले चार वर्ष में हुई जबकि अधिनियम की विद्यमता पिछले 19 वर्षो से है।
- कुल मिलाकर सिर्फ चार प्रतिशत ने अधिकारों तथा इस अधिनियम की जानकारी को प्रतिवेदित किया।
- करीब 25 प्रतिशत, किसी क्षतिपूरक अभिकरण की जानकारी, अपने जिलों में जिला फोरम की स्थिति के बारे में नही जानते थे।
- करीब 89 प्रतिशत शिकायतकर्ता शहरी क्षेत्रों में निवास करते थे एवं 97 प्रतिशत शिक्षित लोग थे जिनकी मासिक कमाई 10718 रूपए थी। यह इगित करता है कि क्षतिपूरक अभिकरणों द्वारा प्रदान की गयी सुविधाएँ ज्यादातर शहरी क्षेत्रों के निवासी प्राप्त कर रहे थे तथा वह भी समुदाय के मध्यम/उच्च मध्यम वर्गों द्वारा ही किया जा रहा था।
- करीब 65 प्रतिशत शिकायतकर्ता, सेवाएँ जैसे कि संचार सेवाएँ (31 प्रतिशत), बीमा सेवा (18 प्रतिशत), बैंकिग सेवा (12 प्रतिशत) तथा परिवहन सेवा (10 प्रतिशत) के विरूद्ध थे।
- शिकायतकर्ताओं का एक बड़ा भाग क्षतिपूरक अभिकरणों की जानकारी इलेक्ट्रानिक मिडिया (24 प्रतिशत), अखबार (45 प्रतिशत) द्वारा हुई एवं अन्य जैसे मित्र/संबंधी, गैर सरकारी संस्थाओं को जानकारी का स्रोत नही बताया गया।

- करीब 13 प्रतिशत शिकायतो में केस दर्ज करने के लिए स्टाम्प पेपर का उपभोग किया जाता है जिसके लिए अधिकांश (66%) मामलों में उन्हें अधिवक्ताओं/अभिकर्ताओं द्वारा ऐसा करने के लिए सुझाव दिया जाता है।
- लगभग 10 प्रतिशत शिकायतकर्ताओं ने, जिन्होंने मार्च 2003 से पूर्व अपनी शिकायतें दर्ज की थी, कोर्ट फीस जमा किया था, इस तथ्य के बाबजूद कि कोर्ठ फीस मार्च 2003 से ही लागू हुई थी।
- विभिन्न स्तरों पर मामले में लगने वाले समय के विश्लेषण में यह देखा गया कि औसतन 1.6 दिन मामले के निबंध होने में, 19.6 दिन नोटिस के तामील होने में तथा तामील होने के 25.8 दिनों के बाद पहली सुनवाई होती थी।
- मामले के निपटारे में औसतन 12.2 सुनवाईयों की आवश्यकता पडती थी। लगभग 34 प्रतिशत मामले 18.1 सुनवाईयों के बाद भी मामले का निपटारा नहीं हुआ था इसमें से अधिकांश मामले संचार सेवाओं 21 प्रतिशत के विरूद्ध थे ।
- मामले के निपटारे में औसतन 20.1 माह व्यतीत थे। जबकि निपटान नहीं हुए मामले औसतन पिछले 26 महीने बाद भी लंबित थे।
- 75 मामले थे जिसमें न्यायादेश तो पारित था परंतु क्षतिपूर्ति राशि अब तक अप्राप्त थी। औसतन क्षतिपूर्ति 4.2 माह से बकाया थी। जिन्होंने क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त की थी उन्हें वह औसतन 15.1 माह के अंदर प्राप्त हुई थी।
- मामले के निपटारे के लिए औसत रूप से शिकायतकर्ता को 5880 रूपये खर्च करने पड़ते थे जिसका बडा भाग (औसत राशि 5159 रूपये) अधिवक्ता शुल्क था।
- निर्माता तथा सेवा प्रदानकर्ता उ.स.अ. से पूर्णरूपेण भिज्ञ थे, जिसके विपरीत अधिकांश उपभोक्ता अधिनियम या क्षतिपूरक फोरम से अनभिज्ञ थे।
- गैर सरकारी संस्थाएँ विभिन्न कार्यकलापों यथा उपभोक्ता की शिक्षा, उनकी शिकायतों के हल करने तथा उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत दर्ज करने में सहायता करने के कार्यो में सक्रिय हैं।
- प्रयोगशाला को उपभोक्ता न्यायालय द्वारा भेजे गए उत्पादों की जँच एवं प्रमाणन करना था परन्तु इस कार्य हेतु कोई भी नमूना प्राप्त नहीं हुआ था।
- अधिकत्तर सभी साझेदार तथा शिकायतकर्ता क्षतिपूरक प्रक्रिया आसान तथा मितव्ययी परंतु त्वरित नहीं मानते थे।

परिशिष्ट–XXXII

(संदर्भ : कंडिका 3.2.11 ; पृष्ठ : 44)

जिला फोरम में मुकदमों का दायर तथा निपटारों की संख्या

संख्या वर्ष के अनुसार		औरंगाबाद	बांका	छपरा	मधुबनी	पटना	सहरसा	सीतामढी	सासाराम	कटिहार	कुल
2000	आरंभिक शेष	239	62	725	276	2621	91	646	469	अनु	5129
	दर्ज	39	28	68	205	855	64	2	230		1491
	90 दिनों के अंदर निपटारा	-	-	-	18	18	16	-	307		359
	90 दिनों के बाद निपटारा	-	-	-	210	815	47	451	122		1645
2001	आरंभिक शेष	278	90	793	253	2643	92	197	270		4616
	दर्ज	15	15	65	210	651	44	23	209		1232
	90 दिनों के अदर निपटारा	-	-	-	23	-	7	-	21		51
	90 दिनों के बाद निपटारा	-	-	39	226	582	20	1	207		1075
2002	आरंभिक शेष	293	105	819	214	2712	109	219	251		4722
	दर्ज	174	46	365	152	391	19	66	151		1364
	90 दिनों के बाद निपटारा	28	40	31	7	2	-	-	1		109
	90 दिनों के अंदर निपटारा	174	67	303	52	37	-	18	227		878
2003	आरंभिक शेष	265	44	850	307	3064	128	267	174		5099
	दर्ज	231	117	172	152	465	108	16	105		1366
	90 दिनों के अंदर निपटारा	46	39	2	14	3	30	-	1		135
	90 दिनों के बाद निपटारा	140	73	52	54	439	85	-	41		884
2004	आरंभिक शेष	310	49	968	391	3087	121	283	237		5446
	दर्ज	129	107	318	156	590	70	14	78	454	1916
	90 दिनों के अंदर निपटारा	2	100	67	28	21	22	-	24	-	264
	90 दिनों के बाद निपटारा	22	16	280	226	1156	44	-	31	362	2137
2005	आरंभिक शेष	415	40	939	293	2500	125	297	260	92	4961
	दर्ज	52	63	124	48	101	47	3	72	204	714
	90 दिनों के अंदर निपटारा	1	49	39	-	1	5	-	29	-	124
	90 दिनों के बाद निपटारा	12	-	144	-	52	29	-	67	216	520
	अंतशेष	**454**	**54**	**880**	**341**	**2548**	**138**	**300**	**236**	**80**	**5031**

दर्ज मुकदमों की कुल संख्या= 1491+1232+1364+1366+1916+714 = 8083

90 दिनों के अंदर निपटारा = 359+51+109+135+264+124 = 1042

90 दिनों के बाद निपटारा = 1645+1075+878+884+2137+520 = 7139

परिशिष्ट–XXXIII

(संदर्भ : कंडिका 3.3.4 ; पृष्ठ : 50)

आवंटन तथा प्रतिवेदित व्यय का ब्यौरा

(रूपए करोड में)

जिला	निधि का प्रावधान	निकाली गई रकम	व्यय	बचत/ व्यपगत	पिछले वर्ष का अनुउपयोगी शेष	कोषागार म जमा की गई राशि	बैंक में अनुपयोगी शेष का रखा जाना	कर्मियों एवं अन्य को प्रदत अग्रिम जिसे व्यय दर्ज किया गया	असमायोजित अग्रिम
	1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**
बेगुसराय	3.56	3.31	2.92	0.25	-	0.11	0.06	1.11	0.22
दरभंगा	25.28	21.97	17.65	3.32	-	3.56	0.76	0.00	0.00
पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	18.01	14.89	12.28	3.12	0.34[1]	1.13	1.84	7.98	0.00
खगडिया	13.63	10.48	10.48	3.15	-	0.00	0.00	0.00	0.00
मधुबनी	18.91	16.33	14.41	2.58	0.01[2]	0.86	1.06	0.00	0.00
मुजफफरपुर	11.56	9.30	8.38	2.26	-	0.14	0.78	1.60	0.00
समस्तीपुर	19.19	19.19	13.13	0.00	-	1.13	4.93	0.08	0.00
सीतामढी	22.26	22.21	17.57	0.05	0.35[3]	2.36	1.16	0.00	1.47
कुल	**132.40**	**117.68**	**96.81**	**14.73**	**0.70**	**9.29**	**10.59**	**10.77**	**1.69**

नोट : कॉलम 4 = कॉलम (1 - 2)
कॉलम (2 - 3) = कॉलम (6 +7+9-5)

1 *नकद दान में अत्यधिक व्यय 10.40 लाख रूपए एवं पिछले वर्ष के शेष 24.32 लाख रूपए से जनसंख्या को खाली कराना*

2 *जिला अधिकारी द्वारा अन्य शीर्ष से एक लाख रूपए का विचलन द्वारा उप आवंटन*

3 *पिछले साल के शेष का 0.35 करोड रूपए भी शमिल*

परिशिष्ट–XXXIV

(संदर्भ : कंडिका 3.3.4 ; पृष्ठ : 50)

बेगुसराय, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, खगडिया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर एवं सीतामढी जिलों के घटकवार स्थिति

(रुपए करोड में)

क्र. सं	उप–शीर्ष	आवंटन	निकाली गई रकम	प्रतिवेदित व्यय	बचत/ व्यपगत	पिछले साल का अनुपयोगी शेष	कोषागार में जमा राशि	बैंको मं रखा अनुपयोगी शेष	कर्मियों एवं अन्य को प्रदत्त अग्रिमें जिन्हें व्यय दर्ज किया गया	असमायोजित अग्रिम
1.	अनाज	60.13	51.45	39.94	8.68	0.34	4.83	6.08	2.02	0.94
2.	नकद दान	48.95	48.45	44.59	0.50	0.10	1.92	1.37	7.97	0.68
3.	अनुग्रह अनुदान	2.25	2.12	1.59	0.13	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00
4.	जनसंख्या को खाली कराना	12.24	9.55	6.77	2.68	0.24	0.68	2.29	0.65	0.05
5.	नाव मरम्मति	0.41	0.38	0.25	0.03	0.01	0.05	0.09	0.02	0.00
6.	मानव दवा	1.01	0.90	0.73	0.12	0.00	0.11	0.06	0.03	0.00
7.	पशु दवा	0.15	0.15	0.15	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
8.	पेय जल आपूर्ति	1.23	0.97	0.82	0.27	0.00	0.07	0.07	0.07	0.01
9.	चारा आपूर्ति	6.03	3.71	1.97	2.32	0.00	1.63	0.10	0.00	0.01
	कुल	**132.40**	**117.68**	**96.81**	**14.73**	**0.70**	**9.29**	**10.59**	**10.77**	**1.69**

परिशिष्ट–XXXV

(संदर्भ : कंडिका 3.3.5 ; पृष्ठ : 51)

अनाज प्राप्ति एवं वितरण का ब्यौरा

(क्विंटल में)

जिला	एस.एफ.सी क्षेत्र इकाईयों के अनुसार अनाज की आपूर्ति		जिलाधीषों / अंचलों के अनुसार खाद्यान्न की प्राप्ति		कमी		जिलाधीषों / अंचलों द्वारा वितरण (फार्म IX के अनुसार)	
	गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल
1. बेगुसराय	32832.62	-	32822.00	-	10.62	-	32682.62	-
2. दरभंगा	159282.31	3502.67	156551.40	3,502.67	2730.91	-	159178.52	2630.77
3. पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	90237.16	20094.81	76406	18163	13831.16	1931.81	84709*	21704*
4. खगडिया	84190.11	-	84189.61	-	0.50	-	83764.61	-
5. मधूवनी	104186.87	4290.85	104186.87	4290.85	-	-	106351.63	4386.05
6.मुजफफरपुर	83065.93	1062.80	83064.43	1062.80	1.50	-	83156.51	1062.80
7. समस्तीपुर	79738.70	-	79738.70	-	-	-	77631.58	--
8. सीतामढी	51217.18	54631.00	51077.95	55041.83	139.23	410.83	41800.67	58416.34
कुल	**684750.88**	**83582.13**	**668036.96**	**82061.17**	**16713.92**	**1520.98**	**669275.14**	**88199.96**
	मूल्य 37.40 करोड़ रूपए		पाँच जिलों में 36.52 करोड़ रूपए की राशि		मुल्य 88.08 लाख रूपए		मूल्य 36.96 करोड़ रूपए	

* जिलाधिकारी,पूर्वी चम्पारण के वितरण प्रतिवेदन में 89934.60 क्विंटल गेहूँ और 16922.28 क्विंटल चावल को अंचलवार वितरित दर्शाया गया था।

परिशिष्ट–XXXVI

(संदर्भ : कंडिका 3.3.5 ; पृष्ठ : 51)

(अ) अंचल में अधिक प्राप्त हुए अनाज (गेहूँ) का ब्यौरा

(मात्रा क्विंटल में)

क्र. सं.	जिला	अंचल	एस.एफ. सी द्वारा आपूरित	जिलाधीश / अंचल कार्यालयों के अनुसार खाद्यान्नो की प्राप्ति	फार्म IX के अनुसार वितरण	अंचल में शेष	शेष का मूल्य (कालम 7) (रूपए में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मधुबनी	1. मधेपुर	11181.92	अनु.	11181.93	0.01	4.71
		2. बेनीपट्टी	14753.29	अनु	15078.00	324.71	152857.23
		3. राजनगर	2110.00	अनु	2610.00	500.00	235375.00
		4. लदनियॉ	1687.15	अनु	1709.00	21.85	10285.89
		5. बाबूबरही	2082.73	अनु	3870.41	1787.68	841550.36
		6. रहिका	3995.54	अनु	4336.17	340.63	160351.57
		7. बासोपट्टी	2152.25	अनु	3388.46	1236.21	581945.86
		8. हरलाखी	4655.23	अनु	4865.50	210.27	98984.60
		9. धोधरडीहा	2076.16	अनु	3318.72	1242.56	584935.12
		10. लौकही	1032.70	अनु	1209.75	177.05	83346.29
		कुल	**45726.97**	**0.00**	**51567.94**	**5840.97**	**2749636.63**
2	खगडिया	1. मानसी	3400.00	अनु	3405.00	5.00	2353.75
		2. चौथम	12840.00	अनु	12841.00	1.00	470.75
		कुल	**16240.00**	**0.00**	**16246.00**	**6.00**	**2824.50**
3	दरभंगा	1. तारडीह	4890.72	अनु	4900.00	9.28	4368.56
		2. बहेरी	12522.59	अनु	12872.50	349.91	164720.13
		3. कीरतपुर	1997.50	अनु	2201.25	203.75	95915.31
		4. बीरोल / गौराबौम	17739.81	अनु	17772.75	32.94	15506.50
		कुल	**37150.62**	**0.00**	**37746.50**	**595.88**	**280510.51**
4	समस्तीपुर	1. वारिसनगर	9970.91	9970.91	9970.92	0.01	4.71
		2. खानपुर	9432.59	9432.59	9473.76	41.17	19380.78
		3. मोरबा	123.98	123.98	128.00	4.02	1892.42
		कुल	**19527.48**	**19527.48**	**19572.68**	**45.20**	**21277.90**
5	मुजफफरपुर	1. सकरा	11748.72	11746.72	11854.55	107.83	50760.97
		2. कॉटी	2088.00	2088.00	2358.00	270.00	127102.50
		3. बांदरा	5322.46	5322.46	5352.46	30.00	14122.50
		कुल	**19159.18**	**19157.18**	**19565.01**	**407.83**	**191985.97**
6	पूर्वी चम्पारण	1. तुरकौलिया	1673.64	1534.00	1673.93	0.29	136.52
		2. पीपराकोठी	4084.34	1562.00	5400.00	1315.66	619346.95
		3. छौडादानों	788.66	320.00	950.30	161.64	76092.03
		4. रक्सौल	3690.20	1525.00	3690.25	0.05	23.54
		5. चीरैया	6468.02	7754.00	6566.50	98.48	46359.46
		6. पताही	3944.05	3622.00	5204.00	1259.95	593121.46
		7. तेतरिया	1766.48	1825.00	1825.07	58.59	27581.24
		8. मधुबन	8648.47	4910.00	9840.91	1192.44	561341.13
		कुल	**31063.86**	**23052.00**	**35150.96**	**4087.10**	**1924002.33**
		कुल योग	**168868.11**	**61736.66**	**179849.09**	**10982.98**	**5170237.84**

(ब) अंचल में अधिक प्राप्त अनाज(चावल) का ब्यौरा

(मात्रा क्विंटल में)

क्र. सं.	जिला	अंचल	एस.एफ. सी द्वारा आपूरित	जिलाधीश/ अंचल कार्यालयों के अनुसार खाद्यान्नो की प्राप्ति	फार्म IX के अनुसार वितरण	अंचल में शेष	शेष का मूल्य (कालम 7) (रूपए में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मधुबनी	1. घोघरडीहा	569.77	अनु.	671.48	101.71	62864.92
		कुल	**569.77**	**0.00**	**671.48**	**101.71**	**62864.92**
2	दरभंगा	1. दरभंगा	268.57	अनु.	349.52	80.95	50033.58
		कुल	**268.57**	**0.00**	**349.52**	**80.95**	**50033.58**
3	पूर्वी चम्पारण	1. मोतिहारी	2961.59	2962.00	2962.00	0.41	253.41
		2. तुरकौलीया	401.80	402.00	741.50	339.70	209961.78
		3. छौडादानों	0.00	414.00	946.66	946.66	585111.61
		कुल	**3363.39**	**3778.00**	**4650.16**	**1286.77**	**795326.80**
4	सीतामढी	1. रूनीसैदपुर	10468.67	अनु.	10667.00	198.33	122583.81
		2. पुपरी	4836.16	अनु.	5628.00	791.84	489420.47
		3. बेलसंड	2145.13	अनु.	2200.00	54.87	33914.05
		4. चोरैत	1028.33	अनु.	1818.33	790.00	488283.20
		5. सुरसंड	3366.10	अनु.	6277.15	2911.05	1799261.78
		कुल	**21844.39**	**0.00**	**26590.48**	**4746.09**	**2933463.31**
		कुल योग	**26046.12**	**3778.00**	**32261.64**	**6215.52**	**3841688.60**

गेहूँ 51.70 लाख रूपए
चावल 38.42 लाख रूपए
कुल 90.12 लाख रूपए

परिशिष्ट–XXXVII

(संदर्भ : कंडिका 3.3.5 ; पृष्ठ : 51)

(अ) अंचल में पड़े हुए अनाज (गेहूँ) का ब्यौरा

(मात्रा क्विंटल में)

क्र. सं.	जिला	अंचल	एस.एफ. सी द्वारा निर्गत	अंचल / जिलाधीकारी कार्यालय में प्राप्त अनाज	फार्म IX के अनुसार वितरण	अंचल में शेष	शेष का मूल्य (कालम 7) (रूपए में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बेगुसराय	1. साहेबपुर कमाल	150.00	150.00	शुन्य	150.00	70612.50
		कुल	**150.00**	**150.00**	**0.00**	**150.00**	**70612.50**
2	मधुबनी	1. झंझारपुर	9919.10	अनु.	9200.00	719.10	338516.33
		2. लखनौर	8896.20	अनु.	8896.16	0.04	18.83
		3. पंडौल	2107.95	अनु.	2107.00	0.95	447.21
		4. फूलपरास	3300.12	अनु.	3058.00	242.12	113977.99
		5. अंधाठाढी	8051.68	अनु.	7437.68	614.00	289040.50
		6. मधवापुर	6263.02	अनु.	5302.00	961.02	452400.17
		7. खुटौना	1109.92	अनु.	312.14	797.78	375554.94
		8. म्युनिसपैलिटी	341.20	अनु.		341.20	160619.90
		कुल	**39989.19**	**0.00**	**36312.98**	**3676.21**	**1730575.86**
3	खगडिया	1. अलौली	24625.00	अनु.	24194.00	431.00	202893.25
		2. गोगरी	6062.50	अनु.	6062.00	0.50	235.38
		कुल	**30687.50**		**30256.00**	**431.50**	**203128.63**
4	दरभंगा	1. दरभंगा	22114.93	अनु.	22114.88	0.05	23.54
		2. हनुमाननगर	7319.81	अनु.	7318.78	1.03	484.87
		3. सिंघवारा	10950.43	अनु.	10947.00	3.43	1614.67
		4. मनीगाछी	9081.60	अनु.	8991.75	89.85	42296.89
		5. जाले	11437.66	अनु.	11437.50	0.16	75.32
		6. बेनीपूर	4919.50	अनु.	4918.75	0.75	353.06
		7. अलीनगर	5700.00	अनु.	5601.50	98.50	46368.88
		8. धनश्यामपुर	5836.75	अनु.	5633.00	203.75	95915.31
		9. कुशेश्वरस्थान	11644.15	अनु.	11342.00	302.15	142237.11
		कुल	**89004.83**	**0.00**	**88305.16**	**699.67**	**329369.65**
5	समस्तीपुर	1. कल्याणपुर	15308.48	अनु.	15305.25	3.23	1520.52
		2. पुसा	1500.00	अनु.	611.25	888.75	418379.06
		3. रोसड़ा	9718.38	अनु.	9698.50	19.88	9358.51
		4. सिंधिया	8631.50	अनु.	7435.75	1195.75	562899.31
		5. विभुतिपूर	221.71	अनु.	207.25	14.46	6807.05
		6. मोहनपुर	30.25	अनु.		30.25	14240.19
		कुल	**35410.32**	**0.00**	**33258.00**	**2152.32**	**1013204.64**

6	मुजफफरपुर	1. मुसहरी	4625.00	4625.00	4417.25	207.75	97798.31
		2. गायघाट	10775.00	10775.00	10667.00	108.00	50841.00
		कुल	**15400.00**	**15400.00**	**15084.25**	**315.75**	**148639.31**
7	पूर्वी चम्पारण	1. मोतिहारी	8413.65	7957.00	8413.00	0.65	305.99
		2. सुगौली	6830.10	6815.00	6805.35	24.75	11651.06
		3. रामगढवा	4508.06	1705.00	3803.00	705.06	331907.00
		4. ढाका	5900.01	7400.00	5869.26	30.75	14475.56
		5. पकड़ीदयाल	4508.00	4508.00	4477.02	30.98	14583.83
		6. मेंहसी	5961.32	2729.00	3415.32	2546.00	1198529.50
		7. केसरिया	3878.91	3806.00	3863.03	15.88	7475.51
		8. चकिया	5317.82	3993.00	4917.00	400.82	188686.02
		9. कल्याणपुर	4848.95	4849.00	4705.46	143.49	67547.92
		10. अरेराज	490.28	1071.00		490.28	230799.31
		11. म्युनिसपैलिटी	1472.00	1492.00	1471.00	1.00	470.75
		कुल	**52129.10**	**46325.00**	**47739.44**	**4389.66**	**2066432.45**
8	सीतामढ़ी	1. रूनीसैदपुर	11909.44	अनु.	8300.50	3608.94	1698908.51
		2. पूपरी	2223.24	अनु.	1436.00	787.24	370593.23
		3. बाजपट्टी	2485.71	अनु.	2447.88	37.83	17808.47
		4. बेलसंड	4254.00	अनु.	3800.00	454.00	213720.50
		5. चोरैत	1158.58	अनु.	368.08	790.50	372127.88
		6. रीगा	2271.80	अनु.	2150.50	121.30	57101.98
		7. मेजरगंज	200.00	अनु.	190.00	10.00	4707.50
		8. सुरसंड	2911.05	अनु.		2911.05	1370376.79
		9. सोनबरसा	6689.87	अनु.	6269.00	420.87	198124.55
		10. बथनाहा	6186.35	अनु.	5950.85	235.50	110861.63
		11. डूमरा	1287.40	अनु.	1287.00	0.40	188.30
		12. नानपुर	737.38	अनु.	733.25	4.13	1944.20
		13. बोखरा	2282.36	अनु.	2247.61	34.75	16358.56
		कुल	**44597.18**	**0.00**	**35180.67**	**9416.51**	**4432822.08**
		कुल योग	**307368.12**	**61875.00**	**286136.50**	**21231.62**	**9994785.12**

(ब) अंचल में पड़े अनाज (चावल) का ब्यौरा

(मात्रा क्विंटल में)

क्र. सं.	जिला	अंचल	एस.एफ.सी द्वारा निर्गत	अंचल / जिलाधीकारी कार्यालय में प्राप्त अनाज	फार्म IX के अनुसार वितरण	अंचल में शेष	शेष का मूल्य (कालम 7) (रूपए में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	मधुबनी	1. झंझारपुर	356.41	अनु.	350.00	6.41	3961.89
		2. फुलपरास	411.28	अनु.	411.19	0.09	55.63
		3. बासोपट्टी	102.86	अनु.	102.85	0.01	6.18
		कुल	**870.55**	**0.00**	**864.04**	**6.51**	**4023.70**
2	दरभंगा	1. बहादुरपुर	100.00	अनु.	0.00	100.00	61808.00
		2. केवटी / खीरमा	100.85	अनु.	100.00	0.85	525.37
		3. मनीगाछी	517.00	अनु.	0.00	517.00	319547.36
		4. तारडीह	335.00	अनु.	0.00	335.00	207056.80
		कुल	**1052.85**	**0.00**	**100.00**	**952.85**	**588937.53**
3	पूर्वी चम्पारण	1. पीपराकोठी	1315.66	1103.00	0.00	1315.66	813183.13
		2. रामगढवा	868.76	1569.00	0.00	868.76	536963.18
		3. चिरैंया	1473.75	1309.00	1453.50	20.25	12516.12
		4. पताही	1239.96	1380.00	0.00	1239.96	766394.48
		5. तेतरिया	2405.44	1717.00	1476.87	928.57	573930.55
		6. पकड़ीदयाल	1260.02	0.00	1207.00	53.02	32770.60
		7. केसरिया	341.25	310.00	310.00	31.25	19315.00
		8. चकिया	148.83	149.00	147.50	1.33	822.05
		9. कल्याणपुर	279.09	279.00	278.59	0.50	309.04
		कुल	**9332.76**	**7816.00**	**4873.46**	**4459.30**	**2756204.14**
4	सीतामढी	1. परिहार	3038.00	अनु.	3037.50	0.50	309.04
		2. बाजपट्टी	2555.69	अनु.	2051.07	504.62	311895.53
		3. मेजरगंज	3445.00	अनु.	3364.00	81.00	50064.48
		4. बैरगेनिया	1746.70	अनु.	1603.00	143.70	88818.10
		5. सोनबरसा	2784.00	अनु.	2770.00	14.00	8653.12
		6. डुमरा	6378.43	अनु.	6161.50	216.93	134080.09
		कुल	**19947.82**	**0.00**	**18987.07**	**960.75**	**593820.36**
		कुल योग	**31203.98**	**7816.00**	**24824.57**	**6379.41**	**3942985.73**

गेहूँ 99.95 लाख रूपये
चावल 39.43 लाख रूपये
कुल **139.38** लाख रूपये या **1.39** करोड़ रूपये

परिशिष्ट–XXXVIII

(संदर्भ : कंडिका 3.5.2 ; पृष्ठ : 62)

वर्ष 2001–05 के दौरान वित्त का सार

(रूपए करोड़ में)

जिला परिषद्	10 वां और 11 वे वित्त आयोग 99 प्रतिशत			10 वां और 11 वे वित्त आयोग एक प्रतिशत			एस.जी.आर वाई			एम.पी/एम.एल.ए/एम.एल.सी			पी.एल लेखा तथा अन्य प्राप्ति			कुल योग		
	प्राप्ति	व्यय	शेष	प्राप्ति	व्यय	शेष	प्राप्ति	व्यय	शेष	प्राप्ति	व्यय	शेष	प्राप्ति	व्यय	शेष	प्राप्ति	व्यय	शेष
मुजफफरपुर	25.51	23.67	1.84	0.37	0.33	0.04	18.60	18.24	0.36	8.52	8.24	0.28	11.31	10.37	0.94	64.31	60.85	3.46
पूर्वी चम्पारण	27.07	25.11	1.96	0.28	0.14	0.14	10.11	8.20	1.91	3.14	3.20	-0.06	7.79	6.67	1.12	48.39	43.32	5.07
पटना	21.97	20.38	1.59	0.21	0.17	0.04	10.80	10.11	0.69	0.48	0.52	-0.04	10.38	8.07	2.31	43.84	39.25	4.59
वैशाली	19.57	18.02	1.55	0.19	0.16	0.03	16.01	15.21	0.80	15.16	14.46	0.70	6.02	4.16	1.86	56.95	52.01	4.94
समस्तीपुर	25.10	23.29	1.81	0.25	0.18	0.07	11.88	7.02	4.86	15.60	13.48	2.12	5.35	4.09	1.26	58.18	48.06	10.12
बेगुसराय	16.94	15.72	1.22	0.17	0.10	0.07	8.03	6.63	1.40	0.56	0.27	0.29	3.01	2.17	0.84	28.71	24.89	3.82
गया	21.99	20.40	1.59	0.40	शुन्य	0.40	15.28	14.47	0.81	शुन्य	शुन्य	शुन्य	4.39	3.51	0.88	42.06	38.38	3.68
कुल	**158.15**	**146.59**	**11.56**	**1.87**	**1.08**	**0.79**	**90.71**	**79.88**	**10.83**	**43.46**	**40.17**	**3.29**	**48.25**	**39.04**	**9.21**	**342.44**	**306.76**	**35.68**

10वें तथा 11वें वित्त आयोग के प्राप्ति तथा व्यय का ब्यौरा

जिला परिषद द्वारा प्राप्त राशि और उसका पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण

जिला परिषद द्वारा उपयोग किया राशि एक प्रतिशत

(करोड़ रूपये में)

जिला परिषद	10वें वित्त आयोग			11वें वित्त आयोग			10वें वित्त आयोग			11वें वित्त आयोग		
	प्राप्ति	व्यय	शेष	प्राप्ति	व्यय	शेष	प्राप्ति	व्यय	शेष	प्राप्ति	व्यय	शेष
मुजफफरपुर	4.28	4.28	शुन्य	21.23	19.39	1.84	0.04	0.04	शुन्य	0.33	0.29	0.04
पूर्वी चम्पारण	4.54	4.54	शुन्य	22.53	20.57	1.96	0.04	0.04	शुन्य	0.24	0.10	014
पटना	3.69	3.69	शुन्य	18.28	16.69	1.59	0.04	0.03	0.01	0.17	0.14	0.03
वैशाली	3.21	3.21	शुन्य	16.36	14.81	1.55	0.06	0.03	0.03	0.13	0.13	शुन्य
समस्तीपुर	4.22	4.22	शुन्य	20.88	19.07	1.81	0.04	0.04	शुन्य	0.21	0.14	0.07
बेगुसराय	2.85	2.85	शुन्य	14.09	12.87	1.22	0.03	0.02	0.01	0.14	0.08	0.06
गया	3.69	3.69	शुन्य	18.30	16.71	1.59	0.04	शुन्य	0.04	0.36	शुन्य	0.36
योग	26.48	26.48	शुन्य	131.67	120.11	11.56	0.29	0.20	0.09	1.58	0.88	0.70

नोट:– 10वें और 11वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्ति जिसमें 0.03 करोड़ रूपये और 0.71 करोड़ रूपये क्रमश का सुद भी शमिल है।
नोट:– नकद के अलावा जैसा कि उपर दर्शाया गया 18.32 करोड़ रूपए के अनाज भी चार जिला परिषदों में एस.जी.आर.वाई योजना में प्रदान किया गया। (अवशेष तीन जिलों में राशि अनुपलब्ध)

परिशिष्ट–XXXIX

(संदर्भ : कंडिका 3.5.4 ; पृष्ठ : 64)

(अ) वर्ष 2001–05 के दौरान अग्रिम प्राप्तकर्ताओं (अग्रिमधारी) के ब्यौरा

क्र. सं.	जिला परिषद का नाम	स0अ0 को अग्रिम		क0अ0 का अग्रिम		अन्य के साथ अग्रिम (बी.डी.ओ, एन.आर.ई.पी इत्यादि)		कुल राशि
		स0अ0 की संख्या	अग्रिम की राशि	जे.ई की संख्या	राशि	व्यक्तियों की संख्या	राशि	
1	मुजफफरपुर	2	24.90	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	24.90
2	पूर्वी चम्पारण	शून्य	शून्य	6	11.51	1	0.02	11.53
3	पटना	1	0.22	13	6.35	1	0.46	7.03
4	वैशाली	2	15.69	9	13.25	4	0.30	29.24
5	समस्तीपुर	1	0.31	4	17.48	शून्य	शून्य	17.79
6	बेगुसराय	12	3.33	12	0.03	1	0.03	3.39
7	गया	शून्य	शून्य	9	3.17	5	4.75	7.92
कुल		**18**	**44.45**	**53**	**51.79**	**12**	**5.56**	**101.80**

(ब) वर्ष 2001–05 के दौरान तीन सहायक अभियंताओं के पक्ष में बकाया अग्रिम

जिला परिषद का नाम	स0अ0 / क0अ0 का नाम	31.03.05 के लंबित अग्रिम	दिए गए अग्रिमों के विरूद्ध कार्यों की संख्या	बकाया अग्रिमों की अवधि
मुजफ्फरपुर	(i) अले हसन, स.अ.	17.37 करोड रूपए.	1973 कार्य	0.91 करोड़ रूपये 3 से 4 वर्ष के लिए 2.83 करोड़ रूपये 2 से 3 वर्ष के लिए 5.78 करोड़ रूपये 1 से 2 वर्ष के लिए 7.85 करोड़ रूपये 1 वर्ष कम के लिए
	(ii) रामजी शर्मा स.अ.	7.53 करोड़ रूपए		0.96 करोड़ रूपये 2 से 3 वर्ष के लिए 2.83 करोड़ रूपये 1 से 2 वर्ष के लिए 3.74 करोड़ रूपये 1 वर्ष कम के लिए
वैशाली	शिशिर कुमार स.अ.	15.20 करोड़ रूपए	728 कार्य	2.55 करोड़ रूपये 3 से 4 वर्ष के लिए 4.12 करोड़ रूपये 2 से 3 वर्ष के लिए 4.42 करोड़ रूपये 1 से 2 वर्ष के लिए 4.11 करोड़ रूपये 1 वर्ष कम के लिए
कुल		**40.10** करोड़ रूपए	**2701 कार्य**	

परिशिष्ट–XL

(संदर्भ : कंडिका 3.5.5 ; पृष्ठ : 65)

वर्ष 2001–05 के दौरान लिए गए तथा पूर्ण किए गए कार्यो की विवरणी

क्र. सं.	जिला परिषद	एस.जी.आर.वाई योजना			10वें वित्त आयोग तथा 11वें			एमपी/एमएलए/एमएलसी योजना			स्वयं वित्त पोषित तथा पी.एल लेखे की योजना			योजना की कुल संख्या		
		लिए गए कार्यो की संख्या	पूर्ण किए गए कार्यो की संख्या	अपूर्ण कार्यो की संख्या	लिए गए कार्यो की संख्या	पूर्ण किए गए कार्यो की संख्या	अपूर्ण कार्यो की संख्या	लिए गए कार्यो की संख्या	पूर्ण किए गए कार्यो की संख्या	अपूर्ण कार्यो की संख्या	लिए गए कार्यो की संख्या	पूर्ण किए गए कार्यो की संख्या	अपूर्ण कार्यो की संख्या	लिए गए कार्यो की संख्या	पूर्ण किए गए कार्यो की संख्या	अपूर्ण कार्यो की संख्या
1	मुजफफरपुर	1529	305	1224	6	शुन्य	6	270	शुन्य	270	534	शुन्य	534	2339	305	2034
2	पूर्वी चम्पारण	647	शुन्य	647	9	शुन्य	9	51	शुन्य	51	31	शुन्य	31	738	शुन्य	738
3	पटना	897	शुन्य	897	111	शुन्य	111	अनु	अनु	अनु	अनु	अनु	अनु	1008	शुन्य	1008
4	वैशाली	1094	शुन्य	1094	6	शुन्य	6	651	शुन्य	651	9	शुन्य	9	1760	शुन्य	1760
5	समस्तीपुर	828	शुन्य	828	174	शुन्य	174	507	शुन्य	507	225	शुन्य	225	1734	शुन्य	1734
6	बेगुसराय	556	197	359	23	1	22	11	5	6	1	शुन्य	1	591	203	388
7	गया	1709	145	1564	शुन्य	शुन्य	शुन्य	अनु	अनु	अनु	अनु	अनु	अनु	1709	145	1564
कुल		**7260**	**647**	**6613**	**329**	**1**	**328**	**1490**	**5**	**1485**	**800**	शुन्य	**800**	**9879**	**653**	**9226**

नोटः 9879 कार्यो के विरूद्ध 2940 कार्यो को जिला परिषद द्वारा पूर्ण दिखाया जाना हालाकि लेखा परीक्षा संवीक्षा में 653 कार्य ही पूर्ण पाए गए। 2287 अपूर्ण कार्यो का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया :–

	एस.जी.आर.वाई कार्यो की संख्या	एमपी/एमएलए/एमएलसी कार्यो की संख्या	10वें तथा 11वें वित्त आयोग की संख्या	कुल	इन कार्यो में शामिल अग्रिम की राशि (रूपए करोड़ में)
पटना	237	शुन्य	शुन्य	237	3.14
वैशाली	1003	651	4	1658	22.91
समस्तीपुर	37	81	शुन्य	118	2.96
पूर्वी चम्पारण	241	29	4	274	5.59
कुल	**1518**	**761**	**8**	**2287**	**34.60**

font

परिशिष्ट–XLI

(संदर्भ : कंडिका 5.1.12 ; पृष्ठ : 96)

वर्ष 2000–05 के दौरान पशुपालन विभाग में योजना के अंतर्गत चालू योजनाओं की सूची

(रूपये लाख में)

क्र. सं.	*योजना का नाम* *अ. राज्यकीय प्लान योजना*	2000–01		2001–02		2002–03		2003–04		2004–05		कुल	
		अनुदान	व्यय	अनुदान	व्यय	अनुदान	व्यय	अनुदान	व्यय	अनुदान	व्यय	अनुदान	व्यय
1.	निदेशालय एवं क्षेत्रीय प्रशासन	17.65	16.40	14.33	12.18	18.37	18.37	20.02	15.43	14.77	14.72	85.14	77.10
2.	अस्पताल दवाखाना एवं अन्य स्थापना	शुन्य	शुन्य	100.15	99.72	133.76	96.12	102.91	69.11	96.82	96.87	433.64	361.82
3.	पैर एवं मूहँ के रोगो का रोकथाम	शुन्य	2.46	शुन्य	शुन्य	20.00	16.81	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	20.00	19.27
4.	टीकाकरण इकाई	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	-	-
5.	छोटे सीमांत किसानो एवं खेतीहर मजदूरों को सहायता	40.51	32.77	64.56	62.06	29.25	शुन्य	75.09	28.08	शुन्य	शुन्य	209.41	122.91
6.	रेंज पोलट्री फार्म, केन्द्रीय कुक्कुट विकाए एवं उत्पादन एवं कुक्कुट चारा का वितरण के लिए योजना	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	5.00	5.00	2.80	2.80	शुन्य	शुन्य	7.80	7.80
7.	पशु पर्षद	1.20	1.65	0.57	0.22	0.60	शुन्य	0.61	0.52	0.65	0.65	3.63	3.04
8.	पशु रोगों के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए योजना	25.27	34.04	34.01	12.78	14.26	14.25	28.53	7.61	74.15	74.15	176.22	142.83
9.	अन्य रोग निदान प्रयोगशाला	4.75	5.30	5.35	4.57	12.40	12.40	3.67	3.44	7.86	7.86	34.03	33.57
10.	दुग्ध, अण्डा, मीट एवं ऊन के सर्वेक्षण एवं उत्पादन के लिए योजना	21.99	24.52	37.68	33.13	17.31	17.31	13.26	4.81	14.10	8.74	104.34	88.51
11.	शीतलीकृत वीर्य बैंक	23.00	39.39	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	23.00	39.39
12.	मुर्गी पालन विकास योजना	शुन्य	शुन्य	6.50	3.80	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	6.50	3.80
13.	जनजातिय क्षेत्र उप योजना अस्पताल, दवाखाना एवं अन्य स्थापना	22.30	10.67	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	22.30	10.67
14.	जनजातिय उप योजना सुअर प्रजनन फार्म	14.68	7.47	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	14.68	7.47
15.	जनजातिय क्षेत्र उप योजना बकरी विकास	2.35	3.81	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	2.35	3.81
16.	जनजातिय क्षेत्र उप योजना सांख्यिकी इकाई	1.10	0.31	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	1.10	0.31

क्र. सं.	योजना का नाम अ. राज्यकीय प्लान योजना	2000–01		2001–02		2002–03		2003–04		2004–05		कुल	
		अनुदान	व्यय	अनुदान	व्यय	अनुदान	व्यय	अनुदान	व्यय	अनुदान	व्यय	अनुदान	व्यय
17.	जनजातिय क्षेत्र उप योजना निदेशालय एवं क्षेत्रीय प्रशासन	23.32	32.93	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	23.32	32.93
18.	4403–पशु स्वास्थ्य सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	67.80	शुन्य	101.70	101.70	169.50	101.70
	ब. केन्द्रो प्रायोजित योजना												
1.	पैर एवं मुँह के रोगों का नियंत्रण	शुन्य	0.23	शुन्य	शुन्य	20.00	12.29	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	20.00	12.52
2.	कुक्कुट फार्म– कुक्कुट निगम	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	20.00	20.00	11.20	11.20	शुन्य	शुन्य	31.20	31.20
3.	दुग्ध, अण्डा, मीट एवं ऊँन के सर्वेक्षण एवं उत्पादन के लिए योजना	14.55	4.36	37.33	24.90	17.31	12.13	13.26	45.14	14.10	14.10	96.55	100.63
4.	पशु पर्षद	0.68	0.29	0.57	0.39	0.60	शुन्य	0.61	0.70	0.65	0.44	3.11	1.82
5.	पशु रोगों के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए योजना	23.17	13.00	34.01	14.63	14.26	14.26	शुन्य	शुन्य	222.44	224.33	293.88	266.22
	सः केन्द्रीय योजनागत योजना–मवेशी गणना कार्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	82.55	36.76	444.21	53.67	526.76	90.43
	कुल	**236.52**	**229.60**	**335.06**	**268.38**	**323.12**	**238.94**	**422.31**	**225.60**	**991.45**	**597.23**	**2308.46**	**1559.75**

(स्रोतः विनियोजन लेखे)

परिशिष्ट–XLII

(संदर्भ : कंडिका 5.1.12 ; पृष्ठ : 96)

वर्ष 2000–05 के दौरान पशुपालन विभाग में शुरू किए गए योजनागत योजनाओं की सूची

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	2000-01		2001-02		2002-03		2003-04		2004-05		कुल	
		अनुदान	व्यय	अनुदान	व्यय	अनुदान	व्यय	अनुदान	व्यय	अनुदान	व्यय	अनुदान	व्यय
1.	अधीक्षण	2.20	1.72	1.65	1.50	1.56	1.56	1.51	1.31	1.57	1.57	8.49	7.66
2.	अधीक्षण ुमण्डलीय स्तर	1.49	2.68	1.10	1.03	1.38	1.38	1.47	2.44	1.46	1.46	6.9	8.99
3.	अधीक्षण जिला स्तर	4.64	4.31	3.14	3.10	3.46	3.46	3.63	3.17	3.61	3.61	18.48	17.65
4.	पशु प्लेग के रोकथाम की योजना	1.13	1.35	0.65	0.65	0.53	0.53	0.53	1.42	0.52	0.51	3.36	4.46
5.	अस्पताल दवाखानों तथा अन्य स्थापना	29.73	30.36	21.83	21.60	21.53	21.53	22.81	21.09	23.79	22.82	119.69	117.40
6.	पशुक्षय रोगों के रोकथाम की योजना	0.26	0.18	0.27	0.22	0.22	0.22	0.28	0.51	0.28	0.28	1.31	1.41
7.	मवेशी पालन फार्म	1.73	4.37	1.12	1.12	1.10	1.10	1.16	5.54	1.25	1.25	6.36	13.38
8.	ग्रामीण क्षेत्रों के राष्ट्रीय विस्तार प्रखण्ड में प्रमाणित सांढ़ो के वितरण की योजना	2.66	3.68	1.42	1.41	1.40	1.40	1.36	1.41	1.45	1.45	8.29	9.35
9.	मवेशी पालन एवं विकास योजना	20.33	15.26	13.49	13.48	13.12	13.12	13.00	8.65	14.16	14.05	74.10	64.56
10.	पशु मेला, प्रदर्शनी एवं पशु कल्याण	0.37	0.30	0.35	0.34	0.34	0.34	0.33	0.39	0.40	0.40	1.79	1.77
11.	रेंज कुक्कुट फार्म, राष्ट्रीय कुक्कुट विकास एवं उत्पादन, कुक्कुट चारा के वितरण के लिए योजना	1.13	0.81	1.06	1.06	0.91	0.73	1.59	1.58	0.93	0.97	5.62	5.15
12.	कुक्कुट फार्म एवं लघु ड्रेसिंग संयंत्र	0.12	0.41	0.05	0.05	0.06	0.04	0.05	0.06	0.05	0.05	0.33	0.61
13.	सुअर पालन फार्म	0.33	0.28	-	-	-	-	0.05	0.07	0.05	0.05	0.43	0.40

क्र. सं.	योजना का नाम	2000-01		2001-02		2002-03		2003-04		2004-05		कुल	
		अनुदान	व्यय	अनुदान	व्यय	अनुदान	व्यय	अनुदान	व्यय	अनुदान	व्यय	अनुदान	व्यय
14.	पशु चारा एवं कुक्कुट चारा विकास	0.56	0.55	0.31	0.30	0.28	0.28	0.30	0.32	0.32	0.36	1.77	1.81
15.	विस्तार एवं प्रशिक्षण	0.18	0.18	0.10	0.10	0.11	0.10	0.12	0.11	0.14	0.13	0.65	0.62
16.	पशुधन अनुबंधन केन्द्र	2.40	2.39	1.73	1.73	1.85	1.85	1.99	2.09	1.96	1.99	9.93	10.05
17.	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग में सांख्यिकी इकाई	0.73	0.74	0.52	0.52	0.54	0.54	0.56	0.47	0.56	0.54	2.91	2.81
18.	ऊॅन कतरन केन्द्र का गठन	0.06	0.08	0.03	0.03	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.09	0.11
19.	बकरा विकास	0.01	0.01	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.01	0.01
20.	भेंड़ पालन फार्म	0.12	0.10	0.04	0.04	0.03	0.03	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.19	0.17
21.	बैकन फैक्ट्री एवं बाजार इकाई के गठन की योजना	0.39	0.30	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.39	0.30
22.	3451 सचिवालय आर्थिक सेवाएँ 090 सचिवालय 008–पशु एवं मत्स्य विभाग	0.34	0.33	0.25	0.26	0.15	0.15	0.17	0.17	0.06	0.06	0.97	0.97
23.	3454. जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी 01– जनगणना 001– निर्देश्न एवं प्रशासन 003– पशु गणना	0.14	0.12	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.13	0.22	0.22	0.57	0.62
	कुल	**71.05**	**70.51**	**49.19**	**48.62**	**48.64**	**48.43**	**50.97**	**50.93**	**52.78**	**51.77**	**272.63**	**270.26**

(स्रोतः विनियोजन लेखे)